NOT TO BE ISSUED
FOR REFERNCE ONLY.

षोडश माला, खंड 21, अंक 15

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2001
19 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
No. S2
Date 12/6/2002

(खण्ड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 15, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2001/19 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	281, 283, 284 और 286	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	282, 285 और 287 से 300	21-39
अतारांकित प्रश्न संख्या	3096 से 3325	39-305
सभा पटल पर रखे गए पत्र		305-310
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		311
कार्य मंत्रणा समिति		
तीसवां प्रतिवेदन		311
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
देश में गैसोहोल की आपूर्ति		
श्री राम नाईक		311-313
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) सिवनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर कंक्रीट सीमेंट बिछाने के लिए शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता		
श्री रामनरेश त्रिपाठी		326
(दो) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर तथा बिंदकी रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
डा० अशोक पटेल		327
(तीन) रानी अवंती बाई बांध के दायीं ओर नहर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामानन्द सिंह		327
(चार) सुपर बाजार को बंद किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता		
श्री बाबूभाई के० कटारा		327
(पांच) रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा हुआ टेलीफोन किराया लिये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता		
श्री राम टहल चौधरी		328

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(छह)	देश के सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा करने हेतु कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जे०एस० बराड़	328
(सात)	पृथक विंध्य प्रदेश राज्य बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुन्दर लाल तिवारी	329
(आठ)	राजस्थान में डूंगरपुर और रतलाम के बीच बरास्ता बांसवाड़ा बड़ी लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ताराचन्द भगौरा	329
(नौ)	सुपारी का समर्थन मूल्य विशेष रूप से केरल में 100 रुपये प्रति किलो ग्राम घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी० गोविन्दन	330
(दस)	हैदराबाद में राष्ट्रीय खेल, 2002 के लिए आन्ध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण को दिए गए दान पर आयकर में शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की आवश्यकता	
	डा० मन्दा जगन्नाथ	331
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित दूरभाष केन्द्र शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	331
(बारह)	महाराष्ट्र में अचलपुर-मुर्तिजापुर-यवतमाल नैरोगेज रेल लाइन का शीघ्र आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त गुढे	332
(तेरह)	"इस्को" का पुनरुद्धार किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	डा० बिक्रम सरकार	332
(चौदह)	बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	332
(पन्द्रह)	कोलकाता-आईजल मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने तथा आईजल-गुवाहाटी विमान सेवा शुरु किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वनलाल जावमा	333
मणिपुर बजट, 2001-2002—सामान्य चर्चा		
अनुदानों की मांगें (मणिपुर), 2001-2002		334
	श्री मणिशंकर अय्यर	337
	श्री बाजू बन रियान	341
	श्री टीएच० चाओबा सिंह	343

विषय	कॉलम
श्री होलखोमांग हौकिप	346
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति	349
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	351
श्री बालासाहिब विखे पाटील	352
मणिपुर विनियोग विधेयक, 2001	
पुर:स्थापित	355
विचार करने के लिए प्रस्ताव	356
खण्ड 2, 3 और 1	356
पारित करने के लिए प्रस्ताव	356
नियम 193 के अधीन चर्चा	
दोहा में हुआ विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री-स्तरीय सम्मेलन	
श्री रूपचन्द पाल	357
श्री खारबेल स्वाइं	363
श्री मणिशंकर अय्यर	366
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	387
श्री रामजीलाल सुमन	393
डा० बिक्रम सरकार	395
श्री पी०एच० पांडियन	398
डा० रामकृष्ण कुसमरिया	400
श्री प्रबोध पण्डा	401
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	402
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	407
डा० जसवंत सिंह यादव	410
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	413
श्रीमती रेनु कुमारी	416
श्रीमती श्यामा सिंह	418
श्री रमेश चेन्नितला	422
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	425
श्री मुरासोली मारन	426-438

लोक सभा

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2001/19 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा मानार्थ सदस्यता

+

*281. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) के होटलों ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को तरण-ताल, नि:शुल्क ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए मानार्थ सदस्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान इन होटलों को कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी सुविधाओं को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) जी, हां। तथापि, कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं कि तरण-ताल तथा हैल्थ कल्ब के लिए कोई मानार्थ सदस्यता न दी जाए। विद्यमान आतिथ्य व्यवसाय प्रथा के अनुसार नि:शुल्क आवास देने के मामले की पुन: जांच की जा रही है। पिछले वर्षों के दौरान प्रदान की गई मानार्थ सदस्यता के संबंध में एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को सारे मामले को देखने और दो महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आगे की कार्रवाई इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रारंभ की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में की गई थी जिससे पर्यटक केन्द्रों का विकास हो, सुविधाएं बढाई जा सकें और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भारत आ सकें और इससे काफी लाभ भी मिला था, लेकिन निगम की कुव्यवस्था के कारण अब यह बिलकुल घाटे में चलने लगा, जिसके चलते अब यह विनिवेश के कगार पर पहुंचा गया है। इसके जो प्रबन्धक हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे होटलों और रेस्तराओं का गलत इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा है।

महोदय, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया। मंत्री जी बड़े ही कुशल, दक्ष और कड़े प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसी सदन में, 19 नवंबर 2001 को एक अतारांकित प्रश्न सं० 35 में यह जवाब दिया गया था कि इसके लिए निदेश जारी किए गए हैं, कार्रवाई की जा रही है। इस उत्तर में सिर्फ एक वाक्य और जोड़ दिया गया है कि कड़े इंस्ट्रक्शन्स दिए गए हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो प्रबन्धक और पदाधिकारी इन होटलों और रेस्तराओं में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उनसे मार्केट रेंट पर किराया वसूल करेगें और साथ ही इसमें हैल्थ क्लब जिसका चार्ज 40 हजार रुपए सालाना है और स्वीमिंग पूल जिसका 15 हजार रुपए सालाना शुल्क देना होता है, लेकिन प्रबन्धकों और पदाधिकारियों के परिजन नाजायज तरीके से, उनके सदस्य बन कर, हैल्थ क्लब और स्वीमिंग पूलों का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्हें एक निश्चित अवधि तक वहां से हटाएंगे और उनसे मार्केट रेंट वसूलेंगे और जो इन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कराकर दो महीने के अंदर पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंधकों आदि की, जितने दिन से वे इनमें रह रहे हैं, उनकी एक सूची मंत्री जी क्या सदन में रखेंगे ?

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, ये जो कम्पलीमेंट्री पासेस हैं, वे ब्रॉडली तीन कैटेगरी में फॉल करते हैं – हैल्थ क्लब, स्वीमिंग पूल और कमरे में उनको जगह देना। जहां तक स्वीमिंग पूल और हैल्थ क्लब का ताल्लुक है, मैंने आर्डर पास कर दिए हैं और सबकी कम्प्लीमेंट्री बन्द हो गई हैं और नवंबर से यह लागू है कि किसी को भी कोई कम्प्लीमेंट्री हैल्थ क्लब या स्वीमिंग पूल की नहीं दी जाएगी।

दूसरे, जो कमरे कभी-कभी एलाट किए जाते हैं, वे यदि आफीसरों को एलाट किए गए, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन कई दफा कामश्यर्ल कंसीडरेशन पर भी कमरे आबंटित किए जाते हैं जैसे कोई बाहर की पार्टी आती है और होटल को बिजनैस देना चाहती है, तो उससे डिसकशन हेतु इस प्रकार की एकोमोडेशन कम्प्लीमेंट्री बेसिस पर दी जाती है। उसके लिए सिर्फ वाइस प्रेसीडेंट को पावर्स हैं। उनकी पावर से इस प्रकार की एकोमोडेशन को एलाट किया जा सकता है।

जैसा मैंने अपने रिप्लाई में बताया है, हमने एक रिटायर्ड आई०ए०एस० आफीसर को लगाया है कि वे इसको एग्जामिन करें और देखें कि इसको भी और कैसे रैशनलाईज किया जाए जिससे स्ट्रैटेजिक बिजनैस कंसीडरेशन पर दिया जाता है, उसको भी री-एग्जामिन किया जाए।

जहां तक पहले का ताल्लुक है कुछ आफीसर्स होटलों में रह रहे हैं जो एनटाइटल्ड नहीं थे, उनको अपनी एकोमोडेशन में जाना चाहिए था। 31 अक्तूबर से सबको आर्डर्स कर दिए गए हैं कि वे उन्हें खाली कर दें। ऐसे तीन आफीसर्स थे जो ऐसी एकोमोडेशन में रह रहे थे और तीनों से ही 31 अक्तूबर से एकोमोडेशन खाली करा ली है और उनसे कहा गया है कि 31 अक्तूबर से आगे यदि कोई होटलों के कमरों में रहेगा, तो उससे होटल के कमरे का पूरा मार्केट रेंट लिया जाएगा। इसलिए उनकी जो-जो एकोमोडेशन अलाट की गई थीं वे वहां चले गए हैं। दो तो चले गए हैं। एक जा रहे हैं। उनसे भी 31 अक्तूबर के बाद वे जितने भी दिन होटल के कमरे में रहेंगे, उस ओवर स्टे का उनसे पूरी मार्केट रेंट से किराया वसूला जाएगा।

जैसा मैंने अर्ज किया जिनको हैल्थ क्लब और स्वीमिंग पूल की पैकेज मिली थी, उनकी लिस्ट मेरे पास है। जो इन्क्वायरी आफीसर हैं, उन्हें वह लिस्ट दे दी जाएगी, ताकि वे देखें। जैसा आपने कहा कि हैल्थ क्लब के 40 हजार और स्वीमिंग पूल के 15 हजार रुपए सालाना लगते हैं, उसमें थोड़ा फर्क है। यदि आप चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ब्राडली जो आपने कहा है, यह ठीक है। अब पूरा बन्द कर दिया है।

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, इसकी पुनरावृत्ति न हो और होटलों तथा रेस्तराओं का गलत ढंग से पुन: इस्तेमाल न हो, हैल्थ क्लब एवं स्वीमिंग पूल के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए क्या मंत्री जी ने कोई योजना बनाई है, यदि बनाई है, तो वह क्या है जिससे फिर इनका दुरुपयोग न हो ?

श्री जगमोहन : वह तो मैंने पहले ही बन्द कर दिया है। हैल्थ क्लब और स्वीमिंग पूल्स के आर्डर्स मैंने इश्यू कर दिए हैं। जहां तक बिजनैस कंसीडरेशन का सवाल है, वह एग्जामिन करा रहे हैं। रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक आगे एक्शन लिया जाएगा।

आपको यह मालूम ही है कि होटलों का डिसइनवेस्टमेंट हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे। प्राइवेट पार्टीज को मिल जाएंगे। तीन होटल तो पहले ही डिसइनवेस्ट हो चुके हैं और तीन प्रोसेस में हैं और बाकी डिसइनवेस्टमेंट को मिनिस्ट्री डील कर रही है।

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो तीन कम्प्लीमेंट्री बताए हैं उनके अतिरिक्त एक चौथा कम्प्लीमेंट्री भी होता है और वह है मुफ्त भोजन। जो होटल में रहे उसे मुफ्त भोजन मिलता है। जो बहुत सारे अधिकारी जिनको पात्रता नहीं है, वे पिछले कुछ वर्षों से होटलों में मुफ्त भोजन ले रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री जगमोहन : महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया, जिस किसी ने भोजन लिया है और टर्म्स एंड कंडीशन्स के मुताबिक यदि उसकी एनटाइटलमेंट नहीं थी, तो उससे रिकवर किया जाएगा। इसके लिए इन्क्वायरी आफीसर लगाया है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, आई०टी०डी०सी० के जो बहुत सारे होटल हैं, उन्हें सरकार बेचने का प्रयत्न कर रही है। अब सवाल यह है कि जब ये होटलों को चला नहीं पा रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं, तो सरकार क्या चलाएंगे ? यह इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वह होटलों को ठीक प्रकार से चलाए। यदि सरकार होटलों को बेचेगी, तो आने वाले समय में इन लोगों को सरकार को ही बेचना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि आई०टी०डी०सी० का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए बल्कि सरकार को उन्हें ठीक ढंग से चलाना चाहिए। क्या सरकार इन्हें ठीक प्रकार से चलाने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, यह सरकार अच्छी तरह से चले, इसीलिए घाटे वाले होटलों को डिसइनवेस्ट कर रहे हैं। चूंकि यह सरकार का पालिसी डिसीजन है कि ऐसे काम प्राइवेट सैक्टर को करने चाहिए। होटल चलाने का काम सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट सैक्टर का है। इसीलिए यह निर्णय लिया है। सरकार ने और ऐफीशिएंसी लाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया है। प्राइवेट सैक्टर इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। इस काम को गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, ये जो आई०ए० एस० आफीसर इन्क्वायरी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, ये कब किए गए और क्या उनकी रिपोर्ट जो दो महीने का पीरियड दिया गया है, वह कम्पलीट हो गया है या नहीं और कौनसी तारीख को कंपलीट हो रहा है तथा होटल तो कमर्श्यल बेसिस पर चलते हैं इसलिए जो कमर्श्यल होटल चलाते हैं, उनको बहुत एक्सपीरिएंस होता है, तो जो आई०ए०एस० आफीसर नियुक्ति किए गए हैं, उन्हें क्या इस क्षेत्र का अनुभव है क्योंकि जो ताज वगैरह होटल चलाते हैं, उनके लोग बोर्ड आफ डायरैक्टर्स में भी रहते थे।

आजकल मालूम नहीं है कि निकाले गए हैं या नहीं। क्या उन लोगों की सलाह ली है ? आज देखा जाए तो पूरी होटल इंडस्ट्री, जो एक रूम दस हजार रुपये में दिया जाता था वह मार्किट में तीन हजार रुपये में मिल रहा है, उसका रेट डेढ़ हजार रुपये तक गया है, कम्पीटिशन बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे समय में आपने इसके कमर्शियलाइजेशन पर कुछ सोच की है या नहीं या सिर्फ एक सरकारी इंडस्ट्री है और उसके लिए डंडा लेकर बैठे हैं ? उसी तरह का काम करके होटल चलाएंगे या जो दूसरे बड़े लोग आज भी मुनाफा कमा रहे हैं, उस तरह चलाने की कुछ सोच है ?

श्री जगमोहन : जैसे मैंने कहा, कि जो अधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं उनसे उनकी एवेलेबिलिटी के लिए नवम्बर में पूछा गया है और दो महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इन्क्वायर करना है कि क्या किसी ने नाजायज कम्प्लीमैंट्री लिया है या नहीं।

दूसरी बात होटल के रेट्स कम होने या लॉसेस होने के बारे में है। 11 सितम्बर के इंसीडैंट के बाद सारी दुनिया और हिन्दुस्तान में एयरलाइन्स के टूरिस्ट्स ट्रैफिक का फ्लो कम हुआ है और बाकी टूरिस्ट्स ट्रैफिक का भी कम हुआ है। इस वजह से होटल के रेट्स

कम आए हैं। जहां तक कमर्शियलाइजेशन कंसीड्रेशन का ताल्लुक है, उसी कमर्शियल कंसीड्रेशन पर हमने डिसइन्वेस्टमैंट की पॉलिसी बनाई है। उसे इम्प्लीमैंट कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूं।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसमें 'ख' भाग का उत्तर उपलब्ध नहीं है। उसमें पूछा गया है कि यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह ब्यौरा दिया जाए।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद कुछ होटल इसलिए घाटे में चल रहे हैं क्योंकि वहां ग्राहकों की कमी हो सकती है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहां आवास की कमी भी रहती है। मेरी सूचना अनुसार वहां जो आई०टी०डी०सी० का एकमात्र होटल है, वह भी घाटे में चल रहा है। उसके कौन से कारण हैं? सूचना यह भी है कि सरकार की उसे भी निजी क्षेत्र में देने की पूरी तैयारी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में देने से पूर्व ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर आपका जो होटल है, क्या उसकी जांच करवाएंगे कि घाटे के कौन से कारण हैं?

श्री जगमोहन : मैं आपको लिस्ट सप्लाई कर दूंगा, लम्बी लिस्ट है जिसमें स्टेटवाइज़ दिया हुआ है कि यहां-यहां होटल हैं। आप जो डिटेल चाहते हैं, वह इस लिस्ट में दर्ज हैं, वह मैं आपको भेज दूंगा। जहां तक कुल्लू-मनाली होटल का सवाल है, वह डिसइन्वैस्टमैंट की लिस्ट में है। ऑलरेडी डिसइन्वैस्टमैंट के लिए उसकी ऐडवर्टाइज़मैंट हो चुकी थी लेकिन कोई बिड नहीं आई, इसलिए उसे दुबारा डिसइन्वैस्टमैंट के लिए पुट अप किया गया है। उसके लॉसेज के कई कारण हैं – एक यह कि वह सीजनल होता है, सिर्फ गर्मियों में ज्यादा रहता है। दूसरी बात यह है कि 11 सितम्बर के इंसीडैंट के बाद टूरिस्ट ट्रैफिक कम हुआ है। लेकिन यह फैसला हो चुका है कि उसे डिसइन्वैस्ट करना है और डिसइन्वैस्टमैंट हो रहा है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मनाली में हमेशा आवास की कमी रहती है। इसकी एक बार जांच करवाएं। (व्यवधान)

श्री जगमोहन : हम जांच करवा रहे हैं लेकिन डिसइन्वैस्टमैंट हो रहा है।

[अनुवाद]

दक्षिण की नदियों को आपस में जोड़ना

***283. श्री एम० चिन्नासामी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिण भारत में बाढ़ तथा सिंचाई की समस्याओं का समाधान करने के लिए दक्षिण की सभी नदियों को आपस में जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1980 में, जल संसाधन मंत्रालय जो उस समय सिंचाई मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, ने अनेक दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को अपास में जोड़ कर एकीकृत जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी। इस कार्यक्रम के जरिए देश के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का संभावित स्थानान्तरण करने के लिए अब तक के अधिशेष बेसिनों का मूल्यांकन करने का विचार है। इस प्रयोजन से भारत सरकार ने प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्वायत्त सोसायटी के रूप में स्थापना की थी। प्रायद्वीपीय घटक (दक्षिणी क्षेत्र) में व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए 16 सम्पर्क शुरू किए गये हैं जिनमें से 12 सम्पर्क दक्षिणी नदियों को आपस में जोड़ने से सम्बंधित हैं। तीन सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो गई हैं। जल स्थानान्तरण सम्पर्कों का कार्यान्वयन तभी सम्भव होगा जब सम्बन्धित सह-बेसिन राज्य जल सम्पर्क प्रस्ताव से सहमत होते हैं और परियोजना कार्यान्वयन और निधियों की उपलब्धता के लिए आवश्यक अन्य लाजिस्टिकल सहायता उपलब्ध होती है।

श्री एम० चिन्नासामी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरूवात 1980 में कर दी है। 20 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी, प्रस्तावित परियोजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है और इस परियोजना की लागत कितनी है। क्या मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करेंगे?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, देश में जल संसाधनों के समन्वित विकास और जल का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सरकार ने 1980 में एक परिप्रेक्ष्य योजना बनायी थी। और 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एस०डब्ल्यू०डी०ए०) का गठन किया गया। अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का स्थानान्तरण करने हेतु नदियों को आपस में जोड़नो संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य चल रहा है। माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र में तीन सम्पर्कों का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है। मैं माननीय सदस्य और इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि प्रायद्वीपीय नदियों का व्यवहार्यता अध्ययन 2003 तक और हिमालय की नदियों का यह अध्ययन, 2007 तक पूरा कर लिया जायेगा।

श्री एम० चिन्नासामी : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में कहा गया है कि, ''जल स्थानान्तरण सम्पर्कों का कार्यान्वयन तभी सम्भव होगा

जब संबंधित सह-बेसिन राज्य जल सम्पर्क प्रस्ताव से सहमत होते हैं और परियोजना कार्यान्वयन और निधियों की उपलब्धता के लिए आवश्यक अन्य सानुपाती सहायता उपलब्ध होती है।'' मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि सरकार ने सह-बेसिन वाले राज्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय यह सच है कि जब तक संबंधित राज्य अधिशेष जल को कम बेसिन वाले क्षेत्र में स्थानान्तरण करने को सहमत नहीं होते अधिशेष बेसिन क्षेत्र से कम बेसिन क्षेत्र में जल का स्थानान्तरण संभव नहीं होगा। हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और जब भी व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है, हम संबंधित राज्य सरकार से विचार-विमर्श करते हैं और यह कार्य उनके अनुमोदन से किया जाता है। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निरन्तर राज्यों के संपर्क में हैं।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय जैसा कि तमिलनाडु के माननीय सदस्य ने अभी-अभी सुझाव दिया कि संबंधित सह-बेसिन राज्यों की स्वीकृति या अनुमति प्राप्त किये बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, एन०डब्ल्यू०डी०ए० द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे तीन सम्पर्कों में से एक, महानदी से गोदावरी और गोदावरी से तमिलनाडु के संबंध में प्रस्ताव को, मैं नहीं जानता कि क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उसे स्वीकार किया है या नहीं। तो यह सब कार्य क्यों किया जा रहा है ? यदि आप पहले सहमति नहीं प्राप्त करेंगे तो ये परियोजनायें मात्र सिद्धान्त ही रहे जाएंगी। अत:, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि कितने सहबेसिन वाले राज्यों ने उसे मूलत: स्वीकार कर लिया है। उसके बिना इस कार्य का कोई अर्थ नहीं है। मंत्री महोदय को सभा को इसका उत्तर देना होगा।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि राज्य सरकारों की सहमति के बिना अधिशेष जल क्षेत्र से कम जल क्षेत्र में जल के स्थानान्तरण हेतु नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। अत:, हम केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार से ही नहीं बल्कि उन सभी राज्यों के साथ निरन्तर संपर्क में हैं जहां पर अंत: जल बेसिनों से जल स्थानान्तरण का कार्य किया जाना है। हम केवल एन०डब्ल्यू०डी०ए० शासी निकाय की बैठकों में ही विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे अधिकारी राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में हिस्सा लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे सहमत हुए बगैर देश में बाढ़ एवं सूखा प्रबन्धन का कार्य उपयुक्त तरीके से नहीं किया जा सकेगा। अत: राष्ट्रीय हित में सभी राज्यों को इससे सहमत होना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण भारत की नदियों और हिमालय नदी की बात कही गई है। इन नदियों के बीच में नर्मदा और सोन नदी का क्षेत्र भी आता है, जो दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह प्रश्न दक्षिण की नदियों के जोड़ने से संबंधित है। पहले आप प्रश्न को पढ़िये। यदि आप दक्षिण की नदियों से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं उसी से जुड़ी हुई बात कह रहा हूं। बीच में हिमालय नदी की बात है और हम दक्षिण नदियों की बात कह रहे हैं। ये नदियां दोनों के बीच की कड़ी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह केवल दक्षिण की नदियों से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह : आप इनको बाईपास करके नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सदर्न रीवर के बारे में पूछ सकते हैं, तो पूछिए।

श्री प्रहलाद सिंह : महोदय, मंत्री जी ने जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की जानकारी का प्रश्न नहीं है। आप सदर्न रीवर के बारे में पूछ लीजिए, नहीं तो आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि 16 सम्पर्क बनाये जायेंगे जिनमें से तीन की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गयी है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो एक ही राज्य में होकर बहती हैं। उदाहरणार्थ के०जी० बेसिन, कृष्णा-गोदावरी बेसिन आन्ध्र प्रदेश में हैं। कृष्णा नदी में जल की कमी है और गोदावरी नदी में हमेशा ही जल अधिशेष मात्रा में रहता है जो बह जाता है। यदि इन दो नदियों को जोड़ दिया जाये तो गोदावरी नदी के अधिशेष जल को आन्ध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्र को, अन्य राज्यों के जल संसाधन अधिकारों को प्रभावित किये बगैर दिया जा सकेगा। क्या इस प्रकार के मामले के लिए कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट होगी या इन नदियों को जोड़ने के लिए कोई इस प्रकार की रिपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि ये नदियां एक ही राज्य में बहती है ? क्या माननीय मन्त्री कृष्णा-गोदावरी बेसिन के बारे में विचार करेंगे ?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय महानदी से गोदावरी को और गोदावरी को कृष्णा से जोड़ने वाले एक सम्पर्क का प्रस्ताव है। इस सम्पर्क का प्रस्ताव किया गया है और व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही किया जा चुका है। यदि इस सम्पर्क को कार्यान्वित किया जाये जो आन्ध्र प्रदेश के कम जल क्षेत्रों को अधिशेष जल क्षेत्रों से जोड़ा जा सकेगा और वहां सूखे की समस्या नहीं रहेगी। यह सम्पर्क इस प्रकार प्रस्तावित है और यदि यह कार्यान्वित किया गया जो इस क्षेत्र में नदियों को आपस में जोड़ने की समस्या नहीं रहेगी।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महानदी माननीय मंत्री महोदय के राज्य में है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने से उड़ीसा से लेकर आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी आपस में जुड़ जायेगा। इस सम्पर्क का प्रस्ताव किया गया है इससे महानदी, गोदावरी और कृष्ण नदियां भी आपस में जुड़ जायेंगी तथा यह सम्पर्क विजयवाड़ा से होकर जायेगा।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, भारत में तीन केवल महीने बरसात का मौसम रहता है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आ जाती है और गर्मी में जल की कमी हो जाती है। हमारे पास पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल नहीं रहता है। बाढ़ के विनाश को रोकने के लिए, सिंचाई और पीने के लिये जल की आपूर्ति की समस्या का समाधान देश में जल को बांध द्वारा रोककर और जल को एक नदी के बेसिन से दूसरे नदी के बेसिन में स्थानान्तरित करके किया जा, सकेगा। यह ऐसा कार्य है जो कृषि पर निर्भर रहने वाले देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा जिसे किया जाना है।

दुर्भाग्य से व्यवहार्यता रिपोर्ट में इतना अधिक समय लग रहा है। कार्य 1985 में शुरू हुआ और हमें यह बताया गया है कि इसे 2005 में पूरा कर लिया जायेगा। क्या इस प्रकार के कार्य के लिये यह समय बहुत अधिक नहीं है ? यदि आप भारत के लोगों की आर्थिक रूप से और कृषि की दृष्टि से सहायता करना चाहते हैं और उन्हें रोजगार देना चाहते हैं तो इस समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें बताया गया है कि दोनों राज्यों में विवाद है, इसलिए एक नदी के बेसिन से जल को दूसरे नदी के बेसिन में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

जैसा कि सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा कि कुछ नदियां एक ही राज्य में हैं और एक नदी के बेसिन से दूसरे नदी के बेसिन में जल के स्थानान्तरण अन्य राज्यों से विचार-विमर्श किए बिना किया जा सकता है। इस तरह की परियोजनाओं पर भी कार्य नहीं, किया जा रहा है।

मैं यही समझने का प्रयास कर रहा हूं। क्या सरकार एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल के स्थानान्तरण और रोजगार तथा कृषि संबंधी सुविधाओं जैसे कार्यों के महत्व को समझती है ? क्या सरकार इस मामले में वास्तव में ईमानदार है ? या, वह केवल यह कहने की प्रतीक्षा में है कि व्यवहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ? और 25 वर्षों से व्यवहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी है। जब हमारी सहायता के लिए कम्प्यूटर और उपग्रह उपलब्ध हैं तो व्यवहार्यता रिपोर्ट तीन माह के अन्दर तैयार हो जानी चाहिये और हम 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या यह समय बहुत अधिक नहीं है ? क्या सरकार इस मामले में कुछ करेगी ?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं दूसरे पक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं। महोदय, साथ ही वे मुझसे भी सहमत होंगे कि देश में एक विशेष निकाय एन०डब्ल्यू०डी०ए० का गठन जल संसाधनों के समन्वित विकास और उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से किया गया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बहुत अधिक समय लिया गया। मैं माननीय सदस्यों और सम्मानित सभा से अनुरोध करना चाहूंगा कि 'जल' राज्य सूची का विषय है और इसे राज्य सूची में रखा गया है। अत: हमें नदियों को आपस में जोड़ने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति लेनी होती है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन, निश्चय ही, मुझे संबंधित राज्यों की सहमति लेनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले में शीघ्रता करने के लिए राज्यों की सहमति लेंगे।

श्री अर्जुन सेठी : हां, मुझे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल के स्थानान्तरण के प्रस्ताव को लागू करने से पहले संबंधित राज्यों की सहमति लेनी होगी। इसे किए गए बिना मैं परेशानी में पड़ सकता हूं। यदि सम्मानित सभा सहमत हो तो हमारा उस अधिनियम में भी संशोधन करने का इरादा है ताकि निर्धारित समय में प्रगति का लक्ष्य प्राप्त हो सके। राज्य सरकारों के सहयोग के बगैर हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि यह सम्मानित सभा इस कार्य को करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक है तो हम आवश्यक संशोधन लायेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से जल के स्थानान्तरण तथा बाढ़ और सूखा प्रबन्धक को सुनिश्चित करने हेतु हमारे पास आवश्यक अधिकार हों।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : माननीय मंत्री द्वारा रखे गये वक्तव्य में विरोधाभास है क्योंकि इसमें पहले कहा गया है कि यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है और अन्त में कहा गया है कि जल स्थानान्तरण संपर्क का कार्य संबंधित सह-बेसिन वाले राज्यों के सम्पर्क प्रस्ताव आदि पर सहमत होने की स्थिति में ही संभव हो पायेगा। वस्तुत: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना 20 वर्ष से अधिक तथा राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना को तैयार हुए 22 वर्ष से चुके हैं। मैं समझता हूं ये सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं क्योंकि इस संबंध में कुछ भी ठोस नहीं किया जा सका है तथा सिर्फ तीन सम्पर्क प्रस्तावों पर ही व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो सका है। मेरा प्रश्न यह है। दो दशकों के बीतने के बाद, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों से अनुमति या सहमति प्राप्त करने तथा तत्पश्चात् राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पहले ही पूरे किए गए सम्पर्क प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस योजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। पहले वाला अनुपूरक प्रश्न भी यही था।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मेरे वक्तव्य में कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय सदस्य ने मुझसे कहा कि 'आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं'। परन्तु मैं इस सभा के समक्ष यह कह सकता हूं कि हमने इस संबंध बहुत कुछ प्राप्त लिया है और वर्ष 2005 तक व्यवहार्यता अध्ययन भी पूरे हो जाएंगे। जैसे कि इस सभा में माननीय सदस्य इस संबंध में उत्सुक है, ठीक वैसे ही सरकार भी इन परियोजनाओं को शीघ्र ही क्रियान्वित करने काफी उत्सुक है। जैसा कि मैंने पहले

ही कहा है, मैं सिर्फ यहां उपस्थित माननीय सदस्यों से ही नहीं बल्कि संबंधित राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रहित में सहयोग करें ताकि बाढ़ और सूखे की इस समस्या को सदैव के लिए समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि नेशनल वाटर डैवलेपमेंट एजेंसी ने दक्षिण की 16 लिंक नदियों को जोड़ने के लिए स्कीम बना दी है और उसकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट आ गयी है। सभी जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हिमालय की नदियों से बाढ़ आती है तो उत्तर की, हिमालय की नदियों को जोड़ने के लिए इन्होंने कितनी नदियों का अध्ययन कराया है। उस स्कीम में गंगा और कावेरी को जोड़ने की उसमें योजना है या नहीं ? जिन नदियों में बाढ़ आती है उसके पानी को दक्षिण में और राजस्थान के सुखाड़ और मरु-भूमि में ले जाएं, ऐसा क्या कोई अध्ययन किया गया है, वह बताएं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है, दो घटक हैं। एक दक्षिणी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय घटक तथा दूसरा उत्तरी क्षेत्र में हिमालयी घटक है। उत्तरी क्षेत्र में, हिमालयी नदियों के विकास घटक में 14 सम्पर्क हैं तथा तथा इन सम्पर्कों में *(व्यवधान)* उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के बारे में पूछा है। *(व्यवधान)* 14 सम्पर्क हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन सभी के बारे में पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र

+

*284. **श्री के० येरननायडू :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन-सुविधा का विस्तार करके उसे विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों अर्थात् ठेका-श्रमिकों, स्व-रोजगार में लगे व्यक्तियों और निजी सेवा में कार्यरत लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास के रूप में सरकार का एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रणाली तंत्र का 'ब्ल्यू प्रिंट' तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली से देश के कामगारों को कहा तक लाभ पहुंचेगा ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पहले से ही 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 180 उद्योगों/प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू है। इस योजना में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। पहचान किए जा सकने वाले समूहों को, जो इस समय कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दायरे में नहीं हैं, पेंशन के दायरे में लेने के लिए सरकार द्वारा संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001, जुलाई, 2001 में शुरू की गई है। इस योजना में जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन वापसी और अधिवर्षिता लाभों की व्यवस्था की गई है। इस योजना में तीन वर्षों के दौरान देश में 50 चुनिंदा जिलों में लगभग 10 लाख कृषि श्रमिकों को दायरे में लिए जाने की उम्मीद है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन स्कीम तैयार करने के लिए कहा गया है।

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चौंकाने वाला मुद्दा है। भारत में करीब 40 करोड़ रोजगार प्राप्त लोग हैं जिनमें से मुश्किल से, सैन्य बलों को मिलाकर चार करोड़ लोग भविष्य निधि योजना से सम्बद्ध है। असंगठित क्षेत्र में, यहां तक कि छोटे-छोटे या घरों में काम करने वाले कामगरों और कृषि मजदूरों के लिए देश में कोई योजना नहीं है। सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं पर किसी ने असंगठित क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा है।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

एक बैठक में माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि "मैं इस असंगठित क्षेत्र के संबंध में एक योजना पर विचार करना चाहता हूं।" मैंने इसे पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तारण किए जाने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा है। देश में जो कुल वर्कफोर्स है वह 40 करोड़ है और मैं यह मानता हूं कि यह 40 करोड़ का सरकारी सर्वे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। असंगठित क्षेत्र में यह 36 करोड़ है और इसमें एग्रीकल्चर वर्कर 23 करोड़ हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 1.7 करोड़ वर्कर हैं, मैन्यूफैक्चरिंग वर्कर 3.7 करोड़ हैं और ट्रांसपोर्ट व अन्य सर्विसेज में 3.7 करोड़ हैं। जब प्रोविडेंट फंड की, सी०बी०टी० की मीटिंग थी उसमें हमने गंभीरता के साथ विचार किया कि जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है व अपनी मिनिस्टरी में और हमारे पास जो हथियार हैं उनके तहत कैसे इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। सी०बी०टी० की मीटिंग के बाद मैंने कहा था कि

जो हमारी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है वह संगठित क्षेत्र के लिए है, असंगठित क्षेत्र के लिए नहीं है और इसका विस्तार कैसे किया जाए। जहां एक एम्प्लायर है और एम्प्लाइज हैं वहां तो यह काम चल जाता है लेकिन जो वर्कर असंगठित क्षेत्र में है उसमें दिक्कत है। एम्प्लाई की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कोई चीज कंट्रोल कर सके। निश्चित तौर पर जो एम्पलाइज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ओल्ड एज पेंशन है। सोशल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में हमें पूरी चिन्ता है। माननीय सदस्य ने जिस संदर्भ में सवाल पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार उस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। हम इसका एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह प्रॉविडेंट फंड में और पेंशन में सोशल अम्बरैला को कैसे लाया जाए। भारत सरकार ने खास तौर पर पिछले बजट में वित्त मंत्री ने सोशल सिक्योरिटी का नैट और अम्बरैला बढ़ाने के लिए एक वक्तव्य दिया था। उस पर एक कमेटी बैठी थी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। वह इस बात पर पूरी तरह बहस कर रहा है कि कैसे इस नैट को बढ़ाया जाए। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को यदि इस नैट में नहीं लाते हैं और उनकी माली हालत को नहीं सुधारते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की आर्थिक दशा कभी सुधर नहीं सकती है। अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर विचार कर रहा है।

दूसरी तरफ हमने कई तरह की योजनाएं भी शुरू की हैं। एक योजना हमने सत्ता में आने के बाद शुरू की और वह कृषि श्रमिक सामाजिक योजना है। हमने पहले एक्सपैरिमैंट के तौर पर 50 जिले लिए हैं और उन 50 जिलों में एक-एक ब्लॉक लिया है। हमने सोचा है कि इस स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस को नोडल एजेंसी बना कर और 56 करोड़ रुपए बजट में रख कर इस स्कीम को चलाया जाए। इस योजना को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए यह देखना है। पहले 50 जिलों में एक्सपैरिमैंट के तौर पर इसे करेंगे। बाद में इसे एक्सपैंड करने का काम करेंगे। दसवीं योजना में इस योजना को बड़े पैमाने पर लाना चाहता हैं। इस पर खर्चा और बर्डन बहुत आएगा। अब तक इस पर 50 करोड़ रुपए का बर्डर आने वाला है। उसमें पूरा इलाका कवर नहीं होगा। इसी तरह से जनश्री बीमा योजना, कई वैलफेयर फंड्स हैं और स्टेट्स की कई स्कीम्स हैं। जो स्कीम्स सैंट्रली फंडिड हैं तथा चल रही हैं, वे नेशनल ओल्ड ऐज पैंशन, नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम, नैशनल मैटरनिटी बैनिफिट स्कीम है लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा रिप्लाई हो गया है।

श्री शरद यादव : मैं इसलिए विस्तार से कह रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तार से हो गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने लगभग सभी अनुपूरक प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, बीमा विनियामक प्राधिकरण से असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन सुधार हेतु खाका तैयार करने को कहा गया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग को भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए एक कानून बनाने के लिए कहा गया है। यदि बीमा विनियामक प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी है तो इस प्राधिकरण की सिफारिशें क्या हैं ?

महोदय, इससे संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 180 उद्योगों और 20 या इसमें अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के मामले में भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 पहले से ही लागू है; तो क्या अब सरकार इस संस्था को घटाकर 10 व्यक्ति करने पर विचार कर रही है। यदि इसे 10 व्यक्तियों के लिए लागू किया जाए, तब और अधिक प्रतिष्ठान और संगठन इसके अधीन आ जाएंगे तथा अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। क्या सरकार का ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस मामले पर विचार भी कर रहे हैं। इस बारे में पिछली दिसम्बर में मीटिंग की थी और सी०बी०टी० में इस बात पर विचार हुआ कि 20 से 10 किया जाए लेकिन इसमें खतरा भी है। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जहां 10 वर्कर्स काम करते हैं वे हलवाई, कारपैंटर, दर्जी और बारबर हैं, कहीं ऐसा न हो कि ऐसे लोग जो रोजगार में लगे हैं, वे दिक्कत में फंस जाएं। इसके लिए कानून बने हैं लेकिन उनका दुरुपयोग भी होने लगता है। पिछली मीटिंग में जब ऐसा प्रपोजल आया तो मैंने इसे अपोज किया और कहा कि इस पर गहराई से विचार किया जाए। हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इसके बाद इस सवाल में आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इसका सोशल सिक्यूरिटी अम्ब्रेला बढ़ना चाहिये लेकिन बढ़ने के साथ यह नहीं होना चाहिये कि जो लोग रोज़गार में लगे हुये हैं उनके लिये तंत्र, चाहे हमारा हो या पहले का है, चीजों को बनाने के लिये करते हैं लेकिन कई बार बिगाड़ने का काम करते हैं। उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम उसे सोच-समझकर लाने का काम करेंगे, ऐसे नहीं लायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया – उपस्थित नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार की नीति संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। उदाहरणस्वरूप असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है। पिछली बार पूजा के दौरान वे मजदूरों को 8 प्रतिशत बोनस का भुगतान भी नहीं कर सके। इसका क्या कारण है ? सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र में चाय के आयात को अनुमति दी जाए। दूसरा, 5 रुपये का उत्पाद शुल्क

जिसे पहले वापस ले लिया गया था, फिर लगा दिया गया है। क्या श्रम मंत्रालय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर चाय उद्योग, जो लाखों मजदूरों एवं उनके परिवारों का भरण-पोषण करता है, की देखभाल करें ताकि यह समस्या और गम्भीर न बने तथा सरकार इस विशेष उद्योग में लगे मजदूर वर्ग की समस्याओं को सुलझाने के लिए अवश्य प्रयास करें ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, यह सवाल तो बिल्कुल अलग है और दूसरी तरह का है लेकिन निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है। अगर इस बारे में वे अलग से लिखकर देंगे तो ठीक रहेगा लेकिन इस प्रश्न के साथ कोई अर्थ नहीं आता।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अनावश्यक बारीकियों के बारे में बात न करें। आप श्रम मंत्री हैं। मजदूरों की पीड़ा न बढ़ायें, इसे घटाने का यत्न करें। आप प्रश्न का जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य इस सवाल को यहां उठाने के बजाय मेरे पास लाये होते तो अच्छा होता। माननीय सदस्य यहां चिन्ता कर रहे हैं, बाहर नहीं की। जब हम सिविल ऐविएशन मिनिस्टर थे, ये चिन्ता करते थे तो हमने इनकी सब समस्याओं का समाधान किया। इसलिये जो सवाल इन्होंने उठाया है, वह इसके अंतर्गत नहीं आता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आता हूं। दमोह, सागर और जबलपुर जिले में लाखों की संख्या में मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा में भी लाखों की संख्या में बीड़ी वर्कर्स काम करते हैं। बीड़ी बनाने का काम निर्माताओं के द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। उन ठेकेदारों द्वारा उन बीड़ी मजदूरों का सही ढंग से पंजीयन नहीं करने के कारण इन लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाती है। होता यह है कि ठेकेदार के यहां एक परिवार के एक व्यक्ति का पंजीयन होता है। एक परिवार में 5-6 लोग बीड़ी बनाने के काम में लगे होते हैं लेकिन ज़र्दा तथा पत्ती केवल उसी व्यक्ति के नाम दिया जाता है जिसका पंजीयन हुआ होता है। इस प्रकार पंजीयन का काम त्रुटिपूर्ण होने के कारण सारा परिवार पेंशन से वंचित रह जाता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंजीयन कार्य में जो त्रुटि रहती है, उसकी ठीक व्यवस्था बनाने के लिये और जो निर्माता इस काम में लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुये उन बीड़ी मजदूरों को पेंशन सुविधा का लाभ दिलाने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बीड़ी मजदूरों के संबंध में जो सवाल उठाया है, खासकर जो आर्गनाइज्ड सैक्टर में बीड़ी वर्कर्स काम करते हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। निश्चित तौर से उन मजदूरों की रोजी-रोटी का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। इस पर सरकार ने कई तरह से कोशिश की है। जो ठेका प्रथा है, उसमें कई प्रकार के पेंच हैं। यदि उस पर ज्यादा जोर डालते हैं या कड़ाई करते हैं तो जिनका रोज़गार चला हुआ है, वे पत्ती कम देते हैं, बीड़ी कम देते हैं। इस तरह की शिकायतें आई हैं। मैंने अपने विभाग के कमिश्नर को दमोह और जबलपुर इलाके की जांच करने के लिये भेजा था। उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। माननीय सदस्य का सवाल वाजिब है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बीड़ी वर्कर्स 45 लाख हैं। इनके ऊपर हमने जो सोशल सिक्युरिटी की वैलफेयर स्कीम्स चलाई हुई हैं, जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसमें अभी काम करने की गुंजाइश है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, उसे हमने गंभीरता से लिया हुआ है और हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हम इसमें कैसे सुधार करें।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में कामगार ठेका समूह पर, ठेका पद्धति पर काम कर रहे हैं, क्या सरकार ठेका पद्धति को रद्द करने की कोई व्यवस्था कर रही है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ?

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, ठेका पद्धति को खत्म करने का कोई विचार नहीं है। कांट्रैक्ट लेबर के बारे में कानून बना हुआ है और उसके अंतर्गत अभी भी काम चालू है, उसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें कृषि, श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाइफ कम एक्सीडेन्टल इंश्योरेन्स मनी बैंक एंड सुपरएनुएशन बैनिफिट लिखा हुआ है। वर्तमान में एग्रीकल्चर के बाद ज्यादा से ज्यादा इम्पलीमैन्ट होगा तो वह टैक्सटाइल में इम्पलीमैन्ट होगा। टैक्सटाइल में बहुत से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो 12 घंटे काम करते हैं। उन्हें ठीक से आधा वेतन भी नहीं मिलता है। जहां अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है, आप वहां लेबर लॉज लाने के लिए क्या कर रहे हैं। उससे इन्हें सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए आप क्या प्रावधान करने वाले हैं। टैक्सटाइल में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

दूसरा, क्या सरकार ऐसे समूहों को जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने की संभावनाओं का तलाश कर रही है जो वर्तमान में रोजगार भविष्य निधि योजना के तहत नहीं आते ?

[हिन्दी]

जिन्होंने इम्पलीमैन्ट नहीं किया है, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसा न होने पर वर्कर्स को ज्यादा बेनेफिट नहीं मिलता है। क्या आप उन्हें यह बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं। क्या आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाले हैं। मान लीजिए किसी ने कंपनी बंद कर दी तो वर्कर्स का कितना नुकसान हो जायेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले, उन्हें जवाब देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, माननीय रावले जी ने जो कृषि, श्रमिक, सामाजिक योजना का सवाल किया है, उसमें मैंने पहले कहा है कि इस स्कीम को शुरू करने के लिए 50 डिस्ट्रिक्ट, 50 ब्लॉक लिये हैं और कृषि, श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योजना को एक्सपैरीमैन्टल बेसिस पर चला रहे हैं। कई जगहों पर इसके उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। रायपुर में एक ब्लॉक में इस पर बड़े पैमाने पर उत्साह है। आपने जो कॉटन ग्रोअर्स और टैक्सटाइल वर्कर्स के बारे में कहा, आर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो टैक्सटाइल वर्कर्स हैं, उनके लिए प्रोटैक्शन है और हम लोग जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर या असंगठित मजदूरों के लिए कानून बना रहे हैं या जो कानून हैं, उन्हें हम एक्सपैन्ड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा को उस अम्ब्रैला के नीचे लाना चाहते हैं। उसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अनआर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स के साथ कॉटन उपजाने वाले मजदूर भी आते हैं, वे भी उसमें शरीक होंगे, ऐसा नहीं है कि वे इससे बाहर होंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, सभी कल्याण योजनाएं केवल कागज़ों में पड़ी हुई हैं। उनका निम्नतम स्तर पर क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

माननीय मंत्री हवा में उड़ने के बजाय अब धरातल पर आए हैं। मैं उनकी सफलता का कामना करता हूं।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार अत्यंत पिछड़े और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण, जिसमें पेंशन सुविधा भी शामिल है, के लिए एक व्यापक कानून बनाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा है कि निश्चित तौर पर यह कठिन काम है। आज 54 वर्ष हो गये हैं और 54 वर्ष में सरकार में उस पक्ष के और इस पक्ष के लोग बैठे हैं, लेकिन इस सवाल का समाधान हम लोग बहुत ताकत और तरीके से नहीं कर पाये हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हमारे लिए एक नया एक्सपीरियन्स हो रहा है। हम जिस तरफ भी हाथ डाल रहे हैं उसमें यह स्कीम हमें जमीन पर कम नजर आ रही है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं। जो स्कीमें हैं, उनके कई जगह पर अच्छे नतीजे भी आए हैं। जैसे दो-तीन स्टेट्स हैं वह खुद अपनी सोशल वैलफेयर की स्कीमें खासकर जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें बना रही है। उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे केरल और कर्नाटक की सरकारें हैं। बंगाल में भी एक योजना बनाई है एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए एक अच्छी स्कीम बनाई है। उसमें 20 रुपये सरकार दे रही है और 20 रुपये वर्कर्स से लेंगे। इस तरह की स्कीम बनाई है। जिस कृषि सामाजिक योजना को हमने चलाया है वह 365 करोड़ रुपये की है, प्रतिदिन एक रुपया मजदूर देगा और सरकार डबल देगी उसमें जोड़कर यह स्कीम हमने चलाई है। इसको ठीक से मॉनीटर भी कर रहे हैं। देश में सभी राज्य सरकारों से इसमें सहयोग मिल रहा है और इसके प्रति काफी उत्साह है। मैं मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी अकेले सरकार के हाथ में नहीं है। माननीय सदस्यों का भी काम है कि उन स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी हो, हम उनको पत्र भी लिखेंगे। इसको देखने का काम नीचे के तौर पर होना चाहिए। जब तक निगरानी ठीक नहीं होगी, तब तक काम ठीक नहीं हो सकता है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो असंगठित क्षेत्र के लाखों खेतिहर मजदूरों का आज बिहार से दूसरे प्रांतों में पलायन हो रहा है, इससे बिहार की कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिन राज्यों से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, क्या मंत्री जी जो सोशल सिक्यूरिटी अम्ब्रेला के तहत या जो कमेटी बनाकर रिपोर्ट दी गई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, क्या उसमें इस एजेन्डा को रखा गया है कि कैसे उनकी सामाजिक सुरक्षा स्थापित की जा सके ? जो पलायन हो रहा है बड़े पैमाने पर, 20 लाख खेतिहर मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में रोजी-रोटी की तलाश में पलायन कर गए हैं। इसका कृषि पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस बारे में मंत्री जी बताएं।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य देवेन्द्र जी ने जो सवाल पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ बिहार से नहीं, देश के जिन इलाकों में इरीगेशन नहीं है – चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे महाकौशल हो, छत्तीसगढ़ हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नेपाल तो हमारे देश में नहीं है लेकिन जहां-जहां गरीबी है। *(व्यवधान)* आप बोलिये, फिर में जवाब दूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : ये बहुत पूछ रहे हैं। बोलिये जरा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : क्या असंगठित क्षेत्र का पता लगाने के लिए कोई कसौटी है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिए बैठा और इनसे कहा कि जब से मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तब से ऐसा लगता है कि ये लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, यह सवाल गंभीर है और उन्हीं इलाकों से माइग्रेशन होता है जहां खेती कमजोर है। इसलिए जब मजदूर माइग्रेट होंगे तो निश्चित तौर पर वहां की खेती कमजोर होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में यह सवाल भी हमारे दिमाग में है कि इस सवाल को हल करना है और उनको सिक्यूरिटी अंब्रेला में लाया जाए, यह काम देखना है।

श्री प्रकाश वी० पाटील : माइग्रेशन लेबर जो हैं, जो फार्म लेबर हैं, वह हमेशा सीजनल काम पर आते हैं और जब सीजन के बाद बाहर जाते हैं जैसे यादव जी ने बताया तो मैं चाहता हूं कि इनको सीजनल स्टेटस देने के बारे में क्या विचार है ? हम जब पब्लिक ग्रीवियेन्सेज कमेटी में राजीव जी के साथ थे, तो वहां हमने कुछ फ्रेमवर्क बनाया। क्योंकि करोड़ों मजदूर फार्म लेबर के रूप में काम करते हैं, बीड़ी पत्ती के काम में भी हैं, शुगर मिल्स में भी हैं, उन माइग्रैन्ट लेबरर्स को सीजनल स्वरूप देने के लिए सरकार क्या कर रही है ? एस०टी०सी० के डिसइनवैस्टमेंट के बारे में लेबरर्स ने आपको एक प्रपोजल दिया है कि हमारी जो डिसइनवैस्टमेंट है 30 प्रतिशत प्रोविडेन्ट फंड और इंश्योरेन्स के बदले इसमें डालना चाहते हैं। क्या सरकार इसको अलाउ करेगी ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने इस सवाल का उत्तर दे दिया है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसके लिए निश्चित तौर पर डिवेलपमेंट अथौरिटी बनी हुई है और ग्रुप आफ मिनिस्टर्स है, वह इस सवाल को देख रहा है।

विदेशों में "रोड शो" का आयोजन

+

*286. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन की दृष्टि से भारत को एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल बनाने के लिए विदेशों में "रोड शो" आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ऐसे प्रदर्शनों को आयोजित करने का प्रस्ताव है और इनको कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले के फलस्वरूप पर्यटक आगमन में आयी गिरावट के बाद पर्यटन मंत्रालय ने इस गिरावट से निपटने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। इस कार्यबल द्वारा संस्तुत संवर्धनात्मक तंत्रों में एक – सर्वाधिक संभाव्यता वाले विदेशी बाजारों में रोड शो का आयोजन करना है। मंत्रालय, भारत को एक आकर्षक पर्यटक गंतव्य स्थल बनाने की दृष्टि से लागत प्रभावी रोड शो के आयोजन को पर्यटन उद्योग और यात्रा संघों के साथ मिलकर अंतिम रूप दे रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि विदेशों में रोड शो आयोजित करने के लिए जिस कार्यदल का गठन किया गया है, उसमें कौन-कौन से देश सदस्य बनाए गए हैं और यह कब तक अपना कार्य प्रारम्भ करेगा और इसमें कितनी लागत आ रही है ?

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, इस वक्त जो पोजीशन है उसके अनुसार हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि रोड शो किए जाएं। जो वैस्ट यूरोपियन मार्केट है, उसके ऊपर हम इंटेंसिव एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यूरोप से फॉल आउट हुआ है, इसलिए हम लोग पूरब में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जापान, थाईलैंड और कोरिया आदि मुल्कों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे टूरिस्ट आफिस 18 जगह हैं। उन्हीं के थ्रू हम ये रोड शो करा रहे हैं और जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं, उनसे मिलकर हम एन०आर०आई० और पी०आई०ओ०, सबको कांटैक्ट करते हैं। इसका जो खर्च है वह हम अपने बजिटरी प्रौवीजन्स से मीट करेंगे।

अभी जापान में वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाइजेशन की मीट हुई थी। उसमें मैं भी शामिल हुआ था। उस समय जब मैं जापान गया, तो उसका फायदा उठाकर, वहां सब जगह रोड शो किए थे। अपनी एसोसिएशन के साथ मिल कर के किए ताकि ज्यादा से जयादा टूरिस्ट जापान से भारत आएं। इसी प्रकार चायना गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था। तो उसी जगह पर हमने चायाना मार्केट में जो भी कर सकते थे वह किया और वहां भी इसी प्रकार के रोड शो किए। लंदन वर्ल्ड मार्ट हुआ, उसमें भी हम लोगों ने वहां पर अपनी एसोसिएशन के जो लोग थे उनके साथ मिलकर रोड शो आर्गेनाइज किए।

इसके साथ-साथ जितने हमारे टूरिस्ट आफिस हैं, वे करते हैं। हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक देश को शामिल किया जा रहा है। जो खासतौर पर पोटेंश्यल टूरिस्ट एरियाज हैं, उन पर हमारा ज्यादा इनटेंसिव एफर्ट है। हम मिडिल ईस्ट में भी जा रहे हैं। हम बाकी जगह भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बजिटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको देखते हुए जितने पैर हम फैला सकते हैं, फैला रहे हैं।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष जी, विदेशों में रोड शो आयोजित करने का क्या परिणाम मिला और इससे क्या पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी बताया कि 11 सितम्बर, 2001 के इंसीडेंट के बाद जो फॉल आउट हुआ है, उसके रेसपोंस में हमने यह टास्क फोर्स बनाई है और उसके नीचे हम रोड शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम बहुत थोड़ा हुआ है। इसलिए इसका इम्पैक्ट ऐसेस करना बहुत मुश्किल है। वैसे भी कितने टूरिस्ट रोड शो की वजह से आए और कितने ऐसे ही आए, यह अंदाजा लगाना भी कठिन है, लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि मैक्सीमम टूरिस्ट्स आएं।

हमने एक सैवन पाइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। उसमें हम नए एरियाज को भी कवर कर रहे हैं। पहले हमारी ओर से मलयना, जापान, थाईलैंड आदि एरियाज में ज्यादा एफर्ट्स नहीं होते थे, लेकिन अब हम इन एरियाज में भी ऐफर्ट्स कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स वहां से भारत आ सकें।

डॉ० अशोक पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशों में रोड शो आयोजित करने पर कितनी राशि होने का अनुमान है ? क्या कार्य दल ने उन देशों का पता लगाया है जहां रोड शो आयोजित करने की प्रबल संभावनाएं हैं ?

श्री जगमोहन : जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि जितने रोड शो कर रहे हैं, प्रमोशनल एरिया के लिए बजट प्रोविजन होता है। हम उसके खर्च उसी में से कर रहे हैं और करेंगे। यदि ज्यादा जरूरत पड़ी तो प्लानिंग कमीशन को ऐप्रोच करके हम अपना प्रोविजन बढ़ाएंगे। इसका रिज़ल्ड अच्छा ही निकलेगा। हम सब जगह कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहां पोटैंशियल ज्यादा है, वहां जरा ज्यादा ऐफर्ट्स कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन में समानता

*282. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 घ (7) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों का केन्द्र सरकार के समकक्ष संवर्ग के समान वेतन का प्रावधान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर्जा देने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने भर्ती नियमों में उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के लिए संशोधन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसके कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक एवं अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी का वेतन केन्द्र सरकार में उनके समकक्ष पदों के बराबर है;

(च) यदि नहीं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तद्नुरूप सवंर्गों को बराबरी का दर्जा नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस प्रस्ताव में कोई वित्तीय कठिनाइयां हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ज) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5घ (7) (क) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की भर्ती का तरीका, वेतन और भत्ते, अनुशासन और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि समकक्ष वेतनमान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के आधार पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों और कर्मचारियों के तद्नुरूप वेतनमानों का निर्धारण करते समय, केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं, भर्ती की विधि, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा। तद्नुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भर्ती नियम बनाए हैं और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार वेतनमानों को अपनाया है।

वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर माने जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायकों को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रधान खंडपीठ, दिल्ली के निर्णय के आधार पर 5500-9000/- रुपये का वेतनमान दिया गया है। यह माननीय उच्च न्यायाल, दिल्ली के समक्ष लम्बित रिट याचिका संख्या 3844/99 के निर्णय के अधीन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीक्षक और अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय सरकार में उनके समकक्ष पदों पर तैनात कर्मियों के बराबर वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधीक्षक भी केन्द्रीय सरकार तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में समकक्ष पदों पर तैनात कर्मियों के बराबर ही वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

सहायक/अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने और अधीक्षक के पद को बदलकर अनुभाग अधिकारी के रूप में पुन:पदनामित करने तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों के बराबर वेतनमान दिए जाने का प्रस्ताव फिलहाल केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के विचाराधीन है।

नदी बोर्ड संगठन को सांविधिक शक्तियां

***285. श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी :**
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में नदी बोर्ड संगठन को कुछ सांविधिक शक्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 में संबंधित राज्यों के परामर्श से सलाहकार की भूमिका वाले नदी बेसिन संगठनों की स्थापना करने की व्यवस्था है। देश में अब तक किसी नदी बेसिन संगठन की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, संसद के विभिन्न अधिनियमों के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड और दामोदर घाटी निगम; राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के तहत भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड और तुंगभद्रा बोर्ड तथा अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार गठित किया गया है :

क्रम सं०	नाम	जिस अधिनियम/नियम/अधिसूचना के तहत गठित किया गया
1.	दामोदर घाटी निगम	वर्ष 1948 का दामोदर घाटी निगम अधिनियम संख्या XIV। इस अधिनियम को 27 मार्च, 1948 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई।
2.	भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड	पंजाब पुनर्गठन अधिनिमय 1966 भाग III (भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना) तथा 1976 में संशोधित।
3.	बेतवा नदी बोर्ड	बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976, वर्ष 1976 का संख्या 63, 10 अप्रैल 1976।
4.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980, वर्ष 1980 का संख्या 46।
5.	तुंगभद्रा बोर्ड	आन्ध्र राज्य अधिनियम (1063 का 30) की उपधारा (4) के अनुसरण में तुंगभद्रा बोर्ड का गठन करने वाली दिनांक 10.3.1955 की अधिसूचना संख्या डी०डब्ल्यू० IV 4 (ए)।
6.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6-ए के तहत नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय को प्रभावी करने के वास्ते दिनांक 10 सितम्बर, 1980 की एक अधिसूचना द्वारा गठित।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एन०डब्ल्यू०आर०सी०) ने 7 जुलाई, 2000 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में राष्ट्रीय जलनीति के संशोधित मसौदे पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक शक्तियों वाले नदी-बेसिन संगठनों के गठन से संबंधित प्रावधान पर भी विचार-विमर्श किया। जहां कुछ राज्यों ने इस परिवर्तन का समर्थन किया है, वहीं गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों ने सांविधिक शक्तियों वाले नदी-बेसिन संगठनों की स्थापना का विरोध किया। इस अवसर पर व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने इन मसौदा प्रावधानों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन करने का निर्देश दिया। कार्यकारी दल ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है तथा इस पर सहमति प्राप्त करने के पश्चात, इसने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक/नियामक शक्तियों का प्रस्ताव किए बिना नदी-बेसिन संगठनों के गठन के प्रावधान के मसौदे की सिफारिश की है।

कमजोर वर्गों को संवैधानिक संरक्षण

***287. श्री दलित इजिलमलाई : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सामाजिक अन्याय और शोषण के बचाने के लिए और उनके आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोयला और खनन क्षेत्र में कोयला और अन्य खनिजों/धातुओं की लीज़िंग, उत्खनन, परिवहन हेतु एजेंसी/लाइसेंस/ अनुमति देने आदि जैसी राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से इस संवैधानिक निदेश के लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के विद्यमान प्रावधान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में उन्हें पट्टों आदि में आरक्षण उपलब्ध नहीं कराते हैं।

निजी/सरकारी क्षेत्र के होटलों को नोटिस

*288. **श्री एन० जर्नादन रेड्डी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी और सरकारी क्षेत्र के होटलों को उनके "स्टार" वर्गीकरण के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राहकों से अधिक दर वसूल करने वाले होटलों का वर्गीकरण समाप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग एक नियत अवधि के लिए विभिन्न सितारा/हैरिटेज श्रेणियों के अधीन होटलों का वर्गीकरण करता है। यदि होटल वर्गीकरण की अवधि को आगे बढ़ाने को इच्छुक हो, तो होटल को इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्गीकरण की अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व आवेदन करना अपेक्षित है। चूंकि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कई वर्गीकृत होटलों ने होटल वर्गीकरण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और समय पर पुर्नवर्गीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, तो उनकी वर्गीकरण अवधि की समाप्ति पर होटलों को यह पूछते हुए कि उनके होटलों को क्यों अवर्गीकृत न किया जाए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। विभाग द्वारा कारण बताओं नोटिसों के प्रत्युत्तर में होटलों ने उत्तर दिया और नए सिरे से वर्गीकरण के लिए अनुरोध किया है और वर्गीकरण के लिए उनके आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

वर्गीकरण के लिए दिशा-निदेशों के अनुसार होटल किरायों/प्रभारों को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए अधिक दरें वसूल करने वाले होटलों के वर्गीकरण को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किराया (टैरिफ) बाजार प्रभाव द्वारा नियंत्रित होता है।

कृषि विपणन

*289. **श्री पी०एस० गढ़वी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में देश में कृषि विपणन की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कृषि विपणन के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैकेजों की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है और कृषि विपणन प्रणाली की समीक्षा कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण और विकास के संबंध में 19 दिसम्बर, 2000 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 जून, 2001 को प्रस्तुत कर दी। विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

(i) विनियमित मण्डियों को शासित करने वोली संस्था के मौजूदा कानूनी ढांचे की सरकार द्वारा जांच किए जाने और उन सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाए जाने की आवश्यकता है, जो देश में प्रतिस्पर्धात्मक विपणन संरचना के विकास में बाधक हैं।

(ii) किसानों द्वारा कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है ताकि किसानों को मिलने वाले मूल्य में उनका अंश अधिकतम हो।

(iii) मूल्य जोखिम को कम करने और घरेलू मण्डी व अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी को एकीकृत करने के लिए "फारवर्ड एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग" के लिए अनुमत्य जिंसों की सूची में और अधिक जिंसे शामिल की जानी चाहिए।

(iv) कृषि क्षेत्र को अधिक धनराशि सुलभ कराने और मूल्य जोखिम प्रबंध में सुधार के लिए सरकार द्वारा कृषि जिंसों की आवक संबंधी राष्ट्रीय भण्डारगृह प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(v) सरकार की ऋण नीति के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र मानते हुए वचनबद्ध वित्तपोषण (प्लेज फाइनेंसिंग) का समर्थन किया जाए और रियायती पुनर्वित की सुविधा दी जाए।

(vi) किसानों को बहुआयामी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में विपणन विस्तार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) से (घ) सिफारिशों की जांच तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों के कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों/केन्द्र

शासित प्रशासनों से भी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करके कार्यबल को अपने अभिमत से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में, कार्यबल की अवधि 4.1.2002 तक है। कृषि विपणन के संवर्धन और विकास के लिए घोषित किए जाने वाले पैकेजों और शुरू किए जाने वाले अन्य उपायों के संबंध में निर्णय अन्तर मंत्रालयी कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

विदेशी विमान कम्पनियों के साथ कोड शेयरिंग संबंधी समझौता

*290. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री वाई०वी० राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने हाल ही में कई विदेशी विमान कम्पनियों के साथ कोड शेयरिंग संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे एअर इंडिया को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इसमें यदि कोई वित्तीय निहितार्थ है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, एअर इंडिया ने लुफ्थांसा, सिल्क एयर, मलेशियाई एयरलाइंस तथा थाई एयरवेज के साथ कोड शेयर/ब्लाक स्पेस करार (सी०एस०/बी०एस०ए०) किए हैं। इस समय एअर इंडिया के ऐसे करार, 14 एयरलाइनों के साथ हैं।

(ग) और (घ) इन करारों के अधीन, एअर इंडिया, प्रति सीट सहमत लागत के अनुसार कैरियर आपरेटिंग करके विशिष्ट सीटें प्राप्त कर लेती हैं। इससे होने वाली आय पूरी तरह एअर इंडिया के खाते में जाती है। इन कोड शेयरों से एअर इंडिया को अपने स्वयं के भौतिक संसाधनों की वचनबद्धता के बिना विभिन्न मार्किटों के लिए सेवाएं प्रचालित करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एअर इंडिया को विदेशी एयरलाइनों के साथ किए गए इन वाणिज्यिक करारों (सी०एस०/बी०एस०ए०) से लगभग 92 करोड़ रु० का लाभ कमाने की आशा है।

[हिन्दी]

पर्यटन के लिए निजी क्षेत्र से सहायता

*291. **श्री पदमसेन चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) वर्तमान नीति/पद्धति के अनुसार भारत में पर्यटन उद्योग और संबंधित अवसंरचना में निवेश के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

विमानपत्तन और विमान यातायात सेवाओं संबंधी संगोष्ठी

*292. **डा० रमेश चंद तोमर :**
श्री मोहन रावले :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में विमानपत्तन और विमान यातायात सेवाओं के संबंध में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या देश में विमानपत्तन और विमान यातायात सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में विमानपत्तन और विमान यातायात सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) ज्ञात हुआ है कि दिनांक 20 अक्तूबर, 2001 को भारतीय विमान यातायात नियंत्रकों की व्यावसायिक निकाय, विमान यातायात नियंत्रक गिल्ड (भारत) ने नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। यह न तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और न ही सरकार द्वारा किया गया कोई शासकीय कार्यक्रम था। सेमिनार ऑर्गनाइज करने वालों ने सेमिनार के दौरान किए गए विचार विमर्श के ब्यौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तथापि, विमान यातायात प्रणाली तथा संचार सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें दिल्ली और मुम्बई में विमान यातायात प्रणाली का आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों पर अत्याधुनिक राडारों का लगाया जाना, हवाई अड्डों पर इस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था जहां जेट विमानों का प्रचालन किया जा रहा है इत्यादि शामिल है। दिल्ली में केटेगरी IIIए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे 200 मीटर से अधिक [illegible] में प्राधिकृत विमानों के प्रचालन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। ग्लोबल सिविल एविएशन में हुए विकास की ही तरह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उपग्रह पर आधारित संचार, नेवीगेशन और निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए कार्यशुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

विमान बेड़े का आधुनिकीकरण

*293. **श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अपने विमान बेडे का आधुनिकीकरण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध नए और पुराने बोइंग विमानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पुराने बोइंग विमानों के आधुनिकीकरण पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) 1 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइंस में विमानों का सेवाकाल इस प्रकार है :–

प्रकार	विमानों की संख्या	औसत सेवा काल (पट्टे पर लिये गये विमानों को छोड़कर)
ए-300	6+2*	21.2
ए-320	30+4*	10.3
बी-737	11	20.3
डीओ-228	3	16.2
विमानों की कुल संख्या	50+6* विमान का औसत सेवा काल	14.2 वर्ष

*(पट्टे पर लिया गया विमान)

क्षमता में वृद्धि करने और इसके पुराने विमान बेड़े को बदलने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइंस की अपने विमान-बेड़े में और विमानों को जोड़ने के लिए अल्प अवधि तथा दीर्घावधिक दोनों प्रकार की योजनाएं हैं।

अल्प अवधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इंडियन एयरलाइंस ड्राई लीज आधार पर विमानों को लेने पर विचार कर रही है। दो ए-300 बी 4 विमानों को तीन वर्षों की अवधि के लिए मई/जून, 1998 में पट्टे पर लिया गया था जिसे और आगे दो वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् मई/जून, 2003 तक बढ़ा दिया गया था। दो ए 320 विमानों को पांच वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल/मई, 2001 में तथा दो और ए-320 विमानों को नवम्बर, 2001 में पट्टे पर लिया गया था। दो और ए-320 विमानों को मार्च, 2002 में शामिल किया जाना है।

इंडियन एयरलाइंस, पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर विमान सेवा सम्पर्क के लिए ड्राईलीज आधार पर छह 50 सीटों वाले विमानों की प्राप्ति की कार्रवाई भी कर रही है।

बी-737 और ए-300 (पट्टे पर लिये गये विमानों सहित) के विमान-बेड़े को बदलने के लिए अपनी दीर्घावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इंडियन एयरलाइन्स ने मार्केट में उपलब्ध उपयुक्त प्रकार के विमानों को लगाकर इसके लिए एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया है। अध्ययन के अनुसार, 2006-07 तक क्षमता वृद्धि और इनको बदलने के लिए लगभग 38 अतिरिक्त जेट विमानों की आवश्यकता है। इन विमानों को लगाये जाने से परियोजना लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपए होगी जिसे पांच वर्षों की अवधि में बांटा जायेगा।

[अनुवाद]

धान की लागत

*294. **श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 में प्रति हेक्टेयर धान की खेती पर आने वाली 3311.11 रुपए की लागत 1996-97 में बढ़कर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से भी अधिक हो गई है;

(ख) क्या सरकार की राष्ट्र के व्यापक हित में इस अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए कोई आपात योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) धान की खेती की लागत प्रत्येक राज्य में कृषि जलवायुवीय स्थितियों, सिंचाई की उपलब्धता तथा आदानों के उपयोग की मात्रा तथा बोई जाने वाली किस्मों जैसे कारकों के कारण अलग-अलग है। धान की प्रति हैक्टेयर खेती की लागत 1981-82 के दौरान असम में 1606 रु० व पंजाब में 5474 रु० थी और 1996-97 के दौरान यह असम में 8617 रु० आंध्र प्रदेश में 20937 रु० तथा पंजाब में 17967 रु० थी।

(ख) और (ग) आदानों के गहन उपयोग के कारण खेती की उच्चतर लागत की काफी हद तक प्रतिपूर्ति किसानों द्वारा प्राप्त पैदावार के स्तरों में वृद्धि द्वारा हो जाती है। उदाहरण के लिए 1981-82 के दौरान असम में धान की खेती की प्रति क्विंटल लागत 92 रु० थी जो बढ़कर 1996-97 में 401 रु० हो गयी। इसी प्रकार पंजाब के मामले में धान की प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत 1981-82 में 102 रु० थी जो बढ़कर 1996-97 में 345 रु० हो गयी। धान का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए "समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल" आरंभ किया गया था जिसे राज्यों को अपनी कृषि जलवायुवीय स्थितियों के लिए उपयुक्त घटक अपनाने हेतु और अधिक छूट प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन स्कीम की वृहद्

प्रबंध विधि में शामिल कर दिया गया है जिससे अधिक पैदावार प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सरकार देश में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मंडी और मूल्य समर्थन भी मुहैया करती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 'पैकेज'

*295. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सिंचाई परियोजनाओं को कोई विशेष पैकेज देने का है जिन्हें राज्य सरकारों ने अपने हिस्से की धनराशि नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) चल रही अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) नामक एक केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस प्रकार की सहायता के दो उद्देश्य हैं (प) चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाना और (ii) थोड़े समय के अन्दर अधिक से अधिक सिंचाई लाभ प्राप्त करना।

इस कार्यक्रम के तहत केवल उन वृहद/मध्य परियोजनाओं को सहायता मुहैया कराई जाती है जिन्हें योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो चुकी होती है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 3:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करायी जाती है। नवम्बर, 2001 तक 146 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं और 2374 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 6861.27 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई० बी०पी०) के तहत वृहद एवं मध्यम स्कीमों से अब तक 10.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित हुआ है।

दोहा में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन

*296. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन दोहा में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसनें श्रम से संबंधित किन-किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप श्रम क्षेत्र के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन का चतुर्थ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन हाल ही में दोहा, कतर में दिनांक 9 से 13 नवम्बर, 2001 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची में कोर श्रम मानकों का मुद्दा पुन: जोड़ने का प्रयास किया गया था। 1996 में सिंगापुर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन में प्रथम मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में यह स्पष्ट परिकल्पना की गयी थी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही कोर श्रम मानकों के मुद्दे उठाने और उन पर निर्णय लेने का उचित मंच है। सिंगापुर में, इस बात पर भी सहमति हुई थी कि देशों के, खासकर कम मजदूरी वाले विकासशील देशों के तुलनात्मक लाभों के संबंध में किसी तरह का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। दोहा सम्मेलन में, भारत सहित विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वमान्य अधिकार क्षेत्र की एक बार पुन: पुष्टि करने में समर्थ रहे। दोहा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में श्रम मुद्दों का संदर्भ विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में अंगीकार की गई घोषणा की पुन: पुष्टि और वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में चल रही कार्रवाई पर गौर किए जाने तक सीमित रहा।

दोहा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन से भारतीय श्रम क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों के जीवन चक्र (लाइफ साइकिल) आकलन करने संबंधी अध्ययन

*297. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ''सेल'' भिलाई ''टिस्को'' जमशेदपुर और आर०आई०एन०एल० विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों द्वारा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जीवन चक्र का आकलन करने संबंधी अध्ययन आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य किन-किन संयंत्रों में ऐसी व्यवस्था अब तक स्थापित की गई है;

(ग) इस अध्ययन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य इस्पात संयंत्रों में प्रदूषणरहित स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने तीन प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों नामत: भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), जमशेदपुर तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर० आई०एन०एल०) की सक्रिय भागीदारी सहित संयुक्त रूप से मार्च, 1997 में भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन (एल० सी०ए०) का प्रथम संस्थागत अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन

में धमन भट्टी-बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बी०एफ०-ओ०एफ०) रूट के लिए इस्पात उद्योग कस्टामाइज्ड साफ्टवेयर, इकोबिलन मॉडल का प्रयोग करके अयस्क का निष्कर्षण से लेकर इस्पात तैयार होने तक इस्पात उत्पादन से जुड़ी पर्यावरणात्मक समस्याओं का "क्रेडल टू गेट" विश्लेषण करने की बात कही गयी है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एल०सी०ए० अध्ययन पूरा होने वाला है। संदर्भ वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए डाटा इन्वेंट्री विश्लेषण रिपोर्टें इकोबिलन मॉडल का उपयोग करते हुए इस्पात संयंत्रों द्वारा समेकित की गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक किसी अन्य संयंत्र में इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है।

(ग) अध्ययन के लिए कुल 4.18 करोड़ रुपए के परिव्यय में से सरकार का हिस्सा 1.39 करोड़ रुपए है। 1.39 करोड़ रुपए में से 1.3 करोड़ रुपए निर्युक्त किए जा चुके हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने लाइफ साइकिल एसेसमेंट अध्ययन पर 3.55 लाख रुपए खर्च किए है। वी०एस०पी०/आर०आई० एन०एल० श्रम घंटे की दृष्टि से व्यय करता है और इस शीर्ष के अंतर्गत लागत का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(घ) इस्पात निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्ष स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकताओं के बारे में इस्पात मंत्रालय विभिन्न मंचों पर प्रचार कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र के खनन क्षेत्र का आरक्षण समाप्त करना

*298. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के खनन क्षेत्र से आरक्षण को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे श्रमिकों को अपने हितों की सुरक्षा करने में किस सीमा तक लाभ होगा ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) जी, हां। खनिज सलाहकार परिषद् (एम०ए०सी०) ने दिनांक 30.8.2000 को हुई अपनी 26वीं बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के अनन्य विदोहन हेतु आरक्षित क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि आरक्षित क्षेत्रों का समयबद्ध तरीके से संभावित अनारक्षण करने के लिए, राज्य इन क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। दिनांक 14.7.2001 को हुए खनन और भूविज्ञान राज्य-मंत्रियों के सम्मेलन में, इस मुद्दे पर पुन: विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि राज्य खनिज रियायत नियमावली, 1960 के तत्कालीन नियम 58 के तहत् आरक्षित क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनन्य विदोहन हेतु जिन क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गैर-अधिसूचित (डिनोटीफाई) करेंगे। बाकी क्षेत्रों के मामले में, राज्य सरकारें आरक्षण जारी रखने के लिए पूरा औचित्य क्षेत्र-वार, केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगी।

राज्य सरकारों ने संभावित अनारक्षण के लिए क्षेत्रों की समीक्षा करना आरम्भ कर दिया है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने ऐसे क्षेत्रों, जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदोहन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं।

चूंकि जिन क्षेत्रों का अनारक्षण किए जाने का प्रस्ताव है वे बेकार पड़े हुए हैं, अब वहां कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है इसलिए श्रमिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

इस्पात उत्पादों की कीमतें

*299. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादों के मूल्य में मार्च, 2001 के मूल्यों की तुलना में 1,300 रुपए प्रतिटन से भी अधिक की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इससे घरेलू इस्पात उद्योग किस सीमा तक प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किन-किन उपचारात्मक कदमों का विचार किया जा रहा है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात इस्पात के मूल्य बाजार शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप निर्धारित होते हैं जोकि परिवर्तनशील होते हैं। इस्पात उत्पादों के मूल्य बाजार दर बाजार और उत्पाद दर उत्पाद भिन्न-भिन्न होते हैं। चुनिंदा बाजारों में मार्च, 2001 और अक्तूबर, 2001 में चुनिंदा इस्पात उत्पादों के तुलनात्मक बाजार मूल्य दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मूल्यों में गिरावट कई घटकों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात की घरेलू मांग और इस्पात प्रयोक्ता क्षेत्रों में मन्द वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट, अधिक बैश्विक क्षमता, सस्ता आयात, दोयम एवं दोषपूर्ण इस्पात का आयात तथा कुछ देशों द्वारा इस्पात का पाटन करना शामिल है, के कारण हुई।

(ग) घरेलू इस्पात उद्योग घरेलू मूल्यों पर दबाव, घटी हुई लाभ-प्रदता और बिना उपयोग की गई क्षमता की दृष्टि से प्रभावित हुआ है।

(घ) सरकार ने कई उपचारात्मक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

(i) रूस और यूक्रेन से एच०आर० क्वायलों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाना।

(ii) दोयन और दोषपूर्ण इस्पात के आयात का विनियमन।

(iii) इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए अवसंरचना क्षेत्र को अधिक धन का आबंटन करना।

(iv) इस्पात बनाने के लिए आदानों के शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना।

(v) इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करना।

विवरण

मार्च, 2001 में प्रचलित बाजार मूल्य का रूख तथा अक्तूबर, 2001 में प्रचलित बाजार मूल्यों के संदर्भ में अंतर

(रुपए प्रति टन)

	मद	माह	बाजार मूल्य					
			कलकत्ता	दिल्ली	मुंबई	चेन्नई	हैदराबाद	कानपुर
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	कच्चा लौहा	मार्च, 01	9100	9500	8500	8600	9000	10000
		अक्तूबर, 01	9200	9300	8500	8600	9000	10000
	एल०एम० ग्रेड-IV	अंतर	+100	-200	0	0	0	0
2.	बिलेट	मार्च, 01	11750	13500	11200	12700	12250	13000
		अक्तूबर, 01	11100	12500	11800	12500	12500	12100
	100 एम०एम०	अंतर	-650	-1000	+600	-200	+250	-900
3.	ब्लूम	मार्च, 01	11400	13400	10800	12400	11800	12200
		अक्तूबर, 01	11200	12500	11000	12300	11800	12000
	150x150 एम०एम०	अंतर	-200	-900	+200	-100	0	0
4.	तार छड़	मार्च, 01	15250	16700	15500	15800	15000	15700
		अक्तूबर, 01	15300	16000	15200	16000	16000	15200
	6 एम०एम०	अंतर	+50	-700	-300	+200	+1000	-500
5.	तार छड़	मार्च, 01	14700	16200	15000	15700	15000	15300
		अक्तूबर, 01	14800	16000	15000	16000	15600	14600
	8 एम०एम०	अंतर	+100	-200	0	+300	+600	-700
6.	राउंडस	मार्च, 01	14050	15500	14800	14900	15000	13800
		अक्तूबर, 01	14000	15300	14800	15000	15300	14000
	12 एम०एम०	अंतर	-50	-200	0	+100	+300	+200
7.	टॉर स्टील	मार्च, 01	14325	16500	15000	15000	14800	15000
		अक्तूबर, 01	13900	16200	15000	15000	14300	14300
	10 एम०एम०	अंतर	-425	-300	0	0	-500	-700
8.	एंगल	मार्च, 01	13900	16000	14600	14700	14300	14200
		अक्तूबर, 01	15600	15500	15500	15500	14800	14500
	50x50x6 एम०एम०	अंतर	+1700	-500	+900	+800	+500	+300

1	2	3	4	5	6	7	8
9. एंगल	मार्च, 01	13450	16000	14300	14500	14600	14300
	अक्तूबर, 01	14100	15000	15000	15300	14700	13500
100x100x8 एम०एम०	अंतर	+650	-1000	+700	+800	+100	-800
10. ज्वाइस्ट	मार्च, 01	16000	16000	15200	15800	15200	17000
	अक्तूबर, 01	16300	15800	15600	16200	15500	16500
125x70 एम०एम०	अंतर	+300	-200	+400	+400	+300	-500
11. ज्वाइस्ट	मार्च, 01	15550	16300	16000	16400	15500	16000
	अक्तूबर, 01	16000	16700	16500	17200	15800	16500
300x140 एम०एम०	अंतर	+450	+400	+500	+800	+300	+500
12. चैनल	मार्च, 01	14250	15800	14300	15100	14600	14500
	अक्तूबर, 01	15000	15500	15300	15500	15500	14500
75x40 एम०एम०	अंतर	+750	-300	+1100	+400	+900	0
13. चैनल	मार्च, 01	14250	15900	14300	15000	14500	14500
	अक्तूबर, 01	15200	15300	15400	15500	15500	14500
100x50 एम०एम०	अंतर	+950	-600	+1000	+500	+1000	0
14. प्लेट	मार्च, 01	15250	17100	15500	17200	15600	15300
	अक्तूबर, 01	13900	14700	14200	14000	13800	14200
6 एम०एम०	अंतर	-1350	-2400	-1300	-3200	-1800	-1100
15. प्लेट	मार्च, 01	15250	17100	15500	17000	15600	15200
	अक्तूबर, 01	14000	14500	14200	14000	13800	14200
8/10 एम०एम०	अंतर	-1250	-2600	-1300	-3000	-1800	-1000
16. एच०आर० क्वायल	मार्च, 01	17800	18500	17500	17500	16400	15800
2.00 एम०एम०	अक्तूबर, 01	15600	15200	15800	15200	15000	15000
(टी०एम०क्यू०)	अंतर	-2200	-3300	-1700	-2300	-1400	-800
17. एच०आर० क्वायल	मार्च, 01	15550	18700	16500	17000	15800	15800
3.15 एम०एम०	अक्तूबर, 01	14150	14600	15000	14500	14800	14100
(टी०एम०क्यू०)	अंतर	-1400	-2100	-1500	-2500	-1000	-1700
18. सी०आर० क्वायल	मार्च, 01	20850	20000	20800	22500	21100	21500
	अक्तूबर, 01	19300	18000	19500	18500	19000	18000
0.63 एम०एम०	अंतर	-1550	-2000	-1300	-4000	-2100	+3500
19. जी०पी० चादर	मार्च, 01	24650	27000	27500	25000	24500	25500
	अक्तूबर, 01	23300	21000	25000	24200	22500	20100
0.63 एम०एम०	अंतर	-1350	-6000	-2500	-800	-2000	-5400
20. जी०सी० चादर	मार्च, 01	25100	27000	27500	26500	25000	25000
	अक्तूबर, 01	23700	21500	25500	23500	23000	23000
0.63 एम०एम०	अंतर	-1400	-15500	-2000	-3000	-2000	-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
21. मैल्टिंग स्क्रैप	मार्च, 01	8300	8500	7100	7300	6000	8200
	अक्तूबर, 01	8200	7500	7200	7000	6800	7800
	अंतर	-100	-1000	+100	-300	+800	-400
22. एच०बी०आई०/स्पंज आयरन	मार्च, 01	7150	6000	7000	7000	6000	6800
	अक्तूबर, 01	7000	7200	7100	7200	6500	7500
	अंतर	-150	+1200	+100	+200	+500	+700

पर्यटन पर छुट्टी-यात्रा रियायत सुविधाओं का प्रभाव

***300. श्री दलपत सिंह परस्ते :**
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टी-यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) सुविधा को फिर से बहाल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप घरेलू पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय ने देश में घरेलू पर्यटन की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के हित में छुट्टी-यात्रा रियायत सुविधा को बहाल करने का अनुरोध किया है। इस समय मामला विचाराधीन है।

इस्को में लौह अयस्क खानें

3096. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्को की चिना, गुआ और सुकरी नाम की तीन खानें देश में सबसे अच्छी हैं और मनोहरपुर के निकट करीब दो मिलियन टन का अयस्क भंडार विद्यमान है जो विश्व में ऐसा दूसरा सबसे बड़ा भंडार है;

(ख) क्या कंपनी की चासनाला, जीतपुर और रामनगर जैसी तीन खानें हैं जिनका कोयला भंडार न सिर्फ इस्को के लिए बल्कि अन्य इस्पात कंपनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) इस्को की तीन लौह अयस्क खानें नामत: चिरिया, गुआ और सुकरी हैं। चिरिया लौह अयस्क निक्षेप झारखण्ड राज्य में मनोहरपुर के समीप स्थित है जो भारत में सबसे बड़ी खान है और इसमें लगभग 2 बिलियन टन खनन भण्डार होने का अनुमान है। गुआ में 1820 लाख टन भण्डार होने का अनुमान है। सुकरी खान में लगभग 800 लाख टन लौह अयस्क होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) इस्को की कोयला खानें चासनाला, जीतपुर और रामनगर में हैं। इनका अनुमानित भण्डार नीचे दिया गया है :—

कोयला खान का नाम	अनुमानित भण्डार (दस लाख टन)
चासनाला	76
जीतपुर	26
रामनगर	103

हवाई अड्डे पर गुप्त कैमरों की स्थापना

3097. श्री सईदुज्जमा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर अपराधियों को पकड़ने हेतु गुप्त कैमरे स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी हवाई-अड्डा वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) क्लॉज सर्किट टेलीविजन (सी०सी०टी०वी०) निगरानी कैमरे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लगाए जा चुके हैं। सी०सी०टी०वी० कैमरे देश के अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, अमृतसर, गोवा, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा बंगलौर के साथ-साथ जम्मू, श्रीनगर तथा कालीकट स्थित घरेलू हवाई अड्डों पर भी लगाए जाने का प्रस्ताव है। इन कैमरों की मॉनिटरिंग एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्युरिटी यूनिट, कस्टम तथा इमीग्रेशन विभाग द्वारा की जाएगी ताकि टर्मिनल भवन, सुरक्षा वाले क्षेत्र तथा बैगेज मेकअप एरिया में यात्रियों और कर्मचारियों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके और सुविधा-व्यवस्था, सुरक्षा तथा रेगुलेटरी कार्यों में सहायता मिल सके। इस प्रणाली की मई, 2002 तक हर हालत में पूरी हो जाने की उम्मीद है।

मिश्र इस्पात संयंत्र से विशेष किस्म का इस्पात

3098. श्री महबूब जहेदी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा विशेष किस्म के इस्पात के आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण कारगिल युद्ध के दौरान मिश्र इस्पात संयंत्र ने बोफोर्स तोप के गोलों के लिए विशेष किस्म का इस्पात उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिश्र इस्पात संयंत्र कृत्रिम उपग्रहों के लिए अतिरिक्त पुर्जों, युद्धक ट्रक बॉडी, बुलेटप्रूफ जैकेटों, राकेट, एकसल आदि के लिए विशेष किस्म के इस्पात का निर्माण करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मिश्र इस्पात संयंत्र को आई०एस०ओ० 9002 से सातवीं बार मान्यता मिली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) मिश्र इस्पात संयंत्र (ए०एस०पी०) आयुध निर्माणियों को बोफोर्स तोप के गोले के खोल बनाने में उपयोग किए जाने वाले एस०ए०ई०-9260 और बी-24 इस्पात की नियमित आपूर्ति करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) ए०एस०पी० स्पेड एवं जैकल इस्पात का उत्पादन कर रहा है तथा बख्तरबंद गाड़ियों व बुलेटप्रूफ जैकेटों हेतु एच०बी०एफ०, आवडी और आयुध निर्माणी मेडक को आपूर्ति कर रहा है। ए०एस०पी० इसरो, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक एवं अन्य को भी इस्पात की आपूर्ति कर रहा है, जिसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों के लिए किया जाता है।

(ङ) ए०एस०पी० ने सम्पूर्ण संयंत्र के लिए सितम्बर, 1994 में आई०एस०ओ०-9002 प्रमाणन प्राप्त किया तथा सितम्बर, 1997 एवं सितम्बर, 2000 में इसका पुन: प्रमाणन प्राप्त किया, जोकि सितम्बर, 2003 तक वैध है।

(च) ए०एस०पी० का पुनरूद्धार करने के उद्देश्य से, सेल इस समय संयंत्र को किसी उपयुक्त भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने के लिए कदम उठा रहा है।

बाढ़ का पूर्वानुमान

3099. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित हाइड्रोलाजीकल आंकड़ा संग्रहण के आधुनिकीकरण और बाढ़ पूर्वानुमान की सटीकता को अद्यतन करने के 1996 में शुरू किए गए एवं मार्च, 2002 तक पूरे हो जाने वाले कार्यक्रम को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में चल रहे विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम पर अब तक कितनी प्रगति हुई;

(घ) राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां। सितम्बर, 1995 में शुरू की गई तथा मार्च, 2002 में पूरी होने वाली विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना की अवधि एक वर्ष अर्थात् मार्च, 2003 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) जल विज्ञान परियोजना के अलावा, आंध्र प्रदेश में क्रमश: 325 मिलियन अमेरिकी डालर और 142 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता से दो परियोजनाएं अर्थात् आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III और आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (ङ) सितम्बर, 2001 तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश तृतीय सिंचाई परियोजना और आंध्र आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) के लिए क्रमश: 122.44 मिलियन अमेरिकी डालर और 57.82 मिलियन अमेरिकी डालर का उपयोग किया गया। इन परियोजनाओं को क्रमश: जनवरी, 2003 और मार्च, 2004 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

स्काई मार्शलों के लिए सुविधाएं

3100. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन०एस०जी०) ने विमान के अंदर स्काई मार्शल के रूप में तैनात अपने दल के सदस्यों हेतु कम वेग वाली विशेष गोलियों और उचित संचार सुविधाएं देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने स्काई मार्शलों के लिए विशिष्ट गोलाबारूद तथा परिष्कृत संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया था। ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई आरंभ हो चुकी हैं।

[हिन्दी]

वन आधारित उद्योग

3101. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड राज्य में विशेषकर सिंहभूम क्षेत्र में वन आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) वन आधारित उद्योगों की स्थापना राज्य सरकारों के प्राधिकार में आता है। झारखण्ड सरकार ने प्रयास किए और अपनी औद्योगिक नीति 2001 बनाई। वन आधारित उद्योग इसके क्षेत्रों में से एक है, जो कि राज्य के केन्द्रीकृत औद्योगिक विकास के लिए ''थ्रस्ट क्षेत्र'' घोषित किया गया है। ''थ्रस्ट क्षेत्र'' वर्ग के अंतर्गत आने वाले उद्योग निम्नलिखित हैं :–

(i) सीसल और अन्य फाइवर्स

(ii) वन आधारित उद्योग उदाहरणार्थ बांस, लाख आदि

(iii) औषधीय और फूल आधारित उद्योग

झारखंड राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति में रेशम उत्पादन जैसे वन आधारित उद्योगों और लघु वन उत्पादों के क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सिंचाई सुविधाएं

3102. श्री राजो सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार सरकार को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) पुनर्गठित बिहार राज्य की चार वृहद परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं। इनमें से पुनपुन बैराज और तिलैय्या धादर को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा इन बातों का अभी अनुपालन किया जाना है। कदवान जलाशय और ऊपरी महानन्दा परियोजनाओं पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है। इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना की तत्परता पर निर्भर करता है।

(ग) चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार वर्ष 1996 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है। मार्च, 2001 तक बिहार सरकार को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना आयोग ने वर्ष 2001-2002 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बिहार के वास्ते 200 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता						
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
		वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं						
1.	पश्चिमी कोसी नहर	10	0	14.635	30.57	59		114.205
2.	ऊपरी कियुल	2.5	0	5.1	7.625	1.2	—	16.425
3.	दुर्गावती	1	0	1.15	11	18.74		31.89
4.	बाण सागर	0	1.5	2	80			83.5
5.	ओरनी जलाशय	0	2.03	5.5	0	2.37	—	9.9
6.	बिलासी जलाशय	0	1.62	0.8	0.5	47		3.39
7.	सोन नहर आधुनिकीकरण	0	0	7	0	66.66		73.66
	कुल	13.5	5.15	36.185	129.695	148.44	0	332.97

[अनुवाद]

दक्षिणी राज्यों में पर्यटन का विकास

3103. **श्री टी० गोविन्दन : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन सम्भावनाओं के विकास और दोहन हेतु दक्षिणी राज्यों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटक केन्द्रों/स्थलों का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, उनके परामर्श से वार्षिक रूप से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर धनराशि प्रदान करता है। दक्षिणी राज्यों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

(लाख रुपयों में)

	राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आंध्र प्रदेश	274.08	222.22	141.00
2.	कर्नाटक	407.48	890.70	489.30
3.	तमिलनाडु	316.20	531.95	113.83
4.	केरल	653.05	772.28	408.85
5.	पांडिचेरी	15.00	163.89	26.18
6.	लक्षद्वीप	29.00	-शून्य-	-शून्य-

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

3104. **राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : अल्कोहलयुक्त पेयों का छोड़कर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए शासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। वैसे योजना स्कीमों के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिनमें बुनियादी सुविधाएं और फूड पार्क शामिल हैं, की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र आदि को वित्तीय सहायता देता है। पिछले तीन सालों के दौरान मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
आंध्र प्रदेश	2	7	4
कर्नाटक	3	5	2
केरल	5	4	6
तमिलनाडु	–	3	–
उड़ीसा	3	3	1
बिहार	–	–	1
पश्चिम बंगाल	12	6	3
उत्तर प्रदेश	3	5	5
पंजाब	3	1	4
हरियाणा	–	1	2
हिमाचल प्रदेश	2	1	–
जम्मू कश्मीर	–	1	1
गुजरात	1	6	3
मध्य प्रदेश	3	1	2
महाराष्ट्र	6	7	8
गोआ	–	1	–
असम	6	6	4
मेघालय	–	1	–
त्रिपुरा	–	–	2
मणिपुर	3	3	15
नागालैंड	2	2	1

[अनुवाद]

आलू और प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य

3105. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने केन्द्र सरकार को वर्ष 1996-97 के दौरान आलू और प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एम०आई०एस०) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान आलू और प्याज की खरीद के संबंध में एच०ओ०पी०सी०ओ०एम०एस० द्वारा 50% क्षति की वापसी के लिए केन्द्र सरकार को लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके कारण इस परिचालन में कुल 60.53 लाख रुपये की क्षति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को 14 अप्रैल, 2001 को इस बात पर पुन: स्मरण कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अब तक इस लंबित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एच०ओ०पी०सी०ओ०एम०एस० ने मंजूर की गई मण्डी हस्तक्षेप स्कीम की शर्तों के अनुसार लेखा प्रस्तुत नहीं किया। अतएव, कर्नाटक सरकार से संशोधित लेखा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, जो प्राप्त हो गया है। केन्द्र सरकार का हानि का अंश लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् एच०ओ०पी०सी०ओ०एम० एस० को प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्मुक्त किया जाएगा।

तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति

3106. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल में पर्यटन मंत्रालय के साथ तटीय विनियमन क्षेत्र में ढील के मुद्दे पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटीय विनियमन क्षेत्र के कारण कई परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) तटीय विनियमन क्षेत्र (सी०आर०जैड०) अधिसूचना 1991 के उपबंधों में छूट देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ हाल ही में कोई औपचारिक विचार विमर्श नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) तटीय क्षेत्र विनियमनों के कारण कोई भी पर्यटन परियोजनाएं रोकी नहीं गई हैं। वास्तव में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में सी०आर०जैड०-III क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा लाइन से 200-500 मी० के बीच तटीय रिजोर्टों के निर्माण की व्यवस्था है। तटीय रिजोर्टों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए प्रस्तावों पर संबंधित राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा उनकी जांच करने और संस्तुत करने के बाद आन्तरिक रूप से विचार किया जाता है।

केरल में भूस्खलन

3107. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हाल के भूस्खलन में मारे गए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तिरूवनंतपुरम जिला, केरल के नैयार्टिकर तालुक में नैय्यर बांध के निकट अम्बूरी में 9 नवंबर, 2001 को हुई भू-स्खलन घटना में 38 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। प्रत्येक प्रौढ़ मृतक के नजदीकी संबंधी को 50,000/-रु० और मृतक बच्चे के नजदीकी संबंधी को 15,000/- रु० के अनुग्रह अनुदान की राशि स्वीकृत की गई है।

कृषि क्षेत्र में विदेशी समझौते

3108. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान से आज तक कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास में सहयोग हेतु किस-किस देश के साथ समझौता किया गया और किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) लंबित समझौतों का ब्यौरा क्या है और इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में विदेशी सहायता से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) उक्त योजनाओं की राज्य-वार प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म किया जाना

3109. **डा० एन० वेंकटस्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान खाद्यान्नों की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने/विघटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षण

3110. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाले विभागों में अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पद-वार और श्रेणी-वार कितने पद आरक्षित किए गए;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) ऐसे पदों पर कितने अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को रोजगार दिया गया; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-01 तक क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 1999 के परिणाम के आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से भरी जाने वाली रिक्ति हेतु इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में केवल एक रिक्ति आरक्षित की गई है। इस रिक्ति को भरने के लिए अभी नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है। 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए कोई अन्य रिक्ति आरक्षित नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात में 1997 से इस संगठन की जनशक्ति में की जा रही कमी के कारण कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में अयोजध्या पहाड़ियों का विकास

3111. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में अयोजध्या पहाड़ी पर्यटन स्थल के विकास हेतु कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) चालू योजना अवधि के दौरान अयोजध्या हिल्स के. पर्यटक स्थल के रूप में विकास हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान अयोजध्या हिल्स के लिए किसी परियोजना को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मत्स्यन हेतु विदेशी पोतों को लाइसेंस

3112. **श्री जे०एस० बराड़** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन हेतु विदेशी पोतों को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशियों को लाइसेंस देने के निर्णय से भारतीय मछुआरों की आय और जीवनयापन एवं देशी मत्स्य खाद्य प्रसंस्करण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(घ) इस वर्ष की प्रत्येक तिमाही में विदेशी पोतों और भारतीय मछुआरों द्वारा कितनी-कितनी मछली पकड़ी गई; और

(ङ) तटीय मछुआरों को मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य पैकेटों पर अवयवों का प्रदर्शन

3113. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिस्कुट, आइसक्रीम, शीतल पेय, पनीर आदि जैसे उत्पाद बनाने वाली सभी खाद्य कंपनियों के लिए अपने पैकेटों पर, यदि इन उत्पादों में कोई मांसाहारी अवयव विद्यमान हो तो ''ब्राउन डाट'' का स्पष्ट प्रदर्शन अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश खाद्य उत्पादों में मिलाई जाने वाली चीजें, एनजाइम्स और खाद्य प्रसंस्करण वस्तुएं जानवरों के अंगों से आती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन उत्पादों में आज तक मांसाहारी अवयव शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मांसाहारी अवयवों वाले अन्य शाकाहारी उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य के स्वरूप के बारे में सही जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि मांसाहारी पदार्थों वाले खाद्य पैकट के लेबल पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954) तहत बनाए गए नियम 1955 के अंतर्गत इस उद्देश्य से निर्दिष्ट चिह्न और कलर कोड़ छपा होना चाहिए। चिह्न भूरे रंग का वृत होगा जिसका व्यास पैकेट के आकार के आधार पर विनिर्दिष्ट आकार से कम नहीं होना चाहिए। वृत्त भूरे रंग के समकोण के अंदर होगा और समकोण का आकार वृत्त के व्यास से दुगना होगा। इस प्रयोजन हेतु मांसाहारी खाद्य को एक ऐसी खाद्य वस्तु के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें पक्षियों समेत किसी जानवर, ताजे पानी या समुद्र के जानवर का अंग या सम्पूर्ण शरीर या किसी भी पशु प्रजाति के उत्पाद या अंडे आदि शामिल हैं परंतु इसमें दूध या दूध से बने उत्पाद एक संघटक के रूप में शामिल नहीं हैं।

(ग) से (ङ) योगज, एनजाइम्स और खाद्य प्रसंस्करण में सहायक मदें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोतों से प्राप्त की जा सकती हैं और स्रोत का खाद्य प्रसंस्करण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत घोषित होना जरूरी नहीं है। इनका इस्तेमाल प्रौद्योगिकीय आवश्यकता पर निर्भर है और इस संबंध में निर्णय खाद्य उत्पादों के निर्माताओं द्वारा लिया जाता है। इसलिए, इस संबंध में विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

मजदूरों को उच्चतम मजदूरी

3114. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के दस बड़े देशों में उच्चतम और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों/कर्मचारियों के संबंध में देश-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चतम और न्यूनतम मजदूरी के बीच कितना अंतर है;

(ग) विभिन्न देशों में उच्चतम मजदूरी प्राप्त करने वालों और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वालों की अलग-अलग देश-वार उत्पादकता क्या है; और

(घ) विकसित देशों में प्रति डालर मजदूरी आय के संदर्भ में अलग-अलग उत्पादकता क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सर्वाधिक आय वाले दस देशों में वर्ष 1999 में देश वार सकल आय प्रति कर्मचारी (अमेरिकी डालर में) दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यूनतम सकल आय प्रति कर्मचारी 1997 में जिम्बाबवे में 408 अमेरिकी डालर है, तथापि मजदूरी की पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह क्रय शक्ति समता सूचक से समायोजित नहीं होती।

(ग) भिन्न-भिन्न देशों में उच्चतम और न्यूनतम मजदूरी अर्जित करने वालों के उत्पादकता संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अलग-अलग देशों में व्यवसायों और कौशलों की परिभाषा में एकरूपता नहीं है। तथापि, ''वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडीकेटर्स-2001'' के अनुसार 1995-99 की अवधि के लिए विनिर्माण में प्रति कामगार देशवार वार्षिक मूल्य आधारित औसत दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विकसित देशों में प्रति डालर मजदूरी अर्जन के संबंध में उत्पादकता पर एक ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

1999 में सकल आय प्रति कर्मचारी (अमरीकी डालर में)

सं०	देश	अमरीकी डालर 1999
1.	डेनमार्क	39,260.16
2.	जापान	37,056.42
3.	जर्मनी	33,130.45
4.	बेल्जियम	30,067.34
5.	संयुक्त राज्य अमेरिका	29,980.00
6.	इंग्लैण्ड	28,745.11
7.	नीदरलैण्डस	28,739.50
8.	फिनलैंड	26,217.58
9.	आस्ट्रिया	24,079.00
10.	कनाडा	23,346.08

स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली

विवरण-II

उत्पादकता का विवरण

(प्रति कामगार)

क्र०सं०	देश	डालर प्रतिवर्ष
1	2	3
1.	अर्जेन्टीना	37,480
2.	आस्ट्रेलिया	57,857
3.	आस्ट्रिया	53,061
4.	बांग्लादेश	1,711
5.	बेलजियम	58,678
6.	बोलीविया	26,282
7.	ब्राजील	61,595
8.	कनाडा	60,712
9.	चिलि	32,977
10.	चीन	2,885
11.	हांग कांग चीन	19,533
12.	कालोम्बिया	17,061
13.	कोस्टा रिका	7,184
14.	चेक गणराज्य	5,094
15.	डेनमार्क	49,273
16.	इक्वेडोर	9,747
17.	मिस्र अरब गणराज्य	5,976
18.	इथीयोपिआ	7,094
19.	फिनलैंड	55,037
20.	फ्रांस	61,019
21.	जर्मनी	79,616
22.	ग्रीस	30,429
23.	ग्वाटेमाला	9,235
24.	होंडुरास	7,427
25.	हंगरी	6,106
26.	भारत	3,118
27.	इन्डोनेसिया	5,139
28.	ईरान मुस्लिम गणराज्य	89,787
29.	ईराक	34,316
30.	आयरलैंड	86,036
31.	इस्रायल	35,526
32.	इटली	50,760
33.	जमैका	11,091
34.	जापान	92,582
35.	जोर्डन	11,906
36.	कीनिया	228
37.	कोरिया गणराज्य	40,916
38.	मलेसिया	12,661
39.	मारीशस	4,217
40.	मैक्सिको	25,931
41.	मोरक्को	9,089
42.	नीदरलैंड्स	56,801
43.	न्यूजीलैंड	32,723
44.	नार्वे	51,510
45.	ओमान	61,422
46.	पनामा	17,320
47.	पैरागुवे	14,873
48.	फिलीपिन्स	10,781
49.	पोलैंड	7,637
50.	पुर्तगाल	17,273
51.	रोमानिया	3,482
52.	सिंगापुर	40,674
53.	एलोवेनिया	12,536
54.	दक्षिण अफ्रीका	16,612
55.	स्पेन	47,016
56.	श्रीलंका	3,405
57.	स्वीडन	56,675
58.	स्वीटजरलैंड	61,848
59.	सीरिया अरब गणराज्य	9,918
60.	थाइलैंड	19,946

1	2	3
61.	टर्की	32,961
62.	इंग्लैण्ड	55,060
63.	संयुक्त राज्य अमेरिका	81,353
64.	उरूगवे	16,028
65.	वेनेजुएला, आर०बी०	24,867
66.	यमन गणराज्य	5,782
67.	जाम्बिया	16,615
68.	जिम्बाबवे	11,944

स्रोत : वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडीकेटर्स-2001

विवरण-III

	डालर में वार्षिक उत्पादकता	डालर में प्रति घंटा क्षतिपूर्ति
जर्मनी	36791	21.8
फ्रांस	39798	15.5
जापान	44695	12.8
संयुक्त राज्य अमेरिका	51148	14.9
स्पेन	23879	11.4
कोरिया	12659	3.7
मैक्सिको	10532	1.6

विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता 1990 में डालर में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मूल्य आधार पर मापी जाती है। विनिर्माण में क्षतिपूर्ति लागत भी 1990 में डालर में है, जिसमें सकल आय और स्वास्थ्य तथा पेंशन स्कीमें शामिल होती हैं।

स्रोत : अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली

समूह "क" और "ख" की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

3115. श्री ए० नरेन्द्र : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% है (अनुसूचित जातियां 08.41% और अनुसूचित जनजातियां 2.27%) और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% है (अनुसूचित जातियां -9.68% और अनुसूचित जनजातियां -3.52%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य, (ii) अनुसूचित जातियों, (iii) अनुसूचित जनजातियों, और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कोई भी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

डी०टी०सी० द्वारा जनरेटर सेटों का उपयोग

3116. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) ने अपने बस स्टैंडों पर विज्ञापन एजेंसियों के विज्ञापन पटों के लिए जनरेटर सेट स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन जनरेटर सेटों को बंद करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर दिल्ली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डी०टी०सी० बस स्टैण्ड पर उपलब्ध साईन बोर्डों/होर्डिंग्स को रोशन करने के लिए जेनरेटरों को लगाने और चालू करने के लिए दिल्ली यातायात निगम (डी०टी०सी०), दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी०वी०बी०), दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०), नई दिल्ली नगर परिषद् (एन०डी०एम०सी०) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी०पी०सी०सी०) से बात की। यह सुझाव दिया गया कि बस स्टैण्ड्स पर स्थायी विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए जेनरेटर सेटों के स्थान पर नियमित बिजली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदूषण को और सड़कों पर आई सोर को रोका जा सके।

(ग) और (घ) नवम्बर, 2001 में दिल्ली विद्युत बोर्ड ने डी०टी०सी० बस शैल्टर्स को होर्डिंग्स के लिए गैर-घरेलू मीटर कनैक्शन उपलब्ध कराने की नीति तैयार की है। दिल्ली यातायात निगम (डी०टी०सी०) या विज्ञापन एजेंसी को डी०टी०सी० शेल्टर के लिए जहां कहीं आवश्यकता हो, वैध गैर-घरेलू कनैक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा कराना होगा।

बंधुआ मजदूर

3117. **श्री रामदास आठवले :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में अनुमानत: कितने बंधुआ मजदूर हैं;

(ख) क्या इन्हें मुक्त कराने और इनके पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की गई/तैयार किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में मुक्त कराए गए/पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों को कोई सहायता दी गई है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास हेतु किसी समिति का गठन किया गया है/किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधुआ श्रम पद्धति का उन्मूलन किया जा चुका है। बंधुआ श्रमिकों की पहचान, उनकी मुक्ति तथा पुनर्वास की सीधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में राज्य सरकारों की सहायतार्थ श्रम मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित एक योजना स्कीम को 1978 से कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक बंधुआ श्रमिक की पुनर्वास सहायता के लिए राज्य सरकारों को 50:50 के समान अनुपात आधार पर 20,000 रु० दिये जाते हैं। इस योजना के तहत बंधुआ श्रमिकों से संबंधित सर्वेक्षण, जागरूकता सृजन तथा मूल्यांकन अध्ययन कार्यकलापों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार अब तक 2,82,135 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई है जिसमें से 2,60,714 बंधुआ श्रमिकों का केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत पुनर्वास किया गया है। पहचान किए गए, मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों से संबंधित राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है :

राज्य	बंधुआ श्रमिक	
	पहचाने और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित
आन्ध्र प्रदेश	36,289	39,552
बिहार	13,092	12,368
कर्नाटक	62,763	55,267
मध्य प्रदेश	12,822	11,897
उड़ीसा	49,971	46,843
राजस्थान	7,478	6,321
तमिलनाडु	65,573	65,573
महाराष्ट्र	1,393	1,309
उत्तर प्रदेश	27,797	27,797
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
अरूणाचल प्रदेश	3526	2,992
कुल योग	2,82,135	2,60,714

(ङ) और (च) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है। क्षेत्रवार जारी निधि का ब्यौरा नहीं रखा गया।

राज्य	वर्ष		
	1998-99	1999-2000	2000-01
अरूणाचल प्रदेश	—	70.84	497.64
बिहार	4.90	—	—
उड़ीसा	1.75	—	—
तमिलनाडु	278.90	303.82	371.60
उत्तर प्रदेश	12.45	3.95	—
राजस्थान	—	4.00	25.40
हरियाणा	—	—	16.00
पंजाब	—	—	10.00

(छ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के तहत बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास हेतु जिला और सब-डिवीजन स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की गई है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विमान नेटवर्क

3118. श्री एम०के० सुब्बा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी, बंगलौर ने सामरिक कारणों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक सु-स्थापित विमान नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जैसा कि नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एन०ए०एल०) बंगलौर ने सूचित किया है, उन्होंने देश में फीडर सेवाओं को विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर तथा कर्नाटक के लिए देशव्यापी और संकेन्द्रित अध्ययन संचालित किए हैं। एन०ए०एल० ने सुझाव दिया है कि गुवाहाटी में एक हब बनाने से क्षेत्र में फीडर (14 सीटर) तथा 50 सीटर हवाई जहाजों के संयुक्त प्रयोग, हवाई जहाजों के प्रचालनार्थ तथा रख-रखाव के संबंध में स्थानीय जनशक्ति को प्रशिक्षण देना संभावित रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

[हिन्दी]

निजी विमान कंपनियों पर बकाया धनराशि

3119. श्री राम सजीवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कंपनियों पर सरकार की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक पर बकाया कुल धनराशि सहित इन विमान कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ विमान कंपनियों ने इस धनराशि का गबन कर अपना कारोबार बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान निजी विमान कंपनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क का किसी अन्य शुल्क के रूप में सरकार को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एलायंस एयरलाइन को कंपनी का दर्जा देना

3120. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एलायंस एयरलाइन को इंडियन एयरलाइन की तरह एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है; और

(ग) यह एयरलाइन इंडियन एयरलाइन के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के स्थान पर कब तक अपने कर्मचारी नियुक्त करना और अपने विमान अधिग्रहित करना आरंभ कर देगी व तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि० (ए०ए०एस०एल०) इंडियन एयरलाइन्स की एक सहायक कंपनी है। ए०ए०एस०एल० एलायंस एयर ब्रांड नाम से एक एयरलाइन सेवा प्रचालित कर रही है। इंडियन एयरलाइंस और एलायंस एयर संयुक्त रूप से पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस यानी अपने बोइंग 737 हवाई जहाज बेड़े को एलायंस एयर को हस्तांतरित करने से पूर्व प्रचालित घरेलू एयर सर्विसेज के कुल नेटवर्क की कवरिंग कर रहे हैं। अत: इंडियन एयरलाइन्स से एलायंस एयर अलग करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

(ग) एलायंस एयर, इस समय, उन 11बी-737 हवाई जहाजों से सेवा प्रचालित करती है जिनका कि हस्तांतरण इंडियन एयरलाइंस से किया गया है। ये हवाई जहाज इंडियन एयरलाइन्स के स्वामित्व में ही बने रहेंगे। चूंकि एलायंस एयर इंडियन एयरलाइंस की एक सहायक कंपनी है, अत: इंडियन एयरलाइंस का यह दायित्व है कि वह एलायंस एयर के लिए हवाई जहाज खरीद कर उन्हें मुहैया करावे।

इंडियन एयरलाइंस ने अपने पुराने एयरबस ए-300 तथा बोइंग 737 हवाईजहाजों के नवीकरण और साथ ही यातायात वृद्धि की पूर्ति के लिए नए हवाई जहाजों की खरीद के संबंध में एक प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन कार्य हाथ में लिया है। खरीद प्रक्रिया पूरी होने पर बोइंग 737 हवाई जहाज बेड़े को चरणबद्ध ढंग से रीप्लेस कर दिया जाएगा। एलायंस एयर की ओर से इंडियन एयरलाइंस द्वारा ही हवाई जहाजों का मुख्य रख-रखाव, यात्री-चेक-इन एवं ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था, बिक्री, पायलेटों/केबिन-क्रू/इंजीनियरों का प्रशिक्षण के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। एलायंस एयर की जनशक्ति संबंधी मांगों की पूर्ति निम्न के जरिए की जाती है :– (i) इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति आधार पर तथा (ii) खुले बाजार से अल्पकालिक कांट्रेक्ट द्वारा। इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इस समय 76 है और अल्पकालिक ठेके के आधार पर सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या 699 है।

[अनुवाद]

आगरा स्थित आर०बी०एस० महाविद्यालय

3121. श्री राज बब्बर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर०बी०एस० महाविद्यालय, आगरा को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों को मुआवजा देना

3122. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार्य के दौरान मारे गए कृषि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने कृषि कामगारों के लिए "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001" नामक एक सामाजिक सुरक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ मृत्यु के मामले में 20,000/-रु० और दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 50,000/-रु० की एकमुस्त राशि के भुगतान का प्रावधान है। यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा 3 वर्ष की अवधि के प्रथम चरण में 10 लाख कृषि कामगारों को शामिल करते हुए चुने हुए 50 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के दौरान योजना के कार्य-निष्पादन और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, इसे अन्य जिलों में लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

नैफेड के विरूद्ध मामला

3123. **श्री अरूण कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० ने 1998 के दौरान नैफेड के कार्मिकों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल नैफेड के कार्मिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इन मामलों की स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सी०बी०आई० ने निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं :–

(i) श्री डी०एन० गुप्ता, प्रबंधक

(ii) श्री ए०के० रस्तोगी, सहायक लेखा अधिकारी

(iii) श्री यू०एस० जग्गी, महाप्रबंधक और

(iv) श्री सुशील कुमार, वरिष्ठ सहायक

(ग) प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद, सी०बी०आई० ने सर्वश्री डी०एन० गुप्ता, प्रबंधक और ए०के० रस्तोगी, सहायक लेखा अधिकारी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए नेफेड से अगस्त, 2001 के दौरान मंजूरी मांगी थी। सी०बी०आई० को नेफेड की मंजूरी 25 सितंबर, 2001 को प्रेषित कर दी गई थी। सी०बी०आई० ने 27 सितंबर, 2001 को सक्षम न्यायालय में इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जहां तक सर्वश्री यू०एस० जग्गी, महाप्रबंधक और सुशील कुमार, वरिष्ठ सहायक का संबंध है, सी०बी०आई० ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। विभागीय जांच के दौरान, श्री जग्गी के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। तथापि, नेफेड ने श्री सुशील कुमार, वरिष्ठ सहायक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है।

[हिन्दी]

पृथ्वीराज विमान पत्तन की धावन पट्टी पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का भंडारण

3124. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम ने पृथ्वीराज विमानपत्तन, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की धावन पट्टी पर गेहूं का भंडारण किया हुआ है जिसके कारण धावन पट्टी क्षतिग्रस्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम इस क्षति की प्रतिपूर्ति कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस गेहूं का भंडारण किसी अन्य स्थान पर कब तक किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयले और लिग्नाइट का मूल्य

3125. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिग्नाइट का कैलोरी मूल्य क्या है और कैलोरी के अनुसार लिग्नाइट के समतुल्य कौन सी श्रेणी का कोयला है;

(ख) कोयला और लिग्नाइट का श्रेणी-वार और कंपनी-वार मूल्य क्या है;

(ग) मूल्यों में अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) इस असमानता को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) लिग्नाइट का सकल कैलोरी मूल्य 2600-2800 किलो कैलोरी/किलोग्राम के बीच होता है। लिग्नाइट को इसकी उच्च आर्द्रता अंश तथा अत्यधिक न्यून निश्चित कार्बन तत्व के कारण कैलोरी मूल्य के अनुसार नॉन-कोकिंग कोयले की निम्नतर श्रेणियों के साथ भी समतुल्य नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा कोयले की यथानिर्धारित मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित लिग्नाइट का निवल मूल्य (एक्स-संयंत्र नेयवेली) 900.64 रुपये प्रति टन है।

(ग) कोयले तथा लिग्नाइट के विभिन्न मूल्यों का निर्धारण संबंधित कंपनियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत, बाजार स्थितियां और वाणिज्यिक विचार के आधार पर किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 1.2.2001 से कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा संशोधित कोयले की विभिन्न ग्रेडों की कीमतें इस प्रकार हैं :–

दिनांक 1.2.2001 से रन ऑफ माइन (आर०ओ०एम०) कोयले की कीमतें

नॉन कोकिंग कोयला (रु० प्रति टन)

ग्रेड	डब्ल्यूसीएल		एसईसीएल			सीसीएल		बीसीसीएल		एनसीएल		एमसीएल	
	एलएफ	एनएलएफ	कुछ विशिष्ट खानों में	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ
ए	1083	1017	1100	999	934	1177	1100	1121	1047	1147	1072	979	912
बी	1022	956	1034	939	872	1065	989	1014	942	1039	964	885	819
सी	955	890	862	784	717	890	813	847	774	867	792	740	674
डी	902	835	736	669	600	758	680	722	648	740	664	633	566
ई		708			497		539		514		527		445
एफ		590			396		431		410		420		351
जी		445			283		308		294		300		250

टिप्पणी :

1. डब्ल्यूसीएल : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
2. एसईसीएल : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
3. सीसीएल : सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०
4. बीसीसीएल : भारत कोकिंग कोल लि०
5. एनसीएल : नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०
6. एमसीएल : महानदी कोलफील्ड्स लि०
7. जीआर : कोयले का ग्रेड
8. एलएफ : लॉग फ्लेम
9. एनएलएफ : नॉन लॉग फ्लेम

उपर्युक्त सूची केवल रन ऑफ माइन (आरओएम) कोयले के लिए है। स्टीम, रबल तथा स्लैग हेतु भिन्न दरें विद्यमान हैं।

दिनांक 1.2.2001 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ईसीएल) हेतु आरओएम कोयले की कीमतें

नॉन कोकिंग कोयला

(रु० प्रति टन)

ग्रेड	कुल विशिष्ट एसपी खानों में दरें	रानीगंज में कुछ विशिष्ट खानों में दरें	एसपी खानें तथा मुग्मा		राजमहल परियोजना		सालनपुर	रानीगंज की अन्य कोलियरियों में उत्पादित कोयला	
			एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ
ए	1319	1388	1199	1120			1177	1263	1184
बी	1192	1312	1085	1007			1059	1192	1115
सी	996	1118	905	828			870	1018	939
डी	810	905	735	660	915		694	824	748
ई				524		703	524		524
एफ				417		597	417		417
जी				298		479	298		298

नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

(रु० प्रति टन)

असम कोयला	कोयले का ग्रेड तथा यूएचवी रेंज (कि० कैलो० किलोग्राम)	रन ऑफ माइन
ए	6200-6299	998
बी	5600-6199	741

टिप्पणी :

1. ग्रेड ए में, 6299 किलो कैलोरी प्रति किलो ग्राम से अधिक प्रत्येक 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त यूनिवर्सल हीट वैल्यू (यूएचवी) के लिए ग्रेड की कीमत में 65 रु० प्रति मिलियन टन अतिरिक्त जोड़े जाते हैं।

2. 7099 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से अधिक की यूएचवी हेतु, रन ऑफ माइन (आरओएम) कोयले की कीमत 1836 रु० प्रति मिलियन टन हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०

(रु० प्रति टन)

ग्रेड	स्टीम कोयला	स्लैक कोयला	आरओएम कोयला	रन ऑफ माइन कोयले का चूरा
ग्रेड-बी	1224.00	1174.00	1164.00	1209.00
ग्रेड-सी	1107.00	1057.00	1047.00	1092.00
ग्रेड-डी	987.00	937.00	927.00	972.00
ग्रेड-ई	761.00	747.00	741.00	786.00
ग्रेड-एफ	638.00	624.00	618.00	663.00
ग्रेड-जी	485.00	471.00	465.00	510.00

1.2.2001 से (आरओएम) कोयले की कीमत

कोकिंग कोयला

(रु० प्रति टन)

ग्रेड	बीसीसीएल		ईसीएल मुग्मा	सीसीएल	एसईसीएल	डब्ल्यूसीएल	बीसीसीएल, ईसीएल तथा सीसीएल के अलावा सहायक कंपनियाँ
	कुछ विशिष्ट खानों में दरें	विशिष्ट खानों के अलावा					
1	2	3	4	5	6	7	8
स्टील ग्रेड-I	1914	1695					

1	2	3	4	5	6	7	8
स्टील ग्रेड-II	1598	1416					
वाशरी ग्रेड-I	1385	1227	1312	1287	1096	1075	
वाशरी ग्रेड-II	1147	1016	1087	1067	907	890	
वाशरी ग्रेड-III	848	751	803	789	671	803	
वाशरी ग्रेड-IV	789	699	747	734	625	659	
सेमी कोकिंग ग्रेड-I	1335	1183	रानीगंज 1360	1241			1096
सेमी कोकिंग ग्रेड-II	1106	979	रानीगंज 1126	1027			907

कुछ विशिष्ट खानों में डायरेक्ट फीड कोकिंग कोयला 1899 (20% से अधिक परन्तु 21% से कम राख)

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

3126. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री महबूब जहेदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि आबंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए और उनमें केन्द्र का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या राज्यों को प्रदान की जाने वाली उक्त धनराशि 100 प्रतिशत अनुदान है या योजना सहायता के लिए आमतौर पर अपनाए जाने वाले 70/30 (ऋण/अनुदान) सूत्र के अंतर्गत दी गई है; और

(घ) इस संबंध में प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई और उन्होंने कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मुख्य विशेषताएं और सहायता का स्वरूप अर्थात् केन्द्रीय और राज्यीय अंश, अनुदान तथा ऋण संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यों को धन का आबंटन/निर्मुक्ति राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, संबंधित राज्य में उस स्कीम की गुंजाइश, स्कीम के अंतर्गत पहले जारी किए गए धन में से राज्य के पास अव्ययित धनराशि और विभाग की समग्र संसाधन स्थिति के आधार पर की जाती है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय/प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को जारी किए गए धन और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि और सह० विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मुख्य विशेषताएं

1. **"कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" के लिए कृषि का वृहद् प्रबंधन।**

उद्देश्य वृहद प्रबंधन स्कीम राज्यों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजनाओं के माध्यम से कृषि में चहुमुखी विकास की ओर लक्षित होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- स्थानीय आवश्यकताओं/फसल/क्षेत्र/विशिष्टता/प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करना।
- राज्यों को छूट और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कम वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
- आय को अधिकतम बनाना।
- क्षेत्रीय असंतुलन हटाना।

मुख्य विशेषताएं 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को समेकित करके (सूची संलग्न) स्कीम आधारित दृष्टिकोण के बदले वृहत प्रबंध विधि अपनाने का फैसला किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कड़ाई से समान रूप से बनाए गये पिछले स्वरूप, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के पास इस्तेमाल न की हुई बड़ी बकाया धनराशियां बची रह जाती थी उसे हटा दिया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का वृहत प्रबंध दृष्टिकोण के अधीन समेकन सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की उत्पादकता बढ़ायेगा और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम विकसित करने और चलाने के लिये राज्य सरकारों को अपेक्षाकृत अधिक छूट देगा। इस प्रकार कृषि

विकास नियोजन में राज्यों की प्राथमिकता बहाल करने की दिशा में विकेन्द्रीकरण हासिल करने की ओर यह एक बड़ा कदम है। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न ऐसी कार्ययोजनाओं को अनुपूरित/संपूरित करेगी जिनमें फसल/क्षेत्र/लक्षित वर्ग के लिये विशिष्ट हस्तक्षेप सम्मिलित होंगे और जो मिलकर कार्यवाही करने की विधि से तैयार की गयी होंगी और राज्यों के साथ सहभागिता की भावना से कार्यान्वित होंगी।

सहायता का स्वरूप कार्ययोजना का परिव्यय केन्द्र और राज्यों द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जायेगा लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। कार्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता में 80% अनुदान और 20% ऋण का अनुपात रहेगा।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता।
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता।
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम।
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि।
5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम।
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
8. मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास।
11. उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग।
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन।
13. शुष्क, उष्णकटीबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास।
14. वनस्पति बीजों का उत्पादन व आपूर्ति।
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास।
16. औषधीय तथा सजावटी पौधों का विकास।
17. कन्द एवं मूल फसलों का विकास।
18. कोको तथा काजू का विकास।
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।
20. खुम्भी विकास।
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।
22. मधुमक्खी पालन।
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
24. सब्जी फसलों के आधारी व प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए स्कीम।
25. नदीघाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
26. क्षारीय मृदा का सुधार व विकास।
27. राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण।

2. कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन II के अधीन गहन कपास विकास कार्यक्रम

उद्देश्य निम्नलिखित के जरिये प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि करना (क) प्रौद्योगिकीय अंतरण (ख) अच्छे गुणस्तर के बीजों की पूर्ति (ग) समेकित कृमि प्रबंध कार्याकलापों में वृद्धि और (घ) किसानों को सही समय पर पर्याप्त आदान की पूर्ति करना।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में सम्मिलित घटक हैं : (क) आधारी, प्रजनक और प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रमाणित बीज के वितरण हेतु सहायता (ख) क्षेत्रीय और समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन (ग) किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण (घ) पौध रक्षण उपकरणों, जल रक्षक युक्तियां, जेव ऐजेन्टों तथा फीरामोन ट्रैप्स का वितरण/बायोऐजेन्टस की और अच्छे गुणस्तर के अलग किये गये बीज की पर्याप्त उपलब्धता के लिये बायोऐजेन्ट प्रयोग-शालाएं और बीच को अलग करने के प्लांट स्थापित करने के लिये भी सहायता दी जाती है।

सहायता का स्वरूप 75 : 25 केन्द्र : राज्य
अनुदान शत-प्रतिश : ऋण शून्य

3. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

उद्देश्य इस स्कीम का उद्देश्य आत्म निर्भरता हासिल करने के लिये देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में निम्नलिखित घटकों के लिए राज्यों को सहायता देना प्रतिपादित है।

i. **बीज संबंधी :–** आधारी बीज का उत्पादन और खरीद, आधारी तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन और प्रमाणित बीज तथा मिनिकिटों का वितरण, सोयाबीन एवं मूंगफली के टी०एल० बीज उत्पादन हेतु त्वरित कार्यक्रम।

ii. **प्रदर्शन :–** प्रमुख, प्रखंडीय और समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन।

iii. **सिंचाई की उन्नत विधियां :–** छिड़काव यंत्रों का वितरण।

iv. उन्नत कृषि उपकरणों और पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण जिनके बिजली से चलने वाले उपकरण शामिल हैं।

v. राइजोबियम कल्चर, पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषण तत्वों, बीज उपचार रसायन, खर-पतवार नाशियों, जिप्सम/पाइराइट का वितरण और रूट ग्रब नियंत्रण।

vi. बुनियादी ढांचे का विकास:– बीज भंडार, थ्रेशिंग स्थल और सरकारी फार्मों में सिंचाई।

vii. किसानों का प्रशिक्षण।

सहायता का स्वरूप यह स्कीम केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर कार्यन्वित की जा रही है। प्रमुख प्रदर्शनों, मिनिकिट वितरण और प्रजनक बीज उत्पादन के मामलें में केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है।

अनुदान शत प्रतिशत, ऋण शून्य।

4. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम।

उद्देश्य नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001-2002 (संशोधित) तक देश में मक्का का उत्पादन और उत्पादकता क्रमश: 10 मिलियन मी० टन से बढ़ाकर 11.44 मि० टन और 1.5 मी० टन प्रति है० से बढ़ाकर 1.80 मी० टन प्रति है० करना।

मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित घटकों के माध्यम से आधुनिक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है।

(क) वे घटक जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख प्रदर्शन।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- मक्का के प्रमाणित बीज का उत्पादन।
- बीज मिनिकिट प्रदर्शन।
- मक्का विकास पर सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं और
- मूल्यांकन और मानीटरिंग।

(ख) वे घटक जिनके लिए 75% सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा और 25% सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती।

- उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी और समेकित कृमि प्रबंध पर क्षेत्रीय प्रदर्शन।
- फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर किसानों का प्रशिक्षण।
- संकर/उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों के उपयोग पर प्रोत्साहन (योजना आयोग के चाहने पर इस 2001-02 से हटा दिया गया है।)
- उन्नत उपकरणों के उपयोग पर प्रोत्साहन।
- इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार और
- पी०ओ०एन० के लिए आकस्मिकताएं।

इस कार्यक्रम (त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम) का कार्यान्वयन 26 राज्यों के मक्का की संभावना वाले सभी जिलों में किया जा रहा है। वे राज्य है :– आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तसीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर के घटकों के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत और राज्य स्तरीय घटकों के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर।

अनुदान शत प्रतिशत, ऋण शून्य

5. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

उद्देश्य मुख्य विशेषताएं इस स्कीम का उद्देश्य देश में दलहनों के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इस स्कीम में निम्नलिखित घटकों के लिए राज्यों को सहायता दिया जाना निहित हैं :–

(i) **बीज से संबंधित :** प्रजनक बीज की खरीद, आधारी और प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीजों और मिनिकिटों का वितरण और दलहनों के बीज के उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम।

(ii) **प्रदर्शन :** अग्रणी, ब्लाक तथा आई०पी०एम० प्रदर्शन।

(iii) **सिंचाई की उन्नत पद्धति :** स्प्रिंकलरों का वितरण।

(iv) उन्नत फार्म उपकरणों और पौध रक्षण उपकरणों जिसमें ऊर्जाचालित उपकरण शामिल हैं, का वितरण।

(v) राइजोबियम कल्चरों, पोषकों तथा सूक्ष्म-पोषकों, जिप्सम/पाइराइट, न्यूक्लिअर पोलि-हैडरोसिस वाइरस (एन०पी०वी०) तथा बीज उपचार रसायन का वितरण।

(vi) किसानों का प्रशिक्षण।

सहायता का स्वरूप यह स्कीम केंद्रीय और राज्य हिस्सों के रूप में क्रमश: 75:25 के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, भारत सरकार मिनिकिट वितरण सहित इस स्कीम के लिए प्रावधान की गई, राशि में से समूचा व्यय वहन करती है।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

6. आयल पाम विकास कार्यक्रम

उद्देश्य घटक सहायता का स्वरूप देश में आयल पाम की खेती को बढ़ावा देना। आयल पाम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का संस्थापन।

केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25

अनुदान: 100%, ऋण-शून्य।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं खाद्य तेलों की स्वदेशी उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयल पाम की खेती का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि यह तेल की एक सर्वोच्च उपज देने वाली बारहमासी फसल है। इस स्कीम के घटक इस प्रकार हैं :– रोपण सामग्री के लिए सहायता, खेती की लागत, ड्रिप सिंचाई, प्रशिक्षण, विस्तार तथा प्रचार के लिए सहायता, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्टाफ की स्थापना और प्रावधान, बीज उद्यानों का विकास, अग्रणी प्रदर्शन, पत्ती पोषक विश्लेषण प्रयोगशालाएं, विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत आयल पाम जेनोटाइपों का परीक्षण, डीजल पम्पसैटों के लिए सहायता।

7. सहकारी रूप से अल्प/अल्पतम विकसित राज्यों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि कार्यक्रम

उद्देश्य अल्प/अल्पतम विकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना और सहकारी कृषि विपणन प्रसंस्करण, भण्डारण आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के विकास की गति में अपेक्षित तेजी लाना ताकि किसानों और समुदाय के कमजोर वर्गों की आय बढ़ाई जा सके।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में कृषि आदानों के वितरण, भण्डारण सहित कृषि प्रसंस्करण के विकास, खाद्यान्नों और रोपण/बागवानी फसलों के विपणन, कमजोर और जनजातीय वर्गों के विकास, डेयरी, कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी में सहकारिता की व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता की स्वीकृति देता है। राज्यों को सीधे धनराशि की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

8. सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी

उद्देश्य इस स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों के संसाधनों का सम्पूरण करना है ताकि वे सहकारी चीनी मिलों की शेयर पूंजी में अंशदान करने में सक्षम हो सकें जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम के अंतर्गत, नई सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी में भागीदारी के लिए निवेश ऋण सहायता आधुनिकीकरण विस्तार और विविधकरण परियोजनाओं के लिए विद्यमान सहकारी चीनी मिलों को आवधिक ऋण सहायता दी जाती है।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता की स्वीकृति देता है। राज्यों को सीधे धनराशि की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

9. उत्पादक सहकारी कताई मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी

उद्देश्य मूल्य वर्धन के माध्यम से कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी प्रतिलाभ दिलाने में सहायता करना।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में नई मिलों के शेयर पूंजी ऋण के लिए सहायता के साथ-साथ उत्पादक सहकारी कताई मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवधिक ऋण सहायता की व्यवस्था।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता की स्वीकृति देता है। राज्यों को सीधे धनराशि की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

10. **समय पर सूचना देने की स्कीम**

उद्देश्य प्रत्येक मौसम में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का विश्वसनीय और समय पर अनुमान प्राप्त करना जिसमें सिंचित/असिंचित, पारम्परिक और फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का ब्यौरा शामिल है और भू उपयोगिता सांख्यिकी भी शामिल है जिसका उपयोग प्रत्येक वर्ष 20% चुनिन्दा गांवों में प्राथमिकता गिरदावरी का आयोजन करके फसल अनुमान सर्वेक्षण के डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। यह स्कीम उन राज्यों में कार्यान्वित की जाती है जिनका भूकर पूंजी रूप से सर्वेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, समय पर रिपोर्ट देने की स्कीम में फसल कटाई प्रयोगों के लिए नमूना ढांचें की व्यवस्था है।

मुख्य विशेषताएं विभिन्न राज्यों में, भूमि रिकार्ड मैन्युअलों में फसल गणना की अवधि के बारे में निर्देश और ग्राम और उत्तरोत्तर उच्चतर स्तरों पर फसल क्षेत्र के संकलन की प्रक्रिया अन्तर्विष्ट है। समय अनुसूची भी तैयार की जाती है। यह प्रत्याशा होती है कि विभिन्न फसलों के लिए अंतिम पूर्वसूचना के देय होने के समय तक फसल संबंधी सार उपलब्ध हो जाएंगे। अनुभव से पता चला है कि ऐसा नहीं होता और विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र के विश्वसनीय और सही आंकड़ों की उपलब्धता में काफी विलंब हो जाता है। इससे नियोजन और नीति संचालन में काफी बाधा आती है। समय पर सूचना देने की स्कीम में यादृच्छिक रूप चुने गए गांवों (20%) की पर्याप्त संख्या की अग्रिम गणना के माध्यम से क्षेत्र सांख्यिकीय के समेकन की व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर हिस्सेदारी।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

11. **कृषि सांख्यिकी की रिपोर्ट देने के लिए एक एजेंसी की स्थापना**

उद्देश्य विशेष स्टाफ के माध्यम से प्रत्येक मौसम में 20% चुनिन्दा गांवों में सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अनुमान तैयार करना। नमूना गांव में फसल क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट सभी फील्ड/सर्वेक्षण सांख्याओं की पूर्ण गणना के आधार पर दी जानी होती है। सर्वेक्षण विशेष रूप से अपेक्षित हैं क्योंकि इन राज्यों में कोई भी एजेंसी भूमि उपयोग सांख्यिकी के अद्यतन करने के काम में नहीं लगी है।

मुख्य विशेषताएं गैर-भूमि रिकार्ड वाले राज्यों में राज्य एजेंसियों भूमि उपयोगिता संबंधी रिकार्ड को अद्यतन नहीं करतीं और इसीलिए आंकड़ों में अन्तर रह जाता है। इस स्कीम में आधारित भूमि उपयोग सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष गांवों के 20% नमूनों को कवर करने के लिए एक पूर्णकालिक एजेंसी की स्थापना की व्यवस्था है। नमूना गांव में फसल क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट संपूर्ण गणना के आधार पर दी जाती है। इस स्कीम में पर्यवेक्षण की अन्तर्निहित व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

12. **फसल सांख्यिकी का सुधार**

उद्देश्य इस स्कीम का उद्देश्य 10000 गांवों में निम्नलिखित का मौके पर पर्यवेक्षण करके फसल सांख्यिकी में सुधार करना है :–

(i) क्षेत्र गणना,

(ii) क्षेत्र संचयन, और

(iii) फसल कटाई प्रयोग।

पर्यवेक्षण केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से किया जाता है (5000 गांव केन्द्रीय एजेंसी एन०एस०एस०ओ० द्वारा और 5000 गांव राज्य तंत्र द्वारा)

मुख्य विशेषताएं भारत में फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुमान भू अभिलेख रखने वाले राज्यों में ग्राम राजस्व एजेंसियों द्वारा फील्ड से फील्ड की जांच के आधार पर पूर्ण गणना की पद्धति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिन राज्यों में भू उपयोग अभिलेख नहीं रखे जाते वहां नमूना सर्वेक्षण के आधार पर ये अनुमान लगाए जाते हैं। प्रमुख फसलों के उपज के अनुमान यादृच्छिक नमूना, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षणों के अंतर्गत आयोजित फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित हैं। संपूर्ण कार्य एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में बड़े पैमाने पर आंकड़ों के सृजन की है अत: क्वालिटी और समयवद्धता कई कारकों की वजह से प्रभावित हो सकती है। इस स्कीम की जरूरत कृषि सांख्यिकी के संग्रहण की राज्य की प्रणाली में कमी, यदि कोई हो, का केन्द्र और राज्य प्राधिकरणों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से पता लगाना है और इस प्रणाली में दूरगामी सुधार लाने के उपाय सुझाना है। संयुक्त प्रयास (i) क्षेत्र गणना

(ii) खसरा रजिस्टरों के पेजों के योग लगाने (iii) और फसल कटाई प्रयोगों के बारे में नमूना जांच करने के रूप में होते हैं।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

13. कृषि संगणना

उद्देश्य देश में पंचवार्षिक कृषि संगणनाए और आदान सर्वेक्षण आयोजित करना। संगणना देश में कृषि की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएं संगणनाओं का आयोजन राज्य सरकारों के तंत्र का उपयोग करके किया जाता है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों को आंकड़ों के एकत्रीकरण के फील्ड वर्क के लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है। संगणना संबंधी कार्यों के समन्वयन के लिए राज्य मुख्यालयों पर प्रदान किए गए न्यूक्लिअस स्टाफ के वेतन इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। आंकड़ों के प्रसंस्करण की लागत भी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

विवरण-II

राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्दीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त/व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आवंटन/निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन/निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन/निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6334.92	6327.03	6175.51	5312.24	3914.84	5260.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	473.63	355.46	475.05	243.63	761.31	794.35
3.	असम	540.19	189.04	386.91	456.97	1099.27	192.67
4.	बिहार	352.53	333.02	240.70	179.27	419.59	17.61
5.	गोवा	233.92	179.23	202.06	60.46	49.12	156.13
6.	गुजरात	4533.67	3433.78	4789.31	4575.21	4713.47	3692.61
7.	हरियाणा	1634.97	1520.70	1648.80	1611.23	1833.74	2023.10
8.	हिमाचल प्रदेश	1322.19	1264.02	1116.09	1326.06	1338.17	1269.07
9.	जम्मू व कश्मीर	1054.35	939.18	1060.35	1018.90	917.87	434.45
10.	झारखंड	8476.45	8915.82	8159.30	6514.77	7180.52	5705.63
11.	केरल	4071.73	2027.87	2571.59	2058.06	3724.72	538.71
12.	मध्य प्रदेश	7692.98	6436.23	7696.70	8900.25	5506.69	6440.38
13.	महाराष्ट्र	12378.62	9883.62	8324.33	8841.11	10633.31	8352.73
14.	मणिपुर	571.95	613.26	984.03	686.41	935.68	716.32
15.	मेघालय	431.65	421.26	598.02	56.22	724.74	293.75
16.	मिजोरम	961.45	796.16	894.94	740.23	1088.99	1010.77

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	1142.08	1102.11	1223.07	990.76	1489.72	1416.60
18.	उड़ीसा	3622.31	3546.21	4594.78	2562.70	1680.81	2664.25
19.	पंजाब	1295.49	1014.93	1206.84	329.45	849.49	437.53
20.	राजस्थान	9268.88	8583.88	8470.36	7346.15	8133.23	8037.73
21.	सिक्किम	475.81	492.26	541.89	330.36	825.29	755.17
22.	तमिलनाडु	5740.11	5737.76	5513.83	4430.36	5665.59	4323.58
23.	त्रिपुरा	570.09	565.84	951.07	779.39	817.25	1002.11
24.	उत्तर प्रदेश	8322.90	8594.61	7603.00	10122.21	7068.83	7436.80
25.	पश्चिम बंगाल	1285.97	959.21	1534.60	1255.56	1537.09	2094.72
26.	उत्तरांचल					882.00	440.08
27.	छत्तीसगढ़					963.00	सूचित नहीं
	योग	82788.84	74232.49	76963.13	70727.96	74754.33	65507.42

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

3127. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा से गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को शीघ्रता से स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के लिए निर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत उड़ीसा को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	परियोजना की संख्या	स्वीकृति राशि
1998-99	6	178.60
1999-2000	20	306.90
2000-2001	4	156.94

(ग) किसी वर्ष विशेष के दौरान जिन परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं मिल पाती हैं उन परियोजनाओं पर अगले वर्ष पुन: विचार किया जाता है, बशर्ते कि उन्हें पुन: प्राथमिकता प्रदान की गयी हो।

[हिन्दी]

वन्य भूमि पर अनधिकृत कब्जे को नियमित करना

3128. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री भैरूलाल मीणा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 से पूर्व सरकारी वन्य भूमि पर आदिवासियों के कब्जे को नियमित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक समिति का गठन कर 4663 कब्जों को नियमित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) राजस्थान में ऐसे कब्जों की संख्या कितनी है और उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार 1980 से पूर्व वन्य भूमि पर आदिवासियों के कब्जे को नियमित करने हेतु विचार कर रही है; और

(ङ) ऐसे कब्जे को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) केन्द्र सरकार वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों के उन्हीं मामलों पर ही विचार करती है जिनके संबंध में राज्य सरकारों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने अर्थात 25.10.1980 से पूर्व अनधिकृत कब्जों को नियमित करने का आश्वासन दिया था। अवैध कब्जों का नियमन ऐसे आश्वासनों के समय निर्धारित की गई पात्रता और मानदण्ड के आधार पर ही किया जाता है।

(ख) केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कब्जों के मामलों को नियमित करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि पर अनधिकृत कब्जे को नियमित करने के लिए राजस्थान सरकार से अब तक प्राप्त प्रस्तावों की सूची और इन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	क्षेत्र (हैक्टेयर)	स्थिति
1	2	3	4
1.	प्रतापगढ़	594.2	राज्य सरकार से अनिवार्य सूचना मांगी गई है तथा तब तक प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।
2.	चित्तौड़गढ़	16.8	-वही-
3.	डूंगरपुर	340.0218	-वही-
4.	उदयपुर (उत्तरी वन प्रभाग)	91.5159	-वही-
5.	उदयपुर (दक्षिण वन प्रभाग)	922.76	-वही-
6.	उदयपुर (वन्यजीव वन प्रभाग)	223.4972	-वही-
7.	बांसवाड़ा	841.2260	-वही-
8.	राजसमंद	0.6173	-वही-
9.	पाली	7.35	राज्य सरकार से अनिवार्य सूचना मांगी गई है तथा तब तक प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।
10.	बरान	133.44	-वही-

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को धनराशि देना

3129. डा० राम चन्द्र डोम : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित (एक) बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (दो) उपकरणों का आधुनिकीकरण और रख-रखाव (तीन) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम शुरू करना (चार) नए महिला स्कंध की स्थापना (पांच) प्रबन्धन सूचना प्रणाली आदि योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य को धनराशि आबंटन हेतु क्या मानदण्ड है और इसमें केन्द्र का कितना हिस्सा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, जारी की गई धनराशि और राज्यों द्वारा उसके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का राज्य-वार/स्कीम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

I. बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम मई, 1978 से चलाई जा रही है। स्कीम के अंतर्गत मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को 20,000/- रु० तक पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। खर्च का वहन केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मई, 2000 से प्रभावी केन्द्र द्वारा प्रायोजित संशोधित स्कीम के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने के लिए प्रत्येक जिले को 2 लाख रुपये के हिसाब से 100% आर्थिक सहायता, मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रत्येक राज्य को 5 लाख रुपये वार्षिक

और बंधित श्रम पद्धति के उन्मूलन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रदान किए जाते हैं। सर्वेक्षण, मूल्याकंन, अध्ययन और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है और इन घटकों पर व्यय में राज्य का कोई हिस्सा नहीं है।

राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

II. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों का आधुनिकीकरण और रख-रखाव, व्यवसायों को शुरू किया जाना और नवीन महिला स्कंध प्रबंध सूचना प्रणाली गठित करना :–

1. **उपकरण आधुनिकीकरण योजना :** स्कीम का उद्देश्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को चुनिन्दा 378 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुराने और खराब उपकरणों को बदलने और उनकी कमियों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि कर्मकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित उपकरण उपलब्ध हो सकें। इस स्कीम के अंतर्गत खर्च का वहन केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर किया जाता है।

2. **उपकरण रख-रखाव प्रणाली की स्थापना :** पूरे देश में फैले सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की बड़ी संख्या और मशीनरी के अपर्याप्त रख-रखाव व्यवस्था/स्थिति को देखते हुए, पूरे देश में 19 उपकरण अनुरक्षण कार्यशालाएं और 100 मशीनरी अनुरक्षण सैल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जायेगा।

3. **विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाना :** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जरूरत पर आधारित नये व्यवसायों को शुरू करके विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का पर्याप्त रूप से विस्तार करना है ताकि ये संस्थान मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से कुशल दस्तकारों को तैयार कर सकें जो वर्तमान और भावी उद्योग की विशिष्ट मांगों को पूरा करने में समर्थ हो। इस स्कीम पर व्यय को केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

4. **महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/स्कंधों की स्थापना :** स्कीम का उद्देश्य महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से विस्तार करना है ताकि उद्योग, सेवा क्षेत्र और स्व-रोजगार के लिए बढ़ती कुशल जनशक्ति जरूरतों को पूरा किया जा सके। स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100 औ०प्र० संस्थानों/स्कंधों की स्थापना की गई है। स्कीम का खर्च केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

5. **प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना :** स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना, कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर की खरीद और राज्य निदेशालयों में एम०आई०एस० यूनिटें स्थापित करके राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली की योजना, प्रबंधन और पर्यवेक्षण में सुधार करना है। स्कीम के अंतर्गत एन०आई०सी० द्वारा विकसित साफ्टवेयर के अनुप्रयोग में प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है।

परियोजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधि का राज्यों द्वारा पूरा उपयोग किया गया है और इस अवधि के दौरान राज्यों को कोई पेशगी निधि जारी नहीं की गई है।

विवरण–II

श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई निधि का विवरण

I. बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

वर्ष	राज्य	जारी की गई सहायता (रु० लाखों में)
1998-99	बिहार	4.90
	उड़ीसा	1.75
	तमिलनाडु	278.90
	उत्तर प्रदेश	12.45
1999-2000	अरूणाचल प्रदेश	70.84
	राजस्थान	4.00
	तमिलनाडु	303.82
	उत्तर प्रदेश	3.95
2000-2001	अरूणाचल प्रदेश	497.64
	तमिलनाडु	371.60
	राजस्थान	25.40
	हरियाणा	16.00
	पंजाब	10.00

II. व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष	उपकरण आधुनिकीकरण	उपकरण रखरखाव	औ०प्र०सं० में व्यवसायों का शुरू किया जाना	नये महिला ओ० प्र० संस्थान/विंग का गठन	प्रबंधन सूचना प्रणाली
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1998-99	60.18	10.75	5.27	32.93	—
		1999-2000	4.32	—	—	—	6.28
		2000-2001	0.25	—	—	—	0.02
2.	असम	1998-99	43.51	5.77	3.85	6.83	0.45
		1999-2000	1.50	—	1.18	0.29	2.81
		2000-2001	0.25	—	—	—	0.24
3.	बिहार	1998-99	43.53	—	—	—	—
		1999-2000	2.65	—	—	—	2.89
		2000-2001	0.31	—	—	—	0.24
4.	गुजरात	1998-99	123.45	28.17	21.48	27.05	1.20
		1999-2000	15.65	—	2.98	1.88	3.14
		2000-2001	0.38	—	1.92	1.35	—
5.	हरियाणा	1998-99	33.49	13.21	5.94	8.62	0.45
		1999-2000	3.86	—	—	—	3.24
		2000-2001	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1998-99	50.01	2.06	2.66	0.08	—
		1999-2000	2.85	—	—	—	3.27
		2000-2001	—	—	0.28	—	0.14
7.	जम्मू और	1998-99	14.23	7.21	7.15	—	0.44
	कश्मीर	1999-2000	1.42	—	—	—	3.17
		2000-2001	0.24	—	—	—	0.02
8.	कर्नाटक	1998-99	105.87	11.01	15.41	33.47	1.15
		1999-2000	3.40	—	5.50	9.93	3.20
		2000-2001	0.80	—	2.83	4.82	0.02
9.	केरल	1998-99	137.50	14.41	9.22	25.99	1.20
		1999-2000	5.79	—	0.03	1.45	2.99
		2000-2001	0.50	—	—	—	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	1998-99	30.28	6.63	15.31	53.43	0.45
		1999-2000	3.23	—	1.25	0.90	3.13
		2000-2001	0.25	—	0.67	0.45	—
11.	महाराष्ट्र	1998-99	414.40	27.30	19.35	37.78	1.20
		1999-2000	40.70	—	4.55	7.17	3.09
		2000-2001	22.37	—	2.32	3.34	0.02
12.	उड़ीसा	1998-99	39.49	4.57	3.11	9.48	0.60
		1999-2000	3.02	—	—	—	3.17
		2000-2001	—	—	—	—	—
13.	पंजाब	1998-99	212.24	28.66	42.63	28.68	0.45
		1999-2000	4.02	—	—	—	3.45
		2000-2001	0.13	—	—	—	—
14.	राजस्थान	1998-99	114.78	13.03	11.04	18.57	0.45
		1999-2000	4.60	—	2.58	1.33	3.14
		2000-2001	0.25	—	1.45	0.65	—
15.	तमिलनाडु	1998-99	54.72	26.65	24.03	35.95	1.20
		1999-2000	5.27	0.92	0.98	1.40	3.19
		2000-2001	0.36	—	2.23	0.76	0.02
16.	उत्तर प्रदेश	1998-99	107.36	9.30	29.05	33.46	1.20
		1999-2000	10.41	—	—	—	3.12
		2000-2001	0.58	—	—	—	—
17.	दिल्ली	1998-99	33.59	4.75	4.88	—	0.45
		1999-2000	3.36	—	—	—	3.07
		2000-2001	—	—	—	—	—
18.	गोवा	1998-99	1.18	4.90	1.71	—	—
		1999-2000	0.25	—	—	—	—
		2000-2001	—	—	—	—	—
19.	मणिपुर	1998-99	4.40	—	1.35	—	—
		1999-2000	0.38	—	—	—	—
		2000-2001	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मिजोरम	1998-99	3.10	—	—	—	—
		1999-2000	—	—	—	—	—
		2000-2001	—	—	—	—	—
21.	त्रिपुरा	1998-99	6.22	—	0.54	—	—
		1999-2000	—	—	—	—	—
		2000-2001	—	—	—	—	—
22.	पांडिचेरी	1998-99	3.35	—	—	—	—
		1999-2000	—	—	—	—	—
		2000-2001	—	—	—	—	—
23.	चंडीगढ़	1998-99	8.50	—	—	—	—
		1999-2000	—	—	—	—	—
		2000-2001	—	—	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	1998-99	213.99	—	9.07	15.08	0.44
		1999-2000	4.65	—	—	—	3.27
		2000-2001	—	—	—	—	0.14

एन०सी०पी०सी० में किसानों का प्रतिनिधित्व

3130. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को फसलों और उनकी लागत की बेहतर समझ होने व कृषि लागत और मूल्य आयोग का लाभार्थी होने के कारण उन्हें इस आयोग में प्रतिनिधत्व देने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी०ए०सी०पी०) एक सात सदस्यीय दल है जिनमें से तीन गैर सरकारी सदस्य होते है – सामान्यतया प्रसिद्ध किसान होते हैं जिन्हें कृषि उत्पादन और उपभोक्ता कठिनाइयों की अच्छी जानकारी होती है।

एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली

3131. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है और इस उद्देश्य से नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल वातावरण तैयार करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास, बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंकेज, कर-ढांचे का युक्तिकरण, खाद्य नियमों का सुसंगतीकरण आदि शामिल हैं जो खाद्य श्रृखंला के एकीकरण को सुकर बना और दक्षता में वृद्धि ला सकते हैं।

राजसहायता का वापस लिया जाना

3132. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों को स्वीकृत राजसहायता को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकल खिड़की प्रणाली

3133. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु एकल खिड़की प्रणाली पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रणाली कब तक कार्य करना शुरू कर देगी ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार को खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली बनाने हेतु समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम०एम०डी०आर०) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रदान की जाती हैं। निवेशकों को प्रदत्त खनिज रियायतों पर कार्य आरम्भ करने के लिए अन्य अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं जैसे महानिदेशक नागरिक विमानन से हवाई सर्वेक्षण की अनुमति, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न विधानों के अधीन अनुमतियां प्राप्त करना आदि। चूंकि अनुमतियां विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दी जाती हैं इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों/विभिन्न विभागों पर जोर दिया है कि वे समन्वय से कार्य करें ताकि निवेशकों को सुविधा हो सके। खान विभाग ने खनिज सलाहकार परिषद् की दिनांक 30.8.2000 को हुई बैठक, खनन और भू-विज्ञान राज्य मंत्रियों के दिनांक 14.7.2001 को सम्पन्न सम्मेलन और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निवेशकों की दिनांक 12.11.2001 को आयोजित त्रि-पक्षीय बैठक की मार्फत राज्य सरकारों और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को समन्वय से कार्य करने की आवश्यकता से संवेदनशील बनाया गया है।

[अनुवाद]

कोयला और लिग्नाइट के अतिरिक्त भंडार

3134. श्री अनन्त नायक : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां कोयला और लिग्नाइट के अतिरिक्त भंडार मिले हैं; और

(ख) उक्त भंडारों का उचित रूप से दोहन करने हेतु क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश राज्यों में 1-1-2000 से 1-1-2001 तक की अवधि के दौरान कोयले के भूगर्भीय भण्डारों की राष्ट्रीय इनवेन्ट्री में कुल 7.60 बिलियन टन निर्दिष्ट तथा अनुमानित श्रेणियों में अतिरिक्त कोयला भण्डार जोड़े गए हैं। इन राज्यों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा कोयले और लिग्नाइट के अन्वेषण से संबंधित सब-ग्रुप-II द्वारा 10वीं योजना तैयार करने के लिए यथा आकलित अतिरिक्त भण्डार निम्नानुसार है :–

राज्य	कोलफील्ड्स	निर्दिष्ट तथा अनुमानित श्रेणियों में जोड़े गए भूगर्भिक भण्डार (बिलियन टन)
उड़ीसा	आईबी घाटी	0.17
	तालचेर	0.95
	कुल	1.12
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	सोहागपुर	0.40
	सिंगरौली	1.44
	सोनहाट	0.06
	लखनपुर	0.11
	माण्ड रायगढ़	3.96
	टाटापानी रामकोला	0.51
	कुल	6.48
	उड़ीसा, मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ के लिए कुल	7.60

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में लिग्नाईट की मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) संभावना वाले खण्डों में कोयला भण्डारों के अन्वेषण का कार्यक्रम, निर्दिष्ट तथा अनुमानित श्रेणियों के भण्डारों के व्यापक अन्वेषण द्वारा, जिसके बाद भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और व्यवहार्य खान परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रमाणित श्रेणी में परिवर्तन के बाद ही तैयार किया जाता है। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश राज्यों में, जिन क्षेत्रों में 1.1.2000 से 1.1.2001 की अवधि के दौरान अतिरिक्त कोयला भण्डार पाए गए हैं। उनके संबंध में विस्तृत अन्वेषण का कार्यक्रम अभी बनाया जाना है।

खानों और खुली खान के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3135. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से खानों और खुली खान के बड़ी संख्या में कामगारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में ऐसे लाभानुभागी कामगारों का सर्वेक्षण करने और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस योजना के तहत कितने अतिरिक्त कामगारों को लाए जाने और इस प्रयोजनार्थ कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित पूरे देश में संबंधित कल्याण निधि अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों, लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों तथा अभ्रक खानों में नियोजित पात्र खान कामगारों के लाभ के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और मनोरंजन कार्यकलापों के क्षेत्र में कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करती रही है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को विमान सेवाएं प्रदान करना

3136. श्रीमती शीला गौतम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक वर्ष-वार विमान सेवाओं के विकास और विस्तार हेतु प्रस्तावित और मंजूर योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) मंजूर की गई योजनाओं के समय पर पूरा न होने के क्या कारण हैं और इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) एयरलाइंस अपनी वाणिज्यिक/प्रचालनात्मक व्यावहारिकता के आधार पर तथा सरकार द्वारा जारी किए गए रूट डिस्पर्सल संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर अपनी वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न एयरलाइनों द्वारा उत्तर प्रदेश से/तक निम्नलिखित नई सेवाएं प्रारंभ की गई :–

- वर्ष 1995 में इंडियन एयरलाइंस ने दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी, दिल्ली-लखनऊ-पटना-कोलकाता, दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली, दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर-दिल्ली, मुम्बई-वाराणसी-लखनऊ-मुम्बई और वाराणसी- काठमांडू-वाराणसी सेक्टरों से सेवाएं प्रचालित कर रही थी। दिल्ली-लखनऊ-पटना-रांची-कोलकाता सेक्टर पर भी सेवाएं प्रचालित की गई थी।
- वर्ष 1996 में इंडियन एयरलाइंस ने दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली मार्ग पर अपनी सेवाएं आरंभ की थीं।
- वर्ष 1997 में इंडियन एयरलाइंस ने दिल्ली-खुजराहो-वाराणसी-दिल्ली तथा वाराणसी-खजुराहो-आगरा सेक्टर में सेवाएं प्रचालित की थी। इसी वर्ष में सहारा एयरलाइंस ने पटना-लखनऊ सेक्टर में और जेट एयरवेज ने दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली सेक्टर पर प्रचालन कार्य शुरू किया था।
- वर्ष 1998 में इंडियन एयरलाइंस ने मुम्बई-वाराणसी मार्ग पर सेवा आरंभ की। इसी वर्ष में जेट एयरवेज ने दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली, वाराणसी-खुजराहो-वाराणसी और मुम्बई-लखनऊ-मुम्बई मार्गों पर तीन नई सेवाएं आरंभ की हैं।
- वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस ने मुम्बई-लखनऊ तथा लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर दो नई सेवाएं शुरू की हैं और सहारा एयरलाइंस ने लखनऊ-पटना तथा वाराणसी-कोलकाता-वाराणसी मार्गों पर नई सेवाएं आरंभ की थी।
- वर्ष 2000 में इंडियन एयरलाइंस ने गोवा तथा आगरा के बीच अपनी सेवा आरंभ की है।

(ख) और (ग) आगरा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन और एप्रन का विस्तार तथा लिंक टैक्सी पथ का निर्माण से संबंधित 1995 के दौरान मंजूर कार्य 14.02 करोड़ रुपए की लागत से अगस्त, 1998 में पूरा हुआ। लखनऊ हवाई अड्डे पर टैक्सी पथ का समतलन (रिसरफेसिंग) और एप्रन का विस्तार तथा पार्थक्य खण्ड (आइसोलेशन बे) का निर्माण से संबंधित 1996-97 के दौरान मंजूर कार्य 11.81 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने की स्थिति में है। लखनऊ हवाई अड्डे पर 32 करोड़ रुपए की लागत पर 2000-2001 के दौरान शुरू किए भूमि अधिग्रहण तथा उससे जुडे कार्य सहित धावनपथ का विस्तार कार्य प्रगति में हैं और मार्च, 2003 तक पूरा होने की संभावना है। लखनऊ हवाई अड्डे पर 5 करोड़ रुपए की लागत से 2000-2001 के दौरान तकनीकी ब्लॉक व कंटोल टावर के निर्माण करने का प्रस्ताव है। 2.72 करोड रुपए की लागत पर वाराणसी हवाई अड्डे पर 1999-2001 में शुरू किया गया टर्निंग पैड का विशेष मरम्मत से संबंधित कार्य जून, 2001 में पूरा हो गया। वाराणसी हवाई अड्डे पर 45 करोड़ रुपए की लागत पर 2000-2001 के दौरान टर्मिनल भवन का प्रस्तावित विस्तार और उसमें सुधार के लिए निविदा निकाल दी गई है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश की जलापूर्ति परियोजनाएं

3137. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश की कितनी जलापूर्ति परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई और पेय जल आपूर्ति हेतु बारह मुख्य जल संसाधन परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुए हैं जिसमें से आठ परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कुछ प्रेक्षणों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने स्वीकृत किए हैं और अन्य चार परियोजनाओं पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा, केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्काल अनुपालन करने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

3138. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड किन कार्यकलापों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि प्रदान करता है; और

(ख) प्रत्येक राज्य को विशेषकर महाराष्ट्र और झारखंड को 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन०एच०बी०) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यकलापों के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को राशि उपलब्ध कराता है :–

(1) उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों और भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम।

(3) बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में पौषणिक बाग लगाना।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान एन०एच०बी० द्वारा गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन०एच० बी०) द्वारा गैर सरकारी संगठनों को राज्यवार निर्मुक्त की गई राशि

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशि
आंध प्रदेश	19.600
असम	03.575
बिहार	06.700
दिल्ली	08.500
गुजरात	00.300
हरियाणा	00.375
हिमाचल प्रदेश	01.000
जम्मू व कश्मीर	05.000
झारखंड	00.000
केरल	01.000
कर्नाटक	02.000
लक्षद्वीप	02.500
महाराष्ट्र	11.100
नागालैंड	00.200
उड़ीसा	00.375
पंजाब	05.200
उत्तर प्रदेश	13.125
पश्चिम बंगाल	01.060
योग	81.610

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को घाटा

3139. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को वर्ष 1994 के दौरान बिना बैंक गारंटी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऋण जारी करने और राजसहायता देने के कारण 90.60 लाख रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या केन्द्रीय भंडार में आपूर्तिकर्ताओं के साथ अधिकारियों के षडयंत्र से खरीदफरोख्त में धांधलियां की जा रही हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार में खरीदफरोख्त की जांच का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि एक मामले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 1994 और 1995 के दौरान बिना बैंक गारंटी के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऋण के रूप में 54.29 लाख रु० तथा सब्सीडी के रूप में 5.00 लाख रु० की राशि निर्मुक्त की है। 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं० 2000 का 4 (सिविल) के पैरा 2.2 में यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को इसकी वजह से अप्रैल, 1999 तक 90.60 लाख रु० की हानि हुई है। एक विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारियों की प्रशासनिक कमियों का पता लगाया जा सके। रा०बा०बो० ने भी अलग से इस मामले में न्यायालय में दो मुकदमे दायर किए हैं। इसमें एक दंडात्मक ब्याज सहित रा०बा०बो० के ऋण/सब्सीडी की वसूली के लिए सिविल मुकदमा है जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय, गुड़गांव में दायर किया गया है तथा दूसरा एक आपराधिक मामला है जिसमें पुलिस द्वारा जांच के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान फाइल किया गया है। अब, आपराधिक मामला पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष है।

(च) केंद्रीय भंडार द्वारा की गई खरीद और बिक्री में धोखाधड़ी का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

पशुवध/पशु को लाने-ले-जाने संबंधी नियमों का कार्यान्वयन

3140. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं/पक्षियों की हत्या और उन्हें लाने ले जाने हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन नियमों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अभियान में रूचि लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पशु/पक्षियों के वध और आवाजाही के संबंध में पशुओं पर अत्याचार को रोकने संबंधी अधिनियम, 1960 (1060 का 59) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया गया है :

1. पशुओं पर अत्याचार को रोकने संबंधी नियम, (वधशालाएं), 2001

   — 26.3.2001 को प्रकाशित हुआ।

2. पशुओं की आवाजाही संबंधी नियम, 1978

   — 23.3.1978 को प्रकाशित और 26.3.2001 को संशोधित।

3. पशुओं पर अत्याचार को रोकने संबंधी नियम (पैदल चलकर जाने वाले पशुओं की आवाजाही) 2001

   — 26.3.2001 को प्रकाशित हुआ।

(ख) ऊपरलिखित नियमों के क्रियात्मक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अधिकार राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के पास है।

(ग) और (घ) पशु कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय उन गैर सरकारी संगठनों की सहायता के लिए कोई योजना स्वीकृत नहीं है जो इस संबंध में अभियान चलाने के इच्छुक है।

कोल इंडिया लि० द्वारा संयुक्त उद्यम

3141. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की विदेशी एजेंसियों के साथ नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए किन खानों की पहचान की गई है;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) कोल इंडिया लि० की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है; और

(च) प्रस्तावित उद्यम द्वारा इसका कितना विस्तार किए जाने की संभावना है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड नई परियोजनाओं के विकास के लिए संयुक्त उद्यम मार्ग सहित अलग-अलग मार्गों का पता लगा रही है। तथापि, ऐसे संयुक्त उद्यम में विदेशी एजेन्सियों की भागीदारी की पुष्टि केवल बोलियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही की जा सकती है।

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी०सी०एल०), के कमान क्षेत्र में अभी तक दो नई ओपन कास्ट परियोजनाओं नामत: मगध तथा आम्रपाली को, कोयले के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम हेतु चिन्हित किया गया है।

(घ) मगध तथा आम्रपाली परियोजनाओं के विकास के लिए उचित मार्ग सुझाने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। उन्होंने अर्हता अनुरोध निविदा दस्तावेज विकसित किया है। परामर्शदाता ने विभिन्न खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है। परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विकल्पों की सी०आई०एल० में एक कोर ग्रुप भी जांच कर रहा है।

(ङ) केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार आकलित कोयले की कुल वार्षिक क्षमता 312.32 मिलियन टन है।

(च) मगध तथा आम्रपाली ओपनकास्ट परियोजनाओं की, प्रत्येक की, वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता 12.0 मिलियन टन तक है।

राष्ट्रीय पशु आयोग

3142. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पशु आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अब तक कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय गोपशु आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है जिसके विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय गोपशु आयोग के विचाराणीय विषय

(क) देश के समूचे कानूनों (केन्द्र तथा राज्यों के) की समीक्षा करना जो गाय तथा इसकी संतति के संरक्षण, परिरक्षण, विकास तथा कल्याण के लिए संगत हैं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाना;

(ख) गौशालाओं, गोसदनों, पिंजरापोल्स तथा गोपशु के संरक्षण तथा विकास के लिए कार्यरत संगठनों के रख रखाव के मौजूदा प्रावधानों का अध्ययन करना तथा उन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के उपाय सुझाना;

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था में गोपशु के योगदान का अध्ययन करना तथा कृषि, ऊर्जा, पोषण तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोपशु उत्पादों तथा भारवाही पशु शक्ति के अधिकतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने के उपाय सुझाना और इस संबंध में केन्द्र सरकार को एक व्यापक योजना प्रस्तुत करना।

(घ) गोपशु संख्या को समर्थन देने के लिए आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार लाने के तौर-तरीकों की समीक्षा करना तथा उपाय सुझाना।

[हिन्दी]

धान की रोपण पद्धति

3143. **श्री चरणदास महंत :**
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री रामेश्वर डूडी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की फसलों में अत्यधिक सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार का विचार ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को, चीन द्वारा इस संबंध में प्राप्त सफलता के अनुरूप और अधिक प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए आरक्षित पद

3144. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के तहत वर्षवार/पद-वार/श्रेणी-वार सभी विभागों में कितने पद नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे;

(ख) 31 अक्तूबर 2001 की स्थिति के अनुसार वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार ऐसे कितने पद रिक्त थे;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार ऐसे पदों पर कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	पद का नाम	श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या
1999	आशुलिपिक ग्रेड-III	कमजोर दृष्टि	1
	अवर श्रेणी लिपिक	हाथ-पांव से विकलांग	1
	अवर श्रेणी लिपिक	बधिर	1
	डी०ई०ओ०-III	बधिर	1
	डी०ई०ओ०-III	कमजोर दृष्टि	1
	चपरासी	हाथ-पांव से विकलांग	2
2000	अवर श्रेणी लिपिक	बधिर	1
	चपरासी	कमजोर दृष्टि	1
2001	–	–	–

(ख) 31.10.2001 तक रिक्त पड़े पदों का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	पद का नाम	श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4
1999	आशुलिपिक ग्रेड-III	कमजोर दृष्टि	1
	अवर श्रेणी लिपिक	हाथ-पांव से विकलांग	1
	अवर श्रेणी लिपिक	बधिर	1
	डी०ई०ओ०-III	बधिर	1
	डी०ई०ओ०-III	कमजोर दृष्टि	1
2000	अवर श्रेणी लिपिक	बधिर	1
	चपरासी	कमजोर दृष्टि	1
2001	–	–	–

(ग) 1999 के दौरान हाथ-पांव से विकलांग चपरासी के दोनों पद भर लिए गए।

(घ) शेष रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

अफ्रीकी हाथी दांत का आयात

3145. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पूर्व डीलरों से उनके द्वारा कानूनी रूप से आयात किए गए अफ्रीकी हाथीदांत के अपने भंडार को सौंपने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत डीलर को ''स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24.9.2001 के अपने आदेश में केन्द्र और राज्य सरकारों को आयातित हाथी दांत वस्तुओं को सूचीबद्ध करने तथा इन्हें अपनी देख-रेख में रखने संबंधी दिशा-निर्देश दिए हैं।

(ग) और (घ) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में डीलर को केवल वास्तविक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ''स्वामित्व प्रमाण-पत्र'' जारी किए जाने का प्रावधान है।

(ङ) चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अत: कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

मणिपुर के लिए हुडको आवास परियोजना

3146. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए हुडको की 15 करोड़ रुपये की आवास परियोजना को आवश्यक गारंटी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना में तेजी लाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

3147. **डा० बलिराम :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०, सिंगरौली में एम 1, एम 2, एम 3 स्तर के अधिकारी उसी परियोजना में पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अधिकारियों का स्थानांतरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त स्तर के अधिकारियों की स्थानांतरण नीति क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एम 1, एम 2, एम 3 ग्रेडों के कुछ अधिकारी हैं, जो उन्ही परियोजनाओं में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि, कंपनी ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसी तैनातियों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

(ख) एन०सी०एल० की विभिन्न परियोजनाओं में तैनात एम 1, एम 2 तथा एम 3 ग्रेडों के 146 अधिकारियों में से 24 अधिकारी ऐसे हैं, जो 1.12.2001 की स्थिति के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से उसी परियोजना में कार्यरत हैं। केवल एक मामले को छोड़कर, जिसमें एन०सी०एल० के सतर्कता विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, अन्य अधिकारियों के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। कंपनी का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करता है।

(ग) अधिकारियों की तैनाती, मार्च/अप्रैल के दौरान अन्य मामलों के साथ-साथ की जाएगी।

(घ) जिस कार्यपालक ने एक ही कंपनी में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और सेवा निवृत होने में 2 वर्ष से अधिक समय बाकी है, उनका अन्य कंपनी में स्थानान्तरण किया जा सकता है तथापि, बड़े पैमाने पर स्थानान्तरणों से बचा जाना है परन्तु उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा करने वाले कम-से-कम 10 प्रतिशत कार्यपालकों को स्थानान्तरित किया जाना होता है। सिविल इंजीनियरिंग, बिक्री तथा विपणन और सामग्री प्रबंधन विभागों में संवेदनशील पदों के मामले में कोई भी कार्यपालक एक ही कंपनी में पांच वर्षों की सेवा पूरी कर लिए जाने पर स्थानान्तरण योग्य हो जाता है।

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना

3148. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को उक्त योजना की मंजूरी का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना (एन०पी०सी०बी०बी०) के तहत तमिलनाडु सरकार का एक प्रस्ताव अप्रैल, 2001 में प्राप्त हुआ था जिसमें 10019.97 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया गया था।

(ख) अक्तूबर, 2001 में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना शुरू होने के पश्चात्, राज्य सरकारों से योजना के लिए दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित फार्म में प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। तथापि, तमिलनाडु सरकार को अभी राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एस०आई०ए०) का गठन करना है जिसकी योजना के तहत आवश्यकता है।

(ग) 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना के तहत निम्नलिखित राज्यों को ₹570.75 लाख रुपए की कुल राशि जारी की गई थी :

हरियाणा	523.00 लाख रुपए
पंजाब	501.00 लाख रुपए
आंध्र प्रदेश	339.00 लाख रुपए
मणिपुर	67.75 लाख रुपए

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत किसानों को शामिल करना

3149. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत देश में मात्र बीस प्रतिशत किसानों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में किसानों की कवरेज को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो किसानों की ऐसी अतिरिक्त कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 25 फसलें शामिल की गयी हैं तथा इन फसलों को उगाने वाले सभी किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। ये 25 फसलें कुल बोये जाने वाले क्षेत्र का लगभग 82 प्रतिशत कवर करती है। वर्ष 2000-01 की फसल से मसूर (लेंटिल) को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था और 2001-02 की फसल से मटर को न्यूनतम समर्थन योजना के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

ज्ञापन शुल्क के संबंध में निजी एयरलाइनों के प्रस्ताव

3150. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने ज्ञापन शुल्क के बारे में निजी एयरलाइनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों का निपटान किया गया; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले किसान

3151. श्री अनंत गुढे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार कितने किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) किसानों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी धनराशि से कितने किसान लाभान्वित हुए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षणों से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता के अनुमान लगाता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55वें दौर में किया गया था जो जुलाई, 1999 से जून 2000 तक की अवधि के लिए था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए भारत में गृह उपभोक्ता खर्च के बड़े नमूना सर्वेक्षण के 55वें दौर के मुख्य निष्कर्षों में 30 दिवसीय पुनर्सारणी के आधार पर महाराष्ट्र में 1999-2000 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और प्रतिशतता इस प्रकार है :–

ग्रामीण		नगरीय		संयुक्त	
संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
125.12 लाख	23.72	102.87 लाख	26.81	227.99 लाख	25.02

जिलावार गरीबी के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, वृहत प्रबंध, बागवानी विकास उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग, बीज बैंकों की स्थापना, मिनिकिटों के वितरण, विभिन्न विस्तार संबंधी कार्यक्रमों की योजनाओं जैसी विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा आवंटित/जारी किया गया धन इस प्रकार है :–

वर्ष	आवंटन (रु० लाख में)
1998-99	12378.62
1999-2000	7928.95
2000-2001	10634.11

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमें उत्पादनोन्मुखी है जिनका लाभ सभी वर्गों के किसानों को मिलता है। इस प्रकार लाभार्थियों की संख्या बताना संभव नहीं है।

लालमटिया खान को रेल लाइन से जोड़ा जाना

3152. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार लालमटिया खान तक रेल लाइन का विस्तार करने का है जहां मंदारी हिल-दुमका रामघाट रेल लाइन का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) ई०सी०एल० की राजमहल ओ०सी०पी० (लालमटिया खान) एन०टी०पी०सी० की फरक्का तथा कहलगांव एस०टी०पी० एस० के लिए एक ग्रहीत खान है। राजमहल से कोयला प्राथमिक रूप से एन०टी०पी०सी० के मेरी-गो-राउन्ड प्रणाली के माध्यम से डिस्पेच किया जाता है। एन०टी०पी०सी० का, अपनी कहलगांव एस०टी०पी०सी० के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है और ऐसे विस्तार के लिए अतिरिक्त कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ई०सी०एल० का राजमहल ओपनकास्ट परियोजना (ओ०सी०पी०) की क्षमता को बढ़ाने तथा साथ ही पास के ब्लाकों में नई इकाई खोलने की शुरूआत करने का प्रस्ताव है। उस स्थिति में एन०टी०पी०सी० द्वारा अपनी वर्तमान एम०जी०आर० क्षमता को बढ़ाये जाने तथा नई परियोजना से कोयला हटाने के लिए अलग एम०जी०आर० निर्मित किए जाने की आवश्यकता है नई रेल लाइन के प्रस्तावित एलाइनमेन्ट से राजमहल/नई खान से कोयला परिवहन करने में अधिक मदद मिलने की सम्भावना नहीं है। तथापि, पिरपैंती से राजमहल ओपनकास्ट परियोजना (ओ०सी०पी०) तक साइडिंग का विस्तार ग्रहीत से भिन्न, कोयला परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग स्थापित करने में मदद करेगा।

[अनुवाद]

अनधिकृत खनन

3153. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल में नदियों को अनधिकृत खनन से रोकने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि नदियों से अनधिकृत खनन अब भी केरल में हो रहा है; और

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में अवैध/अनधिकृत खनन के उदाहरण केन्द्र सरकार के ध्यान में, समय-समय पर, लाए जाते हैं। अवैध खनन, यदि कोई हो, को रोकने का दायित्व, राज्य सरकारों का है। अवैध खनन को रोकने के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम०एम०डी०आर० एक्ट) में अनेक प्रावधान मौजूद हैं। इसके अलावा, इस संबंध में प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, हाल ही में लागू, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 (ग) के तहत, अवैध खनन को रोकने, खनिजों की ढुलाई तथा भंडारण हेतु नियम बनाने के लिए, राज्य सरकारों को शक्तियाँ दे दी गई हैं।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

3154. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, नौवीं पंच वर्षीय योजना के लिए सहमत परिव्यय 400 करोड़ रुपए है जबकि व्यय संबंधी नवीनतम अनुमान 415.24 करोड़ रुपए है।

मध्य प्रदेश में अवैध खनन

3155. श्री रामानन्द सिंह : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में इस समय स्थानवार और खानवार कितनी खानों में खनन का कार्य चल रहा है और इस कार्य में कौन-कौन सी कम्पनियां शामिल हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई पट्टे धारक पट्टा अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अवैध रूप से और मनमाने ढंग से खनन कार्य में लिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य में खोंदरी गांव के मैसर्स जयलाल भारत लाल के लिप्त होने के मामले सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में ऐसे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के सतना जिले में 18 बाक्साइट खानें, 5 काओलिन खानें, 1 लेटेराइट खान, 40 चूनापत्थर खानें तथा 13 गेरू (ओकर) खानें प्रचालनरत हैं। खनन पट्टाधारी का

नाम, खान की स्थिति दर्शाते हुए, इन खानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार के ध्यान में, समय समय पर, ये दृष्टांत लाए जाते हैं कि राज्यों में खनन पट्टाधारियों द्वारा खनन पट्टे की समाप्ति की अवधि के बाद भी खनन कार्य किया जा रहा है। खनिज रियायत नियमावली (एम०सी०आर०), 1960 के नियम 24(क) के तहत, यदि खनन पट्टाधारी निर्धारित समयावधि के भीतर, खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन करता है तो वह खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, राज्य सरकार द्वारा, खनन पट्टा आवेदन के नवीकरण संबंधी आदेश जारी किये जाने तक, खनन प्रचालन जारी रख सकता है।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो ने सूचित किया है कि मैसर्स जयलाल भारत लाल को बाक्साइट, गेरू (ओकर) तथा श्वेत मिट्टी खनिजों हेतु 40.876 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए, खनन पट्टा दिया गया था। खनन पट्टे की अवधि 25.9.1998 को समाप्त हो गई है लेकिन खनन पट्टाधारी, उच्च न्यायालय के आदेश से कार्य कर रहा है।

(घ) अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अवैध खनन रोकने हेतु कानून बनाने के लिए, राज्य सरकारों के हाथ सुदृढ़ करने के लिए, हाल ही में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन कर, राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां दी गई हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश के सतना जिले में खान स्वामियों सहित खानों की सूची

(वर्ष 1999-2000 हेतु प्राप्त एम०सी०आर० रिटर्नस पर आधारित)

खनिज का नाम	पट्टाधारी का नाम	गांव का नाम	खान का नाम	खान स्वामी
1	2	3	4	5
बाक्साइट	बंसल खनिज उद्योग	बिजाहरी	बिजाहरी	निजी
	बसंल खनिज उद्योग	कुसियारा	कुसियारा	निजी
	जी०एस०सिंह	माधवाझर	नारोहिल	निजी
	हीरालाल रामेश्वर प्रसाद	खादरी	खादरी 4डीए	निजी
	इस्माइल एंड संस	कुबरी	कुबरी नं० 2	निजी
	इस्माइल एंड संस	कुबरी	कुबरी-1	निजी
	कृष्णादास टीकाराम	अरगट	अरगट (6.00)	निजी
	कृष्णादास टीकाराम	अरगट	अरगट (10.16ए)	निजी
	एम०पी० मिनरल सप्लाई कंपनी	घाटानिया	घाटानिया (13.43)	निजी
	एम०पी० मिनरल सप्लाई कंपनी	घाटानिया	घाटानिया (9.50)	निजी
	एम०पी० मिनरल सप्लाई कंपनी	नौगांव	नौगांव (19.01)	निजी
	एम०पी० मिनरल सप्लाई कंपनी	सिधा कोथार	सिधा कोथार (20.626)	निजी
	एम०पी० मिनरल सप्लाई कंपनी	उदाली	उदाली	निजी
	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	तमार	तमार	सार्वजनिक
	राकेश एजेंसीज	बोरूई	बवाई (बोरोई)	निजी
	राकेश एजेंसीज	सीधाकोथार	सीधाकोथार	निजी
	रामचंद्र बंसल	बाताहारा	बाताहारा	निजी
	रामचंद्र बंसल	घाटनिया	घाटानिया	निजी
कोओलिन	अरूण कुमार बंसल	लातागांव	लातागांव	निजी

1	2	3	4	5
	कुंजीलाल ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल	बादखोरा	बादखोरा	निजी
	कुंजीलाल ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल	बरूई	बरूई (8.17 बीएचए)	निजी
	कुंजीलाल ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल	नौगांव नं०4	नौगांव नं०-4	निजी
	श्रीकृष्णदास टीकाराम	खुमाराहा	खुमाराहा	निजी
लेटेराइट	बी०एल० जैन	पिपराहट	पिपराहट	निजी
चूनापत्थर	अनिल कुमार नागरथ	भटूरा	भटूरा (2.696 हेक्टेयर)	निजी
	बफाती एंड कंपनी	भटूरा	भटूरा	निजी
	बिरला कारपोरेशन लि०	नयना, निमी, बारा	सगमानिया	निजी
	दीवान लाइन कंपनी प्रा०लि०	अमीलिया	अमीलिया	निजी
	दीवान लाइन कंपनी प्रा०लि०	भाटिया	भाटिया	निजी
	हुकमचन्द स्टोन लाइम कं०		भतुरा (16.12)	निजी
	जे०एल०वाही		पिपराहट 8.05 एसीएस	निजी
	जयसवाल लाइम स्टोन कंपनी	बामहोरे	बाम्बौर (8.48 हेक्टेयर)	निजी
	जयसवाल स्टोन लाइम कंपनी	बामहोर	बाम्बौर (13.29 हेक्टेयर)	निजी
	मदनलाल घारी	भातीया	भातीया (66.74 एसी)	निजी
	मध्य भारत मिनरल्स प्रोसेसिंग पी०	कोलावल	कालावल (2.720 हेक्टेयर)	निजी
	मैहर सीमेंट	भादानपुर	भादानपुर	निजी
	मैहर सीमेंट	तिलोरा, सिरमिल्ली	तिलोरा (193.252एच)	निजी
	प्रीज्म सीमेंट लि०	हिनोटी	प्रीज्म सीमेंट (793.00एचए)	निजी
	प्रीज्म सीमेंट लि०	हिनोटी एवं सीजाह	प्रीसीमारिया 253.326 हेक्टेयर	निजी
	आर०एल० सहगल	भातीया	भातीया (10.06 एसी)	निजी
	आर०एल० सहगल	भातीया	भातीया (9. एसी)	निजी
	आर०एल० सहगल	भातीया	भातीया (18.895 एसी)	निजी
	आर०एल० सहगल	भातीया	भातीया (20 एसी)	निजी
	आर०एल० सहगल	भातीया	भातीया (7.859 एचए)	निजी
	आर०एल० सहगल	पिपराहट	पिपराहट (35.00 बीगाह)	निजी
	आर०पी० नागरथ	भतूरा	भतूरा (1.306 एच)	निजी
	राघवेन्द्र कुमार अग्रबाल	रामस्थान	राजस्थान लाइम स्टोन 18 एसीआर	निजी
	राय लाइम कंपनी	भादनपुर	भादनपुर एस पट्टी (1.628)	निजी
	राय लाइम कंपनी	भादनपुर	भादनपुर (एस पट्टी) 3.84एच	निजी
	राय लाइम कंपनी	नादेन	नादान (1)	निजी
	राय लाइम कंपनी	पाहरी	पाहारी (1)	निजी

1	2	3	4	5
	राय लाइम कंपनी	पाहरी	पाहारी नं० 3	निजी
	राय लाइम कं० ओमप्रकाश राय	पाहरी	पाहारी सं० 2	निजी
	एस०एन० संडरसन एंड माइंस लि०	भातीया	भातीया II	निजी
	एस०एन० संडरसन एंड माइंस लि०	भारतीया	भातीया I	निजी
	एस०एन० संडरसन एंड माइंस लि०	भतूरा	भतूरा (10 एकड)	निजी
	शरद कुमार बंसल	पिपारी	पिपारी (34.168 हेक्टेयर)	निजी
	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि०	खामारिया	खामारिया I एंड II	सार्वजनिक
	सुनील कुमार कालिया	भतूरा	भतूरा 6.062 एकड	निजी
	सुनील जौहर	बार्हिया	बाराहिया	निजी
	सुनील हौहर	भाटिया	भाटिया	निजी
	सुतना स्टोन लाइम कं०लि०	सतनासाइडिंग	रघुराजनगर	निजी
	सतना स्टोन लाइम कं०लि०	सतनासाइडिंग	साइडिंग	निजी
	द मैहर स्टोन एंड लाइम कं०	गिरगिटा	गिरगिटा (258.998 एच)	निजी
ओकर	बंसल खनिज उद्योग	जामुवानी	जामुवानी	निजी
	हेरिस मिनरल सप्लाई कं०	कारारिया	कारारिया	निजी
	हेरि मिनरल सप्लाई कं०	टिकार	टिकार	निजी
	जयलाल भारत लाल	खोदरी	मोरेगढ़	निजी
	कुंजीलाल ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल	बरूई	बरूई	निजी
	लछछी लाल एंड संस	टागी (टुर्रा)	उकाथा	निजी
	महेश पी० अग्रवाल	पागार काला	पागार काला	निजी
	नियोगी एंड संस	लाडरा	लाडरा	निजी
	नियोगी एंड संस	मोहारिया	अधरी	निजी
	रामचन्द्र बंसल	मुंगवारी	मुंगवारी	निजी
	शरद कुमार बंसल	पिपरीतला	पिपरीतला	निजी
	शरद कुमार बंसल	पिपरीतोला	पिपरीतोला	निजी
	श्रीमती गायत्री देवी बंसल	सिद्धा	सिद्धा कोथार	निजी

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में अप्रयुक्त हवाई अड्डे

3156. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में दूसरे विश्व युद्ध के समय के ऐसे कई छोटे-छोटे हवाई फील्ड और हवाई अड्डे हैं जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें फिर से चालू कर इनका राज्य में अन्त: राज्यीय विमान चालन के रूप में प्रयोग करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में दोनाकोण्डा, कुडापाह और वारंगल के हवाई अड्डे गैर प्रचालनात्मक हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से इन तीनों हवाई अड्डों को विमानन कार्यकलापों के लिए अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया है परन्तु राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का पुनरूद्धार

3157. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) ने अपने स्थापना काल से अब तक 95 परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें 40 परियोजनाएं ऐसी है जिन्हें छोड़ दिया/रद्द कर दिया गया जिसके कारण उनमें 71.76 करोड़ रु० का निवेश दिया गया/निरर्थक हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) के पुनरूद्धार के लिए हाल ही में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) वर्तमान में ई०सी०एल० में कामगार की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इन कामगारों की समस्या के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में इसके प्रारम्भ से 98 परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें से विभिन्न कारणों से 40 परियोजनाएं परित्यक्त/स्थगित की गई है। इन परित्यक्त/स्थगित परियोजनाओं में कुल 71.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। तथापि, संयंत्र और मशीनों, प्रॉस्पेक्टिंग, आधारभूत संरचना आदि पर हुए व्यय का मौजूदा खानों में लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लिमिटेड ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए एक पुनर्गठन-एवं-पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए वर्ष 1997 में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को नियोजित किया। आई०सी०आई०सी०आई० ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 2000 में प्रस्तुत की। लेखा महानियंत्रक (सी०जी०ए०) ने आई०सी०आई०सी०आई० के कतिपय अभिमतों के बारे में अपनी आपत्तियां जाहिर की थी। सी०जी०ए० ने इसके बदले एक वैकल्पिक योजना सुझाई। व्यापक समीक्षा के बाद ई०सी०एल० के प्रबंधन द्वारा कंपनी की उत्तरजीविता और परिनामी पुनरुद्धार की एक योजना तैयार की गई है और उसे सवरकार के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है उक्त योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा नीचे दिए अनुसार है :–

1. किसी भी श्रमिक को बर्खास्त नहीं किया जाएगा परन्तु यदि श्रमिक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए सामने आते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा।

2. श्रमशक्ति और मशीने इस प्रकार से पुन: नियोजित की जाएगी कि व्यक्तियों तथा मशीनों का इष्टतम प्रयोग हो सके। इस प्रक्रिया में कुछ खानों में काम बन्द किया जा सकता है।

3. हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच०ई०एम०एम०) को खरीदने के बजाए इन्हें कुछ ओपनकास्ट खानों में खनन करने के लिए पट्टे पर लिया जाएगा।

4. वेतन की बकाया के भुगतान तथा ऋण सर्विसिंग संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए सी०आई०एल०/सरकार द्वारा वित्तीय सहायता।

5. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपकर में, अन्य राज्यों रायल्टी के स्तर तक कटौती द्वारा, अतिरिक्त राहत।

6. ई०सी०एल० की कुछ खानों को बंद करना, जो वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो गई है।

(घ) ई०सी०एल० में 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार श्रमिकों की संख्या 122503 है।

(ङ) और (घ) ई०सी०एल० के पास अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए जिसमें आवास जलापूर्ति, चिकित्सा आदि शामिल है, बजट है। इसके अलावा, काम के दौरान मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के लिए आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे श्रमिकों के लिए पेन्शन स्कीम भी है, जो कोयला खान भविष्य निधि संगठन के माध्यम से पात्र हैं।

[हिन्दी]

मसालों की खेती

3158. **श्री विष्णु पद राय :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने क्षेत्र में मसाले की खेती की जाती है;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हैं;

(ग) क्या खेती के इस क्षेत्र से उत्पादों को बाजार में लाने की कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मसालों की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र 1200 हैक्टेयर सूचित किया गया है।

(ख) मसालों की खेती से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या लगभग 4000 है।

(ग) से (ङ) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह उत्पादक स्वयं की उत्पादों को संग्रहित और विपणित करते हैं। रोपण क्षेत्रों से उत्पादों को लाने का कोई विशिष्ट प्रबन्ध नहीं है। विशिष्ट रूप से मसालों के लिए कोई विनियमित मण्डी और मण्डी अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन

3159. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को विश्व व्यापार संगठन से निराशा हुई है और भारत जैसे देशों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के बजाय विकसित देशों ने वहां कृषि उत्पादों पर व्यापार प्रतिबंध और राज सहायता में बढ़ोत्तरी जैसे मुद्दे उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या रणनीति बनाई गई है; और

(ग) देश में ऐसे व्यापार प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है जोकि विश्व व्यापार संगठन के समझौते के कारण लगे हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन संबंधी समझौते से एक पूर्व-कथन के योग्य नियम आधारित बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली का विकास हुआ है, जो विकसित देशों के द्विपक्षीय दबाव से विकासशील देशों को सुरक्षा प्रदान करती है। विश्व व्यापार संगठन संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने से भारत स्वत: ही अपने निर्यातों के लिये सभी डब्ल्यू०टी० ओ० सदस्य देशों से सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने का हकदार हो गया है। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से अधिकार और बाध्यतायें, दोनों उद्भूत होते हैं।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ओ०ई०सी०डी० देशों में कृषि को सहायता राशि 1986-88 में 308 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1999 में 361 बिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

कृषि विषयक करार के तहत अधिदेशात्मक विचार-विमर्श के लिये विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत भारत के विचार-विमर्श संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्य खाद्य और जीविकोपार्जन की सुरक्षा का संरक्षण करना और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से बाजार में पहुंच के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है। इसके अलावा, हाल ही में दोहा में समाप्त हुए डब्ल्यू०टी०ओ० के चौथे मन्त्री-स्तरीय सम्मेलन में सदस्य देशों ने बाजार में पहुंच के मामले में पर्याप्त सुधार, व्यापार में विसंगति लाने वाली घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौती और निर्यात राजसहायताओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से संबंधित विचार-विमर्शों के प्रति अपनी बचनबद्धता व्यक्त की है। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास की मान्यता सहित विकासशील देशों के लिये विशेष और विशिष्ट उपचार अब कृषि संबंधी अधिदेशात्मक विचार-विमर्शों का अभिन्न अंग हो गया है।

[हिन्दी]

बोतल बंद पानी उद्योग में तेजी

3160. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बोतल बंद पानी उद्योग तेजी से पनप रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 से आज तक देश में पेय जल की बिक्री में कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में उपलब्ध जल संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो के पास बोतल बंद पानी उद्योग के बहुत तेजी से पनपने और वर्ष 1995-96 से पेयजल की बिक्री और इसके निर्माण में लगी हुई इकाइयों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "पैकेज युक्त प्राकृतिक खनिज जल और पैकेज युक्त पेयजल" को खाद्य सामग्री के रूप में अधिसूचित करते हुए सितम्बर, 2000 में जी०एस०आर० 759 ई और जी०एस०आर० 760 ई जारी किया था तथा यह अनिवार्य कर दिया था कि 29 मार्च, 2001 के बाद उपर्युक्त उल्लिखित मदों के निर्माण और बिक्री पर भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाण को मार्क होना चाहिए। उपुर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में, पैकेज युक्त पेय जल तथा पैकेज युक्त प्राकृतिक खनिज जल के निर्माण और बिक्री में लगी हुई इकाइयों को उनके उत्पाद (प्रोडक्ट) पर बी०आई०एस० प्रमाणित मार्क का उपयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। आज की तारीख तक पैकेज युक्त पेय जल के लिए भारतीय मानक 14543:1998 के तहत बी०आई०एस० प्रमाणित मार्क का उपयोग करने के वास्ते 324 लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा पैकेज युक्त प्राकृतिक खनिज जल के लिए भारतीय मानक 13428:1998 के तहत 4 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में उपलब्ध जल संसाधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

स्वरोजगार से जुड़े युवकों को राज सहायता

3161. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वरोजगार से जुड़े युवकों को फल और सब्जियों को लाने ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों और ट्रकों के रख-रखाव हेतु राज सहायता और कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में और बागवानी तथा कृषि फसलों के समुचित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग अपने एक स्वायत्तशासी निकाय – राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड-के माध्यम से 'उत्पादन एवं फसलोपरांत प्रबन्धन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास' नामक एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के 20% की दर से लेकिन प्रति परियोजना अधिकतम 25.00 लाख रुपये और उत्तर पूर्वी/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में अधिकतम 30.00 लाख रुपये, उन घटकों के लिए बैंक इण्डेड पूंजी निवेश सब्सीडी दी जाती है जिनसे फसलोपरांत होने वाली हानि में कमी आती है। इन घटकों में फलों और सब्जियों के लिए प्रयोग किये जाने वाले रेफ्रिजरेटेड वैन्स और विशेष प्रकार के वाहन भी शामिल हैं। अन्य लोगों के साथ-साथ स्वरोजगार में लगे युवक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ताजे उत्पादों के निर्यात को बनाये रखने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) ने, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है, निम्नलिखित कदम उठाये हैं – चुनिन्दा फलों और सब्जियों के गुणवत्ता और उत्पादकता परक उत्पादन के लिए समेकित कार्यक्रम; फसलोपरांत प्रबन्धन सुविधाओं की स्थापना; गुणवत्ता और आयातक देश की अन्य जरूरतों की दृष्टि से डाटा बेस का सुदृढ़ीकरण; परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और कृषि निर्यात जोनों की स्थापना।

[हिन्दी]

नियुक्तियों में अनियमितताएं

3162. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुछ पदों के लिए 3 जून, 2001 को एक लिखित परीक्षा आयोजित की थी;

(ख) क्या इस लिखित परीक्षा का परिणाम किसी भी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में इनकी दी गई संख्या से दुगुनी संख्या में पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ग) क्या विभाग के वरीय अधिकारियों ने इन पदों को भरने में भारी वित्तीय अनियमितताएं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं की जांच करने और इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। लेखा सहायक के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 3 जून, 2001 को एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई।

(ख) जी, हां। सफल अभ्यर्थियों को उनके चयन की सूचना सीधे ही दे दी गई थी। विज्ञापन की तारीख को लेखा सहायकों के पदों की 107 रिक्तियां उपलब्ध थी। प्रारम्भिक रूप से 46 रिक्तियां भरे जाने का निर्णय लिया गया। यद्यपि, सहायक प्रबंधक (लेखा) के पद पर पदोन्नति के कारण लेखा सहायकों के पद की 33 रिक्तियां और हो गई जिससे रिक्तियों की संख्या 140 हो गई। विभिन्न हवाई अड्डों पर सी०आई०एस०एफ० लगाए जाने से, लेखा सहायक स्टाफ की अत्यन्त कमी हो गई। स्थिति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 3 जून, 2001 को परीक्षा में बैठे सफल अभ्यर्थियों में से 107 रिक्तियों को भर दिया जाए।

(ग) और (घ) इन पदों को भरने में कोई वित्तीय अनियमितताएं नहीं है।

[अनुवाद]

बेसहारा बच्चों के लिए विद्यालय

3163. श्री राजैया मल्याला : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मेडक जिले के सिद्दपेट क्षेत्र में बेसहारा बच्चों और निस्सहायों के लिए विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्री द्वारा कानून का उल्लंघन

3164. श्रीमती कान्ति सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 सितम्बर, 2001 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में ''मिनिस्टर फ्लाइज अबव द लॉ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो डी०जी०सी०ए० द्वारा बनाई गई संहिता/दिशा निर्देशों के उल्लंघन का वास्तविक ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रचालन नियम-पुस्तक के पैरा 6.14 में विहित मार्ग निर्देशों की अवमानना करते हुए उड़ानों के कॉकपिट में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति की यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नागर विमानन महानिदेशालय के मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के बारे में एअर इंडिया को भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

को-ऑपरेटिव शुगर सोसाइटी

3165. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ता सहकारी समिति आम जनता पर बोझ बनकर रह गई है और यह प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर तथा अच्छी गुणवत्ता वाले दैनिक उपभोग के सामानों की आपूर्ति नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पहले से विद्यमान उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यक्रम की समीक्षा करने और उन्हें और आगे सहायता न देने और अब किसी और उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्वीकृति न देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय भंडार को उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधीन लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रह हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। उपभोक्ता सहकारी समितियां जनता पर बोझ नहीं बनी हैं जैसा कि देश के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उनके बिक्री के बढ़ते हुए स्तर से पता चलता है। भारत सरकार द्वारा पहले लिए गए निर्णय के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 31.03.1992 से राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गयी थी। उपभोक्ता सहकारी समितियों की इस समय अलग से समीक्षा किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) केन्द्रीय भंडार का प्रशासनिक नियंत्रण कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के पास है। केन्द्रयी भंडार को उपभोक्ता मामले विभाग को अन्तरित करने का कोई अनुरोध अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि फार्म

3166. **श्री निहाल चन्द चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्थानवार कुल कितने केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म से कुल कितनी आमदनी हुई;

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रीय राज्य कृषि फार्मों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं और क्या सरकार समय-समय पर इन फार्मों का कार्य देखती है; और

(घ) इन फार्मों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के अन्तर्गत 11 केन्द्रीय राज्य फार्म हैं। ये राजस्थान में सूरतगढ़, सरदारगढ़, जेतसर, हरियाणा में हिसार और उत्तर प्रदेश में बहराइच और राय बरेली, कर्नाटक में रायचूर, केरल में अरालम, असम में कोकिलाबाड़ी और बरपेटा तथा तमिलनाडु में चेनगम में हैं। इनमें से रायबरेली, कोकिलाबाड़ी, बरपेटा और चेनगम के चार फार्मों को बंद करने का प्रस्ताव है।

(ख) राजस्थान के तीनों केन्द्रीय राज्य फार्मों ने पिछले तीन वर्षों में 62.08 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की।

(ग) घाटे के कारण हैं (i) सिंचाई सुविधाओं की कमी (ii) राजस्थान में सूखा स्थितियां और (iii) श्रम के विनियमन के कारण वेतन और मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि। भारतीय राज्य फार्म निगमों को समय-समय पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) इन फार्मों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम परस्पर रूप से जुड़े हैं :– (i) नवीनतम किस्मों के अन्तर्गत फसलन क्षेत्र को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना (ii) फसलन कार्यक्रम में अधिक मूल्य वाली फसलों का शासित करना (iii) समेकित कीट प्रबन्धन प्रथाओं को वृहत रूप में अपनाना (iv) चरणबद्ध रीति से पुराने ट्रैक्टरों और मशीनरी का प्रतिस्थापन (v) सिंचाई नहरों आदि की लाहन और स्तर बनाते हुए भूमि का विकास करना (vi) अधिकतम संभव सीमा तक वर्षा जल का संचयन (vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन।

कृषि विज्ञान केन्द्र

3167. **श्रीमती हेमा गमांग** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के बजट में नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर बिहार और उड़ीसा में, नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के कुछ वर्ष पूर्व किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सभी कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। इस वर्ष ये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए 19.26 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान देश में 66 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन मांगा गया था और इन केन्द्रों में बिहार और उड़ीसा में खोले जाने वाले क्रमश: पांच और तीन केन्द्र शामिल हैं।

(घ) और (ङ) स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कार्यान्वयन अनुसूची के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए उपर्युक्त संगठनों एवं स्थान का पता लगाया जा रहा है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षा

3168. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से सहायता के एक अंश के रूप में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई रूप रेखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है और इन राज्यों में ऐसी शिक्षा को प्रदान करने वाले विद्यायकों की संख्या कितनी है और भविष्य में उसके विस्तार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत केवल संबंधित सांसदों की अनुशंसाओं पर ही कार्यों को किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत संबंधित सांसद की अनुशंसाओं पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में कहीं भी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को कम्पयूटर भी प्रदान किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत अब तक जिन विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान किए जा चुके हैं उनके नाम और पते के संबंध में ब्यौरे जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन संबंधी परियोजना

3169. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को पर्यटन संबंधी कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं;

(ख) प्रस्तुत की गई कुल परियोजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों की राज्य सरकारों से परामर्श कर 60.93 करोड़ रुपए राशि की 280 परियोजनाएं स्वीकृत की तथा गत तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 तक 22.24 करोड़ रुपए की राशि दी। उइसका विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाएं, स्वीकृत राशि, दी गई राशि दर्शाता हुआ विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	15	457.95	146.14	17	357.35	92.76	12	298.35	101.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरूणाचल	6	216.31	65.55	11	239.28	70.20	8	90.00	26.94
3.	मणिपुर	8	14049	41.40	10	229.00	70.10	18	782.77	235.42
4.	मेघालय	5	120.48	37.50	6	80.72	20.26	5	105.59	36.10
5.	मिजोरम	8	203.34	137.95	13	297.23	157.01	13	309.19	95.33
6.	नागालैंड	11	230.54	97.60	16	302.90	179.89	8	156.53	53.04
7.	सिक्किम	15	136.03	61.42	13	118.98	43.57	33	376.49	127.43
8.	त्रिपुरा	9	169.21	105.50	7	340.76	17.31	13	333.23	104.05
	जोड़	77	1674.35	693.06	93	1966.22	751.10	110	2452.15	779.58

कृषि वानिकी का विकास

3170. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के क्षेत्र में मौसम की विद्यमान स्थिति की उपयुक्तता और वहां के लिए अनुकूल आर्द्रता की पहचान कर वहां वाणिज्यिक खेती के लिए "मल्टीपरपज पोपुलस डेल्टवामड्स, पॉलोवनिया फॉरटुनिआई" पेड़ की प्रजाति विकसित कर इन्हें कृषि वानिकी का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कृषि वानिकी के विकास के लिए जागरूकता लाने हेतु गांवों के लोगों को इस बारे में शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य वन विभाग की अनुसंधान विंग ने वाणिज्यिक खेती के उद्देश्य से पोपुलस डेल्टोइडस तथा पॉलोवनिया फारटुनिआई वृक्ष प्रजातियों की प्रारंभिक जांच की थी। पॉलोवनिया प्रजातियों का प्रारंभिक परीक्षण विफल हो गया है तथा यह तमिलनाडु के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। अनुसंधान परीक्षणों और पोपुलस डेल्टोइडस को व्यवहार्यता के आधार पर ग्रामीणों को तदनुसार शिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति में लोगों में वनों, उनके विकास और संरक्षण के प्रति प्रत्यक्ष तौर पर रूचि पैदा करने तथा शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता के माध्यम से उन्हें वृक्षों, वन्यजीवों और सामान्य रूप से प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने पर विचार किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशुपालन

3171. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्र में पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है;

(ख) इस मिशन में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए सांसदों द्वारा सहायता

3172. श्री भर्तृहरि महताब : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सांसद है जिन्होंने वर्ष 1999 में महाचक्रवात से प्रभावित हुए उड़ीसा राज्य में विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की हैं;

(ख) प्रत्येक आंवटित राशि से अलग-अलग कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) लोक सभा के 87 सांसदों ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 10-10 लाख रुपए का अंशदान देने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य आपदा अपशमन प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे 10 लाख रुपये प्रति सांसद की दर से 60

लोक सभा सांसदों से अंशदान प्राप्त कर चुके हैं। अंशदान के प्रयोग के लिए अभिज्ञात 87 उच्च विद्यालय भवनों में से 28 उच्च विद्यालय भवनों का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

विशेष पैकेज के तहत हवाई टिकट

3173. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ब्रिटिश एयरवेज' ने 31 मार्च, 2001 तक वैध एक विशेष पैकेज के तहत यूरोप में कहीं भी यात्रा करने का हवाई-टिकट 18,000/- रुपए में और विश्व में कहीं भी यात्रा करने का टिकट 29,000/- रुपए में जारी करने के लिए अपने ट्रेवल-एजेंटों को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से आई०ए०टी०ए० आचारसंहिता का उल्लंघन होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) एयर इंडिया ने ब्रिटिश एयरवेज द्वारा ऑफर किए गए पैकेज की जानकारी नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी०ए०) को दी थी। चूंकि इसमें अन्तरराष्ट्रीय अनुमोदित-टैरिफ मानकों (नार्मस) का उल्लंघन किया गया था, अत: ब्रिटिश एयरवेज को इसे वापिस लेने का निदेश दिया गया था। इस निदेश का अनुपालन किया गया।

[हिन्दी]

भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेकेदारों द्वारा कार्य

3174. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में कुछ काम ठेकेदारों को सौंपा जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन ठेकेदारों को यह काम सौंपा गया है और उन्होंने कितने मजदूरों को काम पर लगाया है;

(ग) क्या ठेकेदार मजदूरों को प्रशासक द्वारा तय मजदूरी से बहुत कम मजदूरी दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में जांच कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेकागत कार्यों में 178 ठेकेदार और 3196 ठेका-श्रमिक लगे हुए हैं। ठेकेदारों का ब्यौरा देना सेल के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। राज्य श्रमिक तंत्र नियमित रूप से निरीक्षण करता है तथा आज की स्थिति के अनुसार कम भुगतान की कोई शिकायत नहीं है।

[अनुवाद]

विमान सेवाओं द्वारा जलपान और भोजन पर व्यय

3175. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया द्वारा अपनी उड़ानों में उपलब्ध कराये जाने वाले जलपान और भोजन पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या जलपान और भोजन की आपूर्ति प्रतिवर्ष अनुबंध-आधार पर की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स और अलायंस एअर की उड़ानों में जलपान और भोजन सामग्री की आपूर्ति करने के लिए जिन-जिन संबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से अनुबंध किया गया, उनके संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उन्हें भुगतान के रूप में कितनी राशि दी गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खान-पान उपलब्ध कराने में इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया द्वारा वहन किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
1998-1999	114.69	084.40
1999-2000	103.43	091.03
2000-2001	098.91	100.89

(ख और (ग) एअर इंडिया में, खान-पान उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधकों के साथ कंट्रैक्ट सामान्यत: तीन वर्षों के लिए होता है। अधिकांश स्टेशनों पर एक से अधिक प्रबंधक हैं और टेन्डर प्रक्रिया के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए भोजन प्रबंध का कंट्रैक्ट होता है। सामान्यत: खाड़ी और अफ्रीकी क्षेत्रों में, सिर्फ आपूर्तिकर्ताओं वाले स्टेशन की स्थिति में, भोजन प्रबंधन कंट्रैक्ट हमेशा के लिए होता है जिसमें दरों को समय-समय पर भोजन-सूची में परिवर्तन मुद्रास्फीति इत्यादि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान, ऊपर बताए

गए स्टेशनों के लिए विमान में जलपान और भोजन की आपूर्ति के लिए प्रबंधकों को दी गई कुल राशि 13.77 करोड़ रुपये थी।

इंडियन एयरलाइन्स में, कंट्रैक्ट की अवधि 1 से 2 वर्ष की होती है। गत दो वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर के विमानों में भोजन और जलपान की आपूर्ति के लिए दी गई कुल राशि 192 करोड़ रु० थी।

काली मिर्च का उत्पादन करने वाले कृषक

3176. श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में काली मिर्च का कुल उत्पादन वर्षवार और राज्यवार कितना रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान काली मिर्च की कीमत कितनी थी;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान काली मिर्च की कीमतें गिरी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मूल्य-पत्तन से किसानों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान काली मिर्च के आयात/निर्यात के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विदेश में काली मिर्च की काफी मांग है;

(छ) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कमी आई है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) काली मिर्च के उत्पादन से सम्बन्धित नवीनतम सांख्यिकी 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के बारे में उपलब्ध है। इन तीन वर्षों में हुए उत्पादन की राज्यवार सांख्यिकी इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
कर्नाटक	0.92	1.03	1.65
केरल	55.52	64.34	56.43
तमिलनाडु	0.80	0.90	012
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.08	0.08	0.08
पांडिचेरी	0.01	0.01	0.01
अखिल भारत	57.33	66.36	58.29

(ख) से (ज) वर्ष 1997-98 से 2000-01 के दौरान (आधार वर्ष 1993-94 = 100) काली मिर्च का निर्यात, आयात और थोक मूल्य सूचकांक नीचे दर्शाया गया है :—

(निर्यात/आयात मीटरी टन में)

वर्ष	निर्यात	आयात	थोक मूल्य सूचकांक
1997-98	31349	1694	421.1
1998-99	29943	2216	511.2
1999-2000	31978	2097	525.9
2000-01	17134	2643	501.4

अप्रैल 2001 से अगस्त 2001 के पांच महीनों के औसत थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक कम होकर 303.2 पर आ गया है। काली मिर्च की कीमतों में गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी आपूर्ति अधिक हुई है और प्रमुख क्रेता देशों ने सामान्य सूची का स्तर कम कर दिया है।

सरकार आधिकारिक तौर पर काली मिर्च की विदेशों में होने वाली मांग का कोई आकलन नहीं करती है। हालाकि, पिछले तीन वर्षों की तुलना में 2000-01 के दौरान इसके निर्यात में गिरावट आयी है।

सरकार ने निर्यात की स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

- गुणवत्ता नियन्त्रण सहित अन्तःगृह प्रयोगशालाओं सहित अवसंरचना में सुधार लाने और कटाई पश्चात प्रशिक्षण, प्रसंस्करण एककों की स्थापना के द्वारा काली मिर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये निर्यातकों, व्यापारियों, संसाधकों और उत्पादकों को समर्थन देना।
- गुणवत्ता में सुसंगत सुधार के लिये भारतीय मसाला 'लोगों' और मसाला घर प्रमाण-पत्र जारी करना।
- ब्रान्ड प्रोत्साहन में निर्यातकों को सहायता देना।
- भारतीय काली मिर्च को बढ़ावा देने के लिये अन्तरराष्ट्रीय मेलों और सेमिनारों में भाग लेना।
- भारतीय काली मिर्च व मसाला व्यापार संघ, कोचिन द्वारा संचालित काली मिर्च के वायदा व्यापार से बेहतर मूल्यों के लिये वायदा व्यापार में भाग लेने के लिये उत्पादकों और व्यापारियों को अवसर प्राप्त होता है। भारत सरकार भी डालर के हिसाब से काली मिर्च का वायदा व्यापार कराने पर सहमत हो गई है।
- काली मिर्च की कार्बनिक खेती को लोकप्रिय बनाना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम मूल्य प्राप्त होता है।

बढ़िया खजूर फलों की उपलब्धता

3177. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में, विशेषकर बिहार, असम, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में बढ़िया किस्म के खजूर के फल बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने और अधिक खजूर-तेल प्राप्त करने की दृष्टि से, विशेषकर उपर्युक्त राज्यों में, किसी तरह का अनुसंधान-कार्य शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो खाद्य-तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से इन राज्यों में किए गए अनुसंधान-कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में खजूर-तेल का उत्पादन किया गया; और

(ङ) अनुसंधान-कार्य के लिए कुल कितनी योजना-परिव्यय की मंजूरी दी गई है और अधिक खजूर-तेल प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बढ़िया किस्म के पाम फल बहुतायत रूप से उपलब्ध हैं। तथापि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए पॉम आयल की खेती की सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) पॉम आयल से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्यों के कृषि/बागवानी विभागों और राष्ट्रीय ऑयल पाम अनुसंधान केन्द्र, पेडावेगी, (आंध्र प्रदेश) के द्वारा किया जाता है। पाम आयल की उन्नत संकर किस्मों के विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर० एल०) त्रिवेन्द्रम में तेल निष्कर्षण के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों के विकास के सम्बन्ध में भी अनुसंधान हो रहा है।

(ग) खाद्य तिलहनों यथा तिल, रामतिल, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तोरिया-सरसों और सोयाबीन की उन्नत/संकर किस्मों के विकास और फसलोत्पादन के विकास तथा फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए० आर०) द्वारा किया जा रहा है।

(घ) भारत में पिछले तीन वर्षों में पाम ऑयल की कुल पैदवार लगभग 55,000 मी० टन है।

(ङ) आंध्र प्रदेश और असम को नौंवी पंचवर्षीय योजना में पाम ऑयल विकास कार्यक्रम (ओ०पी०डी०पी०) के अन्तर्गत क्रमश: 3420.50 लाख रुपए और 44.57 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

हम्पी के लिए विकास-योजना

3178. **श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :**
श्री एच०जी० रामुलू :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हम्पी को विश्व विरासत-स्थल के रूप में दी गई मान्यता को समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक स्थित हम्पी के विकास संबंधी कई प्रस्ताव लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो हम्पी को एक आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने की दृष्टि से कोई विशेष योजना शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक सरकार से हम्पी के विस्तृत विकास का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, राज्य सरकार से निर्धारित प्रपत्र में सुसंगत विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(घ) कर्नाटक राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में परिवार फोटो पहचान-पत्र

3179. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०सी०) ने बीमाकृत व्यक्तियों को परिवार फोटों पहचान-पत्र जारी करना प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कर्नाटक में कितने व्यक्तियों को ऐसे परिवार फोटो पहचान-पत्र जारी किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक में अब तक बीमित व्यक्तियों को लगभग 55,700 परिवार फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

तूतीकोरिन विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

3180. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु स्थित तूतीकोरिन में स्थापित किये जा रहे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस०ई०जेड०) के विषय में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से विमान-उड़ानों के संचालनार्थ तूतीकोरिन विमानपत्तन का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि विशेष आर्थिक दर्जे के अन्तर्गत राज्य सरकार की तत्संबंधी मांग को पूरा किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया था कि तूतीकोरिन को एक प्रमुख कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है और उन्होंने वाया मदुरै, मालदीव, कोलम्बो तथा चेन्नई के लिए हवाई सेवाएं मुहैया करने के लिए रनवे का विस्तार करने के संबंध में अनुरोध किया है। राज्य सरकार को बता दिया गया है कि इस समय तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर रनवे का अपग्रेड करने और अन्य सुविधाएं मुहैया करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं हैं, चूंकि किसी भी एयरलाइन ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे से सेवा प्रचालित करने के प्रति रूचि नहीं दिखाई है।

एम०ओ०आई०एल० द्वारा इस्पात का निर्यात

3181. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एम०ओ०आई० एल०) देश में उत्तम दर्जे के मैंगनीज-अयस्क का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके द्वारा विभिन्न देशों को कुल उत्पादन में से कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया; और

(ग) इस्पात क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित विविधीकरण-परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) केवल मैंगनीज अयस्क के विभिन्न ग्रेडों आदि का उत्पादन करता है और यह इस्पात का उत्पादन नहीं करता। तथापि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी विभिन्न देशों को मैंगनीज अयस्क का निर्यात करती है। पिछले चार वर्षों में मैंगनीज अयस्क के किए गए निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1998-1999	16,250	3.79
1999-2000	57,150	16.36
2000-2001	69,800	21.58
2001-2002 (अप्रैल-अक्तूबर, 2001)	62,350	20.02

(ग) इस्पात उद्योग के उदारीकरण के बाद, इस्पात का उत्पादन और उनसे जुड़ी विभिन्न विस्तार/विविधीकरण परियोजनाएं बाजार शक्तियों पर निर्भर करते हुए संबंधित निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

ऊंची दरों पर गोला पत्थरों की खरीद

3182. श्री रघुनाथ झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 के दौरान प्राप्त कम दरों की अनदेखी करते हुए एफ०बी०पी० में 445 रुपये प्रति घन मीटर की ऊंची दर से गोला पत्थरों की खरीद की गई, जिससे 29 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ;

(ख) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इस हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ङ) वर्ष 1997 के दौरान फरक्का बैराज परियोजना में 445/-रुपये प्रति घन मीटर की दर से गोला पत्थरों (स्टोन बोल्डर्स) की खरीद की गई। इस लागत में परिवहन और कार्यस्थल पर सौंपने अर्थात चढ़ाने, उतारने और व्यवस्थित ढंग से रखने की लागत शामिल है। इस मामले की

मंत्रालय में जांच की गई और यह पाया गया कि खरीद में किसी नियम/विनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। गोला पत्थरों की खरीद से परियोजना को कोई हानि नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति के स्तर से कोई गलती नहीं हुई है और इसलिए जिम्मेदारी नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती विमान यात्रा टिकट

3183. श्री महेश्वर सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के यात्रियों को इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो, क्या शिमला-दिल्ली, शिमला-कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य वायुमार्गों पर चलने वाली घरेलू उड़ानों में कुछ समय से यह रियायत समाप्त कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पर्वतीय और पिछड़े इलाकों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए उक्त सुविधा कब तक बहाल कर दी जाएगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स उन छोटे डोर्नियर हवाई जहाज जिनकी 15 सीटों की सीमित बिक्री योग्य क्षमता है से हिमाचल प्रदेश में, शिमला, कुल्लू और धर्मशाला के लिए उड़ान प्रचालित करती है। चूंकि डोर्नियर हवाई जहाज की प्रचालन सेवाएं किफायती नहीं हैं और इस हवाई जहाज द्वारा प्रचालित उड़ानों पर किराए में कोई रियायत भी नहीं दी जाती है।

धान का उत्पादन

3184. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान धान का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) धान का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान किन-किन क्षेत्रों में अधिक उपज वाली धान की किस्मों की खेती की गई; और

(घ) धान की खेती का क्षेत्र कम होते जाने के क्या कारण हैं और इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुए धान के अनुमानित उत्पादन को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

(मिलियन मीटरी टन)

वर्ष	उत्पादन
1998-99	129.12
1999-2000	134.21
2000-01*	129.45
2001-02 (खरीफ)**	114.63

*29.6.2001 को चौथा अग्रिम अनुमान

**28.9.2001 को पहला अग्रिम अनुमान

(ख) देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्य हैं – पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, कर्नाटक हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात।

(ग) उच्च उत्पादन वाली धान की किस्मों के बारे में क्षेत्रफल वार जानकारी नहीं रखी जाती है। हालांकि वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान हर वर्ष अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में धान के तहत 12.2 हजार हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया था।

(घ) देश में धान की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में काफी समय से वृद्धि का रूख रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता रहा है। धान की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1990-91 के 42.69 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 1999-2000 में 44.97 मिलियन हैक्टेयर तक हो गया है।

एअर इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों का संचालन

3185. योगी आदित्यनाथ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया किन-किन देशों के लिए उड़ानों का संचालन करती है;

(ख) इनमें से दिल्ली से संचालित उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के लिए भी उड़ानें संचालित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) एअर इंडिया इस समय 26 देशों में मूल रूप से और/अथवा कोड शेयर/ज्वाइंट वेंचर दोनों से प्रचालन कर रही है। ये देश हैं :– आबुधाबी, बहरीन, हालैंड, थाईलैंड, जर्मनी, यू०एस०ए०, डेनमार्क, सउदी अरब, तंजानिया, कतर, दुबई, स्वीटजरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत, यूके,

मॉरीशस ओमान, केन्या, जापान, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, रूसी संघ, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया।

(ख) एअर इंडिया प्रति सप्ताह 89 उड़ानें प्रचालित करती है जो दिल्ली से यू०एस०ए०, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, रूसी संघ, मॉरीशस, खाडी और मिडिल ईस्ट देश, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, केन्या और तंजानिया हैं।

(ग) और (घ) इस समय एअर इंडिया के पास 97 देशों में हवाई सेवा प्रचालित करने के लिए यातायात अधिकार हैं तथापि, वास्तविक प्रचालन विमानकंपनी के वाणिज्यिक स्थिति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का विकास

3186. श्री साहिब सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय प्राणी-उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या राज्यवार कुल कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक आधार संरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये उद्यान/अभयारण्य आपस में किसी नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन्हें एक नेटवर्क द्वारा परस्पर जोड़ने की योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने पर्यटक इन उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटन पर आए; और

(च) पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वन्यजीवों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में आधार भूत ढांचा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों, जैसे; 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' तथा 'हाथी परियोजना' आदि के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराती है। सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार एक अलग योजना ''बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारिविकास'' भी क्रियान्वित कर रही है।

(ग) और (घ) प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों विशेषकर 'बाघ परियोजना' के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों को इन्टरनैट से जोड़ा गया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में आने वाले पर्यटकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का मिलान एवं संकलन नहीं किया जाता है तथापि वहां के हालात के रूख से पता चलता है कि अनेक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में आगन्तुकों की संख्या उनकी वहन क्षमता से अधिक हो गई है और ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटकों की संख्या को विनियमित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कम लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है ताकि लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों पर आगन्तुकों के दबाव को कम से कम किया जा सके।

विवरण

राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य	राष्ट्रीय उद्यान	अभयारण्य	मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर
1	2	3	4	5
1.	अंडमान .	9	96	1
2.	आंध्र प्रदेश	4	21	18
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	11	3
4.	असम	5	15	1
5.	बिहार	1	11	1
6.	चंडीगढ़	0	2	0
7.	छत्तीसगढ़	3	10	2
8.	दादर और नगर हवेली	0	1	1
9.	दमन और दीव	0	1	1
10.	दिल्ली	0	2	2
11.	गोवा	1	6	1
12.	गुजरात	4	21	9
13.	हरियाणा	1	9	4
14.	हिमाचल प्रदेश	2	32	6
15.	जम्मू व कश्मीर	4	16	0
16.	झारखंड	1	10	6
17.	कर्नाटक	5	21	16
18.	केरल	3	12	7
19.	लक्षद्वीप	0	1	0
20.	मध्य प्रदेश	9	25	6

1	2	3	4	5
21.	महाराष्ट्र	5	33	18
22.	मणिपुर	1	5	1
23.	मेघालय	2	3	1
24.	मिजोरम	2	5	2
25.	नागालैंड	1	3	1
26.	उड़ीसा	2	18	8
27.	पंजाब	0	10	5
28.	राजस्थान	4	24	7
29.	सिक्किम	1	5	2
30.	तमिलनाडु	5	20	12
31.	त्रिपुरा	0	4	2
32.	उत्तर प्रदेश	1	23	15
33.	उत्तरांचल	6	6	5
34.	पश्चिम बंगाल	5	15	13
	जोड़	89	497	177

[हिन्दी]

अलसी की उपज का समर्थन-मूल्य

3187. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अलसी की फसल के लिए समर्थन-मूल्य की घोषणा करने का अनुरोध किया है;

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उसे जांचा गया। चूंकि अलसी के उत्पादन की प्रकृति स्थानोकृत है और क्षेत्र तथा उत्पादन के अखिल भारतीय महत्व को देखते हुए जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं अत: इस प्रस्ताव को सहमत होना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

बकाया आरक्षित रिक्तियां

3188. श्री ए०के०एस० विजयन :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में अ०जा०, अ०ज०जा० तथा अ०पि०व० हेतु पता लगाई गई बकाया/अग्रनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत 4 वर्षों के दौरान 'पद आधारित रोस्टर' के अनुसार ऐसे बकाया भरे गए पदों तथा रिक्त पड़े रहे पदों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

3189. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-जल संसाधनों को पुनरूजीवित करने के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड संबंधित राज्य सरकार के अभिकरणों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों'' के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक प्रायोगिक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय

योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है।

(ख) और (ग) इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

''भू जल के पुनर्भरण के अध्ययनों'' संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		प्रस्ताव का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)
1		2	3
आंध्र प्रदेश	1.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के कोयलकोंडा मण्डल, अभंगपत्तनम गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रस्तावित स्कीम	2.50
	2.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के कोयलकोंडा मण्डल, मलकापुर गांव में भूजल के कृत्रम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	2.75
	3.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के कोयलकोंडा मण्डल, अनन्तपुर गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	2.40
	4.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के कोयलकोंडा मण्डल, केशवपुर गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	2.20
	5.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के कोयलकोंडा मण्डल, मालापुर गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	2.90
	6.	आंध्र प्रदेश के खम्माम जिला में जल संरक्षण की सुरक्षा के लिए परियोजना	30.00
	7.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला मिदजिल मण्डल में बोरा बान्दा वाडिका, थिम्मनापाली मुख्यालय रेबेली गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	3.00
	8.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला मिदजिल मण्डल में तेकुला कुन्टा वाडिका थिम्मनापाली मुख्यालय रेवेली गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	4.30
	9.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला मिदजिल मण्डल में मोनदोनी कुन्टा वाडिका थिम्मनापाली मुख्यालयी रेवेली गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव	1.75
	10.	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला मिदजिल मण्डल, रेवेली गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम प्रस्ताव। एस०वाई० सं० 62 स्ट्रीम के द्वितीय क्रम के याताकिरोसी चेलका वाडिका पर चैक बांध	2.75
असम	1.	असम के कामरूप जिला के सोनापुर ब्लाक और गुवाहाटी क्षेत्र के चुनिंदा क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन	63.50
बिहार	1.	पटना विश्वविद्यालय परिसर, पटना, बिहार में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव	5.84
	2.	संयुक्त बिल्डिंग भागलपुर, पटना, बिहार में वर्षा जल संचयन	4.99
	3.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज बिल्डिंग, भागलपुर, पटना, बिहार में वर्षा जल संचयन	4.89
	4.	बिहार के नवादा जिला के बालगंगा, राजगीर हिल से कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना	4.68

1		2	3
दिल्ली	1.	दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	4.55
	2.	बसंत विहार, दिल्ली के डी ब्लॉक, के पार्क में कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	5.60
	3.	राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली के कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	12.73
	4.	कुशक नाला नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	3.32
	5.	लोदी गार्डेन, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	5.37
	6.	श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में वर्षा जल संचयनप की स्कीम	4.10
	7.	प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली में भूंजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	5.38
	8.	वायुसेनोबाद, एयर फोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	5.41
	9.	तुगलक लेन और आसपास के क्षेत्रों, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	9.36
	10.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनुर्भरण की स्कीम	8.23
	11.	मीरा बाई पॉलिटेकनीक कैम्पस, महारानी बाग, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	1.76
	12.	5, जनपथ रोड, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	0.60
	13.	अभियान सी०जी०एच०एस० लिमिटेड की ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट-15 सैक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	0.85
	14.	सुल्तानगढ़ी मकबरा, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	6.00
	15.	रेयान इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-4, पॉकेट 8, बसंतकुंज, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	2.45
	16.	डी०टी०सी० केन्द्रीय कार्यशाला-II ओखला, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	6.80
गुजरात	1.	गुजरात हाई कोर्ट बिल्डिंग, सोला, अहमदाबाद, गुजरात में छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	10.30
	2.	इफ्फको रिहायशी कालोनी कस्तूरीनगर, इफ्फको-सारथी, जिला गांधीनगर, गुजरात में वर्षा जल संचयन की स्कीम के लिए प्रस्ताव	6.75
	3.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, गुजरात में वर्षा जल संचयन की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	3.00
हरियाणा	1.	ब्रह्म सरोवर, कुरूक्षेत्र शहर, हरियाणा से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	9.56
	2.	हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिला की धसकनों में शेफ्ट के जरिए कृत्रिम पुनर्भरण करने की स्कीम	21.26
	3.	डी०सी० कार्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के जरिए कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	1.70

1		2	3
	4.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिसर, मेनेसार, हरियाणा में कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	7.02
	5.	हामिदपुर बंध, महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा में हसनपुर वितरणी के संपर्क चैनल के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	29.41
	6.	देरोली-अहीर महेन्द्रगढ़ जिला, हरियाणा में जे०एल०एन० नहर से निकलने वाले जल के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की सकीम	23.30
	7.	जिला पानीपत, हरियाणा में गढ्ढों के जल के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	16.96
	8.	कुरूक्षेत्र जिला, हरियाणा के शाहाबाद ब्लाक में मारकंडा नदी से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	27.91
	9.	अरावली व्यू रेल बिहार, सेक्टर 56 गुडगांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	4.27
	10.	ग्वाल पहाड़ी, गुडगांव में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	6.35
हिमाचल प्रदेश	1.	कार्यपालक इंजीनियर, आई०पी०एच० प्रभाग, इन्दौरा, कांगड़ा के परिसर में भूजल के पुनर्भरण के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की प्रायोगिक स्कीम	1.99
	2.	चालोश्वर गांव, हमीरपुर जिला, हिमाचल प्रदेश में नाला पर चैक बांध के जरिए सिंचाई और कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	6.50
	3.	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला कठोग (कुनील) गांव में भट्टीनाला पर चैक बांध के जरिए कृत्रिम पुनर्भरण की प्रायोगिक स्कीम	11.21
	4.	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पालनपुर शहर में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की प्रायोगिक स्कीम	2.05
	5.	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की रेनता धवाला तहसील देहरा के नाकेर खाद गांव में चैक बांध एवं भूजल बांध के जरिए कृत्रिम पुनर्भरण की प्रायोगिक स्कीम	24.14
	6.	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा तहसील में अधवानी गांव में सुहाल नाला पर चैक बांध	35.76
जम्मू व कश्मीर	1.	जम्मू व कश्मीर के जम्मू जिला में कांडी क्षेत्र में संघवाल में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	39.60
	2.	निर्माण भवन, पनामा चौक, जम्मू में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन करने की सकीम	5.30
	3.	एयरपोर्ट बिल्डिंग, सतवारी, जम्मू में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन की स्कीम	5.00
	4.	बिलावर तहसील, कथुआ, जम्मू में देवाल में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	20.00
	5.	जम्मू व कश्मीर के कथुआ जिला के गर्वनमेंट हायर सैकेन्डरी स्कूल भलवाल में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन	9.40
	6.	कथुआ जिला, जम्मू व कश्मीर में भलवाल गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	11.53

1		2	3
	7.	कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना – भलवाल जिला, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) में छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन के परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जम्मू कार्य योजना	3.00
	8.	कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना – गर्वनमेंट महिला कालेज, गांधीनगर, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) में छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन के परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जम्मू कार्य योजना	6.24
	9.	जम्मू व कश्मीर राज्य के उधमपुर जिला में माता वैष्णों देवी मन्दिर के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन	20.00
झारखण्ड	1.	शिकारीपाड़ा ब्लाक, करमा नाला स्थित कदम नाला, जिला दुमका, पटना बिहार से कृत्रिम पुनर्भरण	3.53
	2.	नकटी गांव, दुमका, पटना, बिहार में पुसारो से कृत्रिम पुनर्भरण	4.10
	3.	मनीझियारा, दुमका, पटना, बिहार में ब्राह्मणी नाला से कृत्रिम पुनर्भरण	3.68
	4.	जेरमुन्डी ब्लाक, दुमका, पटना, बिहार स्थित तेपरा नाला से कृत्रिम पुनर्भरण	3.39
	5.	केन्द्रीय बागवानी भवन कार्यालय (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान रांची) पटना, बिहार में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के लिए प्रस्ताव	6.74
	6.	इंजीनियर लाइन कैन्टोनमेंट क्षेत्र, रांची, बिहार के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के वास्ते परियोजना प्रस्ताव	6.60
कर्नाटक	1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, परिसर कर्नाटक में कृत्रिम पुनर्भरण	13.75
केरल	1.	त्रिवेन्द्रम जिला, केरल में अहलम स्थित उप सतही बांध के निर्माण की स्कीम	6.25
	2.	कोट्टायम जिला, केरल (केरल के भाग में कृत्रिम पुनर्भरण संरचना) के प्रिंथानम में पुनर्भरण कुंआ	1.80
	3.	कोट्टायम जिला, केरल (केरल के भाग में कृत्रिक पुनर्भरण संरचना) में चिराकुलम में परिश्रवण टैंक	7.70
	4.	चिरायिंकिल त्रिवेन्द्रम जिला केरल के अयानदिकादयु में ज्वारीय नियामक युक्त रोक बांध	15.00
	5.	कसारगड़ जिला, केरल में बांगालामकुलम् में कृत्रिम पुनर्भरण संरचना की स्कीम	1.55
	6.	पालघाट जिला, केरल में चुन्नामबुकपथोडु में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम का प्रस्ताव	17.32
	7.	कसारगड जिला, केरल राज्य में कडपल्लम् स्थित कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम	6.00
	8.	तालीपरम्बा तालुक, कन्नौर केरल मैटियल कालोनी में छत पर वर्षा जल संचयन के वास्ते स्कीम का प्रस्ताव	1.80
	9.	नौसेना अकादमी, एझीमला, कन्नूर जिला, केरल में भूमिजल के पुनर्भरण के लिए स्कीम का प्रस्ताव	10.20
मध्य प्रदेश	1.	सिंरवेरी गांव, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में परिस्रवण तालाब के निर्माण की स्कीम	8.27

1		2	3
	2.	नर्मदा जल आपूर्ति, पी०एच०ई०डी० कालोनी, मुसाक खेडी, इन्दौर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के द्वारा भूमिजल पुनर्भरण के वास्ते प्रायोगिक परियोजना	6.94
	3.	तुमर जल विभाजक, मंदसौर ब्लाक, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में भूमिजल का संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण	23.48
	4.	देवास शहर, देवास जिला, मध्य प्रदेश के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की स्कीम	6.00
	5.	देवास जिला, मध्य प्रदेश में भूमिजल का कृत्रिम पुनर्भरण	9.16
महाराष्ट्र	1.	जल गांव जिला, महाराष्ट्र के जल विभाजक टी-ई-II में भूमिजल का कृत्रिम पुनर्भरण	74.33
	2.	पंचायत समिति कार्यालय, परिसर, वरूड जिला, अमरावती, महाराष्ट्र में छत पर वर्षा जल संचयन	0.80
	3.	किट्स कैम्पस, रामटेक, महाराष्ट्र में छत पर वर्षा जल संचयन	1.50
मेघालय	1.	शिलांग शहर, मेघालय में छत पर वर्षा जल संचयन की स्कीम	20.32
मिजोरम	1.	मिजोरम में छत पर वर्षा जल संचयन की स्कीम	28.00
नागालैंड	1.	कोहिमा और मोकोचुंग नगर, नागालैंड में बहुउद्देश्यीय उपयोग के वास्ते छत पर वर्षा जल संरक्षण की परियोजना	70.00
	2.	रेंगमा क्षेत्र, नागालैंड में छत पर वर्षाजल संचयन और भंडारण	10.96
उड़ीसा	1.	उड़ीसा के भडक, केन्द्रपाड़ा और पुरी जिलों में भूमि जल पुनर्भरण के द्वारा लवणता प्रदेश को रोकने के लिए प्रायोगिक स्कीम	592.00
	2.	राजभवन क्षेत्र, भुवनेश्वर में वर्षा जल संचयन/छत पर वर्षा जल संचयन की स्कीम	13.50
	3.	भद्रक, उड़ीसा के चांदबली और बसुदेवपुर ब्लाकों उड़ीसा में लवणता प्रवेश को रोकना और भूमिजल पुनर्भरण	647.00
पंजाब	1.	स्वर्ण मंदिर क्षेत्र, अमृतसर, पंजाब में सरोबर जल के पुनर्भरण की स्कीम	9.75
	2.	खेती भवन, अमृतसर नगर, पंजाब में भूमि जल पुनर्भरण के विषय में छत के वर्षा जल संचयन की प्रायोगिक स्कीम	1.00
	3.	धुरी ब्लाक, संगरूर जिला, पंजाब में धुरी लिंकड्रेन से भूमिजल के कृत्रिम के पुनर्भरण की स्कीम	34.20
	4.	इस्सरू गांव, खन्ना ब्लाक, जिला लुधियाना, पंजाब में ग्राम तालाब से भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की प्रायोगिक परियोजना	1.55
	5.	नूरमहल क्षेत्र, जिला जालंधर, पंजाब में बिष्ट दोआब नहर प्रणाली से भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण	11.62
	6.	संगरूर जिला, पंजाब में धुरी ड्रेन से भूमिजल का कृत्रिम पुनर्भरण	39.10
	7.	गांव धनेथा सामना ब्लाक, पटियाला, पंजाब के निकट चो० नं० 1 भाखड़ा मुख्य लाइन नहर से कृत्रिम पुनर्भरण की प्रायोगिक परियोजना	11.57

1		2	3
	8.	मोगा जिला, पंजाब में बसाइन ड्रेन से भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रायोगिक अध्ययन	29.35
	9.	पटियाला जिला पंजाब में सरहिन्द चो से भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रायोगिक अध्ययन	30.25
	10.	विद्यमान और नयी वर्षा जल संचयन संरचनाओं, गांव परोल नग्गल, ब्लाक मजरी, तहसील खरार, जिला रोपड़, पंजाब से भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	19.26
	11.	मौमूदा जल संचयन संरचनाओं (छोटे बांधो), गांव छोटी बाड़ी नग्गल, मजरी ब्लाक, तहसील खरार, जिला रोपड़, पंजाब के जल का इस्तेमाल करने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	17.80
	12.	छोटे बांध गांव मजरा, ब्लाक माजरी, तहसील खरार, जिला रोपड़, पंजाब के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	27.85
राजस्थान	1.	कंतली नदी, जिला झुंझुनू, राजस्थान में मखर और भागोली गांव में उप सतही अवरोधकों (एस०एस०बी०) के निर्माण की स्कीम	14.50
	2.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर के कार्यालय भवन में कृत्रिम पुनर्भरण के वास्ते वर्षा जल संचयन प्रवाह के वास्ते छत/पेवेमेंट के निर्माण की स्कीम	3.76
	3.	सिंचाई भवन, जयपुर में वर्षा जल संचयन प्रवाह के लिए छत/पेवमेंट	4.90
	4.	मुख्यमंत्री आवास, जयपुर में छत के वर्षा जल का संचयन	5.70
	5.	गवर्नर हाउस, राजभवन, जयपुर में छत के वर्षा जल का संचयन	5.10
	6.	राजस्थान राज्य न्यायालय जयपुर में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के प्रवाह के वास्ते छत/पेवमेंट	3.80
	7.	राज्य सचिवालय (भाग-I और भाग-II) जयपुर में वर्षा जल संचयन प्रवाह के लिए छत/पेवमेंट	4.80
	8.	एम०आर०ई०सी० जयपुर के संस्थागत भवन में छत पर वर्षा प्रवाह संचयन करके कृत्रिम पुनर्भरण संरचना वाला भाग बनाना	2.10
	9.	विट्टा भवन, जयपुर, राजस्थान में छत/पेवमेंट पर वर्षा प्रवाह संचयन	3.90
	10.	भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्कल, जयपुर, राजस्थान में छत/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन	4.02
	11.	भूमि जल विभाग परिसर, जयपुर राजस्थान में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना	3.02
	12.	अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (ओ०टी०एस०, नेहरू भवन), जयपुर राजस्थान में परि-योजना डिजाइन के लिए संकल्पना योजना और छत/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन संरचनाओं का क्रियान्वयन	11.11
	13.	प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी कालेज (सी०टी०ए०ई०), उदयपुर, राजस्थान में कृत्रिम पुनर्भरण	4.50
तमिलनाडु	1.	गिंजी ब्लाक गिंजी गांव, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु के नल्लन पिललई पेट्टाल के कृत्रिम पुनर्भरण/भूमि जल संरक्षण के वास्ते उपसतही बांध के निर्माण की स्कीम	8.00

1		2	3
	2.	नरसीपुरम, अलन्दुरई जल विभाजक, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में परिस्रवण तालाब का निर्माण	9.90
	3.	बड़ीपलायम गांव, तिरूप्पुर, तालुक, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु में परिस्रवण तालाब का निर्माण	9.50
	4.	बनुर जल विभाजक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु में कृत्रिम पुनर्भरण के द्वारा भूमि जल का संवर्द्धन	132.93
	5.	240 थोंडामुथुर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में जल संचयन संरचना का निर्माण	9.20
	6.	उदुमलपेट तालुक, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में अरासुर के निकट कोसवम पलायम में तालाब बनाना	13.50
	7.	वडापट्टी गांव, विरूधुनगर जिला, तमिलनाडु में परिस्रवण तालाब के पुनरूद्धार संबंधी संशोधित स्कीम का पुनर्विचार	6.51
	8.	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	8.97
उत्तरांचल	1.	रामनगर, डांडा, थानो आरक्षित वन, डोइवाला ब्लाक, जिला देहरादून में थानों माइक्रो, जल विभाजक में कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	2.00
उत्तर प्रदेश	1.	चोगावा क्षेत्र, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	0.50
	2.	भूजल भवन, लखनऊ में छत के वर्षा जल का संचयन द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव	3.77
	3.	न्यू लखनऊ विश्वविद्यालय, कैम्पस, जानकीपुरम, लखनऊ उ०प्र० में छत के वर्षा जल का संचयन द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव	1.97
	4.	जल निगम कालोनी, इंदिरानगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में छत के वर्षा जल का संचयन द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव	1.97
	5.	अलीगढ़ शहर, उत्तर प्रदेश में तूफानी जल प्रवाह द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	32.76
पश्चिम बंगाल	1.	चेतुआ से यमुना तक, पांडुआ ब्लाक, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल के चैनल की रिकास्टिंग द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	8.79
	2.	स्वरूप नगर और गायघाट ब्लाक, जिला, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल के खातुरा बांगर (कनकना बांगर) अतिविकसित और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में कृत्रिम में कृत्रिम पुनर्भरण	38.78
	3.	परूलिया जिला, पश्चिम बंगाल के जल दुर्लभ क्षेत्र में जल विभाजक प्रबन्धन में सुधार के लिए भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण का एकीकृत दृष्टिकोण	50.44
	4.	जोयपुर गांव, बरसात। ब्लाक, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में दूषित भूमि से अर्सेनिक को हटाने के लिए प्रायोगिक अध्ययन	7.36
	5.	पश्चिम बंगाल राज्य में मिदनापुर जिले में जलविभाजक प्रबंधन के सुधार के लिए विभिन्न भूजल स्थितियों में कृत्रिम पुनर्भरण का अध्ययन	33.32

1	2		3
	6.	साल्टलेक सिटी, पश्चिम बंगाल के भूजल संसाधन पर वर्षा जल संचयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना अध्ययन	10.83
	7.	विश्व भारती क्षेत्र, बोलपुर, पश्चिम बंगाल के भूजल संसाधन (अपुष्ट उथले जलभृत) पर छत के वर्षा जल का संचयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन	7.65
	8.	बेश्नवघाटपतुली कार्यालय कैम्पस, कलकत्ता में छत के वर्षा जल का संचयन	10.65
चंडीगढ़	1.	पंजाब विश्वविद्यालय, चडीगढ़ में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण	2.79
	2.	शातिकुंज क्षेत्र सैक्टर-16 (लेजर वैली) चंडीगढ़ में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	14.31
	3.	भूजल भवन चंडीगढ़ में छत फेर वर्षा जल का संचयन की स्कीम	3.74
	4.	सैक्टर-9 चंडीगढ़ में चंडीगढ़ आवासीय (हाउसिंग) बोर्ड कार्यालय में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	11.47
	5.	सैक्टर-8, चंडीगढ़, में डी०ए०वी० स्कूल में वर्षा जल संचयन की स्कीम	9.41
	6.	टैक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सैक्टर-26, चंडीगढ़ में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	12.13
	7.	सैक्टर-26, 27, 19, 30, 20 चंडीगढ़ के लिए अधिशेष जल मानसून प्रवाह के इस्तेमाल की स्कीम	10.38

[अनुवाद]

किसानों को लाभकारी मूल्य

3190. **श्री के० मुरलीधरन :**
श्री वी०एस० शिवकुमार :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपज के मूल्य में गिरावट आने और उसके लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त न होने की वजह से देश के, विशेषकर केरल के किसानों की दशा बुरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि में प्रयुक्त उपादानों के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कृषि-लागत में कमी लाने और कृषि उपज का लाभकारी मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कुछ कृषि जिंसों के थोक मूल्य केरल सहित देश के कुछ चयनित केन्द्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे चल रहे हैं। किसानों की हानि के बारे में सूचना नहीं रखी जाती। तथापि किसानों की आय, जो कि, कृषि, पशुपालन, वानिकी और मात्स्यिकी के सकल मूल्य योग में प्रतिबिंबित होती है, 1997-98 में 269383 करोड़ रुपये से बढ़कर स्थिर मूल्यों पर 2000-01 में 290895 करोड़ रुपये हो गयी है।

(ग) और (घ) कृषि उपस्करों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और ये मंडी की शक्तियों द्वारा तय किए जाते हैं।

(ङ) सरकार ने विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि किसानों को उच्च आय मिलना सुनिश्चित हो सके। पिछले दशक के दौरान चावल और गेहूं की पैदावार में क्रमश: 10.7% और 20.2% की वृद्धि हुई है साथ ही पिछले वर्षों के दौरान मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी ठोस वृद्धि की गयी है।

पशु-फार्मों का विकास

3191. श्री सु० तिरुनावुकरसर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पशु-फार्मों और पशुपालन केन्द्रों तथा अनुसंधान संस्थानों के विकास के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ख) देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, इस प्रकार के फार्मों, केन्द्रों और संस्थानों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) हालांकि राज्यों को उनकी प्रजनन आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है किन्तु गोपशु फार्मों तथा गोपशु पालन केन्द्रों के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य गोपशु तथा भैंस प्रजनक फार्मों का विकास एक पात्र घटक है। गोशालाओं सहित गोपशु फार्मों/गोपशु पालन केन्द्रों के लिए जारी की गई राशि और अनुसंधान संस्थान के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना में फार्मों तथा गोपशु पालन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का प्रावधान है। तमिलनाडु राज्य सरकार से अनरोध किया गया है कि वे इस परियोजना में शामिल हों। दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश*	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	—	10.00	10.00
हरियाणा	787.00	800.00	945.00
कर्नाटक	213.69	300.82	215.65
केरल	—	12.00	—
मिजोरम	—	10.00	—
उड़ीसा	311.20	405.28	332.44
पंजाब	—	—	75.00
राजस्थान	120.86	143.29	170.61
तमिलनाडु	—	20.00	—
उत्तर प्रदेश	950.03	1098.12	1188.26
कुल	4281.78	2798.51	2935.96

*उक्त राशि में राज्यों में स्थापित केन्द्रीय गोपशु फार्मों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान एकक परिषद शामिल हैं।

[हिन्दी]

जानवरों का अवैध शिकार

3192. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बाघों, हाथियों और अन्य विलुप्त प्राय जानवरों के अवैध शिकार की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकार की जानकारी में आने वाली ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार दर्ज किए गए और लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अवैध शिकार की घटनाओं को रोकने हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बुराई पर रोक लगाने हेतु उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) हाल में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा की गई जब्तियों से यह पता चलता है कि वन्यजीवों और इसके उत्पादों का अवैध व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। समूचे देश में वन्यजीवों की सामग्री की कुल मात्रा के ब्यौरे केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण जब्तियों और पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियों के उपलब्ध होने की दशा में सहायता प्रदान करती है।

(ङ) वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या सहित प्रमुख जब्तियों का ब्यौरा

क्र०सं०	पता लगाए गए मामले	दिनांक	पकड़े गए व्यक्ति और की गई कार्रवाई
1.	साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में 3 बाघ की खालों, 50 तेंदुए की खालों और 5 ओटर की खालों की जब्ती	18.12.1999	8 अपराधी पकड़े गए। न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।
2.	खागा में 4 बाघ की खालों, 70 तेंदुओं की खालों, 18000 तेंदुओं के पंजे, 132 बाघ के पंजे और 221 काले हिरणों की खालों की जब्ती	12.1.2000	6 अपराधी पकड़े गए। न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।
3.	हल्द्वानी में 50 तेंदुओं की खालों और 15 ओटर की खालों की जब्ती	6.5.2000	कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
4.	हल्द्वानी में 30 तेंदुओं की खालों की जब्ती	21.5.2000	कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
5.	वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा 1757 सांप की खालों की जब्ती	12.6.2000	3 अपराधी पकड़े गए। मामला न्यायालय में है।
6.	वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा कोम्बाकोनम के पास तमिलनाडु में 2000 कोबरा, रसल वाइपर और अन्य सांपों की खालों की जब्ती	13.6.2000	5 व्यक्ति पकड़े गए। मामला न्यायालय में है।
7.	दिल्ली में 70 शालों, 26 शुद्ध शहतूशों और 44 संदेहास्पद शहतूश शालों की जब्ती	2.2.2001	2 अपराधी पकड़े गए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्वाई शुरू की गई।
8.	नागपुर में 1 बाघ की खाल, 5 बाघों की खोपड़ियां, 10 बाघों के पंजे, 23 कि०ग्रा० बाघों की हड्डियां, 3 बाघों के दांत और 4 तेंदुओं की खालों की जब्ती	21.3.2001	6 अपराधी पकड़े गए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

विवरण-II

(1) राज्य स्तर पर की गई कार्रवाई :

i. बाघों और वन्य जीवों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

ii. अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई :

i. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

ii. केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

iii. विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का

मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

iv. अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

v. निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके अंगों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

vi. राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

vii. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

viii. वन्यजीवों के अचानक आक्रमणों से स्थानीय समुदायों द्वारा वनों से पलायन की घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार वन्यजीवों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी संबंधियों को एक लाख रु० तक का मुआवजा देती है।

ix. बाघ के अंगों और इससे बने उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए एक कार्य नीति तैयार करने हेतु अप्रैल, 2001 के दौरान दिल्ली में साइटस के बाघ प्रवर्तन कार्य बल की एक बैठक आयोजित की गई।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई :

i. भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के उपबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

ii. सीमापार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए चीन गणतंत्र के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा महामहिम नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

किसानों को प्रशिक्षण

3193. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैण्ड्स का विचार आंध्र प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य की 4800 महिला किसानों को प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी तरह के कार्यक्रम और फार्म में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का अन्य राज्यों में विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) नीदरलैण्ड की सरकार की सहायता से पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश महिला कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय प्रशिक्षण (ए०एन०टी०डब्ल्यू०ए०-चरण-II) के अंतर्गत छोटे और सीमांत परिवारों के लगभग 34,000 महिला किसानों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि संपोषक कृषि और इसके वैकल्पिक आय के अर्जन के प्रति उनमें जगरूकता पैदा की जा सके और कृषि उत्पादों के मूल्यों का संवर्द्धन किया जा सके।

(ग) और (घ) नीदरलैण्ड सरकार गुजरात के 12 जिलों में "कृषि में महिला प्रशिक्षण" (टी०डब्ल्यू०ए०-चरण-II) और आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में से आंध्र प्रदेश महिला कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय प्रशिक्षण (ए०एन०टी०डब्ल्यू०ए०-चरण-II) के क्रियान्वयन के लिए सहायता दे रही है। इस समय इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लाभकारी मूल्य हेतु नियामक प्राधिकरण

3194. श्री प्रबोध पण्डा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जूट, धान, आलू और प्याज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नियामक प्राधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) एक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम आदि जैसी नोडल एजेंसियां स्थापित की गई

हैं कि जब कभी भी अपेक्षित हो, मण्डी हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें। आलू और प्याज जैसी बागवानी फसलों तथा कुछ अन्य गौण फसलों के लिए भी सरकार मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम राज्य सरकार/सरकारों के अनुरोध पर किसी विशिष्ट जिंस के लिए कार्यान्वित की जाती है और इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को हानि, यदि कोई हो, का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करना पड़ता है।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग

3195. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह "क") सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां – 10.38% और अनुसूचित जनजातियां – 3.21%) और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जनजातियां – 11.73% और अनुसूचित जनजातियां – 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिये 7.5%0 है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह "क") और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन सं०-36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के निर्देश के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य (ii) अनुसूचित जातियों (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। दिनांक 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के समूह "क" सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 14.24% (अनुचित जाति – 10.8% और अनुसूचित जनजाति – 3.44%) तथा समूह "ख" सेवा में यह 15.37% (अनुचित जाति – 12.35% और अनुसूचित जनजाति – 3.02%) था।

(ख) पर्यटन विभाग प्रथम श्रेणी (समूह "क") और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") वर्ग और समतुल्य में पदों की कुल संख्या इस प्रकार है :–

	कुल स्वीकृत पद
प्रथम श्रेणी (समूह "क")	52
द्वितीय श्रेणी (समूह "ख")	117

(ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) के पैरा 5 में निहित अनुदेशों को ध्यान रखते हुए प्रथम श्रेणी (समूह "क") द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") के ऐसे स्वीकृत पदों पर, क्रमशः प्रतिशतता सहित (i) सामान्य (ii) अनुसूचित जाति (iii) अनुसूचित जनजाति (iv) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित संख्या नीचे दी जा रही है :–

	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
प्रथम श्रेणी (समूह "क")	42 (80.76%)	07 (13.46%)	02 (3.85%)	1 (1.92%)	52
द्वितीय श्रेणी (समूह "ख")	78 (68.42%)	22 (19.29%)	08 (7.02%)	06 (5.26%)	114*

*(समूह ख राजपत्रित वर्ग के तीन पद रिक्त पड़े हैं)

चारा और चारे के बीज का उत्पादन

3196. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चारा और चारे के बीज के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने हेतु परियोजनाओं पर भारी धनराशि खर्च की थी और परियोजनाओं को अभी शुरू किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक शुरू नहीं किया गया है और आज तक इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक एक योजना चलाई जा रही है जिसके तहत 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की केन्द्रीय हिस्सेदारी के आधार पर एक बार में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकारें होती हैं तथा इनकी निगरानी भी उन्हें के द्वारा की जाती

है। धनराशि राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, उनकी व्यवहार्यता तथा उन्हें पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग के आधार पर जारी की जाती है। केन्द्रीय आहार एवं चारा विकास संगठन, जिसमें 7 क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केंन्द्र, एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर शामिल है, के अतिरिक्त ये फार्म चारा बीजों के बहुलीकरण तथा केन्द्रीय मिनीकिट जांच कार्यक्रम में लगे हुए हैं जिसके तहत किसानों को राज्य सरकारों के जरिए चारा एवं चारा बीज उत्पादन के लिए मुफ्त चारा किट प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग) आहार एवं चारा विकास के लिए ''राज्यों को सहायता'' नामक योजना के चार घटक हैं जिसके लिए चारा एवं चारा बीज उत्पादन के लिए धनराशि जारी की जाती हे। विगत तीन वर्षों के दौरान इन घटकों के लिए जारी धनराशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। कुछ राज्य सरकारों ने धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) इनकी प्रगति की भारत सरकार द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है और राज्य सरकारों को उन्हें जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान चारा बीज उत्पादन के लिए ''आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' नामक योजना के चार घटकों के तहत जारी/पुनर्वैधीकृत धनराशि

घटक/राज्य	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	जारी	पुनर्वैधीकरण	जारी	पुनर्वैधीकरण	जारी	पुनर्वैधीकरण
1	2	3	4	5	6	7
क. चारा बीजों के लिए राज्य फार्मों का सुदृढ़ीकरण						
मेघालय	30.00	—	—	30.00 *	—	—
केरल	40.86	—	—	40.86 *	—	—
कर्नाटक	15.00	3.00	—	15.00	7.50 *	—
त्रिपुरा	15.00	—	—	15.00	—	—
नागालैंड	—	16.00	16.00	—	—	16.00
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	22.50 *	—
ख. पंजीकृत उत्पादकों के लिए चारा बीज उत्पादन						
पंजाब	3.33	—	—	3.33	—	3.33 *
मेघालय	—	1.34	—	—	—	—
ग. बायोमास उत्पादन बढ़ाने के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना						
मिजोरम	7.80	—	7.89 *	—	—	—
केरल	30.00	—	—	30.00 *	—	—
कर्नाटक	30.00	—	—	11.00	25.00 *	—
हिमाचल प्रदेश	3.00	—	—	—	3.00 (1.50)*	—
उत्तर प्रदेश	—	58.46	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	9.99		—	—	—
सिक्किम	—	—	6.00	—	—	6.00

1	2	3	4	5	6	7
घ. घास रिजर्व सहित चरागाहों का विकास						
कर्नाटक	30.00	—	—	14.00	25.00 *	—
त्रिपुरा	11.20	—	—	11.20	—	—
मेघालय	—	8.40	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—	5.60	—	—	—	—
सिक्किम	—	—	5.60	—	28.00 *	5.60
जम्मू कश्मीर	—	—	25.20	—	—	25.20
गुजरात	—	—	28.00	—	—	28.00 *
उड़ीसा	—	—	56.00	—	—	56.00 *
महाराष्ट्र	—	—	—	—	7.60 *	—
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	7.00 *	—
नागालैंड	—	—	—	—	14.00 *	—

*उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी

3197. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी ठेकेदार/कंपनियां मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश सरकारी कार्य निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है और वे अपने मजदूरों का शोषण करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र दोनों में अनुसूचित नियोजनों के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन का प्रावधान है। केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी और राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। इन तंत्रों के अधिकारी जो अधिनियम में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार निरीक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं, ठेकेदारों सहित प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करते हैं और जब कभी भी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने या कम भुगतान होने का कोई मामला उनकी जानकारी में आता है तो वे मजदूरी में किए गए कम भुगतान की भरपाई करने के लिए नियोक्ताओं को निदेश देते हैं। अधिनियम में दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी एवं दांडिक कार्रवाई का प्रावधान है।

इसके अलावा, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार, प्रधान नियोक्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले कामगारों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

[अनुवाद]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग

3198. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह ''क'') सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21%) और द्वितीय श्रेणी (समूह ''ख'') में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां-11.73 और अनुसूचित जनजातियां-2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह ''क'') और द्वितीय श्रेणी (समूह ''ख'') और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) इन पदों पर (i) सामान्य (ii) अनुसूचित जातियों (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष संघटक योजना

3199. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जिनकी अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, के संपूर्ण विकास के लक्ष्य को हासिल करने हेतु वर्ष 1978 से ही विशेष संघटक योजना (एस०सी०पी०) और टी०एस०पी० के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा कृषि क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने और उनके सशक्तीकरण हेतु एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के अन्तर्गत कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम बनाए गए/लागू किए जा रहे हैं जैसा कि एस०सी०पी०/टी०एस०पी० शुरू करते समय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कृषि मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों/संगठनों को संबोधित दिनांक 12.3.1980 के पत्र संख्या 280-पी०एम० ओ०/80 में निर्धारित है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई, कितनी धनराशि मिली और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त गरीबी के उन्मूलन और उनके सशक्तीकरण हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न कृषि विकास स्कीमों के द्वारा कृषि उपज का उत्पादन ओर उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। स्कीमें उत्पादन उन्मुख और क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप की है जिसमें अ०जा०/अ०ज०जा० समुदायों के किसानों सहित सभी वर्गों के किसानों को लाभ पहुंचाना है। उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए विशेषतौर पर विशिष्ट समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्कीमों/कार्यक्रमों का रिरूषण करने की बहुत कम संभावना है। तथापि, जहां भी संभव हो राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों को स्कीमों के प्रशासनिक अनुमोदनों में परामर्श दिया जाता है कि अ०जा० के लिए (विशेष घटक योजना (एस०सी०पी०) और अ०ज०जा० के लिए आदिवासी उप योजना (टी०एस०पी०) के लिए आबंटन/निधियां उपलब्ध कराएं।

मछुआरों का कल्याण

3200. **डा० वी० सरोजा** :
डा० ए०डी०के० जयशीलन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटीय क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों के कल्याण के लिये कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके कल्याण और सुरक्षा हेतु कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार को तमिलनाडु से मछली आधारित खाद्य उत्पादों के समक्ष आ रही कठिनाईयों की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) देश अथवा तमिलनाडु से भी मछली के निर्यात में कोई रूकावट नहीं है। दिनांक 1.4.2001 से 30.9.2001 तक की अवधि के दौरान 2832 करोड़ रु० मूल्य के 151620 मी० टन मछली और मछली उत्पादन का देश से निर्यात किया गया। चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु के चेन्नई और तूतीकोरिन के दो पत्तनों से 1054 करोड़ रुपये मूल्य के 27787 मी० टन मछली और मछली उत्पादों का निर्यात किया गया। मछली उत्पादन विशेषकर मछली पालन के माध्यम से और बीमारी फैलाव को रोक कर और बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं, और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मछली के ब्रान्ड नाम को प्रोत्साहित करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

ठेके के श्रमिक

3201. **डा० रमेश चंद तोमर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां लम्बी अवधि के लिए नैमित्तिक/ठेके के आधार पर करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों में अपनाए गए मानदंड श्रेणीवार क्या थे;

(ग) वर्तमान में ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है, वे लोग कब से काम कर रहे हैं और उन्हें दी जा रही मजदूरी/वेतन का (परिलब्धियों सहित) श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके वेतनों से कोई कटौती की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों द्वारा वहां एक निश्चित अवधि तक सेवा पूरी करने के बाद उनकी सेवा को नियमित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा लम्बी अवधि के लिए अनुबंधित आधार पर स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाती है। निदेशालय द्वारा कई समयबद्ध अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जाती है जिनके अंतर्गत अनुसंधान कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रिसर्च एसोसिएट/रिसर्च फैलों को अनुबंध आधार पर रोजगार दिया जाता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दरों के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाता है। आरम्भ में रिसर्च एसोसिएट/रिसर्च फैलों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाती है जिसे उनके कार्य निष्पादन और कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है परन्तु किसी भी मामले में यह अवधि संबंधित परियोजना की अवधि से अधिक नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त, मौसमी फील्ड/प्रयोगशाला कार्य के लिए नियमों के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है जोकि ठेके के निबंधन के अनुसार अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती करता है। कुछ चयनित परियोजनाओं के अंतर्गत एजेंसियों को सेवा संविदाएं भी दी जाती हैं। कार्य संविदा/सेवा संविदा के अंतर्गत मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा संबंधित ठेकेदार/एजेंसी को भुगतान किया जाता है न कि उनके द्वारा तैनात किए गए अलग-अलग स्टाफ को।

(ग) वर्तमान में निदेशालय में विभिन्न समयबद्ध परियोजनाओं के अंतर्गत 14 रिसर्च एसोसिएट/रिसर्च फैलों कार्यरत हैं। मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा उन्हें भुगतान की जाने वाली परिश्रमिक/वेतन का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, जहां नियमों के अंतर्गत आवश्यक हो केवल आयकर काटा जाता है।

(च) और (छ) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/निदेशालय की अनुबंध आधार पर रखे गए इन कार्यकर्ताओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	रिसर्च एसोसिएट/रिसर्च फैलो का नाम	वेतन/पारिश्रमिक प्रति माह (रु०)	नियुक्ति की तिथि
1.	डा० एस०बी० सिंह	10,500 + गृह किराया भत्ता*	23-06-1997
2.	श्रीमती प्रियंका कुमारी	8800 + गृह किराया भत्ता	18-12-1998
3.	श्री डी०के० सिंह	8800 + गृह किराया भत्ता	20-12-1999 से आज तक
4.	कुमारी चारू सूदन	8800 + गृह किराया भत्ता	03-12-1999 से आज तक
5.	श्री प्रदीप कुमार राय	8800 + गृह किराया भत्ता	01-04-2000
6.	श्री आर०के० साहू	8800 + गृह किराया भत्ता	09-03-2000
7.	कुमारी सोफिया रफीक	8800 + गृह किरायां भत्ता	31-03-2000
8.	श्री ए०पी० सिंह	8800 + गृह किराया भत्ता	07-04-2000
9.	श्री सत्य प्रकाश	8800 + गृह किराया भत्ता	07-06-2000
10.	श्री शैलेश	8800 + गृह किराया भत्ता	10-07-2000
11.	श्रीमती मीना मेहता	8800 + गृह किराया भत्ता	01-08-2001
12.	श्री हर्षवर्धन सिंह	8800 + गृह किराया भत्ता	14-08-2001
13.	डा० एस०के० चन्देह	10,500 + गृह किराया भत्ता	01-01-2000
14.	कुमारी अंशु गर्ग	8800 + गृह किराया भत्ता	04-09-2000

एन०सी०सी०एफ० और सी०आर०एफ० से व्यय के मानदण्डों का संशोधन

3202. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा आपातकालीन कोष (एन०सी०सी०एफ०) और आपदा राहत कोष से किये जाने वाले व्यय के मानदण्डों का संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मानदण्डों में परिवर्तन करने से पहले राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि से व्यय के मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व था और सभी राज्यों के विचार मांगे गए थे।

विवरण

मि०सं० 3-9/2000-एन०डी०एम०
कृषि और सहकारिता विभाग
(प्रा०आ०प्र० प्रभाग)

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से व्यय करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यय के मानदंड और मदों की संशोधित सूची :

क्र०सं०	मद	सी०आर०एफ० तथा एन०सी०सी०एफ० से सहायता के लिए खर्च के मानदंड
1	2	2
1.	**अनुग्रह राहत**	
	(क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	50,000/- रुपए प्रत्येक मृतक परिवार
	(ख) अंग या आंख की क्षति के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	25,000/- रुपए प्रत्येक व्यक्ति, अंग आदि की हानि के लिए अनुग्रह राहत केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब अक्षमता 40% से अधिक हो तथा सरकारी चिकित्सक द्वारा या सरकार द्वारा अनुमोदित चैनल द्वारा प्रमाणित हो।
	(ग) भयंकर चोट जिसके लिए एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो	5,000/- रुपए प्रति व्यक्ति।
	(घ) वृद्ध, दुर्बल और निराश्रय व बच्चों के लिए राहत	प्रति व्यस्क 20 रुपए तथा प्रति बच्चा 10 रुपए प्रति दिन
	(ङ) जिनके घर बह गए हों उनके परिवारों के लिए कपड़े व बरतन	500 रुपए कपड़ों व 500 रुपए बर्तनों के लिए प्रति परिवार
2.	**अनुपूरक पौष्टिकता**	1.05 रु० प्रति व्यक्ति आई०सी०डी०एस० के मानदंडों के अनुसार
3.	**छोटे व सीमांत किसानों के लिए सहायता :**	
	(क) गाद आदि निकालने के लिए	छोटे व सीमांत किसानों को नाबार्ड पैटर्न के अनुसार क्रमश: 25% और 33-1/3% प्रति हैक्टेयर अधिकतम 5000/-रु० के आधार पर।

1	2	3
	(ख) पहाड़ी स्थानों से ढ़िबरी निकालने के लिए और	
	(ग) गाद निकालने/एकत्र करने/मत्य फार्मों की मरम्मत के लिए	
	(घ) जहां फसल का नुकसान 50% और उससे अधिक था के लिए कृषि आदान सब्सिडी	
	(I) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्र 1000/-रु० प्रति है० 25000 रुपए प्रति हैक्टेयर क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई सहित।
	(II) बारहमासी फसलें	4000 रुपए प्रति हैक्टेयर।
	(ङ) भू-स्खलन, हिमस्खलन, नदियों की दिशा बदलने के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति	10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर
4.	रोजगार का सृजन	
	(प्लान स्कीमों अर्थात जे०आर०वाई०, आई०जे०आर०वाई०, इ०ए०एस०, आदि के तहत उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए केवल अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए)	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रतिमानों के अनुसार।
5.	पशु पालन	
	छोटे और सीमांत किसानों/कृषि मजदूरों को सहायता :	
	(क) भारवाही पशुओं, दुधारू पशुओं, अथवा ढुलाई अथवा जीविका हेतु पशुओं को बदलने हेतु	निम्नलिखित के तहत राजसहायता की पद्धति के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
	(ख) चारे/प्रगाढ़ित चारे के प्रावधान के लिए	बड़े पशु-12.00 रुपए प्रति दिन छोटे पशु-6.00 रुपए प्रतिदिन
	(ग) चारे की खरीद, भंडारण तथा ढुलाई	एन०सी०सी०एम० द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
	(घ) लाभदायक पशुओं को अन्य क्षेत्रों में ले जाना	एन०सी०सी०एफ०, के लिए एन०सी०सी०एम० द्वारा/सी०आर० एफ० के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
6.	मछुआरों को सहायता :	
	(क) क्षतिग्रस्त एवं लापता नौकाओं, जालों की मरम्मत/बदलने के लिए	एम०जी०एस०वाई० पद्धति के अनुसार प्रति परिवार राजसहायता पर अधिकतम सीमाओं के अधीन अन्य उपकरणों पर राजसहायता प्रदान की जाएगी।
	– नौका	एस०जी०एस०वाई० के तहत अनुमोदित लागत के संदर्भ में नौकाओं की लागत भी तय की जाएगी।
	– डोंगी	
	– कैटामारैन (बेड़ा)	
	– जाल	

1	2	3
	(ख) मछली बीज फार्म के लिए आदान राजसहायता	2,000/-रुपए प्रति हैक्टेयर।
7.	क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत/बदलने के लिए राजसहायता के रूप में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सहायता	
	(क) परम्परागत यान	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिए	1000/- रुपए प्रति व्यक्ति।
	(ii) कच्चे माल के लिए	1000/- रुपए प्रति व्यक्ति।
	(ख) हैण्डलूम बुनकरों के लिए	
	(i) लूम उपकरणों तथा जुड़नारों की मरम्मत/बदलना	1000/- रुपए प्रति लूम।
	(ii) धागे तथा अन्य सामग्री की खरीद	1000/- रुपए प्रति लूम।
8.	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुन: स्थापन के लिए सहायता	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	10000/- रुपए प्रति मकान।
	(ii) कच्चा मकान	6000/- रुपए प्रति मकान।
	(ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	2000/- रुपए प्रति मकान।
	(ii) कच्चा मकान	1200/- रुपए प्रति मकान।
	(ग) साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान	800/- रुपए प्रति मकान।
9.	शहरी क्षेत्रों में पेयजल की ढुलाई सहित पेयजल की आपातिक पूर्ति	एन०सी०सी०एम० के लिए आकलन एन०सी०सी०एम० दल द्वारा किया जाना है। सी०आर०एफ० के लिए आकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है।
10.	महामारी के फैलने से रोकने के लिए दवाइयों, विसंक्रामकों, कीटनाशकों का प्रावधान।	तदैव
11.	महामारी के विरुद्ध पशुओं और कुक्कुटों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा।	तदैव
12.	प्रभावित/संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना।	तदैव
13.	तत्काल राहत पहुंचाने और जान बचाने के लिए नौकाओं को भाड़े पर लेना।	तदैव
14.	प्रभावित लोगों/बचाए गए लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान करना।	तदैव

1	2	3
15.	अनिवार्य आपूर्ति को हवाई जहाज से गिराना।	एन०सी०सी०एम० के लिए आकलन एन०सी०सी०एम० दल द्वारा किया जाना है। सी०आर०एफ० के लिए आकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है।
16.	संचार, बिजली, जन स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत/तत्काल किस्म का पुन:स्थापन	तदैव
17.	सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों और खो गई दवाईयों की पुन: आपूर्ति	तदैव
18.	एम्बुलेन्स सेवा, सचल चिकित्सा दलों ओर अस्थायी औषधालयों के लिए प्रचालन लागत (केवल पी०ओ०एल० के लिए)	तदैव
19.	कूड़े कचरे की सफाई की लागत।	तदैव
20.	प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी।	तदैव
21.	खोज और बचाव उपायों की लागत।	तदैव
22.	मृतकों/पशुओं की लाशों का निपटान।	तदैव
23.	विभिन्न संवर्गों से लिए गए राज्य अधिकारियों के कोर बहुविषयी समूहों को प्रशिक्षण-व्यय सी०आर०एफ० से वहन किया जाना है।	

एन०सी०सी०एम० – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र।
एन०सी०सी०एफ० – राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि।
पी०ओ०एल० – पैट्रोल, तेल और ल्यूब्रिकेन्ट।

दुर्गा कोयला खानों में कामगारों को नियमित किया जाना

3203. **श्री विकास चौधरी :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झारखंड में दुर्गा कोयला खानों में काम कर रहे कामगारों को नियमित किये जाने के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले को लागू न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त फैसले को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन, के सचिव श्री बैजनाथ केवट से दिनांक 9.6.2001 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) वर्ष 1994 का औद्योगिक विवाद मामला संदर्भ संख्या 105 में दिनांक 4.1.2001 को अधिनिर्णय दिया गया जिसमें भारत कोकिंग कोल लि० के प्रबंधन को श्री मुस्लिम अंसारी तथा 52 अन्य लोगों को मजदूर श्रेणी के रूप में अपने स्थायी रोजगार में नियमित किए जाने का निदेश दिया गया था।

झारखंड उच्च न्यायालय की माननीय खण्ड पीठ ने, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए निवेदनों पर विचार करते हुए दिनांक 12.7.2001 के अपने आदेश के माध्यम से, लैटर पेटेन्ट अपील संख्या 339/2001 को स्वीकार करने के बाद निर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

3204. **श्री रमेश सी० जीगाजीनागी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, 'पद आधारित रोस्टर' के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) सरकार की नीति के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनित रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है।

(ख) अगस्त 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में बकाया/अग्रेनित रिक्तियों के ब्योरे इस प्रकार हैं :–

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	1	1
ख	शून्य	1
ग	1	शून्य
घ	शून्य	शून्य

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) में दी गई सभी रिक्तियों भरी जा चुकी हैं। उनके वर्षवार ब्योरे इस प्रकार हैं :–

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	1999	2000
ख	–	2001
ग	1999	–
घ	–	–

(घ) 'पद आधारित रोस्टर' की शुरूआत से पहले बकाया रिक्तियां उपरोक्त अनुसार भरी गई हैं। इसलिए 'पद आधारित रोस्टर' के अनुसार कोई रिक्तियां बकाया नहीं हैं।

आरक्षित वर्गों से संबंधित उत्पन्न रिक्तियां 'पद आधारित रोस्टर' में निर्दिष्ट अनुसार रोस्टर प्वाइंटों के अनुसार भरी गई हैं। लेकिन वर्ष 2000 में उत्पन्न अनुसूचित जाति की समूह 'क' में एक रिक्ति उम्मीदवार न मिल पाने के कारण नहीं भरी जा सकी। इस पद को भरने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

हज चार्टड उड़ानों पर एयर इंडिया को हुआ घाटा

3205. श्री विनय कुमार सोराके : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया को वर्ष 1993 से 1999 की अवधि के दौरान हज चार्टर्ड उड़ानों के संचालन से 68 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ;

(ख) क्या इन उड़ान सेवाओं का संचालन 'बिना लाभ-हानि' आधार पर किया गया था;

(ग) क्या जनवरी 1999 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया का भारत सरकार और केन्द्रीय हज समिति पर क्रमशः 565 करोड़ और 496 करोड़ रुपए बकाया था;

(घ) क्या इस बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। 68 करोड़ रुपए की हानि विभिन्न व्ययों के कारण हुई थी जिसमें गुडविल बनाने के लिए हज तीर्थ यात्रियों को "भूमि पर खान-पान" और "गिव अवेज" देरी से प्राप्त भुगतान पर ब्याज की हानि और हज समिति को दिये गये 1.00 करोड़ रुपये की तदर्थ-छूट के कारण हुई थी। एअर इंडिया इस राशि को वसूल नहीं कर सका था चूंकि इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) जी, हां।

(ग) हज-1998 के लिए जनवरी, 1989 के अनुसार, सरकार की ओर से बकाया राशि 5.65 करोड़ रुपए थी और न कि 565 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार हज समिति की ओर से देय राशि 4.96 करोड़ रुपए थी और न कि 496 करोड़ रुपए।

(घ) और (ङ) जी, हां। हज-1997, 1998 और 1999 के लिए सरकार की ओर से बकाया राशि 5.65 करोड़ रुपए को निपटा लिया गया है। हज-1995, 1996, 1997 और 1998 के लिए हज समिति की ओर से बकाया राशि का भी निपटारा कर लिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत

3206. श्री कांतिलाल भूरिया :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार के उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो नागर विमानन मंत्रालय और सरकारी उपक्रमों समेत अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के निर्देशानुसार इन पदों पर (i) सामान्य (ii) अनुसूचित जातियों (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

3207. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संचयन और बाढ़ से निपटने हेतु केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति से निपटने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की योजना के क्रियान्वयन के बाद बेहतर जल संचयन की आशा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार जल संचयन की ऐसी कोई रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने अधिशेष मानसून प्रवाहों को रोककर उप-सतही जलभृत में संचित करके उपलब्ध हो सकने वाले अतिरिक्त भूजल संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए संकल्पनात्मक ढ़ांचा तैयार करने हेतु अध्ययन करने के वास्ते आंतरिक दल का गठन किया है। तद्नुसार अधिशेष मानसून प्रवाहों का उपयोग करके भूजल के पुनर्भरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का एक संकल्पनात्मक ढांचा तैयार किया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(I) देश की 20 नदी बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष मानसून प्रवाह 86.47 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है;

(II) जल की वर्तमान गहराई और उपलब्ध खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए, जलभृत को भर करके 59.06 मिलियन हेक्टेयर अधिशेष क्षमता सृजित करना संभव होगा। इस भंडारण में से 43.64 मिलियन हेक्टेयर मी० को पुन: प्राप्त करना संभव होगा;

(III) तथापि, भिन्न-भिन्न समय और स्थानों पर असमान रहने वाले उपलब्ध अधिशेष मानसून प्रवाह के आधार पर व्यावहारिक भूजल भंडारण 21.42 मिलियन हेक्टेयर मी० आंका गया है जिसमें से लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर मी० पुन: प्राप्त किये जा सकने योग्य समझा जाता है; और

(IV) 32.00 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए उपर्युक्त संसाधन को काम में लाया जा सकता है।

जहां तक बाढ़ का संबंध हैं, भारत सरकार ने देश में बाढ़ की समस्या का अध्ययन करने के लिए अनेक विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं। वर्ष 1976 में स्थापित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आर०बी०ए०) ने इस समस्या की विस्तार से जांच की और वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों जो देश में बाढ़ प्रबंधन नीति का ढ़ांचा हैं, विभिन्न राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई हैं। इसके अलावा बाढ़ से संबंधित क्षेत्र विशेष की समस्याओं की जांच करने के लिए समय-समय पर बहुत-सी अन्य विशेषज्ञ समितियां/कार्य दल गठित किए गये थे जिनकी सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ समस्या का समाधान करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थापित किया है। जिसने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार, भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के तहत स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के लिए मास्टर योजना तैयार की है। ये योजनाएं

भू सर्वेक्षणों के आधार पर विस्तृत स्कीमें तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने मुख्य अंतर्राज्यीय नदियों पर 159 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना भी की है जो विभिन्न राज्यों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को समय पर चेतावनी देते हैं।

श्रम कानूनों में ढील

3208. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने श्रम कानून और कानूनी बाधाएं देश में सड़कों के निर्माण के मार्ग में मुख्य रूकावटें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक हित में देश में सड़कों के तेजी से निर्माण के लिये इन कानूनों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा/उन्हें अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया हैं ताकि उन्हें अर्थव्यवस्था की मौजदा परिस्थितियों और उभरती आवश्यकताओं के अनुरूपत बनाया जा सके। उत्पादकता, कार्य क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार सृजन और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए कुछ श्रम कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है जिनमें वे श्रम कानून भी शामिल है जो सड़क निर्माण कर्मकारों पर लागू होते हैं और तद्नुसार कदम उठाए गए हैं। सरकार ने संगठित क्षेत्र में श्रम संबंधी मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में सुझाव देने तथा असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून के बारे में सुझाव देने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी

3209. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले पर संशोधित रायल्टी के संबंध में लंबित फैसले के बदले में सभी कोयला क्षेत्र वाले राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

3210. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्रीमती हेमा गमांग :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्रीमती प्रेनीत कौर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्ष पहले शुरू की गई प्रायोगिक फसल बीमा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लघु/सीमांत किसानों को प्रीमियम के भुगतान हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या देश के किसानों को अपेक्षित लाभ मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के बारे में किसानों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सरकार के पास कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्योंकि अधिकांश किसानों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है;

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में और सभी राज्यों में बीमा योजना लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ज) क्या सरकार बीमा योजना नीति में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(झ) यदि हां, तो मुख्य परिवर्तनों समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) गत कुछ वर्षा के दौरान ऐसी कोई स्कीम शुरू नहीं की गई।

(ख) से (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ज) से (ञ) जी, हां। सरकार ने रबी 1999-2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम नामक एक नई फसल बीमा स्कीम पहले ही शुरू की है। इस स्कीम में किसानों, फसलों और जोखिमों के रूप में अधिक कवरंज की व्यवस्था है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार ने भूतपूर्व व्यापक फसल बीमा योजना (सी०सी०आई०एस०) के स्थान पर रबी 1999-2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है :–

- यह योजना सभी किसानों-ऋणी तथा गैर-ऋणी दोनों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
- यह ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी सिकानों के लिए ऐच्छिक है।
- यह स्कीम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक किस्म की है।
- बीमित राशि बीमित क्षेत्र की न्यूनतम निर्धारित उपज के मूल्य तक हो सकती है।
- इनमें उन सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दहलन), तिलहनों तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर किया जाता है जिनके पिछले पर्याप्त वर्षों के उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हों।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में वर्तमान में ग्यारह फसलों यथा कपास, गन्ना, आलू, मिर्च अदरक, प्याज, हल्दी, पटसन, टैपियोका, वार्षिक केला और अनन्नास को शामिल किया गया है।
- मूलत: सभी जोखिम बीमा की स्कीम जिसमें प्राकृतिक, न रोके जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज संबंधी सभी हानियां शामिल हैं।
- प्रीमियम दरें बाजरा तथा तिलहनों के लिए 3.5% तथा अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% तथा अन्य रबी फसलों के लिए 2% हैं। यदि बीमांकिक आंकड़ों के आधार पर परिकलित दरें निर्धारित प्रीमियम दर से कम हों, तो कम दर लागू होगी।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकिक दरें ही प्रभारित की जाती हैं।
- छोटे और सीमान्त किसानों को उनसे प्रभारित प्रीमियम पर 50% सब्सीडी दी जाती है। सब्सीडी 5 वर्ष की अवधि में घटते क्रम के आधार पर समाप्त की जाएगी।
- तीन वर्षों के भीतर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीमे की निचली इकाई अर्थात् ग्राम पंचायत पर कार्यान्वित करना।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- इस स्कीम की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करना

3211. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात हेतु उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उद्यमियों की सहायता करने हेतु खाद्य प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार कितनी खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) से (ग) गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रक और जहाज पर लदान पूर्व निरीक्षण के जरिए दीर्घ अवधि आधार पर निर्यात को बढ़ावा देने के वास्ते भारत सरकार ने निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 बनाया है। इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, भारत सरकार ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और चेन्नई में निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों की स्थापना की हैं। इन एजेन्सियों के देश भर में 47 उप कार्यालय हैं, जो निर्यात की जाने वाली मदों का जहाज पर लदान-पूर्व निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण और प्रमाणन के लिए इन सभी कार्यालयों में नमूनों का निरीक्षण करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के वास्ते भारत सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रु० की योजना निधि मंजूर की गई हैं। वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान निर्यात निरीक्षण एजेंसियों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर 3.8 करोड़ रु० खर्च करने का प्रस्ताव है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं करता। वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा खाद्य प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के वास्ते विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ आरंभिक विचार-विमर्श किया है, ताकि निर्यात हेतु बढ़िया उत्पादन सुनिश्चित करने में उद्यमियों की मदद की जा सके। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं के उन्नयन के साथ-साथ हैज़ार्ड अनालसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पोइंट की शुरूआत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता दे रहा है, ताकि बढ़िया उत्पादों का निर्माण किया जा सके।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण हेतु परियोजनाएं

3212. श्री नवल किशोर राय :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री राजो सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण संबंधी कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बाढ़ से होने वाली हानि के किस सीमा तक कम होने की आशा है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खान सुरक्षा उपाय

3213. डा० संजय पासवान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों में दुर्घटनाएं रोकने तथा खान सुरक्षा के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय की क्या भूमिका है;

(ख) क्या उपर्युक्त निदेशालय उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा है जिसके लिए इसका सृजन किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निदेशालय की अनुपयोगिता के मद्देनजर इसे समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में, खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी उपबंध विहित हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए प्रबंधन को परिपत्रों के रूप में दिशानिर्देश जारी करता है। खान प्रबंधनों द्वारा इन उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने और चूक के मामल में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत यथा प्रस्तावित कार्रवाई करने के लिए आवधिक रूप से खानों का निरीक्षण करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय का उद्देश्य समुचित विधान बनाकर तथा मानक नियत कर, उनके अनुपालन की निगरानी करके तथा सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली अनेक संवर्धनात्मक पहलों और जागरूकता लाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से, खानों में नियोजित व्यक्तियों को व्यावसायिक रोगों तथा दुर्घटनाओं को कम करना है। विधायी उपायों के अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय अनेक अन्य पहलों का संवर्धन कर रहा है। ये निम्नवत् हैं :–

(क) खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन,

(ख) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन,

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता,

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समीक्षा,

(ङ) कर्मियों का प्रशिक्षण,

(च) सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियानों का आयोजन,

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह तथ्य कि खान सुरक्षा महानिदेशालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है इस बात से स्पष्ट है कि पिछले कुछ दशकों से खान दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है तथा भारतीय खानों में मृत्यु दर कुछ विकसित देशों सहित अन्य देशों की अपेक्षा कम है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन से जंबो जेट विमान का संचालन

3214. श्री वी०एस० शिवकुमार :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर जंबो जेट विमानों के संचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विमानपत्तन से ऐसी सेवाएं संचालित करने हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार बोइंग 747 विमानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। यहां पर बी-747 विमान की पार्किंग के लिए स्टैण्ड हैं। हवाई अड्डे में दिक्चालनात्मक सुविधाओं, उपकरण अवतरण प्रणाली, आधुनिक तकनीक वाली हवाई अड्डा निगरानी राडार और मोनोपल्स गौण निगरानी राडार प्रणालियों और संचार सुविधाओं से भी युक्त किया गया है।

(ख) और (ग) बी-747 विमान से नियमित अनुसूचित सेवाओं के प्रचालन के लिए किसी भी एयरलाइन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

3215. श्री बृज लाल खाबरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 से 2000-01 की अवधि के लिए सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन की संयुक्त वृद्धि दर 1.96% होने का अंतरिम अनुमान लगाया गया है। जबकि इसके मुकाबले 1990-91 से 2000-01 के दौरान संख्या की औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर 1.93% थी।

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन, कपास प्रौद्योगिकी मिशन आदि जैसी विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन आरंभ किया गया है। कृषि में अनुसंधान भी नए जोश व शक्ति के साथ शुरू किया गया है ताकि फसलों के गुणस्तर और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। सरकार ने नवंबर 2000 से राज्यों को सहायता देने के लिए परंपरागत स्कीम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर वृहत् प्रबंध विधि भी अपनाई है। इस स्कीम में, कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के अनुपूरण/संपूरण के लिए वृहद् प्रबंध स्कीम में 27 स्कीमों को मिलाया गया है जिससे राज्यों को उनके सामने आ रही विशिष्ट समस्याओं का सामना करने के लिए अधिक छूट मिलती है, विभिन्न स्कीमों की मदों में अतिव्याप्तता से बचा जा सके और कृषि के चहुमुखी विकास की ओर लक्षित हुआ जा सके। इस स्कीम के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

[अनुवाद]

कौवों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पक्षी-प्रजातियों को खतरा

3216. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कौवों की बढ़ती हुई संख्या से वाल्बर्स, बुलबुल, मैना, कपोत, तीतर, बटेर और मूयर इत्यादि जैसी पक्षी प्रजातियों के लुप्तप्राय: होने की गति बढ़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो एक संतुलन बनाए रखने के लिए और कौवों की बढ़ती हुई संख्या के खतरे के विरुद्ध सभी प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) कौवों की संख्या में वृद्धि तथा अन्य पक्षी प्रजातियों के अस्तित्व पर इसके संभावित प्रभाव संबंधी कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बॉक्साइट की खानें

3217. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में स्थान-वार बाक्साइट की कितनी खानें हैं;

(ख) उन क्षेत्रों में बॉक्साइट का कितना अनुमानित भंडार हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से कुछ खानों का निजीकरण कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) छत्तीसगढ़ में 5 और उड़ीसा में 2 रिपोर्टिंग बाक्साइट खानें हैं। जिला-बार ब्यौरा निम्नवत् है :

राज्य का नाम	जिला	खान का नाम	स्वामी का नाम	सैक्टर
छत्तीसगढ़	कंकर	केशकाल	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	सार्वजनिक
	कोरबा	फुटकापहाड़	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	संयुक्त
	सरगुजा	मैनपत	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	संयुक्त
		कुदाग	हिन्डालको इंडस्ट्रिज लि०	निजी
		मैनपत	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	सार्वजनिक
उड़ीसा	कोरापुट	पंचपटमाली	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०	सार्वजनिक
	सुन्दरगढ़	तंत्रा	उड़ीसा इंडस्ट्रिज लि०	निजी

भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल प्राप्ति योग्य भण्डार 60 मिलियन टन और उड़ीसा में यह 1395 मिलियन टन हैं। (1.4.95) की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

3218. श्री रामशकल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों में इस्पात संबंधी अनुसंधान तथा विकास कार्य पर किए गए निवेश/व्यय का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार का विश्वस्तरीय गुणवत्ता तथा कम लागत वाले अच्छी किस्म के इस्पात का उत्पादन करने की दृष्टि से अनुसंधान और विकास पर निवेश में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष तथा अगले तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों में कुल कितने निवेश का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकारी/निजी क्षेत्र में चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और विचाराधीन परियोजनाओं के नाम क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2000-01 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने 54.33 करोड़ रुपए और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने 16.0183 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रक्रिया इष्टतमीकरण, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, उन्नत इस्पात उत्पादों का विकास, उत्पादन की लागत में कमी, ऊर्जा खपत में कमी, ठोस अपशिष्टों का उपयोग आदि की दृष्टि से लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी – दोनों क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों ने लोहे और इस्पात से जुड़ी काफी अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं।

(ख) और (ग) लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०) से प्राप्त ब्याज से प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, लोहा और इस्पात क्षेत्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की मंजूरी देने और उनकी मानिटरिंग करने के लिए इस्पात मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। अब तक कुल 167.92 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत की 24 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से एस०डी०एफ० का अंशदान 85.26 करोड़ रुपए होगा। इन परियोजनाओं के अनुसंधान क्षेत्रों में भारतीय लोहा और इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी आदि शामिल है।

(घ) सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों में अनुसंधान और विकास में कुल निवेश पिछले वर्ष (2000-2001) की तुलना में कुछ अधिक होने की संभावना है।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र चालू वर्ष (2001-02) के दौरान 38 प्रमुख अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। ये परियोजनाएं लोहा और इस्पात बनाने के विभिन्न क्षेत्रों, कच्चे माल के उन्नयन, ऊर्जा खपत में कमी तथा उत्पादन की लागत में कमी आदि से संबंधित है।

[अनुवाद]

टूर संचालकों के लिए नियम

3219. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ट्रेवल एजेंटों तथा टूर संचालकों के लिए क्या निमय बनाए गए हैं;

(ख) क्या जोखिम पूर्ण टूर संचालकों को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने टूर संचालकों को ऐसी स्वीकृति प्रदान की गई है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार की, अनुमोदित टूअर प्रचालकों/यात्रा एजेंटों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए, एक स्वैच्छिक योजना है, जिसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कार्य में विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विभाग की साहसिक यात्रा प्रचालकों को भी मान्यता देने की एक स्वैच्छिक योजना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित साहसिक यात्रा प्रचालकों की कुल संख्या 8 है।

एल्युमिनियम कम्पनियों को खनन पट्टे प्रदान करना

3220. डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्युमिनियम कम्पनियों को खनन पट्टे प्रदान करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिफाइनरियों को बॉक्साइट की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में क्या अन्य कठिनाइयां आ रही हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के तहत, खनन पट्टे संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें देने हेतु केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा, विधि के प्रावधानों के अनुसार,

उन पर कार्रवाई तथा उनका निपटान किया जाता है। बाक्साइट, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध एक खनिज है तथा केन्द्र सरकार की न्यूनतम संभव समय में, शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने के सभी प्रयास किये जाते हैं। कुछ मामलों में, राज्य सरकारों से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में, राज्य सरकारों से ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, पूरी सूचना/अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया जाता है।

(ग) सरकार की व्यापार नीति के तहत, अंतिम प्रयोक्ताओं (एंड यूजर्स) द्वारा बाक्साइट तथा एलुमिना का मुक्त रूप से, आयात किया जा सकता है तथा इस प्रकार, एल्युमिनियम शोधनशालाएं, कच्ची सामग्री की स्वदेशी आपूर्ति, यदि कोई हो, की कमी को, आयात की मार्फत, पूरा कर सकती है।

[हिन्दी]

सब्जियों की रोग-मुक्त खेती

3221. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे किसान, जो कि अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, वे सब्जियों की खेती में प्रदूषित जल तथा रसायनों का उपयोग कर रहे हैं जिससे घातक रोगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी आंकड़ों के आधार पर पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सब्जियों की रोग-मुक्त खेती सुनिश्चित करने के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कुछ सब्जियां, विशेषकर शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों, में, सीवर के पानी का उपयोग करके उगाई जाती हैं। तथापि, सब्जियों के कारण घातक रोग होने होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सब्जी की फसलों पर सीवर के पानी के प्रभाव के अध्ययन के लिए दो तदर्थ परियोजनाएं शुरू की हैं। परिषद् ने सब्जी फसलों में प्रमुख रोगों और कृमियों की प्रतिरोधी कई किस्में भी विकसित की हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में बागवानी तथा पुष्प कृषि को बढ़ावा देना

3222. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में इत्र के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सुगंधयुक्त पुष्पों के उत्पादन के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान पुष्प संबंधी निर्यात, तथा उसकी गुणवत्ता तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में बागवानी तथा पुष्प-कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में खुले फूलों का कुल उत्पादन 509 हजार, मीटरी टन और "कट" फ्लावरों की संख्या 6806 लाख थी। इत्र के उत्पादन में प्रयोग होने वाले फूलों के उत्पादन संबंधी कोई आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात किए गए फूलों का मूल्य 105.16 लाख रुपये और वर्ष 2000-01 के दौरान 123.12 लाख रुपये था। देश से निर्यात किए जाने वाले फूलों में कट फ्लावर, कट फोलिएज, शुष्क किए गए फूल और फूलों के बीच आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में "कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि आबंटित की जाती है। इससे राज्यों को अपनी जरूरत के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अधिक लचीलापन मिलता है। बागवानी और पुष्पकृषि का विकास भी इस स्कीम में शामिल है। राज्य इस स्कीम के अंतर्गत अपने बागवानी और पुष्पकृषि के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अपने "उत्पादन तथा फसल कटाई पश्चात के प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत के 20% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपए है, बैंक एन्डेड पूंजी राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान करता है। कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय भी बागवानी और पुष्पकृषि उद्योग के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा हैं जिनका लाभ तमिलनाडु भी उठा रहा है।

लंबित खनन परियोजनाएं

3223. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक से खनन पट्टों के नवीकरण हेतु वन भूमि प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) केंद्र सरकार को 1998 से नवम्बर 2001 के दौरान कर्नाटक से खनन पट्टों के नवीकरण हेतु वन भूमि रिलीज करने के 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों के ब्यौरे और केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दे दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हैक्टे०)	आवेदन की तारीख	स्थिति
1.	डोडानावर ब्रदर्स, बेलगाम	43.30	17.4.01	20.6.01 को अनुमोदित
2.	वी०एन० के मैनन, बल्लेरी	22.45	08.8.01	22.8.01 को लौटाया
3.	थिमापनागुढ़ी, बलेरी में एम०एम०एल०	295.00	06.3.00	18.4.01 को अनुमोदित
4.	बालाजी माइन्स एंड मिनरल्स लि०, बल्लेरी	22.66	16.3.00	10.7.00 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
5.	तुंगभद्रा मिनरल्स, बल्लेरी	47.66	23.11.00	09.01.01 को अनुमोदित
6.	भारत माइन्स एंड मिनरल्स, बल्लेरी	26.20	20.7.00	20.3.01 को अनुमोदित
7.	श्रीनिवासुलु, होसपेट	60.00	04.9.00	16.7.01 को बन्द
8.	के०आई०ओ०सी०एल०, चिकमंगलूर	4605	12.7.99	माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की शर्त पर अनुमोदित
9.	होथुर ट्रेडर्स, बल्लेरी	38.38	10.8.99	21.9.00 को अनुमोदित
10.	गोगा गुरू शान्तिया	42.90	17.8.99	23.12.99 को लौटाया
11.	रामगढ़ मिनरल्स, बल्लेरी	20.23	25.10.99	11.01.00 को अस्वीकृत
12.	एम० धराशरथरामा रेड्डी, चित्रदुर्ग	19.95	22.6.98	20.4.99 को अनुमोदित
13.	मैसर्स मिनरल्स इन्टरप्राजस, चित्रदुर्ग	12.87	08.7.98	01.10.99 को अनुमोदित
14.	मैसर्स एसोसियेटड माइनिंग, बल्लेरी	10.12	16.10.98	24.3.00 को अनुमोदित
15.	मैसर्स गोयल ब्रदर्स, बेलगाम	8.00	09.11.98	03.02.00 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
16.	मैसर्स डी०एन० इन्टरप्राईजिस, चित्रदुर्ग	12.00	06.01.99	31.3.00 को बन्द
17.	मैसूर सीमेंट लि०, तुमकर	19.38	02.6.99	14.3.00 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित

बल्लेरी – होसपेट क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पूरा होने तक निम्न प्रस्ताव बन्द किए गए।

क्र०सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हैक्टे०)	आवेदन की तारीख
18.	मैसर्स गविअप्पा, बल्लेरी	32.00	20.6.01
19.	एम०एम०एल०, जम्बुनाथनहेली, बल्लेरी	38.45	06.6.00
20.	वैंगनपत्ती, होसपोट	123.84	05.9.00
21.	मैसर्स वीयम प्रा०लि०, बल्लेरी	16.19	01.10.99

[हिन्दी]

हिन्दी में संवर्धन हेतु रिक्त पदों को भरा जाना

3224. श्री वाई०जी० महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु और हिन्दी में पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय में और संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों/सहायकों के कितने पद सृजित किए गए हैं;

(ख) उनमें से अभी तक रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है और ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों के रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) इस मंत्रालय तथा इसके तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 पद है।

(ख) हिन्दी अनुवादक के 2 पद (क्रमश: ग्रेड I और II) 1997 से खाली हैं।

(ग) खाली पदों को इसलिए नहीं भरा जा सका कि संबधित भर्ती नियमावली में संशोधन किया जा रहा था।

(घ) भर्ती नियमावली में अब संशोधन कर लिया गया है।

कोयला विभाग के अंतर्गत स्कूलों के अध्यापकों द्वारा धरना

3225. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के अध्यापक अपनी मांगों के संबंध में दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अध्यापक कब से धरने पर बैठे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। कोयला विभाग द्वारा कोई स्कूल नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सिक्किम में व्यवसाय संघ अधिनियम लागू करना

3226. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिक्किम में व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दौरान राज्य में कामगारों के संघ संबंधी अधिकार तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की रक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 सिक्किम राज्य पर भी लागू है।

वनाच्छादन

3227. श्री बहादुर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश वनाच्छादन में वृद्धि करने के लिए इंडियन टोबेको कम्पनी जैसे उद्योगों को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनाच्छादन में वृद्धि करने के लिए अन्य राज्यों में भी उद्योगों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाये गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.09.2000 को एक सरकारी आदेश सं० 112 जारी किया था जिसके अनुसार कतिपय शर्तों को पूरा करने पर अवक्रमित वन क्षेत्रों के पुनरूद्धार में वन संरक्षण समितियों की सहायता करने के लिए उद्योगों को शामिल करने पर सिद्धांतरूप में सहमति व्यक्त की गई थी।

1988 की राष्ट्रीय वन नीति का मूल उद्देश्य देश की जैव-विविधता का संरक्षण करना तथा ग्रामीण एवं आदिवासी लोगों की जलावन की लकड़ी, चारा लघु वनोपज तथा इमारती लकड़ी की थोड़ी आवश्यकता को पूरा करना है। राष्ट्रीय वन नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि उद्योगों को कच्चे माल की अपनी आवश्यकता को वनेतर परती भूमि पर पौधरोपण करके पूरी करनी चाहिए। वन भूमि पर पौध रोपण करने में उद्योगों को शामिल करने के लिए दिनांक 22.9.2000 को जारी आन्ध्र प्रदेश सरकार के आदेश का 1998 को राष्ट्रीय वन नीति तथा अन्य केन्द्रीय अधिनियमों वन संरक्षण समितियों उद्योगों तथा राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले त्रिपक्षीय करार के ब्यौरे वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्रों बाय बैक प्रबंध के तरीके आदि के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

(ग) उन उद्योगों, जिनका प्रबंधन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, को पट्टा या अन्यथा किसी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को सौंपने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। इस समय मंत्रालय में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3228. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधे लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या इस योजना से भारतीय खाद्य निगम पर खाद्यान्न खरीदने का भार कम होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो यह नई योजना कब तक लागू होने की संभावना है और किस एजेंसी के माध्यम से लाभ किसानों तक पहुंचेंगे तथा लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बागवानी तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के तहत सरकार केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से स्कीम के तहत शामिल जिंसों की खरीद करती है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके। मौजूदा स्कीम को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी अन्य स्कीम को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कार्यक्रम, समेकित नारियल उद्योग विकास, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन, जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम तथा बागवानी में मानव संसाधन विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मामले में सरकार ने आर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित एक कार्यबल गठित किया है। इस कार्य बल ने नवम्बर, 2001 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें देश में कार्बनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझाव दिये गये है।

[अनुवाद]

भविष्य निधि की वसूली में विलम्ब

3229. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की स्वीकृति के बिना डिमांड कलेक्शन बैलेंस रजिस्टर के रखरखाव को जारी न रखने संबंधी मामलों को नवम्बर, 1998 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मंत्रालय के पास भेज दिया था जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों प्रतिष्ठानों इत्यादि पर करोड़ों रुपए की राशि बकाया हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भविष्य निधि योगदान की वसूली में हुए विलंब के मामले में की गई टिप्पणियों का अवलोकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनी लाल) : (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या-4 (मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष हेतु अन्य स्वायत्त निकाय) के तहत् डिमांड कलेक्शन बैलैन्स रजिस्टर के रख-रखाव को बंद कर दिए जाने संबंधी मुद्दे को उठाया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सूचित किया गया था कि डिमांड कलेक्शन बैलेन्स रजिस्टर के रख-रखाव को कभी रोका नहीं गया है। तथापि, लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, डिमांड कलेक्शन बेलेन्स रजिस्टर के उचित रख-रखाव के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

लालगढ़ हवाई पट्टी को सेना को सौंपा जाना

3230. श्री पुष्प जैन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार का विचार राजस्थान में अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर में लालगढ़ हवाई पट्टी को सेना को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजट से राज्य सरकार को आबंटित धनराशि की मात्रा कितनी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस को वित्तीय सहायता

3231. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार एयर इंडिया को क्षतिपूर्ति के रूप में 500/- मिलियन प्रदान किए हैं, जबकि यह लाभ इंडियन एयरलाइंस को नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस को इसे न देने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) विमान के पट्टाकर्त्ताओं/उधारदाताओं से करार के अनुसार, युद्ध से उत्पन्न और उससे जुड़े जोखिमों से एअर इंडिया को तीसरा पक्ष उत्तरदायित्व के रूप में 1500/- मिलियन अमरीकी डालर के बीमा कवर की आवश्यकता है। बीमा-बाजार तो इस कवर को 1000/-

मिलियन अमेरिकी डालर तक मुहैया कराने की स्थिति में था। इसलिए, उन्होंने शेष 500/- मिलियन अमेरिकी डालर के कवर के लिए सरकार से अनुरोध किया है। तद्नुसार, भारत सरकार ने नवंबर 30, 2001 तक एअर इंडिया को 500/- मिलियन अमेरिकी डालर का क्षतिपूर्ति कवर प्रदान किया। 1 दिसंबर, 2001 से बीमा-बाजार 1500/- मिलियन अमेरिकी डालर तक का कवर उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। इसलिए एअर इंडिया ने इस कवर का लाभ उठाया है और 30 नवंबर, 2001 तक लागू सरकारी क्षतिपूर्ति वापस ले ली गई है।

इंडियन एयर लाइंस के मामले में केवल 500/- मिलियन अमेरिकी डालर के बीमा कवर की आवश्यकता है जिसे उसने बीमा-बाजार से प्राप्त कर लिया है।

शार्क के शिकार पर प्रतिबंध

3232. **श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी :**
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में शार्क के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के इस कदम के विरोध में कुछ राज्य सरकारों/संसद सदस्यों ने अभ्यावेदन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मछुआरों के भविष्य को बचाने के लिए उक्त प्रतिबंध को हटाते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वन्यप्राणियों की संख्या को व्यवहार्य स्तर तक बनाए रखने के लिए 11 जुलाई, 2001 को शार्क प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली एक अधिसूचना जारी की थी।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभयावेदनों में सरकार से शार्क मच्छलियों के शिकार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपेली की गई थी।

(ङ) और (च) निर्धन मछुआरा समुदाय की दशा के बारे में राज्य सरकारों, संसद सदस्यों तथा अन्यों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए शार्क के शिकार संबंधी प्रतिबंध को नाजुक, परिसंकटमय और अत्यधिक खतरे में पड़ी मानी जाने वाली केवल 10 शार्क प्रजातियों तक समिति करने का निर्णय किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर प्रभाव

3233. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं से भारतीय कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या घरेलू बाजार में वैश्विक कृषि क्षेत्र की उपस्थिति के कारण भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा से बाहर हो रहे हैं क्योंकि वे उन उत्पादों का मुकाबला कर पाने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि संबंधी समझौते के अनुसार कृषि क्षेत्र को दी जा रही सहायता को कम करना भारत के लिए जरूरी नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते से वास्तव में हमारे कृषि संबंधी विकास परक नीतियों के अनुपालन में कोई अड़चनें नहीं आ रही हैं। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन समझौता हमें पूर्वाभास व नियम आधारित बहु-पक्षीय व्यापार व्यवस्था प्रदान करता है जिससे विकासशील देशों को विकसित देशों के द्विपक्षीय दबाव से सुरक्षा मिल जाती है। विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर कर देने से निर्यात के उद्देश्य से भारत को विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों का सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र का दर्जा स्वत: ही मिल जाता है।

खाद्य तेलों को छोड़कर शेष आयात ढांचे में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। खाद्य तेलों का आयात इसलिए किया जाता है कि मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच काफी अंतर रहता है।

आयात पर निगरानी रखने के उद्देश्य से सरकार ने संवदेनशील मदों के आयात की मानिटरिंग करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न अनुकूल उपायों का उपयोग करके घरेलू उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इन उपायों में शामिल हैं – निर्धारित सीमा तक तटकर में वृद्धि करना, एण्टी डंपिंग और सुरक्षात्मक कार्रवाई और विशेष परिस्थिति में काउण्टरवेलिंग ड्यूटी लगाना। इसके अलावा, हाल ही में दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन में सदस्य देशों ने बाजार तक पहुंच के मामले में सुधार लाने, घरेलू समर्थन पर प्रतिकूल असर डालने वाले व्यापार में काफी हद तक कटौती करने और निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने पर बातचीत करने के लिए प्रति बद्धता जाहिर की है। विकासशील देशों के साथ विशेष तथा अलग से बर्ताव किया जाना जिसमें खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास भी शामिल है, कृषि संबंधी अनिवार्य वार्तालाप का अभिन्न अंश बन गया है।

कांटिलो निलामाधाव को पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित किया जाना

3234. **डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा स्थित कांटिलो निलामाधाब को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा किसी स्थान को पर्यटक केन्द्र घोषित करने की प्रथा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना

3235. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में किसानों द्वारा अपनी धान और गेहूं की फसलों को जलाए जाने की घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नालको की विस्तार योजना

3236. श्री विक्रम केशरी देव : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कपंनी ने कोई विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किया जाने वाला निवेश कितना है; और

(घ) अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख विस्तार परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है :

क्रमांक	विस्तार परियोजना का नाम	स्थान	मौजूदा क्षमता (टन)	विस्तार के बाद क्षमता (टन)	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)
1.	बाक्साइट खानें	दामनजोड़ी	24 लाख	48 लाख	1664.60 (खानें + शोधनशाला)
	एल्यूमिना शोधनशाला	दामनजोड़ी	8 लाख	15.75 लाख	
2.	एल्यूमिनियम प्रगालक	अंगुल	8 लाख	3.45 लाख	2062 (प्रगालक + सी०पी०पी०)
	गृहीत विद्युत संयंत्र (सी०पी०पी० की 7वीं यूनिट	अंगुल	720 मेगा-वाट	840 मेगा-वाट	
3.	सी०पी०पी० की 8वीं यूनिट	अंगुल	840 मेगा-वाट	960 मेगा-वाट	480

पौध संगरोध कार्यालय का गठन

3237. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय निर्यातक एवं आयातक संगठन ने पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय से दावकी में पौध संगरोध कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्यालय को स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आयुक्त, सीमाशुल्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र शिलांग के माध्यम से दावकी में पौध संगरोध कार्यालय खोलने के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ था। एक नया पौध संगरोध कार्यालय खोलना उस केन्द्र पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा पर निर्भर करता है और इसके लिए स्टाफ प्रदान करने के लिए नये पदों के सृजन की आवश्यकता होती है। 9वीं योजना के दौरान प्रस्तावित नये पौध संगरोध केन्द्रों में दावकी शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

सेवा निवृत्ति की आयु

3238. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन के क्षेत्र में सरकार के स्वामित्ववाली उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को घटाकर 58 वर्ष कर दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अपनी शेष कंपनियों में भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को घटाकर 58 वर्ष करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को भी घटाकर 58 वर्ष करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु घटाकर 58 वर्ष कर दी है।

(ख) से (ङ) इस समय सरकार के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित शेष उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बागडोगरा से कोलकाता के लिए नियमित विमान सेवा

3239. श्री पी० मोहन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा से कोलकाता और वापसी के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने के संबंध में विमानपत्तन प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) कुछ समय पहले ही पश्चिमी बंगाल सरकार से बागडोगरा और कोलकाता के बीच विमान सेवाएं बढ़ाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ग्रीष्म शड्यूल के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स कोलकाता और बागडोगरा के बीच सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा प्रचालित कर रही थी। इस विमान सेवा के प्रचालन की फ्रीक्वेंसी को 28 अक्तूबर, 2001 से शीतकालीन शड्यूल के अनुसार बढ़ाकर सप्ताह में 5 दिन कर दिया गया है।

असम स्थित लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर धावन पट्टी का निर्माण

3240. श्रीमती रानी नरह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में लीलाबाड़ी विमानपत्तन (उत्तरी लखीमपुर) पर धावन पट्टी और वायु यातायात नियंत्रण भवन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) लीलाबाड़ी विमानपत्तन से आने-जाने के लिए उड़ानों के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) लीलाबाड़ी हवाई अड्डे के रनवे का 7500 फीट तक विस्तार/सुदृढ़ीकरण का कार्य मई, 2001 में पूरा हो गया था। इस हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल बिल्डिंग का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है तथा इसके मार्च, 2002 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस को इस एयरपोर्ट पर अपने प्रचालन कार्य शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के विकास तथा रनवे की उपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया है। एयरलाइंस मार्ग संवितरण सिद्धांतों के अध्यधीन वाणिज्यिक तथा प्रचालन साध्यता आधार पर अपनी सेवाएं तैयार करती है।

एयर इंडिया द्वारा विधिक खर्चों में धन का दुरुपयोग

3241. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा विधिक खर्चों में धन का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें एयर इंडिया का कोई अधिकारी संलिप्त है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पायलटों और पायलट प्रशिक्षुओं का सर्वेक्षण

3242. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
डा० डी०वी०जी० शंकर राव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 11 सितम्बर, 2001 को न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हाल ही के आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए सभी पायलटों और पायलट प्रशिक्षुओं का सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रिक्तियों का अनारक्षण

3243. श्री मोहन एस० देलकर : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को, उनके ''अनारक्षण'' पर लगे प्रतिबंध के बावजूद ''अनारक्षित'' किया जा रहा है और ''अन्य लोगों'' से भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें 1 अप्रैल, 1989 से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया गया है और अन्य लोगों से भरा गया है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

जलजीव विकास

3244. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वयन हेतु मृदु जल में जलजीव विकास योजना का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है और उसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। ''ताजा जल जलकृषि का विकास'' संबंधी चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना को वर्ष 2001-02 के लिए जारी रखने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को जारी कर दी गई है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी नहीं की गई है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास पिछले वर्षों में योजना के तहत जारी की गई राशि में से 145.91 लाख रुपए की खर्च न की गई राशि शेष है।

बेरोजगार युवा

3245. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री ए०के० मूर्ति :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है/आरंभ करने का प्रस्ताव है

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध कराने को महत्व दिया गया और इसे दसवीं योजना तथा उससे आगे के लिए प्रबोधनीय उद्देश्य माना गया। दसवीं योजना की विकास नीति में उन क्षेत्रों के द्रुत विकास पर बल दिया जाएगा, जहां उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा रोजगार सृजन में बाधक नीतिगत कठिनाईयों के समाधान की सम्भावना है। उच्च रोजगार सम्भावना वाली आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिसमें निर्माण, वास्तविक सम्पदा तथा आवास, परिवहन, लघु उद्योग (एसएसआई) आधुनिक खुदराकरण, सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) जन्य सेवाएं तथा सहयोगी नीतियों के माध्यम से संवर्धित की जा सकने वाली अन्य नई सेवाएं शामिल हैं। पर्यटन की पूर्ण क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र पर भी बल दिया जाएगा।

दसवीं योजना में रोजगार नीति में रोजगार वृद्धि तथा रोजगार के गुणवत्तात्मक पहलू पर बल दिया जाएगा। निर्धनों की अवसरों तक पहुंच तथा कौशलों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास पर भी बल दिया जाना आवश्यक होगा।

सरकार रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस० आर०वाई०) 1.12.97 से चल रही है, जिसमें गरीबों को भी लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

3246. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक जिलों में जिलाधीशों/उपसमाहर्ताओं के बार-बार स्थानातंरण के कारण केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पाता और विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को बिना किसी विलंब के क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्देशित होती है तथा केन्द्रीय निधियों और/अथवा राज्यों के उचित योगदान से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग केन्द्र द्वारा प्रायोजित अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति का प्रबोधन करते हैं तथा अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की खामियों को दूर करने के उचित उपाय करते हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाएं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं, का भी प्रबोधन केंद्रीय आधार पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जात है, जो, इन योजनाओं के कार्यान्वयन की कमियों के क्षेत्रों को अपनी मासिक रिपोर्टों के द्वारा प्रकाशित करता है। मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया है कि कुछ जिलों में जिलाधीशों/उपसमाहर्ताओं के बार-बार स्थानांतरण के कारण केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं तथा विकासात्मक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) की वर्ष 1999 की अवधि की रिपोर्ट में, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारणों में से एक कारण यह है कि एक अधिकारी एक पद पर अधिक समय के लिए नहीं रहता है। अखिल भारतीय सेवाओं की योजना के संबंध में, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती का विषय राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, जिला स्तर पर शीर्ष पदों पर कार्यरत भातीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करने हेतु नियमों को बदलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारणों में से एक है भारी संख्या में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, जिनका प्रभावी रूप से प्रबोधन कठिन होता है जिन्हें राज्यों द्वारा प्रतिस्थानी निधियां उपलब्ध न कराए जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे निधियों की उपलब्धता के संबंध में क्षेत्र स्तर पर अनिश्चितता उत्पन्न होती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्यों को हस्तांतरित करने के मामलों की जांच राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक उप समिति कर रही है।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य

3247. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित प्रसंस्कृत खाद्य सामग्रियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि करने हेतु किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय से संबंधित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनके राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) निर्यात उत्पादों का काम देखने वाले कृषि निर्यात अंचलों जिनका दृष्टिकोण 'प्रसंस्करण से विपणन तक' है, को बढ़ावा देने के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात उद्देश्य से उत्पादन करने वाली यूनिटों को निम्नलिखित के वास्ते वित्तीय सहायता देते हैं :–

1. खेत से बाजार तक शीत श्रृंखला, एकीकृत कारगो सार संभाल एवं विभिन्न बंदरगाहों में शीतागारों की सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए।
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन समेत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए।
3. गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा एच०ए०सी०सी० पी० एवम आई०एस०ओ० 9000 का कार्यान्वयन जैसे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए।
4. पैकेजिंग सामग्री एवम प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए।
5. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न उत्पादों के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों का आयोजन करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए।
6. प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण योग्य कच्चे माल की किस्में उपलब्ध कराने में सहायता के लिए।
7. उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पाद के प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान एवं विकास के लिए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात के ब्यौर

(मूल्य: करोड़ रु० में)

मद	1998-99	1999-2000	2000-2001
प्रसंस्कृत फल एवम सब्जी	705.6	993.6	1345.5
पशु उत्पाद	851.7	905.0	1637.1
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य (गुआर गम, मूंगफली, अल्कोहल युक्त पेय, मिल में तैयार उत्पाद आदि)	1134.5	1494.4	1798.0
चावल	6279.4	3125.8	2943.3
अखरोट	68.9	60.5	109.9
समुद्री उत्पाद	4626.8	5116.6	6443.8
कुल	13666.9	11695.9	14277.6

[अनुवाद]

वन्य जीव की तस्करी

3248. **श्री अम्बरीश :**
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीवों की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक जब्त की गई वन्य जीव सामग्री (खाल आदि) की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वन्य जीव सामग्रियों को अवैध रूप से रखने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ङ) देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(च) वन्य जीव की तस्करी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) हाल में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा की गई जब्तियों से यह पता चलता है कि वन्य जीवों और इसके उत्पादों के अवैध व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है समूचे देश में वन्य जीवों की सामग्री की कुल मात्रा के ब्यौरे केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण जब्तियों और पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) वन्यजीवों की बढ़ती तस्करी की समस्या से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या सहित प्रमुख जब्तियों का ब्यौरा।

क्र०सं०	पता लगाए गए मामले	दिनांक	पकड़े गए व्यक्ति और की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में 3 बाघ की खालों, 50 तेंदुए की खालों और 5 ओटर की खालों की जब्ती	18.12.1999	8 अपराधी पकड़े गए। न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।
2.	खागा में 4 बाघ की खालों, 70 तेंदुओं की खालों, 18000 तेंदुओं के पंजे, 132 बाघ के पंजे और 221 काले हिरणों की खालों की जब्ती	12.1.2000	6 अपराधी पकड़े गए। न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।
3.	हल्द्वानी में 50 तेंदुओं की खालों और 15 ओटर की खालों की जब्ती	6.5.2000	कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

1	2	3	4
4.	हल्द्वानी में 30 तेंदुओं की खालों की जब्ती	21.5.2000	कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
5.	वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा 1757 सांप की खालों की जब्ती	12.6.2000	3 अपराधी पकड़े गए। मामला न्यायालय में है।
6.	वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा कोम्बाकोनम के पास तमिलनाडु में 2000 कोबरा, रसल वाइपर और अन्य सांपों की खालों की जब्ती	13.6.2000	5 व्यक्ति पकड़े गए। मामला न्यायालय में है।
7.	दिल्ली में 70 शालों, 26 शुद्ध शहतूशों और 44 संदेहास्पद शहतूश शालों की जब्ती	2.2.2001	2 अपराधी पकड़े गए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
8.	नागपुर में 1 बाघ की खाल, 5 बाघों की खोपड़ियां, 10 बाघों के पंजे, 23 कि०ग्रा० बाघों की हड्डियां, 3 बाघों के दांत और 4 तेंदुओं की खालों की जब्ती	21.3.2001	6 अपराधी पकड़े गए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

विवरण-II

(1) राज्य स्तर पर की गई कार्रवाई :

i. बाघों और वन्य जीवों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

ii. अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई :

i. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

ii. केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

iii. विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

iv. अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

v. निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके अंगों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

vi. राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

vii. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

viii. वन्यजीवों के अचानक आक्रमणों से स्थानीय समुदायों द्वारा वनों से पलायन की घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र

सरकार वन्यजीवों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी संबंधियों को एक लाख रु० तक का मुआवजा देती है।

ix. बाघ के अंगों और इससे बने उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए एक कार्य नीति तैयार करने हेतु अप्रैल, 2001 के दौरान दिल्ली में साइटस के बाघ प्रवर्तन कार्य बल की एक बैठक आयोजित की गई।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई :

i. भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के उपबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

ii. सीमापार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए चीन गणतंत्र के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा महामहिम नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए विपणन सुविधाएं

3249. श्री हरिभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार दबाव के कारण किसानों को अपने उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए विपणन सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्य कृषि विपणन अधिनियमों के तहत स्थापित बाजार परिसरों में उत्पादों की बिक्री करने के लिए किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान करती हैं। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में 34,598 थोक और ग्रामीण प्राथमिक मंडिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न राज्य एजेंसियां तथा भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति को कारगर बनाने के लिए विभिन्न मंडियों और प्रमुख स्थलों पर बहुत से खरीद केंद्र स्थापित करते हैं। वर्ष 2000-01 के रबी और खरीफ विपणन मौसमों के लिए क्रमश: 8110 और 6633 खरीद केन्द्र खोले गए।

(ग) कृषि उत्पाद मंडियों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत भारत सरकार ने 1972-73 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान 3658 मंडियों के विकास के लिए धनराशि प्रदान की।

कृषि विपणन सूचना तंत्र संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम क्रियान्वित की जा रही है ताकि किसानों, व्यापारियों आदि द्वारा प्रभावी और उचित समय पर उपयोग किए जाने हेतु मण्डी सूचना/आंकड़ों के तेजी से एकत्रण और प्रचार-प्रसार में मदद की जा सके।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत इस क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए थोक मंडियों, ग्रामीण प्राथमिक मंडियों के विकास और प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

सरकार ने देश में मौजूदा विपणन प्रणाली की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया था इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में कृषि विपणन के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत से सुधारों की सिफारिश की है।

उस विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों के क्रियान्वयन के लिए सिफारिशों की जांच करने तथा उपाय सुझाने के लिए एक अन्तरमंत्रालयी कार्य बल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से भी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने तथा कार्य बल को अपना 'फीड बैंक' प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

कपास के बीज और गन्ने की किस्में

3250. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक कपास बीजों और गन्ने के पौध की बेहतर किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान में लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को इन किस्मों को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कपास सुधार परियोजना के 21 केन्द्र जो विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस०ए०यू०) में स्थित हैं और 2 राष्ट्रीय संस्थानों नामत: गन्ना प्रजनन संस्थान (एस०बी०आई०), कोयम्बटूर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, 20 अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजनाएं जो देश के विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित हैं, क्रमश: कपास और गन्ना की सुधरी किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यों में लगे हुए

हैं। सुधरी किस्मों/संकरों का विकास एक नियमित प्रक्रिया है। फिर भी, पिछले पांच सालों में देश के विभिन्न राज्यों में खेती के लिए कपास की 52 किस्मों/संकरों तथा गन्ने की 17 किस्मों को विकसित/जारी किया गया है।

(ग) विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा कई सुधरी किस्मों/संकरों का उत्पादन किया जा रहा है तथा किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर भी, हाल ही में जारी की गई बीज की किस्में बीज उत्पादन प्रक्रिया में है तथा किसानों को प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज 3 से 4 साल के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे।

[अनुवाद]

अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० के लिए आरक्षण

3251. **श्री के०ए० सांगतम :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग्यता के आधार पर चयनित अ०जा०/अ०ज०जा० और पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत अ०जा०/अ०ज०जा० और पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जो विभिन्न सेवा श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती पदोन्नत हुए और उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई;

(ग) क्या अ०जा०/अ०ज०जा० और पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर चयनित किया जाने के बावजूद उन्हें उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों में दर्शाया/समायोजित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। यह एक नीति है और इसका पालन पर्यटन मंत्रालय में किया जा रहा है।

(ख) शून्य

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण

3252. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, सरकारी क्षेत्र और स्वायतशासी संगठन/निगम सरकार के निदेशों का उचित पालन सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे संगठनों/कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है जो प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिष्ठान और कर्मचारियों संबंधी मामले को निपटाते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितने सम्पर्क अधिकारी नामांकित किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बकाया आरक्षित रिक्तियां

3253. **श्री के०एच० मुनियप्पा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित/"पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, "पद आधारित रोस्टर" के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/जमा पदों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यावरण संबंधी न्यायालय

3254. **डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि सभी पर्यावरण संबंधी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, और अपीलीय

प्राधिकरणों में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वैज्ञानिकों के दल से एक वैज्ञानिक शामिल होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने 1998 की एस०एल०पी० (सी) सं० 10317-10320 के परिणामस्वरूप 1999 की सिविल अपील सं० 368-371 के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 1999 के अपने आदेश में यह कहा है कि "हमारे विचार में भारत सरकार को पर्यावरणीय कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित विवादों के उचित एवं सही अधिनिर्णय के लिए समस्त पर्यावरणीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अपीलीय प्राधिकरणों में सदैव उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश के दर्जे का न्यायाधीश और उच्च दर्जे का व अनुभव प्राप्त वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिक समूह मौजूद हो –" राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 व राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में अनुरूपी प्रावधान मौजूद हैं।

कोचीन से उड़ानें संचालित करने के लिए विदेशी एयरलाइनों को अनुमति देना

3255. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री के० फ्रांसिस जार्ज :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री की कुमारोकोम पैकेज की घोषणा के अनुसार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए नदुम्बारसेरी विमानपत्तन, कोचीन से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए विभिन्न विदेशी एयरलाइनों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति हेतु कितनी विदेशी एयरलाइनों ने उनके मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ग) ऐसी अनुमति जिन एयरलाइनों को दी गई उनका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) ओमान एयर, सिल्क एयर, कुवैत एयरवेज, अमीरात, यमन एयरवेज, क़तर एयरवेज, सऊदिया, गल्फ एयर, श्रीलंका एयरलाइंस, ऐरोफ्लोट तथा उज़बेकिस्तान एयरवेज ने कोचीन आने-जाने वाले हवाई जहाज चलाने के लिए क्लीयरेंस मांगने के लिए इस मंत्रालय से संपर्क किया है।

(ग) ओमान एयर और सिल्क एयर (सिंगापुर) के लिए कोचीन को प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दुबई की अमीरात एयरलाइन को भी सितम्बर 2002 से कोचीन तक आने की मंजूरी दे दी गई है।

बीजों की नई संकर किस्में

3256. श्री आर०एस० पाटिल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर ने कर्नाटक में किसानों को बीजों की नई संकर किस्मों को दिए जाने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कर्नाटक में बंगलौर और धारवाड़ में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय संकरों के विकास पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर को कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान करने का कार्यादेश है।

(ख) दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर और धारवाड़) ने चावल, ज्वार, मक्का, सूरजमुखी और कपास की संकर विकसित और जारी किए हैं। जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण संकर हैं :–

(i) चावल : के०आर०एच०-1 और के०आर०एच०-2

(ii) ज्वार : डी०एस०एच०-3 (खरीफ), डी०एस०एच०-4 (रबी)

(iii) मक्का : डी०एम०एच०-2

(iv) सूरजमुखी : के०बी०एस०एच०-1, के०बी०एस० एच०-41 और के०बी०एस०एच०-42

(v) कपास : डी०एच०एच०-11

इन विश्वविद्यालयों ने किसानों को इन्हें वितरित किए जाने से पहले और आगे बीज गुणक के लिए विभिन्न संकरों की पैतृक प्रजनक बीजों की आपूर्ति, कर्नाटक बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, अन्य राज्य बीज निगमों और निजी क्षेत्र के संगठनों, को की है।

(ग) कर्नाटक सरकार की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है और इन संकरों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा कर्नाटक सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इन बीजों का वितरण किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

3257. डा० सी० कृष्णन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को राज्य सरकारों से अधिगृहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शिवकाशी जैसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वतन्त्र कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक अस्पताल को आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सौंपने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति मांगी गई है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने शिवकासी में 50 बिस्तर का एक अस्पताल स्थापित किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई की छिड़काव प्रणाली

3258. श्री सुरेश चन्देल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई की छिड़काव प्रणाली की अधिष्ठापना के लिए किसानों को राजसहायता स्वीकृत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में छिड़काव प्रणाली से राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है;

(घ) क्या इस परियोजना का लाभ केवल बड़े किसानों को मिल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। सहायता का प्रतिमान इस प्रकार है कि अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं और छोटे तथा सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर सेट की कीमत का 50% लेकिन अधिकतम 15,0000/- रु० तक की सहायता दी जाती है। साधारण किसानों को स्प्रिंकलर सेट की लागत के 33% लेकिन अधिकतम 10,000 रु० तक की सहायता दी जाती है।

(ग) स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत राज्यवार कुल क्षेत्र का हिसाब नहीं लगाया जाता है।

(घ) और (ङ) (क) और (ख) के उत्तर से स्पष्ट है कि सभी प्रकार के किसानों को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है। साधारण किसानों की अपेक्षा छोटे और सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला किसानों को ज्यादा सहायता मिल रही है।

[अनुवाद]

मधुमक्खी पालन का विकास

3259. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुधमक्खी पालन के विकास हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) देश में मधुमक्खी पालन उद्योग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) फसल उत्पादकता में सुधार लाने हेतु मधुमक्खी पालन विकास नामक एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना कृषि मंत्रालय द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1994-95 से शुरू की गयी थी। यह योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना में सितम्बर, 2000 तक चलती रही। तत्पश्चात् अक्टूबर, 2000 में इस योजना को "कृषि में वृहद् प्रबंधन – कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" नामक एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना में सामाहित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य अपनी जरूरत के मुताबिक योजनाओं का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अपने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण उद्योग परियोजना को वित्तीय सहायता देता है। इन परियोजनाओं में मधुमक्खी पालन ईकाईयां भी शामिल है। इसके अलावा, यू०एन०डी० पी० – के०वी०आई०सी० परियोजना के एक भाग के रूप में भी मधुमक्खी पालन के उपकार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पालन के विकास के लिए कार्ययोजनाओं में निर्धारित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने तमिलनाडु को 1999-2000 के दौरान अपने बजट संसाधनों से 3.99 लाख रुपया दिया है। इसके अलावा, कन्सर्टियम बैंक ऋण स्रोतों से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को क्रमश: 15.36 लाख रुपये और 5.79 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के परिदृश्य के अंतर्गत मखुमक्खी पालन के अंतर्गत उत्पादन और रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 के दौरान वृहद् प्रबंधन योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए दी गई धनराशि

राज्य	धनराशि (लाख रुपये में)
बिहार	41.75
गुजरात	13.25
हरियाणा	24.75
हिमाचल प्रदेश	5.20
झारखंड	10.80
केरल	34.50
मिजोरम	20.00
राजस्थान	11.80
उत्तर प्रदेश	79.75
दिल्ली	3.00

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की गतिविधियां

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मधु उत्पादन मूल्य (लाख रुपये में)	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26.59	0.01
2.	अरूणाचल प्रदेश		
3.	असम	309.01	0.31
4.	बिहार	424.97	0.32
5.	गोवा		
6.	गुजरात	48.91	
7.	हरियाणा	54.32	0.01
8.	हिमाचल प्रदेश	73.80	0.03
9.	जम्मू व कश्मीर	74.14	0.01
10.	झारखंड		
11.	कर्नाटक	175.09	0.13
12.	केरल	320.10	0.18
13.	मध्य प्रदेश	2.69	
14.	महाराष्ट्र	51.50	0.01
15.	मणिपुर	120.33	0.09
16.	मेघालय	47.29	0.03
17.	मिजोरम	13.33	
18.	नागालैंड	21.12	
19.	उड़ीसा	134.39	0.19
20.	पंजाब	119.03	
21.	राजस्थान	2.48	
22.	सिक्किम	5.04	0.01
23.	तमिलनाडु	659.00	0.73
24.	त्रिपुरा	20.79	0.01
25.	उत्तर प्रदेश	142.17	0.05
26.	उत्तरांचल		
27.	पश्चिम बंगाल	540.89	0.18
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
29.	चंडीगढ़		
30.	दादरा व नागर हवेली		
31.	दमण व द्वीव		
32.	दिल्ली	24.42	
33.	लक्षद्वीप		
34.	पांडिचेरी	1.17	
		3412.57	2.30

खनिज आधारित इकाइयों की स्थापना

3260. श्री जी०जे० जावीया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में, विशेषकर पोरबंदर और सौराष्ट्र में खनिज आधारित इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 1991 में अपनाई जा रही उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत्

उद्यमी कोई भी खनिज आधारित अद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार का गुजरात में अपनी ओर से खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

कृषि का वृहत प्रबंधन

3261. **श्री दिन्शा पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'कार्य योजनाओं' के माध्यम से एक नई अभिकल्पना ''कृषि का वृहत प्रबंधन'' अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई योजना से गुजरात सहित अन्य राज्यों को किस सीमा तक लाभ हुआ है; और

(घ) प्रथम वर्ष में आज तक नई अभिकल्पना से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, हां। कृषि तथा सहकारिता विभाग ने 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को समेकित करते हुए वृहत प्रबंध स्कीम शुरू की। वृहत प्रबंध स्कीम का उद्देश्य राज्यों द्वारा निरूपित कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि का समग्र विकास करना है। अल्प वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के अलावा, लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं –

- स्थानीय आवश्यकताओं और फसल/क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिताओं का परिलक्षण।
- राज्यों को अत्यधिक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
- अल्प वित्तीय संसाधनों का अनुकुलतम उपयोग।
- क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना।

वृहत प्रबंध स्कीम के तहत राज्य के परामर्श से प्राप्त किए गए और अंतिम रूप दिए गए कार्य योजना प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में एकमुश्त धनराशि निर्मुक्त की जाती है। राज्यों को कुछ निश्चित शर्तों के अधीन उनके कार्य योजना प्रस्तावों में निरूपित किए गए अनुसार विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रवार आबंटनों को अंतिम रूप देने के लिए स्वतंत्रता दी गई है।

वर्ष 2000-01 के दौरान वृहत प्रबंध स्कीम के तहत गुजरात सहित राज्यों को उनकी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 378.88 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 2000-01 के दौरान राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2001-02 के दौरान इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए बजट प्राक्कलन 2001-02 में 850 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है। इसमें से 378.15 करोड़ रु० (लगभग) की राशि पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त की गई है जिसमें विवरण में दर्शाये गये अनुसार गुजरात शामिल है।

चूंकि स्कीम नवंबर, 2000 में शुरू की गई थी, प्राप्त परिणामों का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2001-02 के अंत तक ही उपलब्ध होगा।

विवरण

वृहत प्रबंधन प्रणाली के तहत राज्यवार आबंटन

(लाख रुपये में

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-01 में निर्मुक्ति	2001-02 में निर्मुक्ति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1362.79	2025.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	473.15	219.50
3.	असम	409.47	523.50
4.	बिहार	261.07	1800.00
5.	झारखंड		675.00
6.	गोवा		90.00
7.	गुजरात	1511.43	1800.00
8.	हरियाणा	916.28	810.00
9.	हिमाचल प्रदेश	687.51	810.00
10.	जम्मू व कश्मीर	492.64	810.00
11.	कर्नाटक	4222.00	2925.00
12.	केरल	2672.93	1800.00
13.	मध्य प्रदेश	1518.40	2250.00
14.	छत्तीसगढ़	963.00	765.00
15.	महाराष्ट्र	6884.75	4500.00
16.	मणिपुर	390.35	345.00
17.	मिजोरम	466.30	360.00
18.	मेघालय	466.39	202.74
19.	नागालैंड	1016.47	501.00
20.	उड़ीसा		1485.00
21.	पंजाब	500.00	1035.00
22.	राजस्थान	3438.55	3600.00
23.	सिक्किम	635.28	162.86
24.	तमिलनाडु	2807.00	2250.00
25.	त्रिपुरा	340.59	350.00

1	2	3	4
26.	उत्तर प्रदेश	4033.00	3420.00
27.	उत्तरांचल	690.00	630.00
28.	पश्चिम बंगाल	728.65	1125.00
29.	चंडीगढ़		50.00
30.	दादर व नागर हवेली		135.00
31.	दिल्ली		—
32.	लक्षद्वीप		90.00
33.	पांडिचेरी		135.00
34.	दमण व द्वीव		45.00
35.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		90.00
	योग	37888.00	37814.60

मत्स्य पालन

3262. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों को मंजूरी प्रदान की गई है। स्थापना/संवर्धन के लिए स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ताजा जल जलकृषि	खारे जल में मछली पालन	मात्सिकी प्रशिक्षण और विस्तार	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना	आई०सी०ए० आर०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	3	—	—	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	1	—	—	1
3.	असम	1	—	—	—	—	1
4.	बिहार	—	—	3	—	—	3
5.	गोवा	—	1	1	—	—	2
6.	गुजरात	—	1	2	—	—	3
7.	हरियाणा	1	—	1	—	—	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	3	—	—	4
9.	जम्मू व कश्मीर	1	—	3	—	—	4
10.	कर्नाटक	1	1	5	—	—	7
11.	केरल	1	1	1	—	1	4
12.	मध्य प्रदेश	1	—	3	—	—	4
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	—	1	3
14.	मणिपुर	1	—	2	—	—	3
15.	मेघालय	1	—	2	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	1	—	1	—	—	2
17.	नागालैंड	1	—	3	—	—	4
18.	उड़ीसा	1	1	2	1	1	6
19.	पंजाब	1	—	4	—	—	5
20.	राजस्थान	1	—	—	—	—	1
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1	1	5	—	1	8
23.	त्रिपुरा	1	—	2	—	—	3
24.	उत्तर प्रदेश	1	—	3	—	—	4
25.	उत्तरांचल	—	—	—	—	1	1
26.	पश्चिम बंगाल	1	1	2	1	—	5
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	—	—	1
28.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
29.	दादर एवं नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
30.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
31.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
33.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
34.	छत्तीसगढ़	—	—	1	—	—	1
35.	झारखंड	—	—	1	—	—	1
	योग	20	9	55	2	5	91

विमानों को उड़ान उपयुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र

3263. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री अम्बरीश :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों को उड़ान उपयुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई विमानों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुकरण किए बिना ही उड़ान उपयुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है/की जा रही है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 50 के तहत नागर विमानन के महानिदेशक (डी०जी०सी०ए०) के एयरवर्दीनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीकरण अथवा वैलीडेट करने का अधिकार दिया गया है। डी०जी०सी०ए० द्वारा जारी किया गया एयरवर्दीनेस प्रमाण-पत्र एक साल तक वैध होता है। जिसमें यह सुनिश्चित किया होता है कि एयरक्राफ्ट का निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुसार किया गया है तथा डी०जी०सी०ए० द्वारा निर्धारित विभिन्न उपकरण एयरक्राफ्ट में लगे हों।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपास का समर्थन मूल्य

3264. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के समर्थन मूल्य की घोषणा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपास के समर्थन मूल्य की घोषणा के बावजूद भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में आज तक कपास की खरीद नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कपास की खरीद कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कपास मौसम 2001-2002 के लिए सरकार ने आधारभूत किस्मों जैसे एफ-414/एच-777/जे-34 का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1675/- रु० प्रति क्विंटल और एच-4 किस्म के लिए 1875/- रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अन्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कपड़ा मंत्रालय द्वारा आधारभूत किस्मों के बाजार मूल्य अंतर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) मूल्य समर्थन योजना के अतर्गत भारतीय कपास निगम, एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी, ने कच्चे माल के मूल्य समर्थन कार्यक्रम चलाए हैं और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 2001-2002 मौसम के दौरान 26.11.2001 तक कच्चे कपास की 170 किग्रा० प्रत्येक की 26300 गांठों की कुल मात्रा की अधिप्राप्ति की है। मध्य प्रदेश का अंश 5785 गाठें है। अधिप्राप्ति की जा रही है। महाराष्ट्र के संबंध में, 7.11.2001 से एकाधिकार क्रय योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक विपणन परिसंघ द्वारा अधिप्राप्ति आरंभ की जा रही है और इसने पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान अधिप्राप्त 5.30 लाख गाठों की तुलना में 30.11.2001 तक लिंट कपास की 170 किग्रा० प्रत्येक की 5.36 लाख गांठों के बराबर कपास की अधिप्राप्ति की है।

उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालय

3265. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षित करने वाले मान्यताप्राप्त उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालय कितने है;

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थी पायलटों के लिए उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में और अधिक उच्च स्तरीय पायलट प्रशिक्षण विद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) देश में उड़ान प्रशिक्षण दिलाने वाले 44 मान्यताप्राप्त उड़ान प्रशिक्षण स्कूल/क्लब/संस्थाएं हैं जिनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थाओं की सूची

(क) सबसिडी स्कीम के अधीन आने वाले उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थान

अण्डमान और निकोबार आईसलैंड

अण्डमान और निकोबार फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर (अक्तूबर, 1998)

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (08.09.1958)

असम

असम फ्लाइंग क्लब, गोवाहाटी (28.2.1967)

बिहार

बिहार फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पटना (1940)
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर (1966)

दिल्ली

दिल्ली फ्लाइंग क्लब, (28.5.1923)

गुजरात

गुजरात फ्लाइंग क्लब, वडोदा (20.12.1958)

हरियाणा

हरियाणा इन्स्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल (1967)
हिसार एविएशन क्लब, हिसार (1965)
पिंजौर एविएशन क्लब, पिंजौर (01.04.1991)

कर्नाटक

गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बैंगलोर (1948)

केरल

केरल एविएशन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम (14.07.1959)

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर, भोपाल में एक शाखा सहित (1951)

महाराष्ट्र

अजंता फ्लाइंग क्लब, औरंगाबाद
बम्बई फ्लाइंग क्लब, मुंबई (09.05.1928)
नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर (1948)

उड़ीसा

गवर्नमैंट एविएशन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भुवनेश्वर (1946)

पंजाब

अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर (1962)
लुधियाना एविएशन क्लब (1.1.1968)
नॉर्दर्ड इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर कैंट
पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला (अक्तूबर, 1962)

राजस्थान

बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब (11.08.1996)
राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर (31.1.1975)

तमिलनाडु

कोयम्बटूर एविएशन ट्रेनिंग एकेडेमी, कोयम्बटूर (1960)
मद्रास फ्लाइंग क्लब, चैन्नई (04.03.1930)

उत्तर प्रदेश

गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और वाराणसी में तीन शाखाओं सहित (01.08.1980)

पश्चिम बंगाल

गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता (7.8.1963)

(ख) प्राइवेट उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थान

आन्ध्र प्रदेश

फ्लाईटैक एविएशन एकेडेमी, हैदराबाद (1.1.1996)
विंग्स एविएशन प्रा०लि० हैदराबाद (9.10.1998)

बिहार

टाटा नगर एविएशन, जमशेदपुर (22.07.1996)

गुजरात

अहमदाबाद एविएशन एकेडेमी (01.05.1994)

कर्नाटक

एकेडेमी ऑफ कार्वर एविएशन (प्रा०) लि०, बेलगाम
बंगलौर एरोनॉटिक्स टैक्नीकल सर्विसेस प्रा०लि० (बीएटीएस) (12.01.1994)
तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लि०, बंगलौर (16.04.1996)

मध्य प्रदेश

फ्रैंक एयरवेज प्रा०लि०, इन्दौर (06.11.1992)

पॉण्डिचेरी (यूनियन टैरीटरी)

ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल, पाण्डिचेरी (26.12.1994)

राजस्थान

राजपुताना एविएशन एकेडेमी, कोटा (22.07.1996)

तमिलनाडु

टेटरा एविएशन एकेडेमी, सलेम (04.02.1997)

उत्तर प्रदेश

गर्ग एविएशन लिमिटेड, कानपुर (11.10.1996)

(ग) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसत गंज (उत्तर प्रदेश (21.3.1985)

[अनुवाद]

काली मिर्च का उत्पादन

3266. श्री वैको : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विश्व की तुलना में काली मिर्च का कितना उत्पादन हुआ और इस संबंध में देश-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) देश में, विश्व की तुलना में आगामी मौसम में काली मिर्च का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और इस संबंध में देश-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी आन्तरिक खपत होने का अनुमान है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विश्व की तुलना में काली मिर्च के मूल्य का वर्षवार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) काली मिर्च के मूल्य में कितनी गिरावट आने का अनुमान है और उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिये देश में काली मिर्च के उत्पादन के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। ये निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
उत्पादन (हजार मी० टन)	57.33	66.36	58.29

देश में आगामी मौसम के लिये काली मिर्च के उत्पादन का आकलन नहीं किया जाता है। विश्व/अन्य देशों के मामले में भी इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन वर्ष पुस्तिका से वर्ष 1997, 1998 और 1999 के लिये विश्व के विभिन्न देशों में मिर्च और काली मिर्च के उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) काली मिर्च की आन्तरिक खपत के संबंध में कोई सरकारी आकलन तैयार नहीं किया जाता है।

(घ) वर्ष 1998 से 2000 तक की अवधि के दौरान ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम में स्थित स्थलों की तुलना में भारत में महत्वपूर्ण स्थलों पर काली मिर्च के मासिक मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान काली मिर्च के थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1993-94 = 100) का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई०)
1997-98	421.1
1998-99	511.2
1999-2000	525.9
2000-01	501.4
2001-02*	303.2

*अप्रैल 2001 से अगस्त 2001 के 5 महीनों का औसत

काली मिर्च के मूल्यों में गिरावट का प्रमुख कारण अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति स्थिति में वृद्धि और यह है कि खरीद करने वाले प्रमुख देशों में अपना इन्वेन्टरी स्तर घाटा दिया है।

(च) सरकार ने निर्यात की स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं जिनसे आगे चलकर किसानों को मदद मिलेगी।

* गुणवत्ता नियन्त्रण सहित अन्त:गृह प्रयोगशालाओं सहित अवसंरचना में सुधार लाने और कटाई पश्चात प्रशिक्षण, प्रसंस्करण एककों की स्थापना के द्वारा काली मिर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये निर्यातकों, व्यापारियों, संसाधकों और उत्पादकों को समर्थन देना।

* गुणवत्ता में सुसंगत सुधार के लिये भारतीय मसाला 'लोगों' और मसाला घर प्रमाण-पत्र जारी करना।

* ब्रान्ड प्रोत्साहन में निर्यातकों को सहायता देना।

* भारतीय काली मिर्च को बढ़ावा देने के लिये अन्तरराष्ट्रीय मेलों और सेमिनारों में भाग लेना।

* भारतीय काली मिर्च व मसाला व्यापार संघ, कोचिन द्वारा संचालित काली मिर्च के वायदा व्यापार से बेहतर मूल्यों के लिये वायदा व्यापार में भाग लेने के लिये उत्पादकों और व्यापारियों को अवसर प्राप्त होता है। भारत सरकार भी डालर के हिसाब से काली मिर्च का वायदा व्यापार कराने पर सहमत हो गई है।

* काली मिर्च को कार्बनिक खेती को लोकप्रिय बनाना जिससे अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम मूल्य प्राप्त होता है।

विवरण

मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च का उत्पादन

('000 मी० टन)

	1997	1998	1999
	1	2	3
विश्व	16543	17553	18088
अफ्रीका	1993	2024	2313
अल्जीरिया	191	157	156
बेनिन	24	20	20 एफ
बुर्कीना कासो	7 एफ	7 एफ	7 एफ
कोटे डिवायर	21	21 एफ	21 एफ
मिश्र	363	385	635
घाना	235	300	300
लीबिया	13 एफ	14 एफ	14 एफ
माली	1 एफ	1 एफ	1 एफ
मारिशस	1	1	1 एफ
मोरक्को	201	204	200 एफ
नाईजीरिया	745	709	738
सूडान	4 एफ	5 एफ	5 एफ
टयनिशिया	186	200	215*
एन०सी० अमेरिका	2211	2582	2679
बारबाडोस	1	1 एफ	1 एफ
कनाडा	42	35	38 एफ

	1	2	3
क्यूबा	10	12 एफ	12 एफ
डोमिनिकन रिपब्लिक	12	16	17 एफ
एल सल्वाडोर	2 एफ	2 एफ	3 एफ
ग्वाटेमाला	2 एफ	2 एफ	2 एफ
डोड्रांस	4 एफ	2	2 एफ
जमेका	7	7	7 एफ
मक्सिको	1446	1850	1943
पनामा	2 एफ	2 एफ	2 एफ
प्यूरिटोरिको	4	4	4 एफ
त्रिनिदाद टाब	1 एफ	1 एफ	1 एफ
यू०एस०ए०	679	649	649 एफ
साऊथ अमेरिका	281	331	334
अर्जेन्टिना	90 एफ	90 एफ	93 एफ
बोलिविया	6	6	6 एफ
चिली	60 एफ	71	72 एफ
कोलम्बिया	10 एफ	10 एफ	10 एफ
इक्वाडोर	5	17	4
पैरागुने	10	9	10 एफ
पेरु	32	49	50 एफ
उरूडाड़े	7 एफ	7 एफ	7 एफ
वेनेजुवेला	62	72	83
एशिया (एफ०एम०आर०)	9370	9806	10052
एशिया	9394	9836	10086
अजरबैजान	2 *	3 एफ	2 एफ
भूटान	9 एफ	9 एफ	9 एफ
चीन	7033 एफ	7283 एफ	7513 एफ
साइप्रस	2	2	2 एफ
भारत	48 एफ	49 एफ	49 एफ
इंडोनेशिया	316	274	274 एफ
ईराक	30 एफ	32 एफ	29 एफ
ईजराइल	79	95	95 एफ
जापान	169	160	160 एफ
जोर्डन	19	19 एफ	19 एफ
कंजाकिस्तान	22 *	27 *	32 *
कोरिया डीपी आरपी	50 एफ	50 एफ	50 एफ
कोरिया रिपब्लिक	322	288	307

विवरण-

भारत, ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम

(रु० प्रति क्विंटल)

देश	राज्य/केन्द्र	किस्म	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8
भारत	केरल, अलिप्पै	पलाई	1998	15100	178000	20200	20500
			1999	19000	17500	18000	17700
			2000	21800	20700	21300	22500
	केरल, कोचिन	उंगरब्लेड	1998	15200	17500	20200	20500
			1999	एन०ए०	एन०ए०	17600	17500
			2000	21800	19500	21200	21800
	कर्नाटक, सिरसी		1998	17196	एन०ए०	20529	एन०ए०
			1999	20629	एन०ए०	20890	16200
			2000	21269	21819	20499	22899

	1	2	3
कुवैत	4	5	6
फिलिपिन्स	18	18 एफ	18 एफ
कतर	1	1 एफ	1 एफ
श्रीलंका	72	62	62 एफ
सीरिया	40	40 एफ	38 एफ
थाईलैंड	12 एफ	13 एफ	13 एफ
टर्की	1130	1390	1390 एफ
यूनाइटेड अरब अमीरात	6	6	7 एफ
यमन	9	10	10
यूरोप (एफ एम आर)	2516	2611	2494
यूरोप	2630	2747	2642
आस्ट्रिया	6	6 एफ	6 एफ
बेल-लक्स	12	14	13 एफ
बुलगारिया	180	242	242 एफ
क्रोयेशिया	25	28	37
चेक रिपब्लिक	5 एफ	5 एफ	5 एफ
फ्रांस	28	27	26
ग्रीस	91	103	100 एफ
हंगरी	141	152	153 एफ
इटली	357	349	316
मंसीडोनिया	100	111	111 एफ
मालदोवा रिपब्लिक	28 *	30 एफ	38 *
निदरलैंड्स	251	250	250 एफ
पुर्तगाल	1 एफ	1 एफ	1 एफ
रोमानिया	167	191	60
स्लोवाकिया	42	42 एफ	42 एफ
स्पेन	893	883	924
यूनाइटेड किगडम	7	7	8
यूक्रेन	86	106	110 *
यूगोस्लाव एस एफ आर यूगोस्लाविया	209	200 एफ	200 एफ
ओसीनिया	34	33	33
आस्ट्रेलिया	32	31	31 एफ
फिजी आइस लैंड्स	1 एफ	1	1 एफ
न्यूजीलैंड	1 एफ	1	1 एफ

एफ० – एफ०ए०ओ० का आकलन *गैर-सरकारी आंकड़े

स्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन वर्ष पुस्तिका, 1999, भाग-53

II

में काली मिर्च के मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
9	10	11	12	13	14	15	16
20500	20100	21700	21700	21000	20500	19000	20600
18300	18600	18500	20600	21500	25500	24100	21500
22400	21000	21000	20400	18000	16500	12500	14500
20500	20000	21600	21300	20300	19900	19800	20400
18000	18000	17900	21000	21500	25500	22800	21300
22200	20800	20800	20100	19100	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
एन०ए०	एन०ए०	18892	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	19899	20195
15190	17899	17890	20946	19839	22829	23719	21469
21896	19669	19299	एन०ए०	17691	18569	15696	14279

1	2	3	4	5	6	7	8
	कर्नाटक, मैंगलौर		1998	14064	14250	18750	एन०ए०
			1999	18000	16278	16732	16000
			2000	19500	18732	18652	21636
	तमिलनाडु, चिन्नई	गारब्लेड	1998	20800	19400	19400	19750
			1999	21200	21200	18000	18200
			2000	22500	22500	20000	22000
ब्राजील		ग्रेड-I	1998	एन०ए०	18653	18262	एन०ए०
			1999	21335	20130	20884	एन०ए०
			2000	24707	23833	24144	23789
यू०के०	लंदन	सारावक	1998	16577	16710	21637	23142
		स्पेशल	1999	21335	21415	21310	19944
		काला	2000	23177	21865	22150	21170

(एन०ए०) – उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना

3267. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना-II के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने पर किन-किन राज्यों को लाभ होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) 428 स्कीमें तथा 11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 6.3 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र सहित 2880 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना चरण-II के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिसंबर, 1996 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से सहायता हेतु विश्व बैंक को भेजा गया था। विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव को निधि जारी करने पर स्वीकृति नहीं दी।

जल संसाधनों पर भारत-नेपाल सहयोग

3268. श्री आर०एल० भाटिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच जल संसाधनों संबंधी सहयोग में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत एवं नेपाल के बीच जल संसाधनों में सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने एवं उन पर निर्णय लेने के लिए इस संबंध में दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रालय के संबंधित सचिवों की अध्यक्षता में जल संसाधन संबंधी भारत नेपाल संयुक्त समिति का गठन किया गया। भारत एवं नेपाल में बहने वाली विभिन्न साझी नदियों पर बहुद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में पंचेश्वर बहु-उद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, संयुक्त परियोजना कार्यालय, काठमांडू में पहले ही तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना तथा सन कोसी भंडारण व डायवर्सन स्कीम के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट भी पूरी हो चुकी है जिससे क्षेत्र अन्वेषणों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का मार्ग खुला है। वर्ष 1986 में गठित एक भारत-नेपाल स्थाई समिति (एस०सी०आई०पी०) भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जल आप्लावन की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए नियमित बैठकें करती हैं।

बीड़ी कामगारों की मांगे

3269. श्री नामदेव हरबाजी दिवाये :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

9	10	11	12	13	14	15	16
19600	18500	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	19098	18694
16520	16532	16636	19232	19232	एन०ए०	23034	20000
21600	19000	18552	18932	18200	18200	एन०ए०	एन०ए०
20000	20000	21000	21700	21700	22200	21700	21750
18000	18200	18400	22100	22250	25500	26500	22500
21700	20500	20000	21000	18000	18200	14000	13000
एन०ए०	एन०ए०	23031	23312	21767	21690	21736	20506
एन०ए०	22526	21695	21810	23177	23975	26578	25559
24057	एन०ए०	एन०ए०	20948	16884	16370	14295	एन०ए०
22369	25057	22605	22017	21340	21690	21736	21360
19305	19927	19959	22682	24052	23975	25271	25340
21161	21362	19998	20249	18291	16133	15248	13998

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 नवम्बर, 2001 के ''हिन्दू'' में ''बीड़ी वर्कर्स टेक प्रोटेस्ट मार्च'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी कामगारों और उनके श्रमिक संघों द्वारा क्या मांगे की गई है;

(ग) ये मांगे सरकार के पास कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सभी मांगों की जांच कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगों में पूरे देश के बीड़ी कर्मकारों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी, बीड़ी बनाने के कार्य में ठेका और उप ठेका प्रथा को समाप्त किया जाना, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति, गृह आधारित महिला कर्मकारों सहित सभी बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र और लॉग बुक जारी किया जाना, बिना ब्रैन्ड वाली बीड़ियों को उत्पाद शुल्क में दी गई छूट को वापस लिया जाना, छोटी सिगरेटों को उत्पाद शुल्क में दी गई रियायत को वापस लिया जाना, महिला कर्मकारों के लिए समान मजदूरी, सिगरेट की बहु राष्ट्रीय कम्पनियों से 100 प्रतिशत एफ०डी०आई० वापस किया जाना और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई उत्पादन शुल्क संबंधी रियायतों को वापस लिया जाना और अमेरिका पर भारतीय बीड़ियों के आयात पर लगी रोक को समाप्त करने का दबाव डालना शामिल है।

(ग) से (च) बीड़ी कर्मकार यूनियानों द्वारा विगत में भी ये मांगें उठायी गई थीं। सरकार ने इन सभी मांगों पर विचार किया है और जहां आवश्यक है उचित कार्रवाई की है। सरकार ने बीड़ी कर्मकारों की नियोक्ताओं के शोषण से रक्षा करने के लिए बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 को अधिनियमित किया है। इसने राज्य सरकारों को विभिन्न विषयों जिनमें बीड़ियों की छंटनी करने या उन्हें खराब बताने की रीति और बीड़ियों को छांटकर निकालने की प्रतिशतता की अधिकतम सीमा, कच्चे माल का वितरण, विवादों का निपटान आदि शामिल है, के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है। उपर्युक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बीड़ी बनाने का कार्य राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजन के रूप में शामिल है। राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और उनका संशोधन करने के लिए सक्षम सरकारें है।

मंगूफली और सूरजमुखी

3270. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में मूंगफली तथा सूरजमुखी की फसलों को प्रभावित करने वाले विषाणु का पता लगाने के बाद

किसानों से इनके स्थान पर वैकल्पिक फसल उपजाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि आयुक्त ने बताया है कि हैदराबाद स्थित अनुसंधान संस्थान ने मूंगफली और सूरजमुखी को प्रभावित करने वाले इस विषाणु के चित्रदुर्ग, बेल्लारी, कोप्पल तथा तुमकुर जिलों में पाये जाने की दृष्टि की हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने रागी तथा मक्का जैसे वैकल्पिक फसल उपजाने के लिए केन्द्र सरकार से आवश्यक सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों कर्नाटक और केन्द्र सरकार ने किसानों द्वारा वैकल्पिक फसल उगाने में उन्हें सहायता दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(च) इस संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा स्थानीय कृषि विश्वविद्यालयों और अर्ध शुष्क ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की सिफारिशें प्राप्त की जा चुकी है।

सी०आई०एल०, ई०सी०एल० तथा बी०सी०सी०एल० में श्रमिक

3271. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कंपनीवार तथा कोलियरीवार भूमिगत तथा भूमि की सतह पर अलग-अलग कोल इंडिया लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि०, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० तथा सिंगरेनी की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों तथा मध्य प्रदेश की अन्य कोयला खानों में काम करने वाले उन श्रमिकों की संख्या कितनी है जो पन्यूमोकोनियोसिस सहित विभिन्न कारकों के कारण स्थायी या आंशिक रूप से अपंग हो गए हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हो गये हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मध्य प्रदेश में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में ऐसे श्रमिकों, जो न्यूमोकोनियोसिस सहित विभिन्न कारकों के कारण स्थायी या आंशिक रूप से अपंग हो गए हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, की संख्या के गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

कंपनी का नाम	शारीरिक रूप से अक्षम घोषित किए गए श्रमिकों की संख्या		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
ईसीएल	29	3	0
बीसीसीएल	79	34	9
सीसीएल	57	37	29
एसईसीएल	71	59	69
एनसीएल	7	7	0
डब्ल्यूसीएल	77	34	29

जल स्तर में गिरावट का पनबिजली परियोजनाओं पर प्रभाव

3272. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी पर दो प्रमुख पन-बिजली परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम तथा नागार्जुनसागर जल स्तर में गिरावट के कारण रूक गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, नहीं। दिनांक 3.12.2001 को नागार्जुनसागर ने 185 मेगावाट एवं श्रीसैलम ने 322 मेगावाट बिजली पैदा की। दिनांक 1.4.2001 से 3.12.2001 तक इन जल विद्युत केन्द्रों से उत्पादित की गई कुल विद्युत क्रमशः 766.80 मिलियन यूनिट एवं 1184.44 मिलियन यूनिट है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर प्रयोक्ता शुल्क

3273. **श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रयोक्ता शुल्क वसूले जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे शुल्क की वसूली के खिलाफ कोई अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) कालीकट एयरपोर्ट पर अक्टूबर, 1995 से प्रति अंतर्राष्ट्रीय यात्री से 500/- रु० की दर से एयरपोर्ट यूजर डेवलेपमेंट एडीशनल फीस ली जा रही थी। दिनांक 5.1.2001 से यू०डी०ए०एफ० की दर में संशोधन कर 500/- रु० से घटाकर 375/- रु० कर दी गयी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लि०, भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों द्वारा किसी भी स्थान पर यात्रा करने वाले बच्चों और यात्रियों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से दिनांक 14.4.2000 से 500/- रु० की दर से सेवा शुल्क ले रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन संग्रहालय तथा प्रलेखन केन्द्र

3274. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं विकास संस्थान (के०एस०एस०आर०डी०आई०) ने राष्ट्रीय रेशम उत्पादन संग्रहालय तथा प्रलेखन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने बंगलौर में रेशम उत्पादन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की भी योजना बनाई है;

(ग) क्या जिम्बावे तथा अन्य अफ्रीकी देशों में रेशम उत्पादन को लेकर काफी रूचि है तथा यह संगोष्ठी उन्हें भारतीय विशेषज्ञों तथा किसानों के साथ संवाद स्थापित करने का अच्छा अवसर देगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार रेशम उत्पादन गतिविधियों को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं विकास संस्थान का रजत जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में 2004-05 के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का विचार है।

(ग) जिम्बावे तथा अन्य अफ्रीकी देशों के साथ रेशम पालन के बारे में चल रहे संयुक्त सहयोगी अनुसंधान विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं विकास संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता तथा सुविधाओं का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

(घ) अब तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि संगोष्ठी को वर्ष 2004-05 में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

3275. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार निधियों के दुर्विनियोजन तथा कोयले की चोरी के कारण देश में कोयला खानों और कोयला कंपनियों को कितनी हानि हुई;

(ख) अधिकारियों द्वारा पार्टियों तथा कंपनी के वाहनों का बाहर की एजेंसियों से मरम्मत कराने पर हुए व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) महानदी कोलफील्ड्स लि०, उड़ीसा के अतिरिक्त, पिछले 3 वर्षों के दौरान सीआईएल की किसी भी सहायक कंपनी में निधियों के अपयोजन के कारण हुए घाटे का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इन मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	अन्तर्ग्रस्त राशि	वसूली गई राशि
1998-99	63.38 लाख रु०	54.66 लाख रु०
1999-2000	7.27 लाख रु०	–

कोयले की चोरी गुप्त रूप से की जाती है और इसलिए चोरी के कारण हुए घाटे को एकदम सटीक रूप में बताना संभव नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, संबद्ध राज्य सरकारों के कानून और व्यवस्था संबंधी प्राधिकरणों के साथ संयुक्त छापे मारे जाने के साथ-साथ, सुरक्षा कार्मिकों द्वारा आयोजित छापों के अनुसार, कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में कोयले की निम्नलिखित मात्रा पकड़ी गई है :–

कंपनी	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	पकड़ी गई मात्रा (ट०)	लगभग मूल्य (लाख रु०)	पकड़ी गई मात्रा (ट०)	लगभग मूल्य (लाख रु०)	पकड़ी गई मात्रा (ट०)	लगभग मूल्य (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6	7
ईसीएल	15324.00	122.60	342.00	2.74	22353.00	179.30

1	2	3	4	5	6	7
बीसीसीएल	277.62	2.99	2842.00	42.16	148.54	1.92
सीसीएल	510.00	5.10	727.00	7.26	244.20	2.40
एनसीएल	33.00	0.22	2.00	0.02	15.00	0.10
डब्ल्यूसीएल	133.42	1.33	93.00	0.88	265.07	2.77
एसईसीएल	32.00	0.27	48.00	0.15	107.00	0.72
एमसीएल	144.00	0.84	321.00	1.66	95.00	0.47
एनईसी	50.00	0.50	0	0	0	0
जोड़	16504.04	133.85	4375.00	54.87	23227.81	187.68

(ख) कोयला कंपनियां पार्टियों पर खर्चा नहीं करती है। वर्ष 2000-01 के दौरान बाहरी एजेंसियों से कंपनी के वाहनों की मरम्मत पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :–

राज्य	व्यय (लाख रुपए में)
पश्चिम बंगाल और असम	248.57
मध्य प्रदेश	501.51
महाराष्ट्र	231.18
छत्तीसगढ़	321.55
उड़ीसा	155.98
उत्तर प्रदेश	152.94
झारखंड और अन्य	966.52

(ग) घाटों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीतियाँ और कदम इस प्रकार है :–

(1) सतर्कता विभाग द्वारा नियमित आवधिक निरीक्षण तथा औचक जांच आयोजित की जा रही है।

(2) किसी अनियमितता के विशिष्ट मामलों की जांच सी०आई० एल० और इसकी सहायक कंपनियों के सतर्कता विभागों द्वारा की जाती है।

(3) लेखा परीक्षकों द्वारा पूरे वर्ष नियमित अंतरालों पर आवधिक लेखा परीक्षक की जा रही है।

(4) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित नॉन-कोर क्षेत्र में संयोजित उपभोक्ताओं के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करने के लिए, संबद्ध राज्य सरकारों की मदद से एक अभियान चलाया गया है।

छिदिया लौह अयस्क

3276. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर के छिदिया क्षेत्र में लौह अयस्क के भारी भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खान तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं होने के कारण तथा विद्युत के अभाव में वहां जेनरेटर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला और खान मंत्रालय, खान विभाग के तहत् तक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छिदिया लौह अयस्क खानों में चार खनन पट्टे शामिल हैं जिनका कुल पट्टा क्षेत्र 2270 हेक्टेयर है। ब्लॉक-वार-अनुमानित प्राप्य भण्डार निम्नानुसार हैं :–

वेस्ट सेंट्रल ब्लॉक	:	566 मिलियन टन
नार्थ ब्लॉक	:	517 मिलियन टन
ईस्ट सेंट्रल ब्लॉक	:	326 मिलियन टन
साउथ ब्लॉक		286 मिलियन टन

कुल मिलाकर, चारों ब्लॉक्स में लगभग 1695 मिलियन टन का भण्डार है।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो ने बताया है कि खान तक पहुंचने के लिए सड़कें हैं। तथापि, ये सड़कें सीजनल हैं और वर्षा ऋतु में इन सड़कों को क्रास करने वाली नदी/नालों में बाढ़ आने से ये प्राय: अवरूद्ध हो जाती हैं। खानों पर विद्युत आपूर्ति की सुविधा नहीं

हैं। निकटतम पावर ग्रिड 12 कि०मी० की दूरी पर है। डीजल जेनरेटरों की मदद से खनन प्रचालन किये जा रहे हैं।

(घ) खनिज रियायतों के धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे खनन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करें।

[अनुवाद]

सिंचाई संभावना

3277. श्री मोहन रावले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित की गई सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग के बीच का अंतर संचार कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के गठन के बावजूद भी भरा नहीं जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) कार्यक्रम के तहत शामिल की गई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दी गई बातों के कारण यह अंतर पूर्णत: दूर नहीं किया जा सका है :

(i) सभी सिंचाई परियोजनाओं को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल न किया जाना;

(ii) प्रारंभिक योजना की तुलना में फसल प्रणाली में परिवर्तन; और

(iii) सिंचाई प्रणालियों का खराब रखरखाव और नहरों/जलाशयों में गाद का जमा होना।

(ग) सरकार द्वारा सृजित तथा प्रयुक्त क्षमता के बीच का अंतर कम करने के लिए किए गए उपायों में इस प्रणाली की कुशलता में सुधार करने तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में लाभग्राहियों को शामिल करते हुए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन और सहायता देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सृजित क्षमता के उपयोग के लिए जल उपयोग कुशलता और सिंचाई पद्धतियों में सुधार लाने के वास्ते राज्य सरकारों को और अधिक संसाधन आबंटित करने के वास्ते प्रेरित किया जाता है। खेत संबंधी कुशल जल प्रबंधन और उपयुक्त फसल प्रणालियों को अपनाने के लिए किसानों और क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

अपव्यय

3278. श्री अमर राय प्रधान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने मंत्रालय/विभाग में किसी ऐसे क्षेत्र का पता लगाया है जहां अत्याधिक अपव्यय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे व्यय को कम करने/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सरकार को किसी भी क्षेत्र में किसी अपव्यय की जानकारी नहीं है। नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणदोष के आधार पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही वास्तविक प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरियां जारी की जाती हैं। उसके पश्चात् ही कोई व्यय किया जाता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा अर्जित लाभ

3279. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने पहली तिमाही में प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 250 करोड़ रु० के निवेश से मशीन खरीदकर इस संयंत्र को पूर्णत: लाभ कमाने वाले संयंत्र के रूप में तब्दील करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी०एस०पी०) ने चालू वर्ष (2001-02) की प्रथम तिमाही में 55 करोड़ रुपए का सकल मार्जिन (ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व लाभ) अर्जित किया है। तथापि, ब्याज और मूल्यह्रास प्रभारित करने के बाद इसे 54 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संगठित मजदूर संघ द्वारा की गई अनुचित मांगें

3280. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संगठित मजदूर संघ देश के विभिन्न उद्योगों में अनुसूचित मांगों पर जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है तथा ये मांगें देश के श्रम कानूनों के अनुरूप है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्रमिक संघों ने सामान्यत: विनिवेश और निजीकरण की नीतियों पर कामगारों की चिन्ताओं के संबंध में आवाज उठाई है। नई दिल्ली में 18-19 मई, 2001 को आयोजित किए गए भारतीय श्रम सम्मेलन के 37वें सत्र में यह मांग की गयी थी कि रक्षा क्षेत्र में और लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में भी कोई विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। इस मांगों को उचित अथवा अनुचित करार देना कठिन होगा क्योंकि ये मांगें चल रही आर्थिक सुधार प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में की गयी हैं और कामगारों की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं जिनकी एक लोकतांत्रिक समाज में कुछ गरिमा होती है।

वर्जित क्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरने के नियम का उल्लंघन

3281. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 2001 के 'दि हिन्दू' में "ऑफिशियल राइट्स टू० आई०ए०एफ० ऑन मिड-एयर ओकरेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 18 अगस्त, 2001 को वर्जित क्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरने के नियम के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्जित रक्षा वायु जोनों के ऊपर से व्यावसायिक हवाई जहाजों को उड़ाने जिसकी उन्हें अनुमति नहीं है की निगरानी के लिए स्पष्ट नियम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कि ट्रैफिक जेट एयरवेज की उड़ान से 2000 फीट नीचे था जबकि इस लेवल पर अपेक्षित दूरी 1000 फीट है इसलिए आकाश के बीच उल्लंघन (मिड एयर वायलेशन) नहीं हुआ था।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए इस मामले में कोई नए कदम नहीं उठाए गए हैं। मौजूदा सिस्टम के अनुसार भारतीय एयरस्पेस में एयर डिफेंस आईडैंटिफिकेशन जोन, प्रतिबंधित तथा निषिद्ध क्षेत्र स्थापित किए गए हैं ताकि इन क्षेत्रों के ऊपर से कमर्शियल हवाई जहाजों की उड़ानों पर नियंत्रण रखा जा सके और इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही चार मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में मिलिटरी लेज़न यूनिट की स्थापना की गई है ताकि भारतीय हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ानों को मॉनीटर किया जा सके। हवाई यातायात को नियंत्रित और रेगुलेट करने के लिए डिफेंस का-आर्डिनेशन प्रोसीजर भी लागू किया जा रहा है।

यमुना नदी पर बांध

3282. **श्री राज बब्बर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलापूर्ति में सुधार लाने के लिए आगरा के भुइया घाट पर यमुना नदी पर बांध के निर्माण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई राशि क्या है तथा इसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) अब तक कितना कार्य पूरा कर लिया गया है तथा कब तक बांध का कार्य पूरा कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आगरा बैराज परियोजना को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया था तथा इसे ताज संरक्षण मिशन के एक भाग के रूप में 120.47 करोड़ रुपये की लागत से 5 वर्ष के अंदर पूरा करने के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 13.2.2001 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

स्वचालित स्वतंत्र निगरानी प्रणाली

3283. **श्री के०पी० सिंह-देव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के कुछ हवाई अड्डों पर घरेलू रूप से विकसित स्वचालित स्वतंत्र निगरानी प्रणाली (ए०आई०एस०) स्थापित की है, जो प्रयोग में लाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हवाई जहाज/उड़ान की सुरक्षा में इससे किस हद तक सहायता मिलेगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से स्वचालित स्वतंत्र गिनरानी प्रणाली लगाई गई है। इसे चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर लगाया गया है। तथापि, यह केवल चेन्नई में प्रचालनरत है तथा कोलकाता में इसके परीक्षण प्रचालन के बाद, इसके प्रचालनात्मक हो जाने की आशा है।

(ग) स्वचालित स्वतंत्र निगरानी प्रणाली का उपयोग समुद्र के ऊपर हवाई क्षेत्र में विमान यातायात की निगरानी के लिए किया जाता है। यह विमान की बिल्कुल सही स्थिति रिपोर्ट बताता है तथा हवाई क्षेत्र प्रबंध के उपयोग में सहायता करता है।

कोयले की अवैध उतराई

3284. **श्री ए० कृष्णास्वामी** : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन के दौरान इसकी अवैध उतराई के कारण कोयला उद्योग को भारी खतरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवहन के दौरान इस कोयले की अवैध उतराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) कोल इंडिया की सहायक कंपनियां रेल/रोड पर्यन्त निःशुल्क (एफ०ओ०आर०) आधार पर कोयले की बिक्री करती हैं। खरीद के पश्चात्, चूंकि परिवहन के दौरान कोयला क्रेता का होता है, इसलिए मार्ग में किसी अवैध उतराई का कोल इंडिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

एयर इंडिया तथा वर्जिन अटलांटिक के बीच समझौता

3285. श्री सईदुज्जमा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और वर्जिन अटलांटिक के बीच 6 उड़ानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसे सरकार द्वारा मार्च 2000 में अनुमोदित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया इस समझौते को क्रियान्वित करने में असफल रही;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में गंभीर चूक की जांच करने तथा जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1999 में एअर इंडिया और विर्जिन अटलांटिक (वी०एस०) के बीच हुए करार और मार्च, 2000 में सरकार द्वारा अनुमोदित के शीर्ष में निहित सिद्धांतों के अनुसार वी०एस० लंदन दिल्ली सैक्टर में भारत-यू०के० विमान सेवा करार के तहत एअर इंडिया की अप्रयुक्त हकदारी पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं परन्तु उन्हें एअर इंडिया के साथ कोड शेयर/ब्लॉक स्पेस एग्रीमेंट करना होगा। जिन दिनों में एअर इंडिया की विमानें प्रचालित नहीं की जाती है करार में वी०एस० द्वारा 3 सेवाएं प्रचालित करने की व्यवस्था है। करार में ट्रीगर मेकेनिज्म के तहत वी०एस० की फ्रीक्वेंसी 6 तक बढ़ाने की व्यवस्था है। जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि एअर इंडिया अपनी 10 फ्रीक्वेंसी में अपने वर्तमान लोड को बरकरार रखे और सी०एस०/बी०एस०ए० उड़ानों में सीट फेक्टर सहमत स्तर से अधिक हो।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। करार के अनुसार विर्जिन सर्विसेज 5 जुलाई, 2000 से उन दिनों के लिए आरंभ की गई जिस दिन एअर इंडिया की फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती है। तीसरी फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करने संबंधी वी०एस० के प्रस्ताव पर एअर इंडिया सहमत नहीं हुआ क्योंकि ऐसा होने से करार में किए गए उपबंधों का उल्लंघन करते हुए वी०एस० की उड़ानें अपवर्ती हो जाती। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने एअर इंडिया को एक बैठक बुलाने को कहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में घरेलू/विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा

3286. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने विदेशी/घरेलू पर्यटकों ने इन स्थानों की यात्रा की; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा/राजस्व अर्जित हुआ ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) विदेशी/घरेलू पर्यटकों द्वारा महाराष्ट्र के जिन प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया गया, वे इस प्रकार हैं :–

औरंगाबाद-अजन्ता-एलौरा, अलीबाग, अहमदनगर, भण्डारदारा, भीमाशंकर, गणपतिफुले, कोल्हापुर, लोनावाला-खण्डाला, मथेरान, महाबलेश्वर, मुम्बई, मुरूद, जंजीरा, नागपुर, नासिक, नांदेड़, पंहाला, रौनार, पंढारपुर, पारली, पुना, रत्नागिरी, रायगढ़, शिरडी, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग, सेवाग्राम, शिवनेरी फोर्ट, ट्रायम्बकेश्वर, वज्रेश्वरी और वरधा।

विगत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र भ्रमण हेतु आये घरेलू/विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	1998	1999	2000
घरेलू	7183687	7542871	8297158
विदेशी	980850	1033816	1075169

(ख)किसी भी राज्य द्वारा पर्यटन से अर्जित आय के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, विगत 3 वर्षों के दौरान देश को पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय के ब्यौरे इस प्रकार है :–

वर्ष	1998	1999	2000
करोड़ रु० में	12150.00	12951.00	14475.43
मिलियन अमेरिकी डालर में	2948.00	3009.00	3295.54

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए श्रम कानून

3287. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 2001 के ''जनसत्ता'' में ''पेप्सी पर कर्मचारियों को जबरन निकालने का आरोप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा श्रम कानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार उक्त कंपनियों में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा करने हेतु वहां श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रमिक संघों की संख्या में कमी

3288. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी औद्योगिक इकाई में श्रमिक संघों की संख्या कम करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सौहार्द बनाये रखने में किस सीमा तक सहायता मिलने की सम्भावना है;

(घ) क्या ऐसे प्रस्ताव को अब तक किसी उद्योग में कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में कतिपय संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों को 03 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित करा दिया गया है। अधिनियम के संशोधनों में एक निम्नानुसार है : ''बशर्ते कि कर्मकारों के किसी संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि कुल कर्मकारों में से 100 कर्मकार अथवा उसका प्रतिशत, जो भी कम हो, उस प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में लगा अथवा नियोजित हो जिससे वह जुड़ा है अथवा पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ का सदस्य हो।

यह भी प्रावधान है कि कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन करने की तारीख को इसके कम से कम सात ऐसे सदस्य न हों, जो कर्मकार हों और उस प्रतिष्ठान या उद्योग में लगे अथवा नियोजित हों जिसके साथ यह जुड़ा है।''

एक बार इस संशोधन के केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत तारीख को लागू हो जाने पर संघों के निर्माण की संख्या में कमी आने की उम्मीद हैं इससे देश में औद्योगिक समरसता बनाए रखने में भी मदद् मिलेगी।

पशुओं की नस्ल

3289. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं की स्वदेशी नस्लों का ब्यौरा क्या है और भारवाहक पशु शक्ति तथा दुग्ध के संदर्भ में उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या लगभग 80 प्रतिशत पशुओं की नस्लों की पहचान नहीं हो पाई है;

(ग) यदि हां, तो इन पशुओं को स्थानीय रूप से विदित नस्लों के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पशु प्रजनन कार्यक्रम के अनेक प्रतिकूल प्रभाव पशुओं के रोगों और उत्पादकता में कमी के रूप में सामने आ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) स्वदेशी गोपशु नस्लों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कुछ स्वदेशी गोपशु नस्लों में एक दिन में 32 किलोग्राम तक उच्चतम उत्पादन रिकार्ड किया गया है। तथापि, विभिन्न दुधारू नस्लों में औसत दुग्ध उत्पादन 1200-2262 किलोग्राम तक है। जहां तक भारवाही पशु शक्ति का संबंध है 0.70 एच०पी० भारवाही उत्पादन रिकार्ड किया गया है जबकि सभी किस्मों के प्रति बैल की समूची औसत शक्ति लगभग 0.5 एच०पी० है।

(ख) यद्यपि पशुधन के लिए नस्लवार गणना नहीं की जाती है फिर भी आमतौर पर यह माना जाता है कि 80 प्रतिशत स्वदेशी गोपशुओं में किसी नस्ल की विशेषताएं नहीं होती हैं और इसलिए उन्हें गैर प्रजातीय गोपशु के रूप में जाना जाता है।

(ग) 60 के दशक में देश में अपनाई जा रही गोपशु की प्रजनन नीति की मुख्य रूप रेखा में चुनिन्दा प्रजनन के जरिए स्वदेशी नस्लों के सुधार और गैर प्रजातीय गोपशु के अनुवांशिक उन्नयन के लिए इन नस्लों के इस्तेमाल की व्यवस्था है। कार्यक्रम इसी नीति के अनुरूप चलाए जाते हैं। हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना में भी स्वदेशी नस्लों पर जोर दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ण संकरित स्टॉक में पाए गए अधिकांश प्रतिकूल प्रभाव मौसम के अधिक संवेदनशीलता और पोषणिक दबाव तथा मूल गोपशु की तुलना में रोगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता से संबंधित हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और पुन: उत्पादक दक्षता के संदर्भ में वर्ण संकरित पशुओं में कम उत्पादन होता है। इन प्रभावों को उपयुक्त प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन द्वारा, जो सामान्यतया लागत प्रभावी और वहनीय हैं, पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है।

विवरण

	नस्ल	प्रजनन ट्रेक्ट	किस्म
1.	गिर	गुजरात	दुधारू
2.	साहीवाल	पंजाब	दुधारू
3.	रैड सिंधी	पंजाब	दुधारू
4.	राठी	राजस्थान	दुधारू
5.	डिओनी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र	सामान्य उपयोगिता
6.	हरियाणा	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान	सामान्य उपयोगिता
7.	मेवाती	राजस्थान	सामान्य उपयोगिता
8.	ओंगले	आंध्र प्रदेश	सामान्य उपयोगिता
9.	गओलाओ	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	सामान्य उपयोगिता
10.	कृष्णा वैली	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र	सामान्य उपयोगिता
11.	थारपरकर	गुजरात और राजस्थान	सामान्य उपयोगिता
12.	कंकरेज	गुजरात	सामान्य उपयोगिता
13.	नागौरी	राजस्थान	भारवाही
14.	बचौर	बिहार	भारवाही
15.	केनकाथा	उत्तर प्रदेश	भारवाही
16.	मालवी	मध्य प्रदेश	भारवाही
17.	केहरीगढ़	उत्तर प्रदेश	भारवाही
18.	हालीकर	कर्नाटक	भारवाही
19.	अमृतमहल	कर्नाटक	भारवाही
20.	खिलरी	महाराष्ट्र	भारवाही
21.	बरगुर	तमिलनाडु	भारवाही
22.	कंगायाम	तमिलनाडु	भारवाही
23.	पोनबार	उत्तर प्रदेश	भारवाही
24.	सीरी	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	भारवाही
25.	निमारी	मध्य प्रदेश	भारवाही
26.	डांगी	महाराष्ट्र	भारवाही
27.	रैड कंधारी	महाराष्ट्र	भारवाही

स्रोत : आई०सी०ए०आर० (2000) – भारतीय पशु अनुवांशिक संसाधन (गोपशु और भैंस)।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

3290. श्री अनन्त नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कई सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली त्रुटियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाओं में ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुछ सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली कुछ कमियों के बारे में उन्हें पता चला है।

(ख) ये सिंचाई परियोजनाएं जल संसाधन समेकन परियोजना, कुसुमी जोर, रेंगाली और मंजोर सिंचाई परियोजनाएं हैं।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उपर्युक्त परियोजनाओं में 10 मामलों में प्रथम अन्वेषण रिपोर्टें दर्ज की हैं।

कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध

3291. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार राज्य सरकारों को ऐसे कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश देने का है जो विषैले होते हैं और जिनके अवशेष खाद्य पदार्थों और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत, कीटनाशकों का पंजीकरण पंजीकरण समिति द्वारा लक्ष्य कृमियों के प्रति उनकी कार्यक्षमता तथा मानवों और पर्यावरण के प्रति सुरक्षा के बारे में सन्तुष्टि करने के बाद किया जाता है। संस्तुत मात्रा के अनुसार संस्तुत फसलों पर इनके प्रयोग, अच्छी कृषि पद्धतियों के अंतर्गत इनके उपयोग के तरीके आदि से इनके अवशिष्ट पदार्थ निर्धारित सीमाओं से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। तथापि, सरकार को जब कभी भी कोई रिपोर्ट मिलती है कि कोई विशिष्ट कीटनाशक विषैले/खतरनाक है तो कथित कीटनाशक के देश में सतत उपयोग अथवा अन्यथा के लिए इसकी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर, 26 कीटनाशक और 4 अन्य कीटनाशकों के 5 फारमुलेशनों के देश में उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इन कीटनाशकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत में उपयोग पर रोक लगाए गए कीटनाशकों/ कीटनाशी फारमुलेशनों की सूची

(क) आयात, विनिर्माण और उपयोग के लिए कीटनाशक और उनके फारमुलेशन

1.	एल्ड्रिन	
2.	बैन्जीन हैक्साक्लोराइड	
3.	कैल्शियम साइनाइड	
4.	क्लोरडेन	
5.	कापर एसीटोआरसेनाइट	
6.	डाइब्रोमोक्लोरोपेन	
7.	एन्ड्रिन	
8.	इथाईल मर्करी क्लोराइड	
9.	इथाईल पराथिमोन	
10.	हैप्टाक्लोर	
11.	मेनाजोन	
12.	नाइट्रोफेन	
13.	पैराक्वेट डाइमिथाईल सल्फेट	
14.	पैन्टाक्लोरो नाइट्रोबैन्जीन	
15.	पैन्टाक्लोरोफेनोल	
16.	सोडियम मीथेन आर्सोनेट	
17.	टेट्राडिफोन	
18.	टैक्साफेन	
19.	एल्डीकार्ब	इनके उपयोग पर 17.7.2003 से रोक लगाई जाएगी।
20.	क्लोरबैन्जीलेट	
21.	डीएल्ड्रिन	
22.	मैलेइक हाइड्रोजाईड	
23.	इथीलीन डाइब्रोमाइड	
24.	टी०सी०ए० (ट्राइक्लोरा एसिटिक एसिड)	
25.	निकोटिन सल्फेट*	
26.	फिनाइल मरकरी एसीटेट*	

(ख) आयात, विनिर्माण और उपयोग के लिए रोक लगाये गये कीटनाशी फारमुलेशन

1. मीथोमाइल 24% एल०
2. मीथोमाइल 12.5% एल०
3. फास्फामिडोन 85% एस०एल०
4. कार्बोफ्यूरोन 50% एस०पी०
5. कैप्टाफोल 80% डी०एस०*

*भारत में उपयोग पर रोक है परन्तु निर्यात के लिए उनके विनिर्माण की अनुमति है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विस्तार

3292. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये विमानों और मौजूदा विमानों के पायलटों की कमी के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की विस्तार योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) विस्तार योजनाओं को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) विनिवेश को देखते हुए, यह वांछनीय पाया गया कि बड़े पूंजीगत खर्चे और नए हवाई जहाजों की खरीद संबंधी निर्णय नई मैनेजमेंट पर छोड़ दिया जाए। तथापि, अल्पविधिक मांग की पूर्ति के संबंध में एअर इंडिया ने अपने रुटों में बढ़ोतरी करने और यात्रियों की वहन क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिगत ड्राई लीज पर 4 ए-310-300 हवाई जहाज लिए हैं। एअर इंडिया 4 अतिरिक्त ए-310-300 हवाई जहाज, इनमें से दो हवाई जहाज दिसम्बर, 2001 की समाप्ति तक अथवा जनवरी, 2002 के प्रारंभ में और दो हवाई जहाज वर्ष 2002 की दूसरी तिमाही में ड्राई लीज पर शामिल करने पर भी विचार कर रही है।

इसी तरह, इंडियन एयरलाइन्स ने भी चार ए-320 हवाई जहाज – दो अप्रैल/मई, 2001 में और दो नवम्बर, 2001 में ड्राई लीज पर अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। और दो ए-320 हवाई जहाज मार्च, 2002 में बेड़े में शामिल किए जाने का शड्यूल है। दो ए-320 हवाई जहाजों की लीज समयावधि को भी 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार के लंबित सिंचाई प्रस्ताव

3293. श्री राजो सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत सिंचाई प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास अभी भी कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ग) आज की तिथि तक, आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं;

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गयी है; और

(ङ) उक्त सहायता से अब तक कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गयीं हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय जल आयोग ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए बिहार से सात सिंचाई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से चार प्रस्ताव पुनर्गठित बिहार राज्य के हैं :

क्रम सं०	परियोजना	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	स्थिति
1.	पुनपुन बराज परियोजना	84.5519	राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तों अर्थात् पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति, के पूरा किए जाने के अधीन 03.082001 को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
2.	तिल्लैया धाधार परियोजना	301.79	राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तों अर्थात् पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति, के पूरा किए जाने तथा 19.07.78 के अंतर्राज्यीय समझौते के संबंधित खंडों को पूरा किए जाने के अधीन 31.05.2001 को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
3.	कदवान जलाशय परियोजना	1111.14	टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं, उनकी अनुपालना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
4.	अपर महानन्दा	124.00	टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं, उनकी अनुपालना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच करने के बाद जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना प्रस्तावों पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है। उसके बाद योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की जाती है बशर्ते कि सलाहकार समिति की शर्तें यदि कोई हो, को पूरा कर लिया गया हो। आर्थिक मामला संबंधी मंत्रिमंडल समिति में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) भारत सरकार चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। बिहार सरकार को इस कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) बिहार सरकार ने सूचना दी हे कि ओरनी जलाशय परियोजना पूर्ण कर ली गई है। यह भी सूचित किया गया है कि बिलासी और अपर क्यूल के भी वर्ष 2002 के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है।

विवरण

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	के दौरान जारी केन्दीय ऋण सहायता						
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाएं				
1.	पश्चिमी कोसी नहर	10	0	14.635	30.57	59		114.205

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अपर क्यूल	2.5	0	5.1	7.625	1.2	—	16.425
3.	दुर्गावती	1	0	1.15	11	18.74		31.89
4.	बाणसागर	0	1.5	2	80			83.5
5.	ओरनी जलाशय	0	2.03	5.5	0	2.37	—	9.9
6.	बिलासी जलाशय	0	1.62	0.8	0.5	47		3.39
7.	सोन नहर आधुनिकीकरण	0	0	7	0	66.66		73.66
	कुल	13.5	5.15	36.185	129.695	148.44	0	332.97

घटिया गुणवत्ता वाले विस्फोटकों की खरीद

3294. डा० बलिराम : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन०सी०एल०), सिंगरौली की विभिन्न परियोजनाओं में विस्फोटक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्रियों को सरकारी कंपनियों से नहीं खरीदा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए खरीदे गए विस्फोटकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को वास्तव में खरीदी गयी मात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को प्रतिवर्ष लाखों रुपये मिलते हैं;

(ङ) विस्फोटक सामग्रियों की खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त मामलों की गहन जांच कराने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) एन०सी०एल०/सी०आई०एल० के साथ दर ठेका रखने वाले आपूर्तिकर्ताओं से जिनमें मेसर्स आई०बी०पी० कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम) भी शामिल है विस्फोटक खरीदा जा रहा है। एन०सी०एल० को एस०एम०एस० विस्फोटक/लार्ज डाया कारतूस/कास्ट बूस्टर विस्फोटकों के आपूर्तिकर्ताओं के नाम 1.12.2001 की स्थिति के अनुसार नीचे दिये अनुसार है :–

(i) मैसर्स आई०बी०पी० कंपनी लि०

(ii) मैसर्स इंडियन एकसप्लोसिव्स लि०

(iii) मैसर्स आई०डी०एल० इंडस्ट्रीज लि०

(iv) मैसर्स भारत एक्सप्लोसिव्य लि०

(v) मैसर्स केलटेक इनर्जीज लि०

(vi) मैसर्स नवभारत फ्यूज क० लि०

(vii) मैसर्स प्रिमियर एक्प्लोसिव्स लि०

(viii) मैसर्स ब्लास्टेक (इंडिया) प्रा० लि०

(ix) मैसर्स सोलर कैपिल्स लि०

(x) मैसर्स इमलटेक प्रा० लि०

(xi) मैसर्स सुआ एक्सप्लोसिव्स एण्ड एसेसरीज लि०

(xii) मैसर्स आइडियल एक्सप्लोसिव्स लि०

(xiii) मैसर्स गोदावरी एक्सप्लोसिव्स लि०

(xiv) मैसर्स अंजना इक्सप्लोसिव्स लि०

एन०सी०एल० की एस०एम०एस० विस्फोटकों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 80,000 टन है। आई०बी०पी० क०लि० (भारत सरकार का उपक्रम) जो एल 1 निविदादाता नहीं थी, ने केवल सबजेक्ट टेण्डर के एवज में 19,000 टन आपूर्ति करने की पेशकश की। एल 1, निविदादाता को पूरी तरह से बुक करने के बाद, शेष मात्रा अन्य सभी उत्तरकारी निविदादाताओं आई०बी०पी० कं० लिमिटेड सहित के बीच वितरित कर दी गयी थी, जिन्होंने एल 1 कीमत के काउन्टर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

(ग) एन०सी०एल० ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान भिन्न परियोजनाओं के लिए एस०एम०एस० विस्फोटक की निम्नलिखित मात्राओं की खरीद की थी जो निम्नानुसार है :–

(आंकड़े टन में)

परियोजना	1998-99	1999-2000	2000-01
झिंगुरदा	2185	2503	2885
गोरबी – "बी"	1132	48	शून्य
बीना	7917	8269	7994
जयंत	14434	16695	17338
दुधिचुआ	9813	14342	18870
अमलोहरी	8269	8825	8833
निगाही	11777	15197	16323
ककरी	2645	2765	3306
खाडीया	5008	5765	5601
एनसीएल – जोड़	63180	74409	81150

(घ) भुगतान सर्वथा इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज पर मापी गयी वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाता है।

(ङ) विस्फोटक एन०सी०एल०/सी०आई०एल० द्वारा खुली निविदा के माध्यम से खरीदे जाते हैं तथा दर ठेके के मूल्य समझौता-वार्ताओं आदि के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाता है। वार्षिक मात्रा, संयंत्र की क्षमता/लाइसेंस क्षमता को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जाती है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तटरेखा संरक्षण परियोजना

3295. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तटीय संरक्षण योजना के अंतर्गत तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत तटरेखा संरक्षण परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इस परियोजना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) तमिलनाडु सरकार ने जुलाई, 2001 में 169.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक संशोधित प्रस्ताव राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एन०सी०पी० पी०) के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया। तमिलनाडु के प्रस्ताव में, कन्याकुमारी जिले में 12.763 कि०मी० की समुद्री दीवार/अवरोध का निर्माण, तुतिकोरिन जिले में 1.61 कि०मी० समुद्री दीवार, रामनाथपुरम् जिले में 1.10 कि०मी० समुद्री दीवार, नागापट्टीनम् जिले में 2.745 कि०मी० समुद्री दीवार/रिवेटमेंट दीवार, कुड्डलूर जिले में 0.750 कि०मी० समुद्री दीवार, चेन्गलपट्टू जिले में 2.46 कि०मी० समुद्री दीवार, उत्तरी चेन्नई में 3.02 कि०मी० समुद्री दीवार और 10 अवरोधों (कुल लम्बाई 2.52 कि०मी०) के साथ-साथ 3.50 कि०मी० समुद्री दीवार की मरम्मत करना, कुडम और अडयार नदी मुहानों की सफाई, तट में वनस्पतिक संरक्षण और पोषण करना शामिल है।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई और टिप्पणियां सितम्बर, 2001 में राज्य सरकार को अनुपालना हेतु भेजी गई। राज्य सरकार से टिप्पणियों की अनुपालना संबंधी उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

हाथियों की मौत

3296. श्री वाई० वी० राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में डिग्बोई के रेलमार्ग के निकट हाल ही में बड़ी संख्या में हाथियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) 15 नवम्बर, 2001 को बोगपानी-डिग्बोई सेक्टर पर तिनसुखिया जिले में एक यात्री गाड़ी द्वारा हाथियों का एक झुंड कुचले जाने से 7 हाथी (4 व्यस्क मादा, 1 अर्ध-व्यस्क मादा और 3 बच्चे) मारे गए। हाथी लाखीपाटा वनों से आए थे तथा रेलवे लाइन पार करते समय गाड़ी से टकरा गए।

(ग) रेलवे प्राधिकारियों से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रेलगाड़ियों की गति और समय को नियमित करने तथा रेल-मार्ग के साथ-साथ गाड़ी के ड्राइवरों की दृष्टिगोचरता को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। असम के मुख्य वन्यजीव संरक्षक से रेलवे प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क में रहने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में नये विमानपत्तन

3297. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में नये विमानपत्तनों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संगठनों और लोक प्रतिनिधियों ने भी नोएडा, कानपुर, खीरी और गोंडा जैसे स्थानों पर विमानपत्तनों की स्थापना से संबंधित अभ्यावेदन दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यद्यपि, भारत सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि विद्यमान एयरपोर्ट में जब आवश्यकता हो, अपेक्षित विस्तार करके लम्बी अवधि आधार पर भावी मांगों को पूरा किया जा सकता है इसलिए दिल्ली के पास एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना तर्क संगत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया है कि प्रस्तावित ताज एक्सप्रेस के साथ उपयुक्त स्थान पर एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए एक व्यवसायिक निकाय (प्रोफेशनल बाडी) द्वारा इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन कराएं। कानपुर में पहले ही आपरेशनल सिविल एयरपोर्ट है जिसका रख-रखाव ए०ए०आई० द्वारा किया जाता है और खेरी और गोंडा में नये एयरपोर्ट बनाए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राजसहायता

3298. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कृषि क्षेत्र को प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की राजसहायताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गयी है;

(ग) क्या इस राशि का उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र से सभी प्रकार की राजसहायता वापस लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि के लिये दी गई राजसहायताएं उत्पाद और गैर-उत्पाद विशिष्ट दोनों हैं। इनमें उर्वरकों, डीजल, बिजली तथा पानी आदि पर राजसहायता तथा अनुसंधान, विस्तार, मंडी हस्तक्षेप आदि के रूप में सहायता भी शामिल है। तद्नुसार कृषि के लिये कुल सहायता को सार्थक रूप से राज्य-वार अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

(ग) वह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में रूस के साथ समझौता ज्ञापन

3299. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री के रूस दौरे के दौरान इस्पात क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने हेतु रूस के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस्पात उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में हुआ परिसज्जित इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

वर्ष	मात्रा (दस लाख टन)
1999-2000	26.71
2000-2001	29.70 (अनंतिम)

[अनुवाद]

एयर टिकटों का दुरुपयोग

3300. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न घरेलू एयरलाइनों के एयर टिकटों का अनेक यात्रियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है; और

(ग) सरकार ने ऐसे एयरटिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ??

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने ऐसे 21 मामलों की सूचना भेजी है जिनमें दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 से 6 दिसम्बर, 2001 की अवधि के दौरान यात्री एयर टिकटों का दुरुपयोग करते पाए गए।

(ग) एयर टिकटों का दुरुपयोग रोकने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) एयर टिकटों में अप्राधिकृत बदलाव और अन्य फेरबदल करने को रोकने के लिए टिकटों की प्रिंटिंग के समय

आई०ए०टी०ए० द्वारा निर्धारित अधिदेशात्मक और प्रचालन सुरक्षा नियम विशेष शामिल किए जा रहे हैं।

(ii) टिकटों में धोखाधड़ी और बदलाव आदि रोकने के लिए आटोमेटिक टिकटों का प्रयोग।

(iii) टिकटों का दुरुपयोग रोकने के लिए, डिपारचर कंट्रोल सिस्टम में, यात्री के पास जो कन्सेशन हैं उसे चेक-इन के समय बोर्डिंग कार्ड पर दर्शाया जाता है।

(iv) टिकटों के साथ की गई किसी भी प्रकार की छेड़खानी और बदलाव का पता लगाने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(v) वरिष्ठ नागरिक और विद्यार्थी रियायत टिकटें जारी करने के लिए प्रोफार्मा सरल कर दिया गया है।

(vi) इंडियन एयरलाइन्स की टिकटों का दुरुपयोग करने वाले यात्रियों और ऐसी टिकटों का दुरुपयोग करने वाली ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में नो फ्लाई जोन

3301. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० येरननायडू :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरूमाला के मंदिर क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से नो फ्लाई जोन के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तिरूपति हवाई अड्डे के पास तिरूमाला मंदिर के ऊपर हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

सोयाबीन तेल

3302. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और लैटिन अमरिकी देशों से कम मूल्य वाले सोयाबीन तेल के आने से भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राष्ट्रों में ये फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं और सोया कृषि के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ग) क्या हमारे देश में सोयाबीन तेल की इस आवक से मूल्य को स्थिर करने में सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन देशों में निर्यातक मान्य प्राधिकारियों के इस आशय के विनिर्माता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस तेल को जैव संशोधित बीज से नहीं निकाला गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) अन्तरराष्ट्रीय बाजार में सबसे अधिक सस्ता खाद्य तेल होने के कारण पाम तेल का आयात भारी मात्रा में किया जाता है। सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल आदि जैसे अन्य खाद्य तेलों का आयात तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में किया जाता है। खाद्य तेलों के समग्र रूप से अधिक आयात से भारतीय किसानों पर प्रभाव पड़ा है जिसमें सोयाबीन उत्पादक भी शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है जिससे किसानों द्वारा उगाए जाने वाले तिलहनों के मूल्य भी गिरे हैं।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और लेटिन अमरीकी देश सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक हैं। सोया की खेती के बारे में इन देशों द्वारा दी जा रही राजसहायता से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) अपने देश में सोयाबीन तेल की आवक से स्वदेशी बाजार में खाद्य तेलों और तिलहनों के मूल्यों में गिरावट हो रही है जो सोयाबीन सहित तिलहनों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक हतोत्साही कारक है। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत तिलहनों की खरीद करनी पड़ती है।

(ङ) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार न तो आयातक ही कोई ऐसा प्रमाणपत्र दे रहा है और न ही कस्टम विभाग ही उन्हें कह रहा है कि वे सप्लायरों से ऐसा प्रमाणपत्र लेकर दिखाएं कि सोयाबीन तेल आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज से नहीं निकाला गया है।

रोजगार के अवसर

3303. **श्री ए० नरेन्द्र :**
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य को अब प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, 9वीं पंचवर्षीय योजना में कुल कार्य अवसरों में लगभग 5 करोड़ की वृद्धि प्रक्षेपित की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर देश में नियोजितों (कार्यबल) की कुल संख्या 1993-94 में 37.4 करोड़ की तुलना में 1999-2000 में 39.7 करोड़ आंकी गई।

(ग) अर्थव्यवस्था में अपेक्षित दर से विकास न होना एक प्रमुख कारण है।

(घ) और (ङ) दसवीं पचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध कराने को महत्व दिया गया और इसे दसवीं योजना तथा उससे आगे के लिए प्रबोधनीय उद्देश्य माना गया। दसवीं योजना की विकास नीति में उन क्षेत्रों के द्रुत विकास पर बल दिया जाएगा, जहां उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा रोजगार सृजन में बाधक नीतिगत कठिनाईयों के समाधान की सम्भावना है। उच्च रोजगार सम्भावना वाली आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिसमें निर्माण, वास्तविक सम्पदा तथा आवास, परिवहन, लघु उद्योग (एस०एस०आई०) आधुनिक खुदराकारण, सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) जन्य सेवाएं तथा सहयोगी नीतियों के माध्यम से संवर्धित की जा सकने वाली अन्य नई सेवाएं शामिल हैं। पर्यटन की पूर्ण क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र पर भी बल दिया जाएगा।

दसवीं योजना में रोजगार नीति में रोजगार वृद्धि तथा रोजगार के गुणवत्तात्मक पहलू पर बल दिया जाएगा। निर्धनों की अवसरों तक पहुंच तथा कौशलों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास पर भी बल दिया जाना आवश्यक होगा।

तालाडंडा मुख्य नहर का सुधार

3304. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ासा में तालाडंडा मुख्य नहर और डिस्ट्रीब्यूटरी नं०-12 की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा परियोजना के सुधार और प्रबंधन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) 57.06 करोड़ रुपये (1998 स्तर) की अनुमानित लागत का तालाडंडा मुख्य नहर और वितरणी सं० 12 में सुधार लाने संबंधी परियोजना प्रस्ताव सितम्बर, 1999 में केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुआ था। इस परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं जिन की अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन आदि करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की उनके संसाधनों और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार करने की है।

[हिन्दी]

कटिहार जूट मिल के मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान

3305. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार जूट मिल के लगभग 1400 मजदूरों के खातों में उनकी अनिवार्य जमा योजना (इंदिरा फंड) के अंतर्गत और भविष्य निधि के अन्तर्गत जमा राशि को आज की तिथि तक उनके खातों में जमा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक मजदूरों की असामयिक मृत्यु हो गयी है किन्तु उनके आश्रितों को उपरोक्त धनराशि का कोई भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन शीर्षों के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि है और उनका भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) मैसर्स कटिहार जूट मिल्स के खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्रवाई के परिणामस्वरूप 70.75 लाख रुपये के भविष्य निधि देयों में से 14.95 लाख रुपये की राशि की वसूली कर ली गई है। भविष्य निधि दावों के प्राप्त होते ही इनका निपटान किया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 30 पेंशन दावों, 168 अंतिम निपटान मामलों और 130 पेशगी मामलों को निपटाया गया है।

[अनुवाद]

गुलबर्गा विश्वविद्यालय की अनुसंधान परियोजना

3306. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कर्नाटक ने ऊपरी कृष्णा परियोजना क्षेत्र में खारेपन की समस्या से निपटने के लिए अनुसंधान परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने परियोजना के लिए कितनी निधियां उपलब्ध कराई हैं; और

(ग) इस परियोजना पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) "अपर कृष्णा परियोजना (यू०के०पी०) क्षेत्र में खारेपन की समस्या के निपटान संबंधी अध्ययन" नामक एक अनुसंधान परियोजना 6.02 लाख रुपये की अनुमानित लागत से फरवरी, 1996 में प्रधान अन्वेषक, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, गुलबर्गा विश्वविद्यालय को स्वीकृति की गई थी। इस परियोजना को 4 वर्ष के अंदर पूरा किया जाना था। इस परियोजना के लिए 2,35,540 रुपये की पहली किस्त फरवरी, 1996 में जारी की गई थी तथा 80,605 रुपये की दूसरी किस्त दिसंबर, 1998 में जारी की गई थी। इस प्रकार इस परियोजना के लिए अब तक कुल 3,16,145 रुपये की राशि जारी की गई है।

इस परियोजना की प्रगति की मानीटरी कर रही सिंचाई एवं जल निकास संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनसिड) ने सूचित किया है कि मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान अन्वेषक ने प्रारंभिक जांच के लिए पेट्रीडिशेज और बर्तनों तथा छोटे भूखंडों का उपयोग करते हुए तथा स्थानीय फसलों गन्ना, केला, मूंगफली, सोयाबीन और सूर्यमुखी के लवणरोधी पहलुओं पर प्रयोग किए हैं। किसान जागरूकता अभियान आदि के साथ-साथ अपर कृष्णा परियोजना के लवणता ग्रस्त क्षेत्र में तीन स्थलों पर खेत संबंधी प्रयोग भी किए गए थे।

विदेशी विमानों को भारत में ईंधन भरने की सुविधा

3307. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान शरणार्थियों के लिए राहत सामग्रियां ले जा रहे कुछ विदेशी सैनिक विमानों को भारत के कतिपय विमानपत्तनों पर ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो ये विमान कौन-कौन से देशों के थे; और

(ग) यह सुविधा हाल ही में कौन-कौन से विमानपत्तनों पर उपलब्ध कराई गई थी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जी, हां। माह अक्तूबर, 2001 में कोलकाता और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जापान सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स के उन छह सी-130 एच के हवाई जहाजों को ईंधन भरने की सुविधा दी गई थी जब वे यू०एन०एच०सी०आर० द्वारा संचालित रिफ्यूजी रिलीफ आपरेशन्ज के लिए आपातकालिक रिलीफ सामग्री ले जा रहे थे।

उपचारार्थ पर्यटन

3308. **डा० जसवंतसिंह यादव**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पारम्परिक हैल्थ केयर प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, पुनर्योवन चिकित्सा आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए, भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन का संवर्धन किया जाता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से स्वास्थ्य/चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए नए विशिष्ट पर्यटक संसाधनों का विकास किया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव जैसे उत्सवों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करती है। कुछ राज्य सरकारें, चिकित्सा पर्यटन में स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।

नदी पर्यटन

3309. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के किसी क्षेत्र में नदी पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी नदियों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कोई निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन के आधार पर भारत सरकार ने, नामत: गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिम तट नहर तीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं।

(ग) और (घ) नदी पर्यटन सहित पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधी राज्य/संघ राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त विनिर्दिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नदी पर्यटन के संवर्धन के लिए, यात्रा जहाजों, नावों, कैटामारान, राईस बोटों, हाउस बोटों, ग्लास बॉटम बोटों, जलक्रीड़ा उपकरणों आदि की प्राप्ति के लिए राज्यों/संघ राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में फलोद्यान

3310. श्री विष्णु पद राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फलोद्यान लगाए गए हैं;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या इस बागान क्षेत्र के उत्पाद बाजार में लाने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फलोद्यानों के अन्तर्गत 4087 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है जिससे लगभग 8000 किसानों को लाभ हुआ है।

(ग) और (घ) किसानों द्वारा उत्पाद को मुख्यतया स्थानीय मण्डी में बेचा जाता है। तथापि, पोर्ट ब्लेयर स्थित मण्डी तक उत्पाद को ले जाने के लिए नियमित सड़क परिवहन और अन्तरद्वीपीय फैरी सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

खाद्यान्नों में विषैले तत्व

3311. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण विषैले तत्व पाए गए हैं जिनसे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्टों के अनुसार ऐसी कोई सूचना ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

(ग) उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के जोखिम के मूल्यांकन को मद्देनजर रखते हुए अधिकतम सह्य सीमाओं को खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासन के अधीन हैं। राज्य सरकारें और भारत सरकार के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करते हैं और जब कभी उल्लंघन होता है तो खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना

3312. श्री अरूण कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत देश में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-01 के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजना के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी राशि दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के साथ मिलकर वर्ष 1994 में सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास (एन०एच०आर० डी०) कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक निचले स्तर के कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जा सके ताकि राज्य सरकारों में लाइन विभाग की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और सफाई प्रणालियों से संबंधित पंचायती राज संस्थानों और समुदायों की प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी गतिविधियां प्रारंभ की जा सकें।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा 791.52 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के तहत जारी की गई निधियां

शीर्ष "3601" राज्य (लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदित लागत 2001-2002	जारी की गई निधियां 2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	109.42	54.75
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.56	10.28

1	2	3	4
3.	असम	51.93	25.97
4.	बिहार	63.72	0.00
5.	छत्तसीगढ़**	67.10	0.00
6.	गोवा	33.98	16.99
7.	हरियाणा	14.20	7.10
8.	हिमाचल प्रदेश*	38.50	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	96.80	48.40
12.	मध्य प्रदेश	74.19	37.10
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00
14.	मणिपुर	25.24	12.62
15.	मेघालय	19.21	9.60
16.	मिजोरम	31.43	15.72
17.	नागालैंड	19.80	9.90
18.	उड़ीसा	90.66	45.33
19.	पंजाब	46.85	23.43
20.	राजस्थान	30.64	15.32
21.	सिक्किम	0.00	0.00
22.	त्रिपुरा	0.00	0.00
23.	उत्तरांचल	86.13	43.00
24.	पश्चिम बंगाल	32.99	11.29
	कुल	953.35	386.80

* कोई राशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध थीं।

** प्रारंभिक रूप से परियोजना वर्ष 2000-2001 के दौरान वर्ष 2000-01 और 2001-2002 के लिए अनुमोदित की गई थी

[हिन्दी]

गौ वध

3313. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गौ वध दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या फिलहाल देश में लगभग 3600 पशु वधशालाएं हैं जिनमें गौ वध किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान मांस निर्यात की स्थिति क्या रही;

(घ) क्या देश में गौ वध के कारण गाय की कुछ भारतीय प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या गौवध पर रोक लगाने की दृष्टि से सरकार इस संबंध में हक कानून लाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय देश में 2733 पंजीकृत तथा 5038 गैर पंजीकृत बूचड़खाने हैं जो राज्य सरकार द्वारा शासित होते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल तथा मणिपुर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों ने कानून बनाकर गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) आयात-निर्यात नीति के अनुसार गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है। विगत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एपेडा के जरिए गोमांस को छोड़कर किए गए अन्य प्रकार के मांस निर्यात का विवरण निम्नानुसार है :–

	98-99	99-2000	2000-2001 (मी० टन)
भैंस का मांस	153956.15	167291.41	288027.84
भेड़ तथा बकरी का मांस	8648.45	12419.44	11902.85
कुक्कुट उत्पाद	7390.89	836793.00	15836.12
पशु आवरण	382.06	352.65	573.70
प्रसंस्कृत मांस	297.96	815.77	130.69

(घ) कुछ देसी नस्लें विलुप्त होने के कगार पर हैं। तथापि, नस्लों का विलुप्त होना एक सार्वभौमिक तथ्य है जो फार्मिंग क्रिया-कलापों तथा सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण होता है तथा बोवाइन वध ही इस प्रकार के विलुप्तीकरण का एक मात्र कारण नहीं है।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 246(3) में यथानिहित केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के तहत गोपशु संरक्षण

एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को ही है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी बहुल राज्यों में सर्वेक्षण

3314. श्रीमती हेमा गमांग : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में मत्स्यपालन, डेयरी, पशुपालन, बागवानी और पुष्पकृषि आदि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार वाणिज्यिक स्तर पर इनका दोहन करने के लिए फिलहाल कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासी बहुत राज्यों मे मात्स्यिकी, डेयरी, पशुपालन, बागवानी तथा पुष्पकृषि की संभावना का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, विशाखापत्तनम आधारित अपने सर्वेक्षण यानों के जरिए उड़ीसा तट पर समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का नियमित सर्वेक्षण करता है।

(ग) और (घ) सरकार आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी संबंधित राज्यों में इन क्षेत्रों के विकास के लिए पहले ही विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। तथापि, सरकार का इन क्षेत्रों के वाणिज्यिक दोहन के लिए किसी नई योजना का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कुक्कुट पालक किसान

3315. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स को मांस और एग टाइप क्वेल्स के अधिक उत्पादन के लिए चुनिन्दा प्रजनन हेतु धनराशि वितरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स का जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह विभाग पूर्वोत्तर राज्यों तथा कुक्कुट की दृष्टि से कम विकसित 13 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह व्यवस्था की गई है कि इस योजना के तहत सहायता प्राप्त राज्य फार्म अधिकांश रूप से सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, समूह में महिलाओं तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को केवल निम्न आदान प्रौद्योगिकी पक्षियों का वितरण करेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाएं/परियोजनाएं

3316. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान गोड्डा में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रतिवर्ष विकास खंड-वार वित्तपोषित योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) अब तक पूरी की गई और आज की तारीख में अधूरी पड़ी योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके अधूरे रहने के क्या कारण हैं और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य, सांसदों की अनुशंसाओं पर किए जाते हैं तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य सरकार की स्थापित क्रिया-विधि का अनुसरण करते हुए जिला-प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। अनुशंसित कार्यों की संख्या, कार्यान्वयन के लिए शुरू किए गए कार्यों की संख्या, पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या और चल रहे कार्यों की स्थिति सहित कार्यों का ब्यौरा जिला-प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

3317. श्री राजैया मल्याला :
श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 1978 से विशेष घटक योजना (एस०सी०पी०) और आदिवासी उपयोजना (टी०एस०पी०) के तहत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी, सातवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय ने कायेला और खनन क्षेत्र में ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वियनहेतु कितनी निधियों का आबंटन किया है;

(घ) इस संबंध में अभी तक कितना लाभ मिला है; और कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा कोयला और खनन क्षेत्र में एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के तहत तैयार की जा रही नई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं और कायक्रमों की प्रकृति/विस्तार और लक्ष्य क्या है; और

(च) उक्त योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की खनन प्रचालनात्मक गतिविधियां भारत के विभिन्न राज्यों नामत: पश्चिम बंगाल, बिहार/झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा असम आदि में फैली हुई हैं। इन सभी कंपनियों ने आसपास के गांवों सहित जिनमें अधिकांशत: एस० सी०/एस०टी० समुदाय तथा पिछड़े वर्ग के लोग बसे हुए हैं, कोलफील्ड क्षेत्रों में तथा उनके इर्दगिर्द कार्यान्वियन हेतु 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय उप योजनाएं/स्कीमें तथा विशेष घटक योजनाएं/स्कीमें तैयार की हैं।

(ग) सी०आई०एल० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सी०आई० एल० की सहायक कंपनियों द्वारा ऐसी स्कीमों के संबंध में 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आबंटित और खर्च की गई निधियां नीचे विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) की जाने वाली कल्याण गतिविधियां अत्यधिक विधिक स्वरूप की हैं और इसलिए उनके लाभ का आकलन नहीं किया जा सकता। कोयला खानों के इर्द-गिर्द गांवों में उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत की जा रही कुछ गतिविधियां नीचे विवरण-II में दी गई हैं।

(ङ) और (च) एस०सी०पी० तथा टी०पी०सी० के अंतर्गत इसी प्रकार की गतिविधियां कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष 2002-2003 से आगे शुरू की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ निधियां भी सहायक कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर आबंटित की जाएगी। टी०एस०पी०/एस०सी०पी० पर औसतन 3 करोड़ रु० खर्च किए जा रहे हैं।

विवरण-I

सामुदायिक विकास (विशेष घटक योजना, जनजातीय उपयोजना तथा सामुदायिक विकास योजना) के संबंध में बजट व व्यय

वर्ष	बजट	व्यय
1995-1996	753.00	724.00
1996-1997	778.00	806.40
1997-1998	1161.00	1163.00
1998-1999	1380.00	966.28
1999-2000	1116.00	855.31
2000-20001	1289.88	912.14

विवरण-II

सामुदायिक विकास (विशेष संघटक योजना, जनजातीय उपयोजना तथा सामुदायिक विकास योजना) के अंतर्गत किया गया कार्य

क्र०सं०	कार्य का नाम
1.	समुदाय केन्द्र का निर्माण/मरम्मत
2.	हैंडपम्प लगाना/कुएं खोदना/ट्यूब बैल/बोरबैल
3.	शैक्षिक संस्थानों के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत
4.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत
5.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य कैम्प
6.	पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति
7.	स्कूलों में फलों वाले पेड़ लगाना
8.	खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां
9.	विद्युतीकरण सहित अन्य विविध कार्य
10.	ग्राम विद्युतीकरण
11.	वनारोपण

फसल अनुमान सर्वेक्षण

3318. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित फलों, सब्जियों और कम उगाई जाने वाली फसलों के अनुमान सर्वेक्षण योजना के क्या-क्या उद्देश्य हैं;

(ख) उपरोक्त योजना कौन-कौन से राज्यों में चलाई जा रही है और इसमें कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं;

(ग) गत दो वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) शेष राज्यों में उक्त योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना नामत: फलों, सब्जियों और कम उगाई जाने वाली फसलों के फसल सर्वेक्षण अनुमान के मुख्य उद्देश्य निर्दिष्ट राज्यों में चयनित फसलों के क्षेत्र, उपज और उत्पादन के भरोसेमंद अनुमान प्राप्त करना तथा अनुमान के लिए उपयोग में लाई गयी प्रणाली की व्यवहार्यता की जांच करना भी है (फलों, सब्जियों और कम उगाई जाने वाली फसलों के विशिष्ट लक्षणों के कारण)।

(ख) उन राज्यों के नाम जहां यह योजना चलाई जा रही है तथा उसमें शामिल फसलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) भारत सरकार ने पहले ही सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव तैयार करने और भेजने का अनुरोध किया है ताकि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा सके।

विवरण-I

राज्य	फसलें
1	2
1. आंध्र प्रदेश	आम, केला, नींबू जातीय, प्याज, हल्दी।
2. गुजरात	आम, केला, अमरूद, प्याज।
3. हरियाणा	आम, नींबू, जातीय, अमरूद, अंगूर, प्याज, टमाटर, आलू।
4. हिमाचल प्रदेश	सेब, नींबू जातीय, अदरक, आलू।
5. कर्नाटक	आम, केला, अमरूद, अंगूर, नींबू जातीय, हल्दी, आलू, प्याज, टमाटर।
6. महाराष्ट्र	आम, केला, अंगूर, नींबू जातीय, प्याज, टमाटर।
7. उड़ीसा	आम, केला, आलू, प्याज, हल्दी, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी।
8. पंजाब	नींबू जातीय, आम, आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी
9. राजस्थान	नींबू जातीय, अमरूद, हल्दी, अदरक।
10. तमिलनाडु	आम, केला, अमरूद, नींबू जातीय, अंगूर, अन्नानास, आलू, टमाटर, प्याज, पत्तागोभी, हल्दी।
11. उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	आम, अमरूद, आलू।

विवरण-II

राज्यों को निधियों का आबंटन

(लाख रु० में)

राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (चालू वर्ष)
1. आंध्र प्रदेश	18.00	20.00	31.00
2. गुजरात	27.00	50.00	45.00
3. हरियाणा	7.00	7.84	11.00
4. हिमाचल प्रदेश	15.00	24.00	25.00
5. कर्नाटक	57.00	66.16	90.00
6. महाराष्ट्र	32.27	56.00	57.00
7. उड़ीसा	20.00	32.00	34.00
8. पंजाब	18.00	20.00	25.00
9. राजस्थान	14.73	15.00	18.00
10. तमिलनाडु	15.00	17.00	26.00
11. उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	16.00	32.00	38.00
कुल	24.00	340.00	400.00

भारत और अमरीका के बीच अमरीकी उड़ानें

3319. श्री के० येरननायडू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय अमरीकी एयरलाइनों ने अमरीका पर सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत और अमरीका के बीच अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एयरलाइनें कौन-कौन सी हैं और उड़ानें बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उड़ानों के पुन: कब से चालू हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूनाईटेड एयरलाइंस ने अपनी सभी सेवाएं वापिस ले ली हैं जबकि नार्थ वेस्ट एयरलाइंस ने अपने हवाई प्रचालनों में कटौती कर दी है। हवाई सेवाओं को बन्द कर देना और पुन: आरंभ किया जाना, संबंधित एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक का मामला है।

नई कोयला खानों का निजीकरण

3320. श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई कोयला खानों को निजी क्षेत्र को देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 निम्नलिखित उद्देश्यों से राज्य सभा में पेश किया गया है :–

(i) भारतीय कंपनियों को, गृहीत खनन के विद्यमान प्रति-बंध के बिना, देश में कोयला तथा लिग्नाइट का खनन करने की अनुमति देना। दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को कोयला तथा लिग्नाइट का खनन करने तथा उन्हें खुले बाजार में बेचने की भी अनुमति देना।

(ii) देश में कोयले तथा लिग्नाइट के संसाधनों के अन्वेषण में नियोजन हेतु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अनुमति देना।

(ख) कोयले के भंडार निजी क्षेत्र को देने की पेशकश, संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद कानून बन जाने पर ही की जा सकती है।

[हिन्दी]

जलाशय योजनाएं

3321. श्री रामपाल सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष, राज्य-वार कितनी जलाशय योजनाएं भेजीं;

(ख) कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और केन्द्र सरकार के पास अभी मंजूरी के लिए कितनी योजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ग) ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं और इतने समय तक इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) विगत दो वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई 30 जलाशय स्कीमों में से 26 पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है। जल संसाधन मंत्रालय की सलाहाकर समिति द्वारा 3 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाए। योजना आयोग द्वारा एक स्कीम को निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति जहां कहीं अंतर्राज्यीय मुद्दे शामिल हों उनके समाधान पर और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की त्वरित अनुपालना किए जाने पर निर्भर करती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	केन्द्रीय स्थिति जलआयोग में प्राप्त होने की तिथि
1	2	3	4
1.	सुरमपलेम जलाशय स्कीम फेज-II जलाशय स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	7/2000बी
2.	भूमतिपलेम जलाशय स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	7/2000बी
3.	कालवाकरदु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	11/2000ए
4.	नेत्तामपादु लिफ्ट सिंचाई स्कीमें	आन्ध्र प्रदेश	11/2000ए
5.	गोल्लावागु जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	6/2001ए
6.	राल्लीवागु जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	9/2001ए
7.	निलवाई जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	9/2001ए
8.	हलोन सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	1/2001ए
9.	चित्री	महाराष्ट्र	1/2001ए
10.	आन्ध्र खोरे	महाराष्ट्र	2/2000ए
11.	बकोद	महाराष्ट्र	3/2000ए

1	2	3	4
12.	सयन	महाराष्ट्र	9/2000ए
13.	सोनापुर	महाराष्ट्र	9/2000ए
14.	गुल नदी	महाराष्ट्र	11/2000ए
15.	घटप्रभा	महाराष्ट्र	1/2000ए
16.	कोरदीमल्ला	महाराष्ट्र	3/2000ए
17.	दारा	महाराष्ट्र	3/2000ए
18.	नागन	महाराष्ट्र	3/2000ए
19.	नार्थमंड	महाराष्ट्र	4/2001ए
20.	मोरना गुरेधर	महाराष्ट्र	4/2001ए
21.	बांग	महाराष्ट्र	4/2001ए
22.	नागेवाडी	महाराष्ट्र	6/2001ए
23.	कमानी-टांडा	महाराष्ट्र	7/2001ए
24.	तुरी-गुंटट सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	1/2000ए
25.	महेन्द्रतन्य सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	3/2000ए
26.	हदुआ सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	2/2001बी
26.	शाहपुरकंडी बांध परियोजना	पंजाब	2/2000**
28.	श्री दशमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	2/2001ए
29.	कचोन्दा बांध	उत्तर प्रदेश	11/2000ए
30.	महानदी जलाशय स्कीमें	छत्तीसगढ़	7/2001ए

ए = पत्राचार चल रहा है।

ब = कुछ टिप्पणियों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत

**योजना आयोग द्वारा 5.11.2001 को निवेश स्वीकृति प्रदान की गई।

[अनुवाद]

भूजल स्तर बढ़ाना

3322. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भूजल का संरक्षण कारगर ढंग से करके और उसके स्तर को पुनः बढ़ाकर जल स्रोतों को बनाए रखने के लिए एक माडल विधि अधिनियमित करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को उक्त विधि का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए विनियामक प्राधिकरण के गठन हेतु निदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल विकास में विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाया जाना होता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1970 में ''भूजल के विकास के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक माडल बिल'' सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया था ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। उसके बाद, सितम्बर, 1992 में तथा फिर जून, 1996 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक संशोधित मॉडल बिल परिचालित किया गया था और अब तक गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने भूजल के उपयोग के विनियमन के लिए कानून बनाये हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा परिचालित किए गये माडल बिल में, कानून बनाने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के वास्ते संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड

3323. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भद्रावती का अधिग्रहण किस तारीख को किया था;

(ख) अधिग्रहण के बाद से ''सेल'' ने उक्त संयंत्र के उन्नयन और आधुनिकीकरण पर कितनी राशि खर्च की है;

(ग) क्या ''सेल'' उक्त इकाई को बेचने का प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त इकाई का अब तक का कुल घाटा कितना है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त संयंत्र के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा अधिकांश शेयर खरीदने से विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (वी०आई० एस०एल०) 1989 में सेल की सहायक कंपनी बन गई। बाद में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के खंड 396 के अंतर्गत जनहित

में वी०आई०एस०एल० का दिसंबर, 1998 में सेल में विलय कर दिया गया।

(ख) वी०आई०एस०एल० का अधिग्रहण करने के बाद वी०आई०एस०एल० के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण पर सेल द्वारा अब तक 171.98 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) चूंकि सेल ने केवल अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ही ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है और वी०आई०एस०एल० को व्यवहार्य बनाने के लिए सेल ने वी०आई०एस०एल० को उपयुक्त भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ङ) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वी०आई०एस०एल० की कुल संचित हानि 233.23 करोड़ रुपए है।

(च) इस संयंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संयुक्त उद्यम बनने के बाद यह कार्य सेल द्वारा किया जाएगा।

बंधुआ मजदूरों को मुआवजा

3324. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को मुआवजे का भुगतान करने तथा उनके पुर्नवास-पैकेज के मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उच्चतम न्यायालय से नये मार्गनिर्देश जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कौन से नवीनतम मार्गनिर्देश दिए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पहचान किए गए और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान तथा पुनर्वास पैकेज के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से अब तक कोई नये निदेश नहीं मांगे गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

3325. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री विकास चौधरी :
डा० रामचन्द्र डोम :
श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री निखिलानन्द सर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) राज्यों को प्रत्येक योजना के तहत धनराशि के आबंटन हेतु क्या मानदंड हैं और इसमें केन्द्र का हिस्सा कितना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त प्रस्तावों, जारी की गई धनराशि और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मुख्य विशेषताएं और सहायता का स्वरूप अर्थात् केन्द्रीय और राज्यीय अंश, अनुदान तथा ऋण आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्यों को धन का आबंटन/निर्मुक्ति राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, संबंधित राज्य में उस स्कीम की गुंजाइश, स्कीम के अंतर्गत, पहले जारी किए गए धन में से राज्य के पास अव्ययित पड़े धन की रकम और विभाग की समग्र संसाधन स्थिति के आधार पर की जाती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को जारी किए गए धन और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि और सह० विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मुख्य विशेषताएं

1. **"कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" के लिए कृषि का वृहद् प्रबंधन।**

उद्देश्य वृहद प्रबंधन स्कीम राज्यों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजनाओं के माध्यम से कृषि में चहुमुखी विकास की ओर लक्षित होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- स्थानीय आवश्यकताओं/फसल/क्षेत्र/विशिष्टता/प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करना।
- राज्यों को छूट और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कम वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
- आय को अधिकतम बनाना।
- क्षेत्रीय असंतुलन हटाना।

मुख्य विशेषताएं 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को समेकित करके (सूची संलग्न) स्कीम आधारित दृष्टिकोण के बदले वृहत प्रबंध विधि अपनाने का फैसला किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कड़ाई से समान रूप से बनाए गये पिछले स्वरूप, जिसके

परिणामस्वरूप राज्यों के पास इस्तेमाल न की हुई बड़ी बकाया धनराशियां बची रह जाती थी उसे हटा दिया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का वृहत प्रबंध दृष्टिकोण के अधीन समेकन सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की उत्पादकता बढ़ायेगा और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम विकसित करने और चलाने के लिये राज्य सरकारों को अपेक्षाकृत अधिक छूट देगा। इस प्रकार कृषि विकास नियोजन में राज्यों की प्राथमिकता बहाल करने की दिशा में विकेन्द्रीकरण हासिल करने की ओर यह एक बड़ा कदम है। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न ऐसी कार्ययोजनाओं को अनुपूरित/संपूरित करेगी जिनमें फसल/क्षेत्र/लक्षित वर्ग के लिये विशिष्ट हस्तक्षेप सम्मिलित होंगे और जो मिलकर कार्यवाही करने की विधि से तैयार की गयी होंगी और राज्यों के साथ सहभागिता की भावना से कार्यान्वित होंगी।

सहायता का स्वरूप कार्ययोजना का परिव्यय केन्द्र और राज्यों द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जायेगा लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। कार्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता में 80% अनुदान और 20% ऋण का अनुपात रहेगा।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता।
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता।
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम।
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि।
5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम।
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
8. मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास।
11. उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग।
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन।
13. शुष्क, उष्णकटीबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास।
14. वनस्पति बीजों का उत्पादन व आपूर्ति।
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास।
16. औषधीय तथा सजावटी पौधों का विकास।
17. कन्द एवं मूल फसलों का विकास।
18. कोको तथा काजू का विकास।
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।
20. खुम्भी विकास।
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।
22. मधुमक्खी पालन।
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
24. सब्जी फसलों के आधारी व प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए स्कीम।
25. नदीघाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
26. क्षारीय मृदा का सुधार व विकास।
27. राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण।

2. **कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन II के अधीन गहन कपास विकास कार्यक्रम।**

उद्देश्य निम्नलिखित के जरिये प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि करना (क) प्रौद्योगिकीय अंतरण (ख) अच्छे गुणस्तर के बीजों की पूर्ति (ग) समेकित कृमि प्रबंध कार्याकलापों में वृद्धि और (घ) किसानों को सही समय पर पर्याप्त आदान की पूर्ति करना।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में सम्मिलित घटक हैं : (क) आधारी, प्रजनक और प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रमाणित बीज के वितरण हेतु सहायता (ख) क्षेत्रीय और समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन (ग) किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण (घ) पौध रक्षण उपकरणों, जल रक्षक युक्तियां, जैव ऐजेन्टों तथा फीरामोन ट्रैप्स का वितरण/बायोऐजेन्टस की और अच्छे गुणस्तर के अलग किये गये बीज की पर्याप्त उपलब्धता के लिये बायोऐजेन्ट प्रयोग-शालाएं और बीच को अलग करने के प्लांट स्थापित करने के लिये भी सहायता दी जाती है।

सहायता का स्वरूप 75 : 25 केन्द्र : राज्य
अनुदान शत-प्रतिश : ऋण शून्य।

3. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

उद्देश्य इस स्कीम का उद्देश्य आत्म निर्भरता हासिल करने के लिये देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में निम्नलिखित घटकों के लिए राज्यों को सहायता देना प्रतिपादित है।

i. **बीज संबंधी :–** आधारी बीज का उत्पादन और खरीद, आधारी तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन और प्रमाणित बीज तथा मिनिकिटों का वितरण, सोयाबीन एवं मूंगफली के टी०एल० बीज उत्पादन हेतु त्वरित कार्यक्रम।

ii. **प्रदर्शन :–** प्रमुख, प्रखंडीय और समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन।

iii. **सिंचाई की उन्नत विधियां :–** छिडकाव यंत्रों का वितरण।

iv. उन्नत कृषि उपकरणों और पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण जिनके बिजली से चलने वाले उपकरण शामिल हैं।

v. राइजोबियम कल्चर, पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषण तत्वों, बीज उपचार रसायन, खर-पतवार नाशियों, जिप्सम/पाइराइट का वितरण और रूट ग्रब नियंत्रण।

vi. बुनियादी ढांचे का विकास:– बीज भंडार, थ्रेशिंग स्थल और सरकारी फार्मों में सिंचाई।

vii. किसानों का प्रशिक्षण।

सहायता का स्वरूप यह स्कीम केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर कार्यन्वित की जा रही है। प्रमुख प्रदर्शनों, मिनिकिट वितरण और प्रजनक बीज उत्पादन के मामलें में अनुदान शत प्रतिशत, ऋण शून्य।

4. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम।

उद्देश्य नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001-2002 (संशोधित) तक देश में मक्का का उत्पादन और उत्पादकता क्रमश: 10 मिलियन मी० टन से बढ़ाकर 11.44 मि० टन और 1.5 मी० टन प्रति है० से बढ़ाकर 1.80 मी० टन प्रति है० करना।

मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित घटकों के माध्यम से आधुनिक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है।

(क) वे घटक जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख प्रदर्शन।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- मक्का के प्रमाणित बीज का उत्पादन।
- बीज मिनिकिट प्रदर्शन।
- मक्का विकास पर सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं और
- मूल्यांकन और मानीटरिंग।

(ख) वे घटक जिनके लिए 75% सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा और 25% सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती।

- उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी और समेकित कृमि प्रबंध पर क्षेत्रीय प्रदर्शन।
- फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर किसानों का प्रशिक्षण।
- संकर/उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों के उपयोग पर प्रोत्साहन (योजना आयोग के चाहने पर इसे 2001-02 से हटा दिया गया है।)
- उन्नत उपकरणों के उपयोग पर प्रोत्साहन।
- इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार और
- पी०ओ०एन० के लिए आकस्मिकताएं।

इस कार्यक्रम (त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम) का कार्यान्वयन 26 राज्यों के मक्का की संभावना वाले सभी जिलों में किया जा रहा है। वे राज्य है :– आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तसीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर के घटकों के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत और राज्य स्तरीय घटकों के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर।

अनुदान शत प्रतिशत ऋण शून्य।

5. **राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना**

उद्देश्य मुख्य विशेषताएं इस स्कीम का उद्देश्य देश में दलहनों के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इस स्कीम में निम्नलिखित घटकों के लिए राज्यों को सहायता दिया जाना निहित हैं :–

(i) **बीज से संबंधित :** प्रजनक बीज की खरीद, आधारी और प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीजों और मिनिकिटों का वितरण और दलहनों के बीच के उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम

(ii) **प्रदर्शन :** अग्रणी, ब्लाक तथा आई०पी०एम० प्रदर्शन।

(iii) **सिंचाई की उन्नत पद्धति :** स्प्रिंकलरों का वितरण।

(iv) उन्नत फार्म उपकरणों और पौध रक्षण उपकरणों जिसमें ऊर्जाचालित उपकरण शामिल हैं, का वितरण।

(v) राइजोबियम कल्चरों, पोषकों तथा सुक्ष्म-पोषकों, जिप्सम/पाइराइट, न्यूक्लिअर पोलि-हैडरोसिस वाइरस (एन०पी०वी०) तथा बीज उपचार रसायन का वितरण।

(vi) किसानों का प्रशिक्षण।

सहायता का स्वरूप यह स्कीम केंद्रीय और राज्य हिस्सों के रूप में क्रमश: 75:25 के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, भारत सरकार मिनिकिट वितरण सहित इस स्कीम के लिए प्रावधान की गई, राशि में से समूचा व्यय वहन करती है।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

6. **आयल पाम विकास कार्यक्रम**

उद्देश्य घटक देश में आयल पाम की खेती को बढ़ावा देना।

सहायता का स्वरूप आयल पाम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का संस्थापन।

केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25

अनुदान: 100%, ऋण-शून्य।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं खाद्य तेलों को स्वदेशी उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयल पाम की खेती का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि यह तेल की एक सर्वोच्च उपज देने वाली बारहमासी फसल है। इस स्कीम के घटक इस प्रकार हैं :– रोपण सामग्री के लिए सहायता, खेती की लागत, ड्रिप सिंचाई, प्रशिक्षण, विस्तार तथा प्रचार के लिए सहायता, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्टाफ की स्थापना और प्रावधान, बीज उद्यानों का विकास, अग्रणी प्रदर्शन, पत्ती पोषक विश्लेषण प्रयोगशालाएं, विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत आयल पाम जेनोटाइपों का परीक्षण, डीजल पम्पसैटों के लिए सहायता।

7. **सहकारी रूप से अल्प/अल्पतम विकसित राज्यों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि कार्यक्रम**

उद्देश्य अल्प/अल्पतम विकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना और सहकारी कृषि विपणन प्रसंस्करण, भण्डारण आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के विकास की गति में अपेक्षित तेजी लाना ताकि किसानों और समुदाय के कमजोर वर्गों की आय बढ़ाई जा सके।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में कृषि आदानों के वितरण, भण्डारण सहित कृषि प्रसंस्करण के विकास, खाद्यान्नों और रोपण/बागवानी फसलों के विपणन, कमजोर और जनजातीय वर्गों के विकास, डेयरी, कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी में सहकारिता की व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता की स्वीकृति देता है। राज्यों को सीधे धनराशि की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

8. **सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी**

उद्देश्य इस स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों के संसाधनों का सम्पूरण करना है ताकि वे सहकारी चीनी मिलों की शेयर पूंजी में अंशदान करने में सक्षम हो सकें जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम के अंतर्गत, नई सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी में भागीदारी के लिए निवेश ऋण सहायता आधुनिकीकरण विस्तार और विविधकरण परियोजनाओं के लिए विद्यमान सहकारी चीनी मिलों को आवधिक ऋण सहायता दी जाती है।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता की स्वीकृति देता है। राज्यों को सीधे धनराशि की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

9. **उत्पादक सहकारी कताई मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी**

उद्देश्य मूल्य वर्धन के माध्यम से कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी प्रतिलाभ दिलाने में सहायता करना।

मुख्य विशेषताएं इस स्कीम में नई मिलों के शेयर पूंजी ऋण के लिए सहायता के साथ-साथ उत्पादक सहकारी कताई मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवधिक ऋण सहायता की व्यवस्था।

सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता की स्वीकृति देता है। राज्यों को सीधे धनराशि की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

10. **समय पर सूचना देने की स्कीम**

उद्देश्य प्रत्येक मौसम में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का विश्वसनीय और समय पर अनुमान प्राप्त करना जिसमें सिंचित/असिंचित, पारम्परिक और फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का ब्यौरा शामिल है और भू उपयोगिता सांख्यिकी भी शामिल है जिसका उपयोग प्रत्येक वर्ष 20% चुनिन्दा गांवों में प्राथमिकता गिरदावरी का आयोजन करके फसल अनुमान सर्वेक्षण के डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। यह स्कीम उन राज्यों में कार्यान्वित की जाती है जिनका भूकर पूंजी रूप से सर्वेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, समय पर रिपोर्ट देने की स्कीम में फसल कटाई प्रयोगों के लिए नमूना ढांचें की व्यवस्था है।

मुख्य विशेषताएं विभिन्न राज्यों में, भूमि रिकार्ड मैन्युअलों में फसल गणना की अवधि के बारे में निर्देश और ग्राम और उत्तरोत्तर उच्चतर स्तरों पर फसल क्षेत्र के संकलन की प्रक्रिया अन्तर्विष्ट है। समय अनुसूची भी तैयार की जाती है। यह प्रत्याशा होती है कि विभिन्न फसलों के लिए अंतिम पूर्वसूचना के देय होने के समय तक फसल संबंधी सार उपलब्ध हो जाएंगे। अनुभव से पता चला है कि ऐसा नहीं होता और विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र के विश्वसनीय और सही आंकड़ों की उपलब्धता में काफी विलंब हो जाता है। इससे नियोजन और नीति संचालन में काफी बाधा आती है। समय पर सूचना देने की स्कीम में यादृच्छिक रूप चुने गए गांवों (20%) की पर्याप्त संख्या की अग्रिम गणना के माध्यम से क्षेत्र सांख्यिकी के समेकन की व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर हिस्सेदारी।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

11. **कृषि सांख्यिकी की रिपोर्ट देने के लिए एक एजेंसी की स्थापना**

उद्देश्य विशेष स्टाफ के माध्यम से प्रत्येक मौसम में 20% चुनिन्दा गांवों में सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अनुमान तैयार करना। नमूना गांव में फसल क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट सभी फील्ड/सर्वेक्षण संख्याओं की पूर्ण गणना के आधार पर दी जानी होती है। सर्वेक्षण विशेष रूप से अपेक्षित हैं क्योंकि इन राज्यों में कोई भी एजेंसी भूमि उपयोग सांख्यिकी के अद्यतन करने के काम में नहीं लगी है।

मुख्य विशेषताएं गैर-भूमि रिकार्ड वाले राज्यों में राज्य एजेंसियों भूमि उपयोगिता संबंधी रिकार्ड को अद्यतन नहीं करतीं और इसीलिए आंकड़ों में अन्तर रह जाता है। इस स्कीम में आधारित भूमि उपयोग सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष गांवों के 20% नमूनों को कवर करने के लिए एक पूर्णकालिक एजेंसी की स्थापना की व्यवस्था है। नमूना गांव में फसल क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट संपूर्ण गणना के आधार पर दी जाती है। इस स्कीम में पर्यवेक्षण की अन्तर्निहित व्यवस्था है।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

12. **फसल सांख्यिकी का सुधार**

उद्देश्य इस स्कीम का उद्देश्य 10000 गांवों में निम्नलिखित का मौके पर पर्यवेक्षण करके फसल सांख्यिकी में सुधार करना है :–

(i) क्षेत्र गणना,

(ii) क्षेत्र संचयन, और

(iii) फसल कटाई प्रयोग।

पर्यवेक्षण केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से किया जाता है (5000 गांव केन्द्रीय एजेंसी एन०एस०एस०ओ० द्वारा और 5000 गांव राज्य तंत्र द्वारा)

मुख्य विशेषताएं भारत में फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुमान भू अभिलेख रखने वाले राज्यों में ग्राम राजस्व एजेंसियों द्वारा फील्ड से फील्ड की जांच के आधार पर

पूर्ण गणना की पद्धति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिन राज्यों में भू उपयोग अभिलेख नहीं रखे जाते वहां नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं। प्रमुख फसलों के उपज के अनुमान यादृच्छिक नमूना, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षणों के अंतर्गत आयोजित फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित हैं। संपूर्ण कार्य एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में बड़े पैमाने पर आंकड़ों के सृजन की है अत: क्वालिटी और समयवद्धता कई कारकों की वजह से प्रभावित हो सकती है। इस स्कीम की जरूरत कृषि सांख्यिकी के संग्रहण की राज्य की प्रणाली में कमी, यदि कोई हो, का केन्द्र और राज्य प्राधिकरणों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से पता लगाना है और इस प्रणाली में दूरगामी सुधार लाने के उपाय सुझाना है। संयुक्त प्रयास (i) क्षेत्र गणना (ii) खसरा रजिस्टरों के पेजों के योग लगाने (iii) और फसल कटाई प्रयोगों के बारे में नमूना जांच करने के रूप में होते हैं।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

13. **कृषि संगणना**

उद्देश्य देश में पंचवार्षिक कृषि संगणनाए और आदान सर्वेक्षण आयोजित करना। संगणना देश में कृषि की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएं संगणनाओं का आयोजन राज्य सरकारों के तंत्र का उपयोग करके किया जाता है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों को आंकड़ों के एकत्रीकरण के फील्ड वर्क के लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है। संगणना संबंधी कार्यों के समन्वयन के लिए राज्य मुख्यालयों पर प्रदान किए गए न्यूक्लिअस स्टाफ के वेतन इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। आंकड़ों के प्रसंस्करण की लागत भी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

सहायता का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर।

अनुदान : 100%, ऋण-शून्य।

विवरण-II

राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्दीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त/व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आवंटन/निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन/निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन/निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6334.92	6327.03	6175.51	5312.24	3914.84	5260.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	473.63	355.46	475.05	243.63	761.31	794.35
3.	असम	540.19	189.04	386.91	456.97	1099.27	192.67
4.	बिहार	352.53	333.02	240.70	179.27	419.59	17.61
5.	गोवा	233.92	179.23	202.06	60.46	49.12	156.13
6.	गुजरात	4533.67	3433.78	4789.31	4575.21	4713.47	3692.61
7.	हरियाणा	1634.97	1520.70	1648.80	1611.23	1833.74	2023.10
8.	हिमाचल प्रदेश	1322.19	1264.02	1116.09	1326.06	1338.17	1269.07
9.	जम्मू व कश्मीर	1054.35	939.18	1060.35	1018.90	917.87	434.45
10.	झारखंड	8476.45	8915.82	8159.30	6514.77	7180.52	5705.63

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	4071.73	2027.87	2571.59	2058.06	3724.72	538.71
12.	मध्य प्रदेश	7692.98	6436.23	7696.70	8900.25	5506.69	6440.38
13.	महाराष्ट्र	12378.62	9883.62	8324.33	8841.11	10633.31	8352.73
14.	मणिपुर	571.95	613.26	984.03	686.41	935.68	716.32
15.	मेघालय	431.65	421.26	598.02	56.22	724.74	293.75
16.	मिजोरम	961.45	796.16	894.94	740.23	1088.99	1010.77
17.	नागालैंड	1142.08	1102.11	1223.07	990.76	1489.72	1416.60
18.	उड़ीसा	3622.31	3546.21	4594.78	2562.70	1680.81	2664.25
19.	पंजाब	1295.49	1014.93	1206.84	329.45	849.49	437.53
20.	राजस्थान	9268.88	8583.88	8470.36	7346.15	8133.23	8037.73
21.	सिक्किम	475.81	492.26	541.89	330.36	825.29	755.17
22.	तमिलनाडु	5740.11	5737.76	5513.83	4430.36	5665.59	4323.58
23.	त्रिपुरा	570.09	565.84	951.07	779.39	817.25	1002.11
24.	उत्तर प्रदेश	8322.90	8594.61	7603.00	10122.21	7068.83	7436.80
25.	पश्चिम बंगाल	1285.97	959.21	1534.60	1255.56	1537.09	2094.72
26.	उत्तरांचल					882.00	440.08
27.	छत्तीसगढ़					963.00	सूचित नहीं
	योग	82788.84	74232.49	76963.13	70727.96	74754.33	65507.42

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1148(अ) जो 21 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का०आ० 60(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4637/2001]

(2) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4638/2001]

(4) (एक) सी०पी०आर०, इनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन

[श्री टी०आर० बालू]

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी०पी०आर०, इनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4639/2001]

(5) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4640/2001]

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-1998 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4641/2001]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विस (इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4642/2001]

(2) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इन्दौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4643/2001]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4644/2001]

(ख) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4645/2001]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : मैं, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी पेंशन (चौथा संशोधन) योजना, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 746(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 747(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) योजना, 2001 जो 11 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 774(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4646/2001]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडेम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडेम का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4647/2001]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, (खंड 1 और 2) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4648/2001]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4649/2001]

(ख) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4650/2001]

(3) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4651/2001]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4652/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

तीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के बारे में बोलना चाहता हूं, मैं उस दिन अपना भाषण पूरा नहीं कर सका था जिसके कारण सभा को भली प्रकार मालूम हैं, उसके संबंध में मैं आज पुन: बोलना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आज आपने सूचना दी है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी हां, मैंने आज भी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उससे पूर्व मंत्री जी को वक्तव्य देना है।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

देश में गैसोहोल की आपूर्ति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : ब्राजील 40 वर्ष से अधिक समय से गन्ने के सीरे और रस से इथानोल का उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार अमरीका भी इसका उत्पादन मकई दाने से कर रहा है। इस प्रकार ब्राजील में उत्पादित इथानोल का सम्मिश्रण पेट्रोल में 20 प्रतिशत से 24 प्रतिशत किया जा रहा है और आटो ईंधन के रूप में इसका व्यापक रूप से सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) के वर्तमान विनिर्देशों के अनुसार पेट्रोल में इथानोल की मात्रा 5 प्रतिशत तक अनुमत है।

इथानोल का उत्पादन ऊर्जा से सतत स्रोत से किया जाता है और पैट्रोलियम उद्योग में इसके इस्तेमाल में गन्ने की खेती और औद्योगिक क्रियाकलाप स्वच्छतर पर्यावरण प्रदान करने के अलावा प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्रों में उच्चतर विकास को बढ़ावा देंगे। भारतीय परिस्थिति में संभारतंत्र, मूल्यनिर्धारण, पर्यावरणीय प्रभाव आदि के रूप में पेट्रोल में इथानोल के सम्मिश्रण के आर्थिक और प्रचालनात्मक पहलुओं का निश्चित पता लगाने के लिए भारत सरकार ने 5 प्रतिशत इथानोल सम्मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने वाले 300 से अधिक खुदरा बिक्री केन्द्रों को शामिल करते हुए 3 इथानोल गैसोलीन प्रायोगिक परियोजनाएं (2 महाराष्ट्र में और 1 उत्तर प्रदेश में) आरंभ की थीं।

प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से आयोजित किए जा रहे क्षेत्र प्रयासों के अतिरिक्त वाहन चालन क्षमता, ईंधन बचत, वाष्प बंदी आदि पर इथानोल-पेट्रोल के सम्मिश्रणों के इस्तेमाल के प्रभाव की निगरानी करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों पर अलग से अनुसंधान और विकास अध्ययन भी किए जा रहे हैं। अनुसंधान और विकास अध्ययन मार्च, 2002 तक पूरे हो जायेंगे।

प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता से प्रोत्साहित होकर मैंने दो बैठकें आयोजित की थीं, जिनमें से एक 12 नवंबर, 2000 को विभिन्न मंत्रालयों और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई थी और दूसरी मेरे साथियों कृषि मंत्री श्री अजित सिंह, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शान्ता कुमार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री अण्णासाहेब एम०के० पाटिल के साथ 29 नवंबर, 2001 को आयोजित की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के प्रतिनिधियों और कार्यदल के सदस्यों ने भी भाग लिया। इथानोल के उत्पादन और उपयोग के संबंध में संघ और राज्य सरकारों से विभिन्न सहायक कार्यों पर भी चर्चा की गई।

सरकार ने इन चर्चाओं के आधार पर निम्न निर्णय लिए हैं :–

(i) देश में 5 प्रतिशत की दर पर इथानोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री दो चरणों में लागू की जानी है। पहले चरण के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाएगा और दूसरे चरण के दौरान शेष देश को सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) विद्यमान तीन प्रायोगिक परियोजनाओं को बी०आई०एस० विनिर्देशों के संशोधनों आदि जैसे कुछ मुद्दों का समाधान करने के बाद 10 प्रतिशत की दर पर पेट्रोल में इथेनोल का मिश्रण आरंभ करना है।

(iii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डीजल में इथानोल के मिश्रण पर अनुसंधान और विकास अध्ययनों के लिए 4

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4653/2001

करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए थे क्योंकि भारत में वाहनों द्वारा खपत किए जाने वाला लगभग 80 प्रतिशत ईंधन डीजल है। इन अध्ययनों को 6 महीनों में पूरा किया जाना है।

पेट्रोल में इथानोल के मिश्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी कीमत को पेट्रोल के आयात समता मूल्य से काफी कम करना आवश्यक होगा। चीनी उद्योगों तथा आसवनियों को इथानोल की आपूर्ति प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर करनी होगी।

आगे, सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 का संशोधन करने विषयक एक प्रमुख निर्णय लिया है, जिससे इथानोल के उत्पादन तथा खोई से विद्युत के सह-उत्पादन को चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस मिश्रण के लिए इथानोल के उपयोग में वृद्धि करना तथा इस समय सीरा की उत्पादित समस्त मात्रा का उपयुक्त उपयोग करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा देगा। संबंधित इकाइयों को प्राप्त होने वाले वर्धित लाभ स्वाभाविक रूप से वापस किसानों को लाभ पहुंचायेंगे। निश्चित एवं आश्वस्त भुगतानों से किसानों को इस प्रक्रिया से लाभ मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि पेट्रोल में इथानोल मिश्रण करने संबंधी इस निर्णय से एक नए युग की शुरूआत होगी, चूंकि इससे देश तथा विशेषतया गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों एवं तेल उद्योग को लाभ होगा। इस निर्णय से मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि देश पेट्रोलियम जरूरतों का लगभग 70 प्रतिशत आयात कर रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्वत: कथन है। जैसाकि आप जानते हैं, स्वत: पूर्ण कथन पर आप स्पष्टीकरण देने की मांग नहीं कर सकते। आप किसी और रूप में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्वत: पूर्ण कथन है। आप स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते। आप किसी और रूप में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के० येरन्नायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे, तो मैं आपकी बात किस प्रकार सुनूंगा ? कृपया एक-एक करके बोलें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गीते, यह एक स्वत: पूर्ण कथन है। आप स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप इस विषय पर किसी और रूप में चर्चा कर सकते हैं। यह ऐसा विषय नहीं है। अब 'शून्य-काल' है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, जीरो-आवर में मैंने सबसे पहले नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा-विवाद वर्षों से चला आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि बेलगांव कारबार के मराठी युवक *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अल्वी, मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है। पहले मुझे व्यवस्थित ढंग से सभा का संचालन करने दीजिए। आपको बाद में मौका मिलेगा। उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और करनाटक का सीमा-विवाद वर्षों से चला आ रहा है। बेलगांव कारबार में रहने वाले मराठी भाषी जनता पर कन्नड़ भाषा की सख्ती की जाती है, जबरदस्ती की जाती है और उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित किया जा रहा है। डैमोक्रेटिक तरीके से वर्षों से यह आन्दोलन चला आ रहा है। हर वर्ष वहां के युवक, वहां की जनता जब सैशन चलता है, तो दिल्ली में धरने पर आती है। इस वर्ष वहां के युवक, चूंकि महाराष्ट्र की विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है, उनका घेराव करने का एलान किया है। इस विषय पर महाराष्ट्र के सभी सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे। हमने प्रधान मंत्री जी से मांग की थी कि आप महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को इस विवाद के संदर्भ में बुलायें। हमारी मांग के ऊपर प्रधान मंत्री जी ने 2 सितम्बर को मीटिंग बुलाई, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री जी ने उस बैठक में उपस्थित रहने से अपनी असंथता दिखाई। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस विवाद को हल करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों का बैठक में होना आवश्यक है। पहली बार प्रधान मंत्री जी ने इस प्रकार की बैठक बुलाने की बात मान ली है। हम आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सदन की भावना को प्रधान मंत्री जी तक पहुंचायें। जो मीटिंग प्रधान मंत्री जी ने बुलाई थी, वह मीटिंग हो नहीं पाई है। इसलिए दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक प्रधान मंत्री जी बुलायें। वहां की जनता कई वर्षों से पीड़ित है। भाषा की सख्ती की जाती है और उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित किया जा रहा है। वे लोग महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। मैं पुन: प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बैठक को तुरन्त बुलायें।

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली) : मैं हर रोज सूचना देता रहा हूं। *(व्यवधान)* आप कृपया मुझे बोलने का अवसर दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की स्थिति हर रोज 'शून्य-काल' के दौरान उत्पन्न होती है।

(व्यवधान)

श्री दलित इजिलमलाई : महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिये *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठिए। आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं भी पिछले तीन सप्ताह से सूचना दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। श्री शिवराज पाटिल के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से एक बात आपके और सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं इसका अर्थ किसी ने कुछ गलती की है, यह बताने का नहीं है, सदन की कार्यवाही अनलिस्टेड ऑवर्स में किस प्रकार से चले, इसके संबंध में है।

महोदय, यहां देखा गया है कि प्रश्न-काल और स्टेटमेंट होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण विषयों को सदस्यों को उठाने का मौका दिया जाता है। इस हाउस का कनवेंशन पहले से ऐसा रहा है कि जो मुख्य विरोधी पक्ष, विपक्ष है, उस पक्ष को पहले बोलने का समय दिया जाता है और दूसरे पक्ष को उसके बाद दिया जाता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उनकी बात सुनिए। इस तरह से धैर्य न खोएं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : श्रीमन्, जो नोटिस का मामला है, असल में इस रूल में नोटिस देने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो काम बिना नोटिस के किया जाता है उसी को कुछ लोग जीरो ऑवर और कुछ अनलिस्टेड बिजनेस ऑवर कहते हैं। यह माना जाता है कि जिस ने नोटिस दिया है, उसे बोलने का अधिकार है। असल में उस कुर्सी पर जो बैठते हैं उनका अधिकार है कि पहले किसे बुलाएं और बाद में किसे बुलाएं, उस प्रकार से चलना चाहिए। अगर उस प्रकार से नहीं चलेगा तो सदन में बैठे हुए हमारे स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब या दूसरे चेरयमैन हों, उनकी भी अवमानना होती है। अगर ऐसे अवमानना होती रही तो सदन का काम अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। कल आप यहां पर थे, इसलिए यह जिम्मेदारी हम आप पर नहीं रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन में यह कहा जाएगा कि इस काम को किस प्रकार से किया जाएगा। हम तो यहां से कोआपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से भी कोआपरेशन की अपेक्षा करते हैं। हम भी कोआपरेशन देते हैं और वे भी देते हैं, मगर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोआपरेशन उनकी तरफ से नहीं मिलता और यहां पर एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिसकी वजह से सदन की गरिमा कम हो जाती है तथा कुर्सी पर बैठने वाले हमारे पीठासीन अधिकारी की गरिमा भी कम हो जाती है।

हमारा नम्रता से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि ऐसा न हो और उसके बारे में अगर कोई डायरेक्शन चेयर से मिल जाए तो काम करने में हमें सुविधा होगी, ऐसा हमें लगता है।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के जो डिप्टी लीडर हैं, उनसे इस बात पर मैं पूरी तरह सहमत हूं कि स्पीकर साहब सारे दल के नेताओं से या बिजनेस एडवायजरी कमेटी में यह बात तय कर लें कि जीरो ऑवर में किस प्रकार से सदन को चलाया जाए, परन्तु में उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जीरो ऑवर में केवल *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले ये माफी मांगे, उसके बाद इन्हें इजाज़त दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे अध्यक्षपीठ का सम्मान नहीं करते। वे सभा का कोई सम्मान नहीं करते। वे इस प्रकार की बातों के आदी हो गये हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चेयर से कोई रूलिंग दे तो उसकी रिसपेक्ट होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अगर दूसरी तरफ से माननीय सदस्य इस तरह से करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई है, उस पर चर्चा हो रही है। हम चाहते हैं कि उस पर शालीनता से चर्चा हो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मल्होत्रा को बोलने का अवसर दिया है। कृपया सभा को परेशान न करें। अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के पांच मंत्री विश्व हिन्दू परिषद की मीटिंग में गए थे। *(व्यवधान)* ये लोग नहीं चाहते कि हाउस के अंदर यह मसला उठाया जाए, इसलिए इन्होंने चेयर की बेइज्जती की। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आप इन्हें बैठाएं, तो मैं कुछ निवेदन करूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी : उन्हें पहले सभा से काफी मांगली चाहिये। उसके बाद ही उन्हें 'शून्य-काल' के दौरान बोलने की अनुमति दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां तक कि मुझे भी बोलने की अनुमति नहीं देते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने वरिष्ठ सदस्य को बोलने का अवसर दिया है। उन्हें अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको भी बोलने का अवसर दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : पहले इन्हें बैठाएं, तब मैं बोल पाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी : महोदय, उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिये और फिर उन्हें बोलने की अनुमति दी जा सकती है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अलवी, पहले उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, यह स्पीकर साहब तय करते हैं कि पहले किसका नम्बर आये, किसका नहीं आये। वे जिसे बुलाना चाहें उसे बुलाएं। *(व्यवधान)* उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके अंदर जाएंगे तो काफी कड़वाहट पैदा होगी। *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : बोलने से पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिए। *(व्यवधान)* जो कुछ उस दिन हुआ, उसके लिए पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिए और ये अभी तक कड़वाहट की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)* जब तक ये माफी नहीं मांगे इन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाए। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब के सामने हम अपना पाइंट रख देंगे कि सप्ताह के पांचों दिन विपक्ष ही अपनी बात उठाएगा या हम भी उठाएंगे। *(व्यवधान)* स्पीकर साहब के यहां फैसला हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष जी, उस दिन जो कुछ हुआ, उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। *(व्यवधान)* माननीय सदस्य का वक्तव्य गैर-जिम्मेदाराना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे अपना विषय उठाना है। मैं अपना विषय कब उठाऊंगा ? मैं शुक्रवार से धैर्यपूर्वक इसे उठाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं सभा के समक्ष एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं परन्तु वह मामला सभा में नहीं आ पा रहा है। *(व्यवधान)* यदि आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा और इसे नहीं उठाऊंगा। परन्तु महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। *(व्यवधान)* कल, 'शून्य-काल' के दौरान भी मैंने सभा का ध्यान आकर्षित किया था और आज भी इस मामले को उठाने के लिए मैंने सूचना दी है, जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष आधार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिछले 15 दिनों से सरकार के निदेशों और उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने और अपने मंसूबों पर निर्णय करने संबंधी अनेक खबरें सभा के बाहर प्राप्त हो रही हैं। *(व्यवधान)*

[श्री प्रिय रंजन दासमुंशी]

महोदय यह क्या हो रहा है ? क्या विपक्षी सदस्यों को नहीं बोलना चाहिए ? वे अब खड़े क्यों हो रहे हैं ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, हमें सैक्यूलर इंडिया को बचाना होगा, ये लोग सैक्यूलर इंडिया का करैक्टर खत्म कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जीरो-आवर शुरू हुआ है, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने उस दिन नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का उत्तर देते समय सभा को विश्वास में लेकर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया था कि 17 अक्तूबर को जो हुआ, उसको सरकार ने प्रोत्साहित नहीं किया था। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया था कि आगे इस प्रकार का अप्रिय घटना फिर नहीं होगी।

मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 और 4 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

> ''मंत्रि-परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरा अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।''

मैं तीसरी अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूं। यदि मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं तो नार्थ एवेन्यू में एक सांसद के निवास स्थान पर रात्रि के भोजन के समय श्री अशोक सिंघल की उपस्थिति में पांच मंत्रियों के व्यवहार से तीसरी अनुसूची के अनुसार ली गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होता है। जबकि यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि उन्हें सभी व्यक्तियों को बराबर समझना चाहिए और उनसे समान व्यवहार करना चाहिए और उन्हें इसका उल्लंघन नहीं करना।

महोदय, ये पांचों मंत्री लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं न कि राज्य सभा के प्रति। उन्हें लोक सभा सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर इस सभा में अपने आचरण के बारे में सविस्तार स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

देश के प्रमुख समाचार पत्र 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में इन पांच मंत्रियों के नाम आये हैं। वे हैं, श्री वेद प्रकाश गोयल, पोत परिवहन मंत्री; श्री श्रीपाद येसो नाइक, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्रीमती जयवंती मेहता, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बालासाहिब विखे पाटील, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। ऐसी खबर भी छपी है कि लगभग आधा दर्जन संसद सदस्य भी मौजूद थे लेकिन यह बात अलग है। सूचना के अनुसार श्री अशोक सिंघल ने कहा है कि मंदिर 12 मार्च से बनाया जायेगा। यह पूछे जाने पर कि सरकार के सहमत न होने पर क्या होगा बताया गया कि ''सरकार सहमत हो या न; हम यह कार्य करेंगे; इस टिप्पणी की प्रशंसा की गई।

हम उनके मंशा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पांचों मंत्री इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सभा को जानना चाहिए कि उस बैठक में क्या हुआ। मंत्रियों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे इस विचार से सहमत हैं; और क्या उस बैठक में भाग लेने से पहले उन्होंने प्रधान मंत्री की अनुमति और सहमति प्राप्त कर ली थी। क्योंकि मामला संवेदनशील है। इस मामले पर प्रधान मंत्री ने दो स्पष्ट घोषणायें की है। पहली घोषणा यह है कि उच्चतम न्यायालय के निदेश प्रत्येक पर बाध्यकारी होंगे, वे चाहे जब भी आयें; और दूसरी यह कि उच्चतम न्यायालय के निदेश प्राप्त होने से पहले 12 मार्च से पूर्व अन्य पक्षों और दलों से बातचीत कर हल निकालने की संभावनाओं पर विचार किया जायेगा। लेकिन हमें और इस लोक सभा को मालूम नहीं है कि वे किससे बात कर रहे हैं कुछ क्या लोक सभा को यह जानने का अधिकार नहीं है कि प्रधान मंत्री किससे बातचीत कर रहे हैं ?

इन परिस्थितियों में यदि वाजपेयी जी की उसी मंत्रिपरिषद के पांच मंत्री एक अन्य बातचीत में श्री अशोक सिंघल के विचारों से सहमत होते हैं और 12 मार्च के बाद किसी प्रकार की परिस्थिति पैदा करने का षड्यन्त्र करेंगे तो उससे न केवल शंका पैदा होगी बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को भी खतरा होगा।

यह नहीं मान लेना चाहिए कि सभा सहमत है और उससे शांत रहने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अत: भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रियों को इस सभा में अपने आचरण को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि वे लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

मैंने सूचना देते समय जानबूझकर एक प्रति माननीय गृह मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जानबूझकर भेजी ताकि उनमें से कोई भी आकर इस सभा में उस मामले पर मंत्रियों के आचरण को स्पष्ट कर सकें जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। माननीय प्रधान मंत्री बाहर जापान में हैं अत: माननीय गृह मंत्री का कर्तव्य है सभा में आयें और जैसे ही उन्हें अवसर मिल जाये सर्वप्रथम इस मामले पर स्पष्टीकरण दें। लेनिक आज की तारीख तक समाचार पत्र में उससे संबंधित अनेक समाचार प्रकाशित होने के बावजूद इस सभा में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक तरफ हमें और इस सभा को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन, फिर भी, हमें उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसा लगता है – हो सकता है हम गलत समझ रहे हों – कि भाजपा का एक वर्ग जो कि अपनी पहचान विहिप और बजरंग दल के साथ

बनाये रखता है, उग्रवादी वर्ग को संगठित करके सारे प्रयासों पर पानी फेर देगा। अभी कल ही चेन्नई में डी०एम०के० नेता श्री करूणा-निधि ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा कि वे विवादित क्षेत्र में मन्दिर बनाए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। सब तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है। सरकार अपनी स्थिति और मंत्रियों के आचरण को स्पष्ट नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि वे सरकार की तरफ से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करें। प्रधान मंत्री बाहर गये हुए हैं अत: सरकार को चाहिये कि प्रधान मंत्री की तरफ से इस मामले से संबंधित पांचों मंत्रियों के आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रदीप रावत की, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, नॉर्थ एवेन्यू में उनके निवास पर श्री वेद प्रकाश गोयल, श्री श्रीपाद नाईक, श्रीमती जयवन्ती मेहता, श्री अन्नासाहेब पाटील और बालासाहेब विखे पाटील, इन पांच मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों की श्री अशोक सिंघल विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। लम्बे समय से विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष और इनके सहयोगी दल बराबर यह ऐलना कर रहे हैं कि हमें सरकार की कोई परवाह नहीं है और हम 12 मार्च से अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। इस बैठक से यह अर्थ निकलता है कि श्री अशोक सिंघल और इन पांच मंत्रियों ने अयोध्या में जो सम्भावित मंदिर बनाए जाने की योजना है, उस सिलसिले में बात की है। यह बहुत गंभीर मामला है। उपाध्यक्ष जी, इस लिहाज से भी यह गंभीर मामला है कि खुद गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि अयोध्या प्रकरण के कारण ही वे यहां बैठे हुये हैं। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। यह मामला महत्वपूर्ण है। यह सरकार दंगा कराने का प्रयास कर रही है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आपके अलावा और भी मैम्बर इस मामले में ऐसोसिएट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी ने यह मामला पहले ही उठा दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि इन पांचों मिनिस्टर्स ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर कहा है कि वे वहां हाज़िर नहीं थे। ये पांचों मिनिस्टर्स इस लोकसभा के माननीय सदस्य हैं। उन पांचों मिनिस्टर्स द्वारा यहां सफाई देनी चाहिये कि वे उस बैठक में उपस्थित थे या नहीं ? यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि श्री अशोक सिंघल, कार्यकारी अध्यक्ष के साथ पांचों मिनिस्टर्स उस बैठक में मौजूद थे। *(व्यवधान)* उन्हें सदन में सफाई देनी चाहिये।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष जी, उन पांचों मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें एक नाम और है। श्री अजय चक्रवर्ती की भी सूचना है। उनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पांच मंत्री विहिप अध्यक्ष की एक बैठक में एकत्रित हुए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, यह देश के लिए अत्यन्त चिन्ताजनक और शर्मनाक बात है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पांच मन्त्री विहिप अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल की बैठक में उपस्थित हुए; उसमें भाजपा एवं शिवसेना के संसद सदस्यों सहित विहिप के अन्य नेता भी आये थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने षडयंत्रकारी योजना बनाई। वे उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके बाबरी मस्जिद के विवादित क्षेत्र में एक राम मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं। इस संबंध में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष निदेश दिया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का निश्चय कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 मार्च से पहले वे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित क्षेत्र में एक राम मन्दिर का निर्माण करेंगे। *(व्यवधान)*

उन्होंने भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार शपथ ली है। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। वे राष्ट्र के प्रति जबावदेह हैं। *(व्यवधान)*

अत: मेरी मांग है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के पांचों मंत्री सभा में आयें और अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। माननीय गृह मंत्री को सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित सूचना सच है या नहीं। यदि यह सच है तो अत्यन्त शर्मनाक है और पूरे राष्ट्र को चौकाने वाला समाचार है। अत: उन्हें सभा में आना चाहिए और अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। *(व्यवधान)* यह नुकसानदेह मामला है। अत: मेरी मांग है कि पांचों मंत्रियों को वक्तव्य देना चाहिए और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। *(व्यवधान)* पांचो मंत्रियों को चाहिए कि अपने आचरण के लिए राष्ट्र से माफी मांगे। *(व्यवधान)* हम उनके आचरण की निन्दा करते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उन सदस्यों को अनुमति दी है जिन्होंने सूचना दे रखी है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पांच मंत्रियों ने भारत के संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किया है। ऐसा कार्य पहले नहीं किया गया है। गृह मंत्री को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह देश की एकता और अखण्डता से संबंधित है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें सभा को स्पष्टीकरण देना होगा। उन्होंने संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किया है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उन पांचों मिनिस्टर्स को सदन में आकर सफाई देनी चाहिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप अध्यक्ष के आसन के नजदीक आ रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस कहां है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर उत्तर देना चाहती है। क्या आप उसे नहीं सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक करके उन पांचों मिनिस्टर्स को यहां बुलवाइये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री सभा में आयें और मंत्रियों के आचरण पर स्पष्टीकरण दें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : सर, पांचों मंत्री सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करें या फिर इस्तीफा दें। *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सरकार उत्तर देना चाहती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं एक या दो सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : पांचों मंत्री बरखास्त कर दिये जाने चाहिए। *(व्यवधान)* गृह मंत्री को यहां वक्तव्य देने हेतु आना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तभी यहां हल्ला मचा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक या दो सदस्यों को बोलने के लिए अनुमति दूंगा, इसके बाद वे उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही हैं। *(व्यवधान)* केन्द्र के पांच मंत्री वहां जाकर इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में सूचना छपी है इसका सरकार की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ओर से खंडन होना चाहिए। वे लोग स्वयं सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करें। इतने गंभीर मामले को इतने साधारण तरीके से लिया जा रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जवाब देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : पांचों, मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गृह मंत्री को आना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर जाएं। सरकार का जवाब सुनें।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : सभी पांच मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जवाब देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, क्या आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे। 'शून्य काल' में बहुत महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की जानी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक या दो सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आडवणी जी को बुलाइए और वे हमें बताएं। ये इनके बस की बात नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है। श्री दलित इजिलमलाई ने पेरियार सेन्टर के गिराये जाने के संबंध में नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जवाब देना चाहते हैं। क्या आप मंत्री का जवाब जानने को इच्छुक नहीं हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : हम मांग करते हैं कि सभी पांच मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : होम मिनिस्टर को बुलाइए। *(व्यवधान)* कहां गए आडवाणी जी ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से हम शून्य काल की चर्चा नहीं कर पाएंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

[हिन्दी]

(एक) सिवनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर कंक्रीट सीमेंट बिछाने के लिए शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 7 मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी शहर से होकर गुजरात है। शहर के अंदर हर वर्ष यह मार्ग उखड़ जाता है, जिसके कारण वाहनों को तथा शहर के नागरिकों को काफी परेशानी होती है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री रामनरेश त्रिपाठी]

सिवनी नागर के अंदर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमेंट कंक्रीट करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विचारार्थ स्वीकृत कर लिया है जिसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं। यह प्रस्ताव मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सतपुड़ा भवन (मध्य प्रदेश) भोपाल द्वारा प्रेषित किया गया है।

मेरा भारत सरकार से जनहित में आग्रह है कि इसकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर तथा बिंदकी रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ० अशोक पटेल (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर और बिन्दकी रोड व्यापारिक स्टेशन हैं, परन्तु यहां पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें टेलीफोन करने के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल उनका बहुमूल्य समय नष्ट होता है बल्कि धन की भी बरबादी होती है। फतेहपुर और बिन्दकी स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने से व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि उक्त स्टेशनों पर शीघ्र ही टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये ताकि व्यापारियों को टेलीफोन करने बहुत दूर न जाना पड़े तथा वे राहत की सांस ले सकें।

(तीन) रानी अवंती बाई बांध के दायीं ओर नहर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जान की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में रानी अवन्ती बाई बांध (वरगी डैम) नर्मदा नदी पर बने हुए 20 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। किन्तु इस बांध की दाई नहर का निर्माण ही अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस बांध की दाई नहर के पानी से विन्ध्य संभाग के सतना, पटना, रीवा जैसे बहुत कम सिंचाई वाले सूखा प्रभावित जिलों की सिंचाई प्रस्तावित है। इन जिलों का सिंचाई प्रतिशत मध्य प्रदेश में सबसे कम मात्र तीन प्रतिशत ही सरकारी रिकार्ड में है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि वरगी बांध की दाई नहर कर निर्माण शीघ्र कराने हेतु केन्द्रीय सहायता ऋण मध्य प्रदेश को प्रदान कराने की कृपा करें।

(चार) सुपर बाजार को बंद किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री बाबूभाई के० कटारा (दोहद) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का सुपर बाजार हाल ही में 16 अक्टूबर 2001 से केन्द्रीय सरकार के निर्णय से बंद किया जाने वाला है। इस सुपर बाजार की मेन शाखा कनॉट प्लेस में शंकर मार्केट में है। इसकी दिल्ली में करीब 150 विभिन्न स्थानों पर शाखायें भी हैं, जिसमें करीब 2200 कर्मचारी भी काम करते हैं। इस सुपर बाजार के बंद होने से इन सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। यह सुपर बाजार, जो 1966 से चल रहा है – जिससे दिल्ली के विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को अच्छा एवं शुद्ध माल एवं उचित दर से मिलता है, जिसमें कभी मिलावटी माल पाया नहीं गया। इस सुपर बाजार में 24 घंटे दवायें मिलती हैं। इस बाजार में दवाइयां शुद्ध होती हैं। बाजा में जिस दवा का भाव 45 रु० होता है इसका इस सुपर बाजार में 35 रु० होता है – यह तो एकमात्र उदाहरण ही है।

इस सुपर बाजार के करीब 1000 आपूर्जिकर्ता हैं और उनसे संबंधित करीब 10000 से अधिक कर्मचारी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस सुपर बाजार से जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी भी छिन जाएगी।

इन आपूर्तिकर्ताओं का करीब 30 से 40 करोड़ रुपया इस सुपर बाजार में फंस गया है – जिसका वापिस करने की कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं दी गयी है, जबकि सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय किया है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सुपर बाजार चालू बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाये।

(पांच) रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा हुआ टेलीफोन किराया लिये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में जो ग्रामीण इलाके में टेलीफोन विभाग ने वहां कार्यरत टेलीफोन के बिल 100 रुपये के स्थान पर शहरी टेलीफोन के किराये के हिसाब से 360 रुपये के भेज दिये हैं, जो पहले के किराये से चार गुना अधिक है, जिसके कारण लोगों में काफी औक्रोश है। क्योंकि टेलीफोन विभाग के कर्मचारी कहते हैं पैसा जमा कीजिये अन्यथा वे टेलीफोन काट देंगे। इन सबके कारण वहां के लोग इन टेलीफोन को सरेंडर करवाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि गांव के किसान लोग 360/-रुपये के हिसाब से टेलीफोन का बिल वहन करने में असमर्थ है। इससे एक ओर गांव के लोगों को परेशानी बढ़ती है और दूसरी ओर सरकार की छवि खराब होती है। साथ ही इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाये।

मैं सरकार के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन बिलों को ठीक किया जाये, जिससे लोगों को परेशानी न हो।

[अनुवाद]

(छह) देश के सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा करने हेतु कड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री जे० एस० बराड़ (फरीदकोट) : हम एक बहुत ही नाजुक तथा असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। आंतरिक उथल पुथल बढ़ रही हैं। जम्मू और कश्मीर

में आतंकवादी सुरक्षा बलों एवं आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। नक्सलवादी तथा पीपुल्स वार ग्रुप दक्षिण में सक्रिय हैं तथा राजनीतिज्ञों एवं पुलिस कर्मियों को आतंकित कर रहे हैं। बोडो, नागा, मणिपुर के चरमपंथी पार्थक्यवादी उद्देश्यों के साथ उत्तर-पूर्व में सक्रिय हैं। उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि में लूटपाट, फिरौती या अन्य करणों से अपहरण, डकैतियों इत्यादि वहां की जीवन-शैली बन गयी है।

देश पर बाहरी आक्रमण का खतरा बढ़ा है। संदेह है कि तालीबानी कट्टरपंथी पाक अधिकृत कश्मीर में भाग गए हैं। वे जम्मू और कश्मीर में घुसकर भाड़े के लड़ाकुओं को उनके जघन्य कृत्यों में मदद कर सकते हैं जो राज्य और केन्द्र सरकार दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नेपाल के माओवादी बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नियमित अंतरालों पर आयुद्ध भण्डारों को नष्ट किया जाता रहा है।

खुफिया एजेन्सियों को अति सतर्क रहने की जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी नींद से जागे तथा जनता के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करे तथा राष्ट्रीय हितों एवं एकता को सुरक्षित रखें।

[हिन्दी]

(सात) पृथक विंध्य प्रदेश राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दरलाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2000 को मध्य प्रदेश की विधान सभा ने पृथक विन्ध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा था। केन्द्र सरकार जुलाई, 2000 में संसद में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के गठन हेतु विधेयक लायी, किन्तु विन्ध्य प्रदेश को छोड़ दिया है।

मार्च, 1948 में विन्ध्य प्रदेश का गठन हुआ था, किन्तु बड़े राज्यों की परिकल्पना के कारण 1956 मे विन्ध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। इस दृष्टि से भी छोटे राज्यों के गठन में विन्ध्य प्रदेश का पहला अधिकार बनता है। इसके अतिरिक्त, विन्ध्य प्रदेश आर्थिक रूप से पूर्ण स्वावलम्बी है। मध्य प्रदेश का कुल खनिज सम्पदा का 40 प्रतिशत हिस्सा, सीमेंट उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा विन्ध्य प्रदेश में है। 4 राष्ट्रीय उद्यान, 6 अभयारण्य और खजुराहो, चित्रकूट, ओरछा अमरकंटक, बांधवगढ़ जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं।

मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि विन्ध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें ताकि विन्ध्य प्रदेश शीघ्र अस्तित्व में आ सके।

(आठ) राजस्थान में डूंगरपुर और रतलाम के बीच बरास्ता बांसवाड़ा बड़ी लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण राजस्थान के उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, और बांसवाड़ा आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र भी हैं। यहां पर खनिज धातुओं का बहुत बड़ा भंडार है, जैसा जिंक, लेड, रॉक, फास्फेट, मारबल, सोफस्टोन इत्यादि। रेलवे की ब्रॉडगेज लाईन नहीं होने के कारण यह क्षेत्र विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया है। यहां पर 80 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं गंभीर है। देश इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है लेकिन इस क्षेत्र की जनता आज भी 18वीं – 19वीं सदी में जीने को मजबूर है। डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, परन्तु वित्तीय प्रावधान न होने के कारण इसका अभी तक कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य को तेज गति से चलाने हेतु धन का प्रावधान किया जाये ताकि यह कार्य शीघ्र पूरा हो सके। उदयपुर से मोडासा रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज की स्वीकृति मिल जाये तो यह क्षेत्र मुम्बई से सीधे जुड़ सकता है। कृपया इस सर्वे हुई लाइन के लिये वित्तीय प्रावधान किया जाये और उदयपुर से मोडासा ब्रॉडगेज लाइन की भी अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाये। उक्त तीनों कार्य पूरा होने से इस क्षेत्र की आदिवासी जनता लाभान्वित होगी और यह कदम उनके लिये विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।

[अनुवाद]

(नौ) सुपारी का समर्थन मूल्य, विशेष रूप से केरल में 100 रुपये प्रति किलो ग्राम घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : केरल में सुपारी की कीमत अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी है। सुपारी किसानों के एक बड़े वर्ग की आय का साधन है। सुपारी की कीमत में गिरावट से पूरे कासरगौड़ जिले में वित्तीय संकट पैदा हो गया है। पिछले वर्ष, सुपारी उत्पादकों को 75 रु० प्रति कि०ग्रा० प्राप्त हुए। अब यह सिर्फ 38 रु० प्रति कि०ग्रा० है। दो वर्ष पहले यह कीमत 160 रु० प्रति कि०ग्रा० थी। इस गम्भीर हालात ने निजी व्यापारियों को बाजार से अपने पैर पीछे हटाने को मजबूर कर दिया। एकमात्र संस्था जिसपर सुपारी के उत्पादन व बिक्री के लिए निर्भर रहा जा सकता है वह ''कैम्पको'' है जो मंगलोर स्थित एक सहकारी संस्था है। सुपारी की कीमत गिरने के कारण 'कैम्पको' भी गम्भीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। अधिकांश किसान सहकारी संस्थाओं और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने दु:खद सूचनाएं मिली हैं।

इस संदर्भ में मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सुपारी की कीमत कम से कम पिछले वर्ष के स्तर तक लाने तथा देश में सुपारी के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय करें। मैं सरकार से तुरन्त सुपारी का समर्थन मूल्य 100 रु० प्रति कि०ग्रा० घोषित करने के लिए भी अनुरोध करता हूं ताकि गोवा की तरह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भी घाटे का वहन करें। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों का सुपारी

[श्री टी० गोविन्दन]

उत्पादकों द्वारा लिए गए अल्पावधिक एवं मध्यावधिक ऋणों को क्रमश: मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक ऋण में बदलने हेतु समुचित निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए।

(दस) हैदराबाद में राष्ट्रीय खेल, 2002 के लिए आन्ध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण को दिए गए दान पर आयकर में शत प्रतिशत छूट दिए जाने की आवश्यकता

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : राष्ट्रीय खेल 2002 का आयोजन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में होना है। कई नए स्टेडियम बनाये जाने हैं तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया करानी है जिसपर 150 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने 16 जिला मुख्यालयों में इनडोर तथा आउटडोर स्टेडियम और तरणतालों के निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया है।

आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण खेल-कूद संवर्धन हेतु अनेकों कदम उठा रहा है। राज्य सरकार ने एक खेल नीति की घोषणा की है जिसे सभी ने सराहा है। इन कार्य कलापों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खेलों के लिए स्वेच्छा से (उदारतापूर्वक) दान देने के लिए समाज सेवकों, व्यक्तियों एवं विभिन्न अन्य संस्थाओं से सम्पर्क किया है। राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार भारत सरकार को संस्थाओं और व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले दान की राशि पर आयकर में शतप्रतिशत छूट देनी चाहिए।

मैं सरकार से यथाशीघ्र इस संबंध में आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि दानकर्त्ता राष्ट्रीय खेल 2002 के सुविधापूर्वक आयोजन में राज्य सरकार की मदद हेतु सामने आ सकें।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित दूरभाष केन्द्र शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संचार मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रस्तावित नवीन टेलीफोन एक्सचेंजों के शुरू होने से विलम्ब से उपभोक्तागणों में आक्रोश उत्पन्न है। लोग 2-3 साल से टेलीफोन कनैक्शन हेतु आवेदन व डिमांड मनी जमा करा चुके हैं, परंतु आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। काफी बड़ी संख्या में टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण अधर में है। साथ ही साथ मेरे कोटे से दिए गए टेलीफोन कनेक्शन छ: माह तक बीत जाने के बाद भी नहीं लग पाए हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अधूरे और प्रस्तावित नवीन टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण अविलम्ब हो अथवा डब्ल्यू० डब्ल्यू०एल० जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का अविलम्ब क्रियान्वयन उपभोक्ताओं के हित में कराने की कृपा करें।

(बारह) महाराष्ट्र में अचलपुर-मुर्तिजापुर-यवतमाल नैरोगेज रेल लाइन का शीघ्र आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, देश में स्वतंत्रता के 52 वर्ष बाद भी कई रेल लाइनें ब्रिटिश कम्पनी चला रही हैं। ऐसी ही एक नैरो गेज रेल लाईन अचलपुर, मुर्तिजापुर, यवतमाल (महाराष्ट्र) को 1996 में रेल विभाग ने और मान्यता प्रदान की है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस नैरोगेज लाईन को ब्रॉड गेज बनाएं तथा इस रेल लाईन को दिल्ली, मद्रास, मुम्बई जाने के लिए अमरावती नरखेड रेल लाईन से जोड़ जाए। इसे अचलपुर से चांझर बाजार से जोड़ा जा सकता है जो कि केवल 23 कि०मी० है।

कृपया जल्द से जल्द इस रेल लाईन को ब्रॉडगेज बनाएं।

[अनुवाद]

(तेरह) "इस्को" का पुनरूद्धार किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा० बिक्रम सरकार (पंसकुरा) : 'ईस्को' भारत के सर्वाधिक पुराने इस्पात संयंत्रों में से एक है। यह देश में सर्वोत्तम अवस्थित समेकित इस्पात संयंत्रों में से भी एक है। 1960 के दशक के मध्य तक इसका कार्य निष्पादन टाटा स्टील से भी बेहतर था। वर्ष 1972 में केन्द्र सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। दुर्भाग्यवश, पिछले तीन दशकों के दौरान विभिन्न अध्ययनों एवं प्रस्तावों के बावजूद इस संयंत्र का आधुनिकीकरण नहीं किया गया।

23,000 श्रमिक इस्को में ही नियुक्त हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र के आसपास लगे कई अन्य कार्यशालायें और कौरखानों का अस्तित्व भी इस्को पर निर्भर हैं। इसलिए इस संयंत्र का बंद होना पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा सामाजिक आर्थिक विनाश साबित होगा।

दूसरा विकल्प इस्को का पुनरूद्धार है। इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है तथा इसके निष्पादन में उसी विधि द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है जिस विधि का प्रयोग टाटा स्टील के संबंध में किया गया था।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस्को के पुनरूद्धार के लिए तत्काल सभी संभव कदम उठाए जाए जो पश्चिम बंगाल के हित के लिए बहुत आवश्यक हैं।

[हिन्दी]

(चौदह) बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष जी, बिहार राज्य अब तक पिछड़ा राज्य है। यह राज्य गांवों का राज्य है किन्तु यहां की हालत खराब है। यहां के गांवों के घरों में बिजली कनैक्शन केवल 5.57 प्रतिशत ही है। प्रदेश में उपलब्ध जल संचय क्षमता का मात्र

37 प्रतिशत ही अभी उपयोग करने की क्षमता सृजन की गयी है। गांवों में टेलीफोन 50 प्रतिशत से कम हैं। यहां के टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 0.85 प्रतिशत ही है। जबकि देश के अन्य राज्यों में यह 15 प्रतिशत तक है। लोगों को रोजगार, उद्योग-धंधों में मात्र 6.7 प्रतिशत ही मिल पा रहा है। इसीलिए यहां की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। अत: इस पिछड़े प्रदेश के विकास के लिए सरकार को एक अलग से योजना तैयार कर लागू करनी आवश्यक है और इस राज्य को पिछड़ा घोषित करने की आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में अविलम्ब कदम उठाये।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) कोलकाता-आईजल मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने तथा आईजल-गुवाहाटी विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम) : मिजोरम उत्तर-पूर्वी राज्यों का सबसे दक्षिणी भाग है जो आज भी यातायात की समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे पास सिर्फ एक सड़क यातायात एन०एच०-54 उपलब्ध है जो असम से है। दूसरी सुविधा कलकत्ता से सप्ताह में तीन बार अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें हैं। उन दिनों बॉइग 737 की उड़ान है किन्तु हमें मणिपुर के यात्रियों के साथ सीटों की भागीदारी करनी पड़ती है।

इसलिए मैं नागर विमानन मंत्री से वर्तमान उड़ानों के अलावा मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को कोलकाता-आईजाल मार्ग पर उड़ानों का प्रबंध करने का अनुरोध करता हूं।

साथ ही साथ, मैं संबंधित प्राधिकारी से सप्ताह में कम से कम तीन बार आईजल-गुवाहाटी विमान सेवा शुरू करने का भी अनुरोध करता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों का केन्द्र होने के नाते गुवाहाटी कार्यालयीन व अन्य उद्देश्यों जैसे रोगियों के चिकित्सकीय उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क मार्ग से आईजल से गुवाहाटी के बीच यातायात में कम से कम 15 घंटे का समय लगता है। इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह मिजोरम के लोगों के लाभ के लिए आईजल-गुवाहाटी विमान सेवा शुरू करें।

अपराह्न 2.04 बजे

मणिपुर बजट, 2001-2002 — सामान्य चर्चा अनुदानों की मांगें (मणिपुर), 2001-2002

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 12 और 13 को एक साथ लेगी। श्री मणिशंकर अय्यर बोलेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों का अंदाजा करने के लिए, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें : मांग संख्या 1 से 47

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए लेखानुदानों की मांगे मणिपुर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांगों की राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
1.	राज्य विधानमंडल	6,67,81,000	
2.	मंत्रिपरिषद	1,98,93,000	
3.	सचिवालय	17,92,52,000	
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण तथा जिला प्रशासन	25,97,47,000	
5.	वित्त विभाग	96,83,51,000	33,00,000
6.	परिवहन	1,73,51,000	
7.	पुलिस	1,49,66,85,000	2,00,00,000
8.	लोक निर्माण विभाग	70,81,48,000	36,62,60,000
9.	सूचना और प्रचार	2,07,24,000	

1	2	3	4
10.	शिक्षा	2,50,78,35,000	40,00,000
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	70,60,08,000	10,00,000
12.	नागर निगम प्रशासन, आवास और शहरी विकास	3,73,35,000	15,42,04,000
13.	श्रम और नियोजन	3,35,24,000	
14.	जनजातीय और अनुसूचित जातियों का विकास	57,49,43,000	
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	5,15,28,000	3,00,00,000
16.	सहकारिता	7,67,16,000	1,000
17.	कृषि	19,00,04,000	1,33,00,000
18.	पशुपालन और डेरी कार्य सहित पशु चिकित्सा	22,57,87,000	
19.	पर्यावरण और वन	17,59,88,000	
20.	सामुदायिक विकास और एएनपी, आईआरडीपी तथा एनआरईपी	21,04,15,000	20,00,00,000
21.	वाणिज्य और उद्योग तथा तौल और माप विभाग	14,35,33,000	38,00,000
22.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	21,24,23,000	42,83,41,000
23.	विद्युत	1,14,60,00,000	21,00,04,000
24.	सतर्कता विभाग	69,53,000	
25.	युवा कार्य और खेल विभाग	7,99,39,000	1,04,00,000
26.	न्याय प्रशासन	6,19,99,000	
27.	चुनाव	1,47,33,000	
28.	राज्य उत्पाद शुल्क	6,13,06,000	
29.	वस्तुओं और सेवाओं पर बिक्री कर, अन्य कर/शुल्क	1,50,50,000	
30.	सामान्य आर्थिक सेवाएं और आयोजना	13,84,21,000	
31.	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण	3,31,74,000	
32.	जेल	4,93,85,000	
33.	गृहरक्षा वाहिनी	4,22,35,000	
34.	पुनर्वास	76,30,000	
35.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2,54,05,000	
36.	लघु सिंचाई	8,98,84,000	10,52,00,000
37.	मत्स्य पालन	7,78,06,000	1,24,000
38.	पंचायत	4,74,99,000	
39.	रेशम उद्योग	6,95,76,000	46,54,00,000
40.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	26,10,20,000	56,50,50,000
41.	कला और संस्कृति	2,80,11,000	4,48,00,000

1	2	3	4
42.	राज्य प्रशिक्षण अकादमी	51,94,000	
43.	उद्यान कृषि और मृदा संरक्षण	14,57,83,000	25,00,000
44.	सामाजिक कल्याण विभाग	21,55,61,000	
45.	पर्यटन	83,45,000	1,21,06,000
46.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2,47,59,000	
47.	अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,73,00,000	
	जोड़	11,55,59,39,000	2,63,97,90,000

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पिछली बार मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए आश्वासन पर बोलने के लिए सरकार को साभार धन्यवाद देता हूं। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विधान सभा को भंग कर दिया जायेगा और बाद में हमें यह आश्वासन दिया गया कि यदि संभव हुआ, तो फरवरी-मार्च में अन्य राज्यों के साथ होने वाले चुनावों के साथ मणिपुर में चुनाव करवाये जायेंगे। समाचारपत्रों से हमें पता चला कि चुनाव होने जा रहे हैं। यह मणिपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा पुनराश्वासन होगा, यदि उन्हें, संभवत: इस चर्चा के माध्यम से यह बताया जाए कि वास्तव में उसके बाद यदि इतनी जल्दी नहीं तो यथासंभव शीघ्र वहां चुनाव करवाये जायेंगे।

पिछली बार चर्चा के दौरान हमने चेतावनी दी थी कि मणिपुर में आर्थिक कार्यक्रम चलाने के लिए संसद से धनराशि विनियोग अलग बात है और उन्हें वास्तविक रूप से मणिपुर में क्रियान्वित करना दूसरी बात है।

पिछले कुछ महीनों के अनुभव से इस बात का पता नहीं चलता कि मणिपुर की सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान भी अपने कर्मचारियों को उनका वेतन देने के अलावा विकास अथवा कल्याण से संबंधित कोई और बड़ा कार्य भी कर रही है।

इस संबंध में, मैं सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिन पर मणिपुर में तत्काल आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उन पर अभी कार्य शुरू किया जाना चाहिये ताकि निर्वाचित सरकार को नये सिरे से कार्य न करना पड़े बल्कि तब तक उस क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हो चुका हो।

वहां सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सड़कों की है। सड़कें की दो श्रेणियां हैं। एक तरह की सड़कें, रिंग रोड हैं, जो सभी जिला मुख्यालयों को अन्य मुख्यालयों से जोड़ती हैं और दूसरी प्रकार की सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। अति शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों जो मणिपुर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, के लिए त्वरित परिवहन की व्यवस्था किए जाने की अनिवार्य आवश्यकता है।

महोदय, हमने कुछ अनुमान लगाये थे और यह पाया कि लगभग 852 किलोमीटर की लम्बाई में सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ते हुए रिंग रोड बनायी जा सकती है। इसका एक बड़ा हिस्सा, अर्थात् अनुमानत: 378 किलोमीटर, पहले से ही मौजूद है और उन सड़कों की दशा में सुधार किया जाना चाहिये। हमें नई सड़क के केवल 189 किलोमीटर भाग का निर्माण करना पड़ेगा।

महोदय, यदि यह सड़क बन जाये तो मणिपुर के प्रत्येक जिले की दूसरे जिले से अलगाव की स्थिति और प्रत्येक जिले के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे जिला मुख्यालय में जाने के लिए राज्य की राजधानी से होकर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नि:संदेह, इससे प्रशासन और उससे भी अधिक कानून और व्यवस्था बनाने में सुविधा होगी।

मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और मैं नहीं समझता कि मात्र राज्य में अधिक से अधिक सुरक्षाकर्मी भेजकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। उन्हें बहुत शीघ्रता से काम करने की आवश्यकता है और 852 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण, जिसमें से 139 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जानी है, पर होने वाला व्यय उचित व्यय है क्योंकि उसके बिना न तो अच्छा प्रशासन हो सकता है और न ही कानून और व्यवस्था में बनाये रखी जा सकती है और मणिपुर राज्य में कोई विकास या कल्याण कार्य भी नहीं हो सकता।

महोदय, इन विभिन्न जिलों को जोड़ने से मणिपुर में एकता की भावना और सुदृढ़ होगी। पिछले कुछ महीनों से केन्द्र सरकार के कुछ गलत कार्यों के कारण यह एकता बुरी तरह विखंडित हुई है। यदि आप मणिपुर के इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोग मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष और मिलजुलकर साथ रहने के अधिक इच्छुक हैं। उन्हें संपर्क साधने का अवसर दिये जाने की आवश्यकता है ताकि उनमें एकता की भावना सुदृढ़ हो सके। यह एक अन्य उद्देश्य है, जिसे विभिन्न जिलों को जोड़ता हुआ एक रिंग रोड बनाकर पूरा किया जा सकता है। यह सामान्य और आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के अतिरिक्त पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देगा।

संपूर्ण भारत के लिए इस प्रयोजनार्थ किए जाने वाले व्यय की तुलना में इस कार्य के लिए बहुत कम राशि का निवेश किये जाने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि हम 131 करोड़ रुपये

[श्री मणि शंकर अय्यर]

में ही इसे पूरा कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं यहां पूर्वोत्तर विकास मंत्री, श्री स्वामी जो इस समय यहां उपस्थित है, के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस रिंग रोड़ के निर्माण के कार्य को, जो अनुमानत: 131 करोड़ रुपये की लागत से तैयर होगा, यथासंभव उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करें। निश्चित तौर पर आपको इन अनुमानों और उन सड़कों की दशा, जिनका सुधार किये जाने की आवश्यकता है और ऐसे समन्वित संपर्क, जिनका निर्माण किया जाना है, का पुन: निरीक्षण करना होगा।

मेरे पास एक नक्शा है, जो यह दर्शाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न जिला मुख्यालयों में संपर्क किस प्रकार स्थापित हो जायेगा और फिर उससे घाटी क्षेत्रों में पहुंचा जा सकेगा। इससे मणिपुर में एकता की भावना हो बल मिलेगा जो पिछले कुछ महीनों में गंभीर रूप से आहत हुई है।

मैं सरकार से इस परियोजना के लिए अनुरोध करता हूं और हम कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार की सुविधानुसार गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, मेरे विचार से वे दोनों इसमें शामिल हैं, के साथ बैठक करने को तैयार हैं, ताकि यह स्पष्ट कर सकें कि यह परियोजना क्या है और इस राज्य की एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

एक दूसरा विषय, जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वह बागवानी है। बागवानी में ने केवल मणिपुर राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाने की क्षमता है बल्कि उसमें समान रूप से विकास को बढ़ावा देने की भी क्षमता है क्योंकि बढ़ते हुए बागवानी उद्योग से सबसे अधिक फायदा मणिपुर के गरीब किसानों और मजदूरों को होगा। यह वास्तव में यह एक ऐसा विकास होगा जिसके साथ सामाजिक भी होगा। इस कार्य के लिए कुछ विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, जो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति आवश्यक लगते हैं किन्तु, किन्हीं कारणों से मणिपुर की पिछली सरकारों ने उन्हें ठीक से कार्यान्वित नहीं किया हैं और मैं समझता हूं कि इस समय केन्द्र सरकार वह प्रयास करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। यह विकास जनोन्मुखी होना चाहिये और इसे यथाशीघ्र घाटी क्षेत्रों में मौजूदा पंचायतों और पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत आदिवासी निकायों के माध्यम से किया जाना चाहिये।

इसके लिए मेरे विचार से पांच-छह मूलभूत चीजों की अर्थात् पहला डाटा बेस तैयार करने; दूसरा मौजूदा फलोद्यानों को हरा भरा बनाने और तीसरे बागवानी उत्पादों के लिए विपणन संबंधी सुविधायें उलपब्ध कराने की आवश्यकता होगी। राजय में कुल लगभग 1,11,000 मीट्रिक टन बागवानी उत्पादन होने की अनुमान है। उसमें से 30 से 50 प्रतिशत उत्पाद खराब हो जाता है क्योंकि परिवहन की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें प्रसंस्करण या विपणन के लिए शीघ्र नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए स्पष्ट रूप से व्यापक बागवानी उत्पादन कार्यक्रम पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, जिसे कारगर सड़क नेटवर्क की व्यवस्था करने के साथ जोड़कर देखा जाता है।

तत्पश्चात्, हमें बागवानी के लिए आधारभूत परियोजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के लिए गोदामों, और शीतागारों की स्थापना करना, ग्रामीण विपणन याडों और सभी जिला मुख्यालयों में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। उसमें कुछ विविधता भी होनी चाहिये। विशेष रूप से तेनूपाल जिले और जिरीबाम के आसपास के क्षेत्रों में कम मात्रा में परन्तु अत्यधिक मूल्य वाली फसलों जैसे गरम मसाले, और काजू, की पर्याप्त संभावनायें हैं। इस संपूर्ण परियोजना को एक करोड़ रुपये से भी कम की लागत पर पूरा किया जा सकता है और यह दुखपूर्ण है कि हमने इस प्रकार की संभावना पर विचार नहीं किया है। इसके लिए नि:संदेह जल संसाधनों के सृजन, कम्यूनिटों टैंकों और टयूबवेलों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

वास्तव में मणिपुर के लोगों से एक और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक जिले में एक मॉडल गांव होना चाहिये, जहां यह दर्शाया जाना चाहिये कि अधिकतम उत्पादन के लिए किस प्रकार के उचित आदानों और तकनीकी प्रयासों किये की आवश्यकता है। यदि मणिपुर के नौ जिलों में से प्रत्येक में इस प्रकार के मॉडल गांव तैयार किये जायें, तो फिर आसपास के ग्रामवासी वहां आकर स्वयं यह देख पाने में समर्थ हो सकेंगे कि यह किस प्रकार किया जाता है और हम अपनी आर्थिक समृद्धि में विकास और उस अत्यधिक गड़वड़ी वाले क्षेत्र में सामाजिक न्याय और शांति देखेंगे। वहां जैविक कृषि, को बढ़ावा देने की भी पर्याप्त संभावनायें लगती हैं।

तीसरी बात जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वह सजल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तथा आसपास के क्षेत्रों में ताज़े पानी और उथली झीलों से परिपूर्ण लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सजल क्षेत्र है, जिसका नब्बे प्रतिशत मणिपुर की मध्यवर्ती घाटी में है और शेष राज्य के अन्य भागों में हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये बिष्णुपुर और थौबाल जिले हैं, जो ऐसे स्थानों में से हैं, जहां ऐसे सजल क्षेत्र बहुत अधिक है। नि:संदेह इनमें से सबसे प्रसिद्ध लोकतक झील है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के छह सजल क्षेत्रों में से एक माना गया है। हमें उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मत्स्यन को बढ़ावा देने, कारगर पन बिजली और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के लिए और प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों में प्रवास योग्य स्थान प्रदान करने, पेंघा, खाबक और अन्य मूल्यवान मछलियों के लिए विशिष्ट किस्म का प्रजनन क्षेत्र बनाने तथा मणिपुर की संगाई नाम की दुर्लभ हिरन और लुप्त प्राय प्रजाति के लिए विशेष प्राकृतिक वास बनाने और बाढ़ को प्रभावी ढंग से रोकने और सूक्ष्म जलवायु रोधन के लिए करना चाहिए।

यह सब किया जा सकता है। यह झील सिकुड रही है और प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थान में तेजी से कमी आती जा रही है। अत:, हमें करना यह चाहिए कि झील की सीमा रेखा निर्धारित, करें तटरेखा पहचान चिन्ह बनायें, संभवत: लोकतक विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक सजल नीति तैयार करें और झील के लिए वैज्ञानिक

प्रबंधन योजनायें बनायें ताकि हम इन्हें बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और हमें एक विशेष प्रकार की खरपतवार, फूमडी, जो सारी झील में फैल जाती है और इसे बंद कर देती है और जिसने सजल क्षेत्र की उपलब्धता में भी तेजी से कमी आई है, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, थोबाल जिले के पुमलेन और खोइडुम लामजाओ क्षेत्रों और इकिप और खावुंग क्षेत्रों के साथ-साथ लाउशी पाट, फूमनॉम्न पाट में इसी प्रकार के सजल क्षेत्र उपलब्ध हैं।

यदि हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो हम गृह मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को बता सकते हैं कि निम्न स्तर पर व्यावहारिक कार्यवाही के संबंध में हम कितने ठीक हैं, मणिपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं कि दिल्ली के लोग उनमें कितनी रूचि रखते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि मणिपुर के लोग कहां रहते हैं दिल्ली को इसके जिलों, गांवों तथा भागों के नाम पता हैं। मणिपुर के विकास के संबंध में भी दिल्ली के पास कुछ रूपरेखा है। यदि हम इसी प्रकार काम करते जाए जैसा कि हमारे सामने पड़े दस्तावेजों दर्शा रहे हैं तो, जहां लगभग सारा पैसा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है तब विकास की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है; और जहां विकास नहीं होगा वहां द्रोह होगी ही।

हम बहुत अधिक भाग्यवान हैं कि मणिपुर ने स्वयं को उस गंभीर राज द्रोह से बचाए रखा है, जिसका सामना पूर्वी नागालैण्ड और मिजोरम के दक्षिणी भाग को करना पड़ रहा है। इस उपलब्धि को और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। मणिपुर के विभिन्न समुदायों में एक दूसरे के प्रति जो मूल सद्भावना है उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है न कि उनका शोषण किया जाना चाहिए जैसा कि हाल ही के महीनों में हो रहा है। अंत में हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करने को तैयार है जो हमारे समक्ष लायी गई है, परंतु हम इस विषय पर आशा ही कर सकते हैं क्योंकि हम श्री स्वामी, श्री अरूण शौरी और अन्य संबंधित मंत्रियों के सामने इसकी शर्त रख सकते हैं कि वे हमारे प्रस्तावों को गंभीरता से लेंगे ताकि मणिपुर जैसे सुदूर और संवेदनशील परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के लिए विपक्ष और सरकार मिलकर मणिपुर के लोगों के हित और कल्याण के लिए काम कर सकें।

मैं एक बार पुन: मणिपुर के लोगों की इस मांग को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि फरवरी या मार्च में होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव के साथ ही मणिपुर को भी स्वयं की सरकार चुनने की अनुमति दी जाए।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : माननीय, अध्यक्ष महोदय हम मणिपुर बजट पर चर्चा करने के लिए बाध्य है क्योंकि मणिपुर की चुनी हुई सरकार अब निष्क्रिय हो गई है। वास्तव में यह राजग के राजनैतिक दलों की आपस लड़ाई के कारण हुआ, जिनका मई माह तक वहां शासन था।

महोदय, मैंने यहां प्रस्तुत बजट प्रस्तावों को देखा है। इस प्रस्ताव में, प्रस्तावित घाटा लगभग 382.86 करोड़ रुपये है। यदि हम प्राप्तियों और अन्य आंकड़ों को देखें तो, पता चलेगा कि लगभग सभी मामलों में धनराशि घटा दी गई है। मैं नहीं जानता कि कैसे इस तरीके से मणिपुर में विकास कार्य किया जाएगा और कैसे सामान्य तौर पर मणिपुर का विकास का कार्य आगे बढ़ेगा।

महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि हमें यहां बजट पर चर्चा करनी पड़ रही है। वहां पिछले पांच से छ: महीने से चुनी हुई सरकार थी। लोगों ने नई सरकार के गठन के लिए अपना मत दिया था। परंतु चुनाव के बाद, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने राजनैतिक दल और मंच बदले। चुनाव के बाद, उन्होंने नई सरकार का गठन किया। सभा के भंग होने से पहले, समता पार्टी भाजपा की मदद से सरकार चला रही थी। लेकिन 60 सदस्यीय विधानमंडल चुनाव के समय इसमें भाजपा के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। किन्तु इसका समाधान दल-बदल कर किया गया जब कि भाजपा के विधायकों ने समता पार्टी की अवहेलना करते हुए एक नई सरकार बनाने की कोशिश की। इस प्रकार हमें यहां इस बजट पर चर्चा करनी होगी। मणिपुर के चुने हुए प्रतिनिधि, विधान सभा के सदस्य लोगों की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह जानते हैं।

जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्य ने अभी यहां कहा है कि, उनकी मुख्य समस्या यातायात की है। वास्तव में मणिपुर कृषि और बागवानी पर निर्भर है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्य की तरह, मणिपुर में भी उद्योग नहीं है। जो भी उद्योग वहां लगाए गये, अब बंद पड़े है। इस प्रकार उन्हें बागवानी और कृषि उपज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब बाहर के सारे विभाग जो भी वहां थे, वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। परंतु चुनी हुई सरकार के कार्यकाल में सरकार का सामान्य कार्य संतोषजनक नहीं था। यह स्थिति अभी भी जारी है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी हर महीने उनका वेतन नहीं मिल रहा है। इसीलिए, मुझे शंका है। आज हम शेष अवधि अर्थात् अप्रैल तक के लिए मणिपुर बजट पारित करेंगे। यदि केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के बाद मणिपुर में समय से पहले या समय पर चुनाव कराने में सफल होती है तो हमें यहां पर यह बजट पारित करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मणिपुर अपना बजट नहीं पारित कर सकता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसे इसी प्रकार पारित किया जाए।

मणिपुर को अपने बागवानी उत्पाद के प्रभावी उपयोग के लिए एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता है। यहां संतरों और अन्नानस की पैदावार होती है। मणिपुर में मूल्यवान बागवानी उपज होती है परंतु विपणन की सुविधाओं के अभाव में उत्पादकों को अपनी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल जाता है।

मणिपुर भूमि सुधार तथा भू राजस्व अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कई बार, मणिपुर सरकार ने इसमें संशोधन करने के प्रयत्न किए हैं। इस अधिनियम को संसद ने 1960

[श्री बाजू बन रियान]

में पारित किया था। वास्तव में, 90 प्रतिशत पहाड़ी भूमि आदिवासियों या वहां के निवासियों के लिए आरक्षित है।

आदिवासियों में, एक मुख्य समूह नागा और न्यू नागा का है और अन्य मुख्य ग्रुप कूकी चिन ग्रुप है। यदि कुल जनसंख्या के हिसाब से देंखे तो हलांकि उस क्षेत्र में नागा समूह और कूकी समूह एक उस क्षेत्र की जनसंख्या का तिहाई से भी कम है परंतु वे लगभग 91 प्रतिशत पहाड़ी भूमि में ही रहते हैं पर निवास करते हैं। अन्य समुदायों जैसे मेथई और मुस्लिम मेथई को वहां भूमि लेने की अनुमति नहीं है। इसलिए इस अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि संपूर्ण मणिपुर राज्य भविष्य में विकास कर सकें।

***श्री टीएच० चाओबा सिंह :** (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं छोटे से राज्य मणिपुर की बजट चर्चा में भाग ले रहा हूं। इस बजट में बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के लिए योजना आवंटन केवल 375.21 करोड़ रुपये है केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन केवल 69.90 करोड़ रुपये है। और गैर-योजना के लिए 1998.46 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मणिपुर राज्य के एक वर्ष के व्यय के लिए यह राशि बहुत कम है। महोदय, राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच भारी अंतर है। इस समय वास्तविक अंतर 498.67 करोड़ रुपये का है। इस अंतर को समाप्त करना है। इस वर्ष का अंतर पिछले वर्ष के 115.99 करोड़ रुपये से अधिक है।

महोदय, हमारे सामने यह महत्वपूर्ण मामला है कि इस अंतर को कैसे भरा जाए। मणिपुर के पास सीमित संसाधन है और इसकी आय बहुत थोड़ी है। परंतु व्यय हमेशा आय से अधिक हो जाता है। राज्य में संसाधनों का सृजन इतना कम क्यों है ? इसका कारण ढूंढना कठिन नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी संसाधनों को जुटाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास नहीं किया जा रहा है। आधारभूत संरचना की कमी के कारण संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता। संसाधन बढ़ने की बजाय घट गये हैं। यहां मैं मेघालय का उदाहरण देना चाहता हूं जहां ब्रिटिश राज के दौरान विद्युत परियोजनाओं और कोयला परियोजनाओं की स्थापना अच्छी सड़कों के नेटवर्क के साथ स्थापित की गई थी। मणिपुर में ऐसी कोई आधारभूत संरचना मौजूद नहीं है। स्वतंत्रता के बाद संसाधन जुटाने के लिए बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के कई इलाकों में उचित आधारभूत संरचना का विकास किया गया है। आज भी मणिपुर में कोई अच्छे स्तर का राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। हमारे राजमार्गों पर यातायात बहुत कम है इसलिए इससे आय भी कम मिलती है। इन 50 सालों में मणिपुर में कोई बड़ी या विशाल विद्युत परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई है। जहां तक आधारभूत संरचना के विकास का प्रश्न है, सारी पूर्व सरकारों ने अन्य राज्यों की तुलना में मणिपुर सहित समस्त पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा की है। वर्तमान में, योजना आयोग ने राज्यों के लिए निधि जनसंख्या क्षेत्रफल और संसाधनों के आधार पर निर्धारित की है, हमारे पास कोई आधारभूत संरचना, रेल यातायात, अच्छी सड़के नहीं है इसलिए हमारे सामने संसाधनों को जुटाने में बहुत सारी बाधायें हैं। चूंकि हमारे पास सीमित संसाधन है इसलिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित निधि बहुत ही कम है।

भू-राजस्व से प्राप्त होने वाली आय भी बहुत कम है क्योंकि यह केवल घाटी से ही प्राप्त की जा सकती है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दसवां भाग है। भू-राजस्व पर्वतीय क्षेत्रों से नहीं वसूल किया जा सकता जो, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90 प्रतिशत है। घाटी में भी लोकतक झील और अन्य क्षेत्र नहीं आते हैं। अत: भू-राजस्व से प्राप्त आय बहुत ही कम है। वनों से भी प्राप्त आय पर शीर्ष न्यायालय के निर्णय के कारण प्रतिबंध लगा हुआ है। लॉटरी पर भी पुन: पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आय अर्जित करने और संसाधन जुटाने के साधनों को काफी अधिक सीमित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की आय न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए और उसका विकास करे। पिछले 50 सालों में इस क्षेत्र में, ऐसी उचित आधारभूत संरचना और प्रणाली का विकास नहीं हो पाया है। इसकी असफलता की सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारत सरकार पर है। राजग सरकार इस विचारों का समर्थन करती है। मेरा विश्वास है कि यह माननीय सदन भी मुझसे सहमत होगा।

क्षेत्रीय असमानता और असंतुलन का यही मुख्य कारण है। कई सालों से पूर्वोत्तर की अवहेलना और उपेक्षा की गई है। हमारा संसाधन जुटाने का तंत्र बहुत ही कमजोर है।

आय और व्यय के बीच के भारी अंतर को आर्थिक पैकेज देकर पूरा किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ अन्य राज्यों के मामले में किया गया है। अन्यथा वर्ष दर वर्ष एकत्रित होती जा रही घाटे की इतनी बड़ी राशि को पूरा कर पाना राज्य के लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा। यदि स्पष्ट तौर पर कहूं तो 300 करोड़ रुपये की अत्यल्प आवंटित धनराशि से किसी भी विकास से संबंधित गतिविधि की शुरूआत नहीं की जा सकती।

महोदय, जहां तक रोजगार के अवसरों का संबंध है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। यह लगभग शून्य है। बेरोजगार युवकों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारी साक्षरता पर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। मणिपुर में अब बेरोजगार युवकों की संख्या 4 लाख से भी अधिक है। 22 लाख की जनसंख्या वाले छोटे से राज्य के लिए यह संख्या बहुत अधिक है, इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। महोदय, राज्य में विद्रोह का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। अनेक प्रतिभाशाली शिक्षित बेरोजगारों में जीविका और राहत की

*मूलत: मणिपुरी में दिए गये भाषण को अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

खोज में विद्रोही गुटों का साथ पकड़ लिया है। वास्तव में बेरोजगारी विशेषकर शिक्षित बेरोजगारी से विद्रोह की समस्या बढ़ती है।

हमारी आय का बहुत बड़ा हिस्सा विद्रोह के विरूद्ध लड़ने और उसे नियंत्रित करने में खर्च हो जाता है। बची हुई धनराशि किसी प्रकार के विकास कार्य के लिए बहुत कम पड़ती है। सभी योजना निधियों का प्रयोग कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में खर्च किया गया है। फिर भी इसके लिए वहां धन की कमी है और इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट पर वर्तमान अधिकारियों ने उचित ध्यान नहीं दिया है। यह परियोजना संकट में है। यह सुचारूढंग से नहीं चल रही है। परियोजना की सुरक्षा का खर्च परियोजना की लागत में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार का प्राक्कलन गलत है। क्योंकि देश को अन्य भागों में परियोजनाओं की सुरक्षा पर आने वाले खर्च का प्रावधान अलग से किया जाता है, उसे परियोजना की लागत में नहीं जोड़ा जाता है। जब वे कह रहे हैं कि लोकटक डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट सुरक्षा खर्च की दृष्टि से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। महोदय, यह अत्यन्त अनुचित है। इस प्रकार की परियोजनाओं से रोजगार के बहुत अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं और यह परियोजना राज्य के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाए।

वर्तमान बजट में लोकटक झील के रख-रखाव के लिए एक पैसे का भी आवंटन नहीं किया गया है। यदि इस झील का उचित प्रकार से रख-रखाव नहीं किया जायेगा तो एन०एच०पी०सी० लोकटक प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होगी। उचित रखरखाव के अभाव में लोकटक झील उथली हो जायेगी और उसमें 'पमथीस' (तैरने वाली घास) भर जाएगी जिससे आसपास का वातावरण खराब हो जायेगा। इस बजट में भी लोकटक झील की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए क्योंकि लोकटक ही राज्य में जीवन निर्वाह की एकमात्र झील है।

महोदय, गत वर्ष गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी मंत्रालयों को मणिपुर के गैरसरकारी संगठनों को धन दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सचमुच यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे गलत संदेश जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के अनेक सगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है। लेकिन मणिपुर के मात्र तीन गैरसरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है। हमें मणिपुर के गैरसरकारी संगठनों को धनराशि देने पर प्रति-बंध लगाने का औचित्य समझ में नहीं आता है। महोदय, अनेक शिक्षित युवक गैरसरकारी संगठनों में कार्य कर रहे हैं। वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि धनराशि नहीं दी जाएगी तो वे कैसे कार्य करेंगे ? महोदय, यह सच है कि राज्य के कुछ गैरसरकारी संगठन बहुत नेक और उपयोगी कार्य कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, अनेक गैरसरकारी संगठन पूरे राज्य में एड्स के नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रमों को चला रहे हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के कारण एन०ए०सी०ओ० द्वारा मणिपुर के राज्य एड्स नियंत्रण बोर्ड और अन्य गैरसरकारी संगठनों को आवंटित धनराशि जारी नहीं की जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम अत्यन्त आपत्तिजनक और अतार्किक हैं। गृह मंत्रालय मणिपुर के गैरसरकारी संगठनों को धनराशि जारी किए जाने पर अन्य मंत्रालयों के ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध कैसे लगा सकता है। यह भेदभावपूर्ण और आपत्तिजनक है। जब मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री था तो इस प्रकार का आदेश आया था लेकिन मैंने उसे आदेश की अनदेखी करके भी कार्य करने वाले संगठनों और संस्थाओं को धनराशि जारी करता रहा। इसी प्रकार अन्य मंत्रालयों को भी गृह मन्त्रालय का आदेश नहीं मानना चाहिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। क्या अन्य मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन है ? इसका उत्तर है 'एकदम नहीं'। सभी मंत्रालय स्वतन्त्र हैं और उनके अपने कार्यक्रम और नीतियां हैं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सभी गैरसरकारी संगठनों को धनराशि देने पर प्रतिबंध लगाना एक गलत निर्णय है। इस पर अविलम्ब पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी यह महत्वपूर्ण बात मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे राज्य, मणिपुर को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु धनराशि नहीं दी गई है। इसका सीदा सा कारण है कि राज्य सरकार अपने अनिवार्य अंश 25 प्रतिशत या 10 प्रतिशत का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को मणिपुर जैसे गरीब राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु शत-प्रतिशत धनराशि देनी चाहिए। अन्यथा गरीब राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ कभी नहीं मिल सकेगा।

वास्तविकता यह है कि राज्य को गैर-सरकारी संगठनों हेतु कोई धनराशि नहीं मिल रही है; एन०ई०सी० धनराशि जारी नहीं कर रही है और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मणिपुर को धन दिये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सारी योजना निधि वेतन के भुगतान पर ही खर्च कर दी गई है। उसके बाद आप मणिपुर की स्थिति की कल्पना कीजिए। यह स्थिति भयानक है। राष्ट्रपति शासन किसी काम का नहीं है। राज्य सरकारीतंत्र पूर्णत: निष्क्रिय हो गया है। महोदय, इसलिए राज्य में शीघ्र ही चुनाव कराये जाने चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार गठित की जानी चाहिए। लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का कोई विकल्प नहीं है। मुझे आशा है कि केन्द्र के सहयोग से मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल की जायेगी।

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर) : महोदय, मैं मणिपुर विनियोग विधियेक, 2001-02 पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। कृपया मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। मैं अत्यन्त संक्षेप में और तीव्र गति से बोलूंगा। इसलिए, मैंने अपना भाषण तैयार किया है।

बजट पारित करना, विनियोग विधेयक, अनुपूरक मांगे पेश करना और इसी प्रकार के अन्य कार्य प्रत्येक सरकार के नेमी कार्य हैं। हम सरकारों के इन संवैधानिक कार्यों के बारे में किसी प्रकार की

[श्री होलखोमांग हौकिप]

आपत्ति नहीं उठा रहे हैं लेकिन हम राष्ट्र, विशेषकर राज्यों और उसमें भी विशेषकर मणिपुर जैसे छोटे राज्यों की बिगड़ती वित्तीय और राजकोष की स्थिति के बारे में सर्वाधिक चिन्तित हैं। यह सच है कि सभी राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं जो कि राष्ट्र के लिए अत्यन्त चिन्ता की बात है। फिर भी, मैं समर्थन करता हूं कि यह विधेयक आज पारित कर दिया जाए।

मणिपुर में केन्द्रीय शासन है। हम सभी यह जानते हैं। हम केन्द्र सरकार द्वारा मणिपुर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गये उपायों से चिन्तित हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने से अधिक हो गए हैं परन्तु अभी भी राज्य प्रशासन कर्मचारियों का वेतन देने की स्थिति में नहीं है। यह वास्तव में राज्य प्रशासन और केन्द्र सरकार की विफलता है।

आप राज्य के विकास कार्यों से बेखबर हैं। दिवालियापन के कारण राज्य प्रशासन समाप्त होने के कगार पर है। राज्य का राजकोष लगभग खाली है। जब धन ही नहीं है तो हम राज्य सरकार से क्या आशा करें ? आशा करने के लिए कुछ नहीं है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वित्तीय कुप्रबंधन और गड़बड़ी के लिए पूर्ववर्ती सरकार को दोष देने से समस्या के समाधान में हमें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। इस मामले में अविलम्ब कुछ उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

महोदय, इस समय मणिपुर की स्थिति यह है कि वहां कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक विकास रूका हुआ है और गैर सरकारी संगठनों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है। काली सूची में 197 गैर सरकारी संगठन डाल दिये गये हैं और उनमें से 15 गैर-सरकारी संगठनों के सम्बन्ध भूमिगत संगठनों से है। उन्हें उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सभी संगठनों — चाहे वे काली सूची में हैं या नहीं, को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा गलत नीतियों के कारण हो रहा है।

राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर केन्द्र द्वारा किसी न किसी बहाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इससे निश्चित ही राज्य की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति कमजोर होगी। इस स्थिति की तुरन्त पुनरीक्षा की जानी चाहिए। अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगी। कृपया एक बात याद रखिए कि मणिपुर के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त और अत्यन्त संवदेनशील हैं। राज्य की वर्तमान स्थिति बिगड़ना कार्यों में विलम्ब निश्चय ही राष्ट्र के हित में नहीं होगा।

मैं इस सम्माननीय सभा को दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार के बावजूद देश में विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में लोग भूखे मर रहे हैं। उत्तरपूर्वी राज्यों विशेषकर मणिपुर को जानवरों के खाने लायक चावल दिया जा रहा है। यह कार्य रोका जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी विडम्बना है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूर-दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग दो जून के भोजन के लिए तरस रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई और वास्तविक यथार्थ है। स्वतन्त्रता के पचास वर्षों के बाद भी लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, सुख-सुविधायें तो दूर की बात है।

हम सदैव राज्य सरकार को ही दोष नहीं देते रहें। इस देश, विशेषकर मणिपुर के नागरिकों के कल्याण की देखभाल की जिम्मेदारी केन्द्र की ज्यादा है। हमारे गोदामों में खाद्यान्न भरे पड़े हैं फिर भी हम लोगों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है। हमारी वितरण प्रणाली में कोई गम्भीर खामी है। क्या यह प्रणाली की असफलता है या मानवीय असफलता ? जो भी हो, हम इसमें असफल रहे हैं। प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है और हमें सभी बाधाओं को दूर करना है। नहीं तो गरीब और भूखे मरने वाले लोग हमें कभी आफ नहीं करेंगे और भावी पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी। गांव के गरीब किसान और दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों के बढ़किस्मत लोग मुद्रा स्फिति, विकास दर, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि नहीं समझ पाते। वे ये सब नहीं समझ पाते। वे जो एक बात समझ पाते हैं वह है — भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार। फिर भी ये सभी मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं उन्हें उपलब्ध कराने में हम असफल रहे हैं। पिछले 50 सालों में, हमने जीवन के प्रत्येक भाग में प्रगति की है किन्तु अभी भी संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिए हमें काफी दूर तक जाना है।

मणिपुर के निचले भाग में तिपाएमुख बांध और लोकटक बांध बनाने का एक प्रस्ताव था। अब वे कहते हैं कि यह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है और वे हर चीज रोकना चाहते हैं और वे हर चीज पर लगने वाले व्यर्य के लिए हमसे ही राशि ले रहे हैं। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चाओबा सिंह ने कहा, परियोजना के लिए आबंटित परियोजना लागत वे हम पर प्रभारित कर लगा रहे हैं। जबकि यह कानून व व्यवस्था की मद और विदोह से निपटने की मद पर प्रभारित होना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक देखे। हमें नौकरशाही संकुचित दृष्टि और जोड़तोड़ के दबाव में नहीं आना चाहिए। हमारे यहां लोकतंत्र हैं और जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिए और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अंत में, मणिपुर राज्य की वित्तीय स्थिति अब खराब है। वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुदान 2,434.56 करोड़ रुपये है। इसमें से ब्याज अदायगी की राशि, ऋण सेवाएं, सरकारी व्यय इत्यादि निकालने के बाद विकास कार्यों के लिए बहुत ही कम राशि बचती है। इस अति अल्प राशि से आप क्या करने की आशा रखते हैं ? कुल सरकारी ऋण 1,368 करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक में ओवर ड्राफ्ट 70 करोड़ रुपये है और वर्तमान ऋण क्षमता मात्र 21 करोड़ रुपये है। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में बहुत बड़ा अंतर है। यह

बहुत ही विकट स्थिति है। इस व्यापक स्थिति को देखते हुए, मणिपुर राज्य के लिए कुछ करने का यह सर्वोत्तम समय है।

राज्य की अर्थव्यवस्था व वित्तीय स्थिति को पुन: पटरी पर लाने के लिए, राज्य को तुरंत एक आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें गैरयोजना व्यय को कम करने, सरकारी खर्च को कम करने, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने जैसे मितव्ययता उपाय भी करने होंगें। व्यवहार्य स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए। फालतू सरकारी कर्मचारियों को हटाने के लिए स्थायी कार्यक्रम तथा छंटनी योजनाओं को भी आरंभ किया जा सकता है। कर्मचारियों को अचानक हटाने से समस्या का हल नहीं होगा। बल्कि यह सरकार के लिए सिरदर्द बन जाएगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री को मणिपुर में शून्य आधारित बजट को भी आजमाना चाहिए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इन प्रयासों से मणिपुर की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति में निश्चय ही सुधार होगा। कृपया इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। महोदय, मेरे ख्याल से शून्य आधारित बजट ही एक मात्र उपाय है।

मणिपुर विधान सभा में पक्ष और मुख्य विपक्षी दल दोनों ही सभा को विघटन की स्थिति में लाये और अब, वे जल्द ही चुनाव चाहते हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष और बढ़ाया जाना चाहिए। जमीनी सच्चाई यही है कि हालत अभी भी खराब हैं। यदि अब चुनाव होते हैं तो उग्रवादियों का वहां वर्चस्व बना ही रहेगा क्योंकि यह राष्ट्रपतिशासन की आकार घटाने, वित्तीय स्थिति में धीरे-धीरे हुए सुधार और भूमिगत गतिविधियों को सरकार द्वारा दक्षित करने की उपलब्धियों को उलट देगा। चुनावों के बाद इससे विधायकों की खरीद फरोख्त, व्यापक भ्रष्टाचार और दल-बदल को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मणिपुर में सक्रिय राष्ट्र-विरोधी तत्वों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम यह होंगें कि जनता का भारतीय लोकतंत्र से विश्वास ही उठ जाएगा।

महोदय, मणिपुर में 20 भूमिगत संगठन हैं। हमें एक वर्ष तक और राष्ट्रपति शासन लगाए रहना चाहिए। मैं अभी भी यही कहूंगा कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लोकप्रिय सरकार की आशा है। मैं कहता हूं कि यह सबसे अधिक अलोकप्रिय सरकार होगी। मुझे अलोकप्रिय सरकार पसंद नहीं है। जिम्मेदार कौन होगा ? क्या वे जिम्मेदार नहीं होंगें ? हम भारतीय उप महाद्वीप के शीर्षस्थ निकाय के सदस्य हैं। महोदय, इसलिए, मैं कहता हूं कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए। राज्य अभी चुनावों के लिए तैयार नहीं है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से मणिपुर समृद्ध राज्य है। मणिपुरी नृत्य के नर्तक विश्वविख्यात है। *(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश, में कुचीपुड़ी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य, कुचीपुड़ी से भी अधिक लोकप्रिय है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के इतने महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग के बजट प्रस्तावों पर उसकी अपनी विधान सभा के बजाए इस सभा में विचार किया जा रहा है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई लोकप्रिय सरकार का कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में इसकी जल्द ही बहाली करनी होगी ताकि केवल जनादेश ही उस राज्य की सत्ता संभाले न कि राज्य को कोई दूर से नियंत्रित करें। राष्ट्रपति शासन यथासंभव अल्प अवधि का होना चाहिए। मणिपुर राज्य एक बहुत ही दूरस्थ, संवदेनशील राज्य है और यहां स्थिति कभी भी अस्थिर हो सकती है। छोटा राज्य होने के अलावा, यहां कई जातीय समूह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब हमारा अनुभव यही है कि छोटे राज्यों की स्थिति हमेशा यहां से वहां बदलती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था इतनी अस्थिर है कि इतने समय के दौरान हम यह विश्वास करते हैं कि लोकतांत्रिक संरचना के लिए छोटे राज्य कोई समाधान नहीं है। ऐसे छोटे राज्यों में जहां मात्र 40 या 60 सदस्य होते हैं यदि पांच सदस्य भी इस पक्ष से उस पक्ष में चले जाएं तो वे सरकार का भाग्य बदल सकते हैं। तो, यह हो रहा है। फिर भी हम यही महसूस करते हैं कि कुछ छोटे राज्यों की आवश्यकता है। मेरा दृढ़ मत यही है कि इस देश में और छोटे राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। यदि और छोटे-छोटे राज्यों का गठन किया जाता है तो देश में और अधिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी और हर समय बदलाव होता रहेगा। *(व्यवधान)*

महोदय, बिहार राज्य को क्या हो गया है ? ऐसा लगता है कि वे बिहार से और छोटे राज्यों का गठन करना चाहते हैं हर स्थान पर नए राज्यों के सृजन की मांग उठ रही हैं किन्तु यह एक प्रभावशाली लोकतांत्रिक कार्यकरण हेतु कोई समाधान नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था फले-फूले तो यहां बड़े राज्य होने चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों।

महोदय, मणिपुर राज्य में 380 करोड़ रु० का घाटा है। सरकार यह घाटा कहां से पूरा करेगी ? यहां तक कि योजना विकास के लिए आबंटित धन का उपयोग राजस्व व्यय खाते में किया गया। कोई भी राज्य वित्तीय रूप से सक्षम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजस्व संग्रहण और राजस्व व्यय में अंतर होगा। हर राज्य को अपनी राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को अपने साधनानुसार बनाने के लिए अपनी कमर कस लेनी चाहिए अन्यथा कोई भी राज्य फलफूल नहीं पाएगा और हर राज्य की हालत बिहार जैसी हो जाएगी।

महोदय, मणिपुर राज्य को केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए मात्र एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मणिपुर जैसे दूरस्थ राज्य में कल्याण गतविधियां चलाए रखने के लिए इतनी कम राशि पर्याप्त नहीं है। यह राज्य जितनी देर तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहेगा, उसे और अधिक निधियां आबंटित की जानी चाहिए ताकि राज्य का विकास समुचित रूप से हो सके और वह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सके। इसके अलावा वहां लोकप्रिय सरकार होने पर वहां, राष्ट्रपति शासन के दौरान आरंभ की गई कल्याण गतिविधियां भी जारी रखी जा सकेंगीं।

महोदय, मणिपुर राज्य में राजस्व प्राप्त करने के मुख्य और सबसे उत्तम संभव साधनों में से एक है पर्यटन बशर्ते हम वहां शांति स्थापित

[श्री होलखोमांग हैकिप]

कर सकें। लेकिन शांति तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक हम राज्य के बेरोज़गार शिक्षित युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध न करा दें। राज्य की कुल 22 लाख जनसंख्या में से करीब चार लाख शिक्षित बेरोज़गार युवा हैं और वे रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसके बिना वे भूमिगत गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। इन युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

महोदय, पर्यटन के साथ-साथ, मणिपुर में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं यदि उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे जल-विद्युत उत्पन्न कर उसे अन्य राज्यों में भी भेज सकते हैं जहां बिजली की कमी हैं। मणिपुर राज्य में पर्यटन में सुधार, शिक्षत बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार का सृजन और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जल-विद्युत उत्पादन करने की क्षमता से मणिपुर विकास के दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं मणिपुर राज्य के बजट में निहित प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मणिपुर एक गरीब एवं छोटा राज्य है, लेकिन देश के लिए उसका इतिहास-भूगोल कम महत्व का नहीं है। वहां 103 करोड़ रुपए का रिसोर्स है हर महीने वेतन पर 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार जिस राज्य के विकास पर साल में केवल 780 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो उसका क्या विकास होगा। इसके बाद जो 10 परसेंट कर्जा देते हैं, उसे चुकाने में भी उसके ऊपर भार पड़ता है। इसलिए उसको पैकेज मिलना चाहिए। वहां रेल लाइन का एक्सटेंशन होना चाहिए। जीरी बांध से लेकर इम्फाल तक रेल लाइन बढ़ानी चाहिए। वहां एन०एच० खराब हैं। दो एन०एच० हैं वे भी खराब हैं। दीमापुर से इम्फाल और जीरी बांध से मोरे तक, वे भी ठीक प्रकार से बनने चाहिए। यदि वहां एन०एच० की ठीक ढंग से शुरूआत हो जाए, तो अच्छा होगा।

इंडो-म्यांमार ट्रेड हुआ, उसमें मोरे स्थान हिन्दुस्तान की सीमा पर पड़ता है। बर्मा ने अपने शहर का विकास कर लिया लेकिन मोरे का विकास नहीं हुआ। वहां पी०डी०एस० चौपट हालत में है। श्री चौबे सिंह बोल रहे थे कि वहां खराब अनाज देते हैं, वह जानवर के खाने लायक भी नहीं है। वहां पी०डी०एस० को दुरूस्त करना चाहिए। लोगों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। वहां हड़ताल चल रही थी, आन्दोलन हो रहा था। आप जानते हैं कि वह सैनसिटिव एरिया है। इन्होंने नागा वालों से गड़बड़ समझौता कर लिया था जिससे उसकी उपेक्षा हुई और वहां आन्दोलन होने लगा। मैं मांग करता हूं कि मणिपुर को छोटा राज्य मान कर उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लोकटक पन बिजली में 578 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो गई लेकिन काम नहीं हो रहा है। तिपायमुख डाउनस्ट्रीम जो पन बिजली की परियोजना है, उसकी पन बिजली की क्षमता 1500 मेगावाट है। इसलिए तिपायमुख को प्राथमिकता के आधार पर बोली लगा कर करना चाहिए जिससे देश को लाभ होगा। पन बिजली सबसे अच्छी बिजली होती है। नार्थ-ईस्ट में जो भी पन बिजली की क्षमता है, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

(व्यवधान) छोटे मंत्री को बोलने के लिए बिठा दिया है। इनको क्या पावर है, ये पेपर्स लेड लान टेबल वाले लोग हैं।

(व्यवधान) मणिपुर के सदस्य बैठ कर मणिपुर का बजट पास करवा रहे हैं। दबाव था इसलिए वहां के मंत्री को हटा दिया और छोटे मंत्री को लाकर बिठा दिया। (व्यवधान)

वहां के लिए टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटैक्टेड एरिया परमिट को खत्म करना चाहिए। गृह विभाग इसका जवाब दे कि प्रोटैक्टेड एरिया परमिट को क्यों नहीं खत्म करते जिससे वहां का विकास हो। इन सब सवालों का सरकार स्पैसीफिक जवाब दे।

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यह बीच वाले मंत्री हैं। ऐसा मत बोलिए कि छोटे मंत्री हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : ये खुद भी राज्य मंत्री रहे हैं, इनको अनुभव होगा।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कहा कि रघुवंश बाबू भी छोटे मंत्री थे। अपनी बिरादरी वालों को तो आप कुछ मत बोलिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं छोटे मंत्री की पीड़ा जनता हूं कि पेपर्स लेड आन दी टेबल के आलावा और कोई काम नहीं है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : आपकी जितनी पीड़ा है, हमारे पास उतनी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री बोलेंगें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में छः वक्ताओं ने भाग लिया है और मैं उन सभी का आभारी हूं।

वाद-विवाद प्रारंभ करने वाले, श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि सरकार एक आश्वासन को पूरा कर रही है। मैं यह समझता हूं कि वे इस तथ्य से सहमत होंगे कि इस सरकार ने अपने द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा किया है। उनमें से एक आश्वासन है मणिपुर विधान सभा का विघटन। मैं पूरी सभा को आपके माध्यम से यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यह सरकार इस राज्य में जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहती है, अतः इसे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सभा के दोनों सदनों के राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए सहमति सर्वसम्मित से दी है किन्तु सरकार इसे बढ़ाना नहीं चाहती और बढ़ाये गए समय के समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001-2002 में लोक खातों को छोड़कर कुल प्राप्तियां करीब 2203.80 करोड़ रहीं। कुल प्राप्तियों में से, वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमानों के 1281.89 करोड़ रुपये की तुलना में राजस्व प्राप्तियां अनुमानतः 1220.16 करोड़ रुपये हैं। राज्य के स्वयं के करों और गैर-कर राजस्व के अनुमानित आंकड़े 103.25 करोड़ रुपये हैं। राजस्व व्यय अनुमानतः 1245.32 करोड़ रुपये है और राजस्व खाते का घाटा 25.16 करोड़ रुपये है। लोक खाता को छोड़कर प्राप्तियां के 983.64 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ऋण व अग्रिमों सहित व्यय के 1100.05 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2000-2001 के संयोजित अनुमानों से भी कम है। जैसा कि मेरे एक सहयोगी ने सही कहा है 498.67 करोड़ रुपये घाटा होने की आशा है। मैं इन चीजों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि सरकार संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर मणिपुर के विकास के होते बहुत चिंतित और गंभीर है। सरकार भूमि-सुधारों, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और अन्य प्रचलित उपायों के प्रति भी गंभीर है किन्तु ऐसे प्रचलित उपायों की एक लोकप्रिय सरकार से ही आशा की जाती है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, हम देश को यह संदेश नहीं देना चाहते हैं कि राज्य को कोई और चला रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

इसलिए हम मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करना चाहते हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा तैयार की गयी योजनाओं के लिए गत वर्ष की आबंटित राशि के आधार पर प्रावधान किए गए हैं ताकि उनको योजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने में विभाग के समक्ष आनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

महोदय, वर्ष 2001-2002 के बजट प्राक्कलनों में एन०ई०सी० के लिए अस्थायी तौर पर 5.36 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत 'एनिमल ओरिजन फूड क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंधी एकीकृत परियोजना, जीरी सिंचाई परियोजना सड़कों और पुलों, खेलकूद और युवा गतिविधियों को शामिल किया गया है।

एन०एस०डी०डी० योजनाओं के लिए केवल सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया है।

महोदय, यह सभा इस बात की तारीफ करेगी कि मुख्य मंत्रियों की बैठक के दौरान 19 अक्टूबर, 2001 को माननीय वित्त मंत्री शिलांग में उपस्थित थे। संबंधित राज्यपाल भी उस बैठक में थे। माननीय वित्त मंत्री ने मणिपुर के राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह इस प्रकार के प्रस्ताव लाएं कि मणिपुर की समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है और भारत सरकार उनकी सहायता कैसे कर सकती है। हम उनके प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। हम रोजमर्रा की स्थिति की निगरानी भी कर रहे हैं।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मणिपुर में कोई विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। सभा को यह जानकर खुशी होगी कि वहां लेइमाखांग में भारी ईंधन परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी लागत 129.08 करोड़ रुपये है। संसाधनों के केन्द्रीय पूल से इसके लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तपोषण किया गया है। एक या दो महीने में यह परियोजना शुरू हो जाएगी।

ठीक इसी प्रकार, बैंकों आदि के माध्यम से वहां पर कई अन्य योजनाएं चल रही हैं। यह जानकार मुझे प्रसन्नता है कि वहां पर गैर-सरकारी संगठन काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जहां तक गैर सरकारी संगठनों का सवाल है, उनके पास धन की कमी नहीं है। 'नाबार्ड' और 'कपार्ट' उनका वित्तपोषण कर रहे हैं। अनेक बैंक स्वरोजगार योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए धन दे रहे हैं।

महोदय, मणिपुर में आर्थिक लाभप्रदता, कृषि विकास, बागवानी और कृषि प्रसंस्करण एककों के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं। कृषि राज्य का विषय है। अतः स्वाभाविक रूप से, जब कभी कोई लोकप्रिय सरकार आएगी तो इन मुद्दों को देखेगी।

यह सत्य है कि वहां 4 लाख शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। हमें आशा है कि लोकप्रिय सरकार इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान देगी। यह प्रशासकों पर निर्भर है कि वे इसका लाभ उठावें।

जहां तक वेतन का संबंध है, मैं सम्माननीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि 16 सूत्रीय मांग पत्र में उल्लिखित मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी 22 अक्टूबर, 2001 से हड़ताल पर थे। किन्तु पुलिस तथा विद्युत जैसे कुछ विभाग इसमें शामिल नहीं थे। इस सभा को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया है। 30 नवम्बर, 2001 को राज्य सरकार के साथ हुए उनके समझौते के पश्चात् सचिवालय कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने 3 दिसंबर, 2001 से अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

इसके अतिरिक्त आज, 10 दिसंबर को अखिल मणिपुर संयुक्त प्रशासन परिषद और अखिल मणिपुर सरकारी कर्मचारी संगठन की मजदूर संघ परिषद का राज्य सरकार के साथ एक समझौता हुआ है तथा उन्होंने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस प्रकार मणिपुर राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपनी हड़ताल वापस ले ली गई है।

अक्टूबर, 2001 तक का उनका वेतन दे दिया गया है। हम उनका नवम्बर माह का वेतन भी देने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन अब दिया जाएगा। हड़ताल की 45 दिन की अवधि के लिए उन्होंने छुट्टियां ली हैं। इस संबंध में एक समझौता हो चुका है। इसलिए कोई भी उनके अधिकारों से मुकर नहीं सकता।

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

जैसा कि सभी इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं इन शब्दों के साथ ही इस सभा से मणिपुर बजट पारित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री टीएच० चाओबा सिंह : लोकटक परियोजना की क्या स्थिति है जिसे पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, लोकटक परियोजना और अन्य मूलभूत ढांचागत परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई हैं। इनके लिए धन आबंटित कर दिया गया है।

हमने राज्यपाल से यहां आकर इस मामले पर योजना आयोग से बातचीत करने के लिए कहा है। ये तो सिर्फ सांकेतिक प्रावधान किए गए हैं। हम योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात् सभी आवश्यक प्रावधान करेंगे क्योंकि तदर्थ उपाय हमेशा के लिए कार्य नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2001-2002 के लिए मणिपुर बजट से संबंधित लेखानुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें : मांग संख्या 1 से 47।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.06 बजे

[अनुवाद]

मणिपुर विनियोग विधेयक, 2001*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 10.12.2001 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.08 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

दोहा में हुआ व्यापार संगठन का चौथा मंत्री-स्तरीय सम्मेलन

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 193 के अधीन चर्चा होगी। श्री रूपचंद पाल।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, जब 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, पेंटागन के मुख्यालय और ह्वाइट हाउस पर आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे विश्व में यह आशंका हुई कि आतंकवादी हमले के मद्देनजर दोहा, कतर में सम्मेलन नहीं होगा तथा इसे स्थगित कर दिया जाएगा। किन्तु अंतत: दोहा में चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ।

इस सम्मेलन के परिणाम से विकासशील राष्ट्रों को भारी धक्का पहुंचा। इसमें इन राष्ट्रों के हितों की पूर्णत उपेक्षा की गई और संयुक्त राज्य अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों ने एक नया एजेण्डा – सूची प्रकार के नए मुद्दे – प्रस्तुत किया। माननीय मंत्री मंत्रिपरिषद तथा इस देश के जनादेश के साथ नए दौर की वार्त्ताओं का विरोध करने, अनुपालन संबंधी मुद्दों की समीक्षा का मांग करने तथा भारत के हित के रक्षा के लिए वस्त्र उद्योग संबंधी उपायों पर पुनर्विचार करने के लिए दोहा गए थे।

परन्तु इस सम्मेलन के परिणाम का विश्लेषण करने पर, कुछ प्रत्यक्ष लाभों के बावजूद, मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं कि 'प्रत्यक्ष लाभों' के बाबजूद भारत विश्व के विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों के दबाव के आगे झुक गया। अंतिम मसौदे पर अपनी सहमति देने के तुरंत बाद, लौटते समय मंत्री महोदय ने कहा कि इससे भारत को महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं। वक्तव्य में उन्होंने स्वयं कहा है कि इस मंत्रिस्तरीय घोषणा में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अपने एक इन्टरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ओलम्पिक खेल के समान रहा जहां से भारत कम से कम दो स्वर्णपदकों के साथ लौटा है।

पहला स्वर्ण पदक कार्यान्वयन मामलों से संबंधित था और दूसरा स्वर्ण पदक इसके लिए था कि उन्होंने सिंगापुर मामले के नाम से निवेश और व्यापार, प्रतिस्पर्धा और व्यापार, खरीद में पारदर्शिता और व्यापार और अंत में व्यापार सुगमता संबंधी चार नए मुद्दों को प्रारूप में शामिल किए जाने का डटकर विरोध किया।

यदि हम सितम्बर प्रारूप घोषणा और अंतिम घोषणा पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया की तुलना करें, तो हम यह देखते हैं सरकार कुछ स्पष्ट लाभों के बावजूद भी उनके दबाव के आगे झुग गयी। मैं इन प्रत्यक्ष लाभों पर बाद में चर्चा करूंगा। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रि स्तरीय प्रारूप घोषणा के संबंध में जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उस पर चर्चा करने से पहले मैं अनेक विकासशील देशों द्वारा कई गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जो कुछ कहा गया उसके उल्लेख में इस सभा की भागीदारी चाहता हूं ? मैं उनके द्वारा कही गई बातों में से उनकी कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा :

> ''हम प्रारूप घोषणा को गैर-कानूनी तथा विकासशील देशों के विकास और आर्थिक और सामाजिक सक्षमता के लिए खतरा मानते हैं।''

उन्होंने कतिपय मांगे और प्रस्ताव रखें हैं। विशेष रूप से, एक मांग नए मामलों पर वार्ता की शुरूआत करने वाले पैराग्राफों को हटाने के लिए की गई थी।

निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्य-प्रणाली में भी बदलाव की मांग की गयी है। इसे 24 अक्टूबर को व्यक्त मंत्री जी की प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है।

अपराह्न 3.15 बजे

[श्री मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुई]

उन्होंने कहा था कि प्रारूप घोषणा विकासशील देशों के हितों के खिलाफ है; प्रारूप घोषणाा भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है और भारत इस प्रारूप घोषणा पर कभी सहमत नहीं होगा। परन्तु दोहा में क्या हुआ कि मंत्रीजी अंतत: वापस आए और कहा कि हमने वहां विशेष उपलब्धि हासिल की है ? एक क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। मैं इसे पढ़ रहा हूं। यह 'ट्रिप्स' से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और नि:संदेह इसे अलग घोषणा द्वारा प्राप्त किया गया था। कुछ लोग इस बात पर मिथ्या प्रसन्न हो रहे है कि हमें 'ट्रिप्स' समझौते की घोषणा के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हुआ है और इसमें जन स्वास्थ्य एक प्रमुख उपलब्धि है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि यह कोई प्रमुख उपलब्धि है। जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं, कि यह घोषणा जिसे एक प्रमुख उपलब्धि माना जा रहा है। इसे बड़ी कठिनाई से पारित किया जा सका और इस पर अंतिम निर्णय कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और स्विटजरलैंड द्वारा लिया गया।

मांग क्या थी ? विकासशील देशों के मंत्रियों, विशेषकर, बाज़ील, भारत और 'अन्य अनेक देशों की मांग थी कि स्वास्थ्य सुरक्षा घोषणा प्रस्ताव में इन शब्दों को शामिल किया जाए' कि 'इस समझौते के किसी भाग का प्रयोग इस प्रकार न किया जाए' जो देशों को जन स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय करने से रोके। परन्तु स्विटजरलैंड और अमरीका जैसे कुछ संपन्न देशों ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

इस बीच में, कनाडा ने स्वयं एन्थ्रेक्स और इसकी दवाइयों की कि पृष्टक कि में प्रणाली का उल्लंघन किया है। अमरीका ने भी कुछ समय तक इसका पालन किया। पेटेंट प्रणाली विकसित देशों के लोगों को भी आवश्यक दवाइयों और जनस्वास्थ्य सुरक्षा जैसी विशेष परिस्थितियों से किस प्रकार वंचित रख सकती है ? इसे कनाडा और अमरीका जैसे देशों ने साबित कर दिया है। परंतु यही देश भारत

[श्री रूपचंद पाल]

जैसे देशों के इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए जो चाहते थे कि ये देश इन बातों को इस प्रारूप में शामिल करें कि "इस समझौते के किसी भी भाग का इस्तेमाल देशों को जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय करने से रोकने के लिए नहीं किया जाएगा"। इसके बजाय घोषणा में किन बातों पर सहमति हुई। वे कह रहे हैं कि इस बात पर सहमति हुई है कि 'ट्रिप्स' समझौता इन बातों से वंचित नहीं रखता और रखना भी नहीं चाहिए। क्या यह सच है ? 'ट्रिप्स' हमेशा उन्हें इन बातों से रोकता आ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि परिस्थिति की गंभीरता कम करने के लिए यह मांग विकासशील देशों की ओर से की गई है। इन परिस्थितियों में, हम डब्ल्यू०टी०ओ० सदस्यों के 'ट्रिप्स' समझौते में उन प्रावधनों के पूरे इस्तेमाल के अधिकार को पुष्टि करते हैं जो उन्हें इस मामले में पूरी छूट देते हैं। कोई भी डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते के दायरे से बाहर नहीं जा सकता और यहां इस बात दोहराया जा रहा है कि अलग घोषणा द्वारा जो कुछ भी कहा गया है परंतु आप केवल डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते को जो पर्याप्त लचीला है, मानने के लिए बाध्य है। यह जन स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में है।

अनिवार्य लाइसेंस के बारे में, वे कहते है कि प्रत्येक सदस्य को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन सी बात राष्ट्रीय आपातकालीन या असाधारण परिस्थितियों में तत्काल महत्व की है। यह बात जन स्वास्थ्य संकट के बारे में कही गयी है। भारत जैसे देश की सामान्य जन स्वास्थ्य सुरक्षा का क्या होगा ? वे बहुत तेजी से फैलने वाली महामारी जैसे टी०वी० मलेरिया, एच०आई०वी० और एड्स का उल्लेख कर रहे हैं।

महोदय 1970 अधिनियम के कारण ही भारत में दवाइयों और औषध निर्माण के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जब हम पाकिस्तान, कनाडा और अमरीका और उन देशों में जिन्होंने उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू कर ली है, औषधियों की कीमतों को देखें और इसकी तुलना भारत में औषधि की कीमतों से करें तो पता चलेगा कि भारतीय जनता को औषधियां बहुत सस्ते दामों पर मिल रही हैं। 1970 का अधिनियम विकासशील राष्ट्रों के लिए एक आदर्श अधिनियम हैं। हमारी औषध उत्पादन क्षमता बहुत विशाल है।

अल्प विकसित देशों और अल्प विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान और अनेक अफ्रीकी देशों के लिए सामान्तर आयात की मांग की गई है। भारत उन्हें आवश्यक औषधियों की आपूर्ति कर सकता है। लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। घोषणा में जो भी कहा जा रहा है वह 'ट्रिप्स' समझौते के अंतर्गत ही है। कोई कह रहा था कि कुछ लोग ट्रिप्स की इतनी कठोर व्याख्या करते हैं कि आप इसे 'ट्रिप्स प्लस' कह सकते हैं। यह टिप्पणी यूरोपीय संघ के व्यापार कमीशनर ने की है। इसे भारत जैसे विकासशील देशों को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरा कूटनीतिक तरीका (बाइपास) भी कहा जा सकता है। अंततः जैसा कि दूसरी जगह हुआ है वैसे ही हमसे भी अपने प्रतिबंध समाप्त करने के लिए कहा गया। हमने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए हैं। राजसहायता में कमी कर दी है। इस सभा में कतिपय लोग हर बार उत्साहपूर्वक यह कहते हैं कि उर्वरकों और अन्य वस्तुओं पर राजसहायता कम की जाए।

उन्होंने क्या किया है ? यूरोपीय संघ ने कहा है कि कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं। अमरीका और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ०ई०सी० डी०) देशों में कृष्णि उत्पादों की कीमतें आज इतनी कम होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे हमसे 200-300 गुनी राजसहायता देते हैं। इन देशों में विशेषकर यूरोपीय संघ, जापान ओ०ई०सी०डी० देशों में पर्यावरणीय (ग्रीन बाक्स) छूट और आय समर्थन के नाम पर कृषि राजसहायता को लगतार बढ़ाया जा रहा है। कुछ देशों ने बडी चालाकी से इसे उत्पादन राजसहायता से प्रसंस्करण राजसहायता में परिवर्तित कर दिया है।

मैं आपको कुछ आंकड़े यह बताने के लिए दे रहा हूं कि कैसे इन देशों में राजसहायता लगातार कैसे बढ़ाई जा रही है और इसे आय समर्थन जैसे विभिन्न नए नामों में बदला जा रहा है। जापान में प्रति किसान 33,000 अमरीकी डालर के बराबर राजसहायता और अन्य सहायता के रूप में समर्थन दिया जाता है। यूरोपीय और अमरीकी किसानों के लिए यह राशि प्रति कृषक 30,000 अमरीकी डालर है। ओ०ई०सी०डी० कृषि उत्पादों पर कुल राजसहायता 362 ट्रिलियन डालर है। क्या वे इस राजसहायता को कम करेंगे ? हमने यह मांग की है। उन्होंने कहा, थोड़ी प्रतीक्षा करो, वे इन मामले पर गौर कर रहे हैं। इससे सद्भावना का प्रदर्शन होता है।

हमने कहा कि कार्यान्वयन मामलों जैसे एंटीडंपिग शुल्क, वस्त्र, कृषि पर पहले विचार किया जाए अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। इन क्रियान्वयन मामलों का क्या हुआ ? किसी भी मुख्य क्रियान्वयन मामले को विचारार्थ नहीं लिया गया। बल्कि इन्हें व्यापार वार्ता समिति और कार्य कार्यक्रम जैसे नए नामों के साथ नए वार्ता दौर में शामिल कर दिया गया। अब इसके बारे में उनका क्या कहना है ? वे कार्यक्रम के बारे में कहते हैं कि "हम इस बात पर सहमत है कि महत्वपूर्ण क्रियान्वयन मामलों पर समझौता वार्ता कार्य कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होगा।" और आप इसे मानने के लिए बाध्य हैं। इस कार्यक्रम, जो वास्तव में सम्पन्न देशों की आर्थिक कार्यसूची का समर्थन करने वाला एक नया व्यापार वार्ता दौर है, को वे व्यापार वार्ता समिति के द्वारा थोपना चाहते हैं, पर 1 जनवरी 1995 से पहले निर्णय लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने 24 अक्टूबर को कहा कि "मैं यह बताने के लिए विवश हूं कि मंत्रिस्तरीय मसौदा घोषणा न तो निष्पक्ष है न ही न्यायसंगत है। वे मेरे कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं कर रहे हैं। यह भारत समेत अनेक विकासशील देशों की बातों को पूरी तरह नकारने जैसा है।"

भारत में वापस आने के बाद, उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। *(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : 10, डाऊनिंग स्ट्रीट से कोई संदेश आया होगा। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं तो केवल उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि आप सबकी मदद करते हैं श्री रूपचंद पाल, आपने 20 मिनट का समय ले लिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचंद पाल : अब यह कहा जा रहा है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है और हमें इसके परिणामों की जानकारी नहीं थी। 13 नवम्बर तक, हमने उनका डटकर मुकाबला किया और 14 की सुबह को हमारे हाथ में ऐसा मसौदा दिया गया जिसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। परंतु हमें अध्यक्ष के वक्तव्य में यह आश्वासन दिया गया था कि, हमारी चिंताओं की ओर ध्यान दिया जाएगा। उनके स्वीकार करने के बाद, हमने कहा कि हमने स्पष्ट सहमति जुटाने पर कार्य किया था। डब्ल्यू०टी०ओ० के केवल 144 राष्ट्रों में ही सहमति हो सकी जिसे वार्ता के शुरू होने से पहले ही लिया जाना था। भारत का संशोधन 'सुस्पष्ट' को शामिल किया गया। इसका क्या अर्थ है ? दोहा सम्मेलन समाप्त होने के बाद यूरोपीयन संघ के व्यापार कमीशनर ने इसकी क्या व्याख्या की ? अमरीका की क्या व्याख्या थी ? कार्य कार्यक्रम के बारे में दोहा घोषणा में क्या व्याख्या दी गई और क्या यह वार्ता का नया दौर था या वही था ? उन्होंने कहा कि हमें केवल औपचारिकताओं पर ध्यान देना है तथा घोषणा में अन्य सभी मुद्दों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अभी भी मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हमने पर्याप्त उपलब्धि हासिल की है। सिएटल में असफलता और 11 सितम्बर की घटना के बाद गंभीर संकट से ग्रस्त सम्पूर्ण पूंजीवादी जगत विकासशील देशों के बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने अपनी कार्यसूची की जोर-शोर से पैरवी की तथा हमारे पास आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इस कारण क्या है ? इसका कारण है कि हम सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर अलग-थलग रहे। हमारे पास कोई नीति नहीं थी। हमारी वार्त्ता नीति का विकास नहीं किया गया था। यह इतनी परिपक्व नहीं है कि यह विकसित देशों का मुकाबला कर सके। अर्थव्यवस्था, कानून, कृषि और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आगलों पर विचार करने के प्रयोजन से हमारे पास उल्लेखनीय कोई विचार पद्धति नहीं है।

अब समन्वय के आरम्भिक प्रयासों के बाद, हमारे समन्वयकर्त्ता ने हमें आखिरकार छोड़ दिया है। क्यों ? इसके विश्लेषण की आवश्यकता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों, विकसित देशों, समूह 77 तथा अन्य संगठनों का नेतृत्व किया है। भारत को क्या हुआ ? पोखरन के बाद की स्थिति में कई पड़ोसी देश और दूसरे विकासशील देश संयुक्त राज्य अमरीका और इसके सहयोगियों के दबाव में भारत के निरंतर आत्मसमर्पण के कारण इसपर विश्वास नहीं करते थे। किसी ने हमपर विश्वास नहीं किया तथा हो सकता है। छोटे देशों के प्रति अनुदारपूर्ण रवैए के कारण पड़ोसी देशों ने उपयुक्त समय पर हमारा साथ छोड़ दिया। हम अकेले पड़ गए।

परंतु इन सभी वर्षों में हम इतने देशों के साथ कैसे समन्वय करते रहे ? इन सभी मित्रों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। इसके विश्लेषण की आवश्यकता है। हमने कुछ ऐसे क्षेत्रों में आत्मसमर्पण किया है। जिनमें देश की सार्वभौमिकता निहित है।

सभापति महोदय : मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि आपने आधे घंटे का समय लिया है।

श्री रूपचन्द पाल : मैं दस मिनट समय और लूंगा तत्पश्चात् अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप पहले ही आधा घंटा ले चुके हैं। अभी कई सदस्यों को बोलना है जबकि इसके लिए केवल तीन घंटा आवंटित किए गये हैं।

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : महोदया, हम माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं। परंतु उनमें यहां खड़ा होकर 'नहीं' कहने का साहस होना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : निवेश और व्यापार नए मुद्दे है। भारत उन्हें व्यापार मुद्दे नहीं मानता है। फिर भी हमें इसपर सहमत होना है। आखिरकार क्या होगा ? मुझे इसका उत्तर चाहिए। यदि आप पर निवेश, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और खरीद जैसे नए सिंगापुर मुद्दों पर सहमत होने के लिए दबाव डाला जाता है तो आप अपने वीटो का उपयोग करेंगे ? ये देश के सार्वभौम अधिकार है। इन मुद्दों को घरेलू नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप क्या करेंगे ? एक प्रश्न यह भी है। क्या आप मतदान की मांग करेंगे। डब्ल्यू०टी०ओ० में कभी भी मतदान नहीं हुआ है। सभा को इसके बारे में सूचित किया जाए कि ऐसी स्थिति में आपका रवैया क्या होगा। क्योंकि सिंगापुर में रखे गए ये चार मुद्दे हमारी सार्वभौमिकता के लिए महत्वपूर्ण हैं। वस्त्र के मामले में क्या हुआ है ? स्पष्टतया नहीं कहिए। पर्यावरण के मामले में क्या होगा ? पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के नाम पर हमारे उत्पादों को उनके बाजार में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। हमारे द्वारा कल्पित इन हानियों की क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे ?

कृषि के मामले में उन लोगों ने वायदा किया है कि वे राज सहायता में कटौती करेंगे। आप आगामी दो वर्षों में इस मुद्दे का सामना कैसे करेंगे ? तत्पश्चात् पाटन रोधी उपबंधों के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका ने आश्वासन दिया है कि पाटन रोधी उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए वह कड़े कदम उठाएगा। ट्रिप्स के मामले में यह स्वीकार किया गया है कि इसकी भावी व्याख्या में बासमती, अल्फांसो आम और दार्लिंलिंग की चाय शामिल होगी। आप इसपर वार्ता कैसे करेंगे ? तत्पश्चात नीम और हल्दी जैसे उत्पादों के मामले में जैव-चोरी के प्रति आश्वासन दिया गया है। दोहा वार्ता के बाद उत्पन्न स्थितियों का आप कैसे सामना करेंगे ?

सभापति महोदय : कई सदस्यों को बोलना है।

श्री रूपचन्द पाल : मैंने बहुत समय नहीं लिया है। मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सामान्यत: शुरूआत करने वाले को अधिक समय दिया जाता है।

सभापति महोदय : शुरूआत करने वाले के लिए पैंतीस मिनट पर्याप्त समय है।

श्री रूपचन्द पाल : हमारे सामने नई स्थिति पैदा हुई है। डब्ल्यू०टी०ओ० समझौता को विस्तृत और व्यापक किया जा रहा है। हमने देखा है कि समझौते के प्रत्येक दौर में नए मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रों की सार्वभौमिकता को प्रभावित करने वाले इन मूलभूत और नए मुद्दे को शामिल किया गया है। आप इनका सामना कैसे करेंगे ? आप कम समय में अपने मित्रों तथा समान विचार वाले देशों को कैसे संगठित करेंगे ताकि जब हम अगली बार बैठक में आए तो विकसित देशों के दबाव का प्रतिरोध करने के लिए हमारे पास और अधिक मित्र, ज्यादा साझा कार्यक्रम तथा अधिक शक्ति हो ?

अंत में आपने कहा है कि डब्ल्यू०टी०ओ० नियम आधारित नहीं है बल्कि यह शक्ति आधारित है। चीन ने अपने प्रवेश के जरिए यह साबित कर दिया है कि यदि आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, तो आप सौदेबाजी कर सकते हैं। हमें आर्थिक सक्षमता की आवश्यकता है। यदि भारत के पास सौदेबाजी के लिए आर्थिक सक्षमता नहीं है तो भविष्य में भारत कहीं नहीं होगा।

मंत्री महोदय जी, आप देश की क्षमता का विकास कैसे करेंगे ? जब आप इस वाद-विवाद का उत्तर दें तो आप इसके बारे में सभा को बताएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब डा० राम कृष्ण कुसमरिया बोलें।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदया मेरे विचार से मेरा नाम सूची में है।

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित क्रमानुसार नाम पुकार रही हूं।

श्री खारबेल स्वाइं : मैं समझता हूं कि सूची में मेरा नाम है।

सभापति महोदय : सूची में आपका नाम है। आपका नाम पुकारा जाएगा। सूची में आपका नाम है। परंतु आपके दल द्वारा दी गई सूची के अनुसार आपका नाम तीसरे स्थान पर है।

श्री खारबेल स्वाइं : मेरा नाम सूची में है। मैं नहीं जानता कि यह तीसरे स्थान पर कैसे आया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप ऐसा क्यों कहते हैं ? मुझे आपके अपने दल के सचेतक द्वारा हस्ताक्षरित सूची प्राप्त हुई है। आप मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, आप पहले इन्हें बोलने दीजिए। मैं इनके बाद बोल लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप अपनी बारी छोड़ना चाहते हैं तथा उन्हें देना चाहते हैं, तो यह आप पर निर्भर है। आप अपनी बारी उन्हें दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम आपके पार्टी के संचेतक द्वारा हस्ताक्षरित सूची का ही अनुसरण करते हैं। डा० कुसमरिया का नाम पहले स्थान पर है। यदि श्री स्वाइं पहले बोलना चाहते हैं और यदि डा० कुसमरिया अपनी बारी छोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। श्री स्वाइं आप बोल सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदया, यदि आप मुझे अनुमति देंगी। तो मैं बोलूंगा।

सभापति महोदय : परंतु यह मत कहिए कि हमने क्रम बदल दिया है। आपके दल ने ही यह क्रम दिया है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदया जब श्री रूपचन्द पाल जैसे प्रमुख सदस्य द्वारा वाद-विवाद शुरू किया गया तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वह निश्चित रूप से कुछ नए मुद्दे उठाएंगे। परन्तु उन्होंने वही पुराने घिसेपिटे मुद्दे उठाए जो इस सदन में बार-बार उठाए गए हैं। इसी सभा में माननीय मंत्री जी ने इन मुद्दों का करीब दस बार उत्तर दिया है। उन्होंने कृषि, राज सहायता, मात्रात्मक प्रतिबंध और दवाइयों जैसे पुराने मुद्दे उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कई दिलचस्प बातें भी कही।

उन्होंने कहा कि यह विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा झटका है। *(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि दोहा दौर में काफी धक्का लगा। उन्होंने कहा कि कुछ प्रत्यक्ष लाभ के बावजूद भारत शक्तिशाली देशों के दबाव के आगे झुक गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे राष्ट्र की सार्वभौमिकता खतरे में है।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हम पश्चिमी मीडिया की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। पश्चिमी मीडिया भारत का किस प्रकार वर्णन करते हैं ? पश्चिमी मीडिया ने भारत को अनम्य प्रतिरोधवादी और

सौदा-दलाल बताया है। यदि हम उनके दबाव के आगे झुक गए तो उन्होंने हम पर इस प्रकार का आरोप क्यों लगाया ?

दूसरे माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल ने कहा है कि मंत्री महोदय ने विकसित देशों का पराक्रमी की तरह डटकर मुकाबला किया। हमने भी यही कहा है। अब वह कहते हैं कि माननीय मंत्री जी शूरवीर की भांति डटकर मुकाबला किया है। इसलिए वह खुश है परंतु वह इस बात से अप्रसन्न है कि हम दूसरे छोटे देशों तथा अल्पविकसित देशों का समर्थन नहीं जुटा सके। क्या ये दोनों बातें एक साथ नहीं कही गई है ? एक तरफ आप कहते हैं कि आपने शूरवीर की तरह उनका डटकर मुकाबला किया और दूसरी ओर आप कहते हैं कि दूसरों के प्रति अत्यधिक विनम्र रहे। ये दोनों बातें साधारणत: एक साथ बिल्कुल भी संभव नहीं है।

मंत्री महोदय को डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित करने वाला जनादेश उनके साथ था। उद्योग व्यापार सभी विपक्षी दल, सतारूढ़ दल, राजग के सहयोगी दल और हर कोई चाहता था कि मंत्री महोदय उनका डटकर मुकाबला करें और उन्होंने ऐसा ही किया। इसी कारण पाकिस्तान तथा जैसे अन्य देशों ने, जिन्होंने शुरू में हमारा समर्थन किया, आगे चलकर हमारा समर्थन नहीं किया।

वस्तुत: हम क्या चाहते थे ? हम तीन चार बातों की अपेक्षा कर रहे थे। प्रथम यह कि अमेरिका और यूरोप विकासशील देशों से आने वाले आयात को रोकने के लिए जिन संरक्षणवादी डपिंग रोधी कानूनों और नियमों का उपयोग करते हैं उनका उदारीकरण होना चाहिए। दूसरे यूरोप, जापान और अमेरिका चरणबद्ध तरीके से अपनी कृषि राज सहायता को समाप्त रहे हैं। तीसरे आम जनता के स्वास्थ्य संबंधी अति आवश्यकता की स्थिति में उपभोक्ताओं का हित भेषज कम्पनियों के पेटेंट अधिकार से ऊपर होना चाहिए। चौथे अमेरिका और यूरोप विकासशील देशों से आयातित वस्त्रों और श्रम साध्य अन्य उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला शुल्क को कम करेंगे। उससे विकासशील देशों से धनी देशों को कुशल कारीगरों के आगमन में सहायता मिलेगी। भारत ने इन प्रमुख कारणों को लेकर संघर्ष किया है। हमें क्या मिला है ?

कार्यान्वयन के संबंध में, भारत कार्यान्वयन के बकाया मुद्दों के प्रति अपनी चिंता को घोषणा में दर्ज करवाने में सफल रहा और इसे 'कार्यक्रम' का हिस्सा बनवाया। यह एक उपलब्धि है। राष्ट्रीय सरकारों को अनुमति दी गई कि वे स्वास्थ्य की आपात कालीनता और महामारी की स्थिति में पेटेन्ट अधिकारों का उल्लंघन कर सकेंगी। यह भारत और अल्पविकसित देशों के प्रतिकूल नहीं है। बल्कि यह अमेरिका के दवा उत्पादकों के विरुद्ध जाता है। उन्हें बहुत दुख हुआ कि अमेरिका को अविकसित देशों के दबाव के आगे झुकना पड़ा। भारत अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका बल्कि इसका उलटा हुआ।

श्री रूपचन्द पाल पेटेन्ट समिति के सदस्य भी हैं। उन्हें पता है कि हमने कैसे संघर्ष किया है; हमने अनिवार्य लाइसेंस खंड को बनाये रखने के लिए कैसे संघर्ष किया है, हमने किसी भी बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनी को भारत में प्रवेश करने को रोकने के लिए समिति में कैसे संघर्ष किया है; और हमने लोगों को वाजिब कीमत पर दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कैसे संघर्ष किया है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं। यह सब संसदीय समिति की कार्यवाही का अंश है अत: प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने से पहले हमें संसद में उनका उल्लेख करने की अनुमति नहीं है।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं उसके सविस्तार में नहीं गया। मैंने मोटे तौर पर ही बोला है।

सभापति महोदय : श्री स्वाइं, कृपया संसदीय समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख न कीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं : ठीक है, मैडम।

केवल यह सच नहीं है कि भारत वहां पराजित हुआ बल्कि अमेरिका और यूरोप अपने उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाये। मैं माननीय मन्त्री को भारत के लिए इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु बधाई देता हूं। लेकिन इससे हमारे औषधि निर्माताओं को भी कुछ परेशानी हो सकती है जो कि 'रिवर्स इंजीनियरिंग' की प्रक्रिया से बहुत अधिक मात्रा में सस्ती दवाओं का उत्पादन करते हैं। वे इसे अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं लेकिन इससे हमारे औषधि उत्पादक परेशानी में पड़ सकते हैं।

मेरी पांचवीं बात कृषि, बाजार पैठ की पुनरीक्षा के लिए कार्यक्रम धनाढ्य देशों द्वारा अंतत: सहायता और राजसहायता को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के संबंध में है। जो भी हो शुरूवात तो निश्चित रूप से हो चुकी है। उस दिन मंत्री महोदय कह रहे थे कि हम राजसहायता देना चाहें तो 42,000/ करोड़ रुपये तक जा सकते हैं। क्या हमारे पास इतना पैसा है ? यह कहना बहुत आसान है कि अमेरिका के बराबर राजसहायता कैसे दी जाए, लेकिन क्या भारत के लिए यह कहना संभव है ? क्या हमारे पास इतना धन है कि हम भारत के 70 प्रतिशत लोगों को राजसहायता प्रदान कर सकें जो कि किसान हैं। यह संभव नहीं हो सकेगा। इस मामले में हमें और अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। केवल बात करने से हमें कोई उपलब्धि नहीं होगी। राज सहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से भारतीय किसानों को थोड़े ही समय में ही निर्यात बाजार मिल जाएगा।

पर्यावरण में बदलाव लाने के संबंध में मेरा कहना है कि यूरोपीय संघ को वार्ता के लिए राजी किया गया था लेकिन अब भी कोई महंगे मानकों की बात नहीं कर रहा है। बहुपक्षीय ऋणों के मामले में भारत प्रकार के मानकों का सामना कर रहा है। इस मामले में केवल बात चीत से ही विकासशील देशों को मदद मिल सकती है जिसका एक सदस्य भारत भी है। भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ प्राप्ति होगी।

[श्री खारबेल स्वाइं]

मैं सभा से दूसरा सवाल करता हूं। क्या हमें पर्यावरण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए ? क्या यह भारत के भविष्य के में रूकावट नहीं डालेगा ? क्या हमें ऐसा नहीं कहना चाहिये। बल्कि मैं यह कहूंगा कि भारत को पर्यावरण के मुद्दों में बहुत अधिक रूचि लेनी चाहिए, अन्यथा इसकी उपेक्षा करने पर, मैं कहता हूं कि भारत अपनी बढ़ती हुई आबादी को 10 या 15 या 20 वर्ष बाद भोजन नहीं दे पायेगा।

अब, मैं प्रतिस्पर्धा और सिंगापुर से संबंधित अन्य मुद्दों की बात करूंगा। भारत गैर व्यापारीय मुद्दों पर समझौता को भारत गैर व्यापारिक मुद्दों के संबंध में वार्ता को दो वर्ष तक स्थगित करने में सफल रहा। गलती से या जानबूझकर श्री पाल ने यह उल्लेख नहीं किया कि स्पष्ट सहमति के संबंध में एक खण्ड है। इससे संबंधित संकल्प दो वर्ष बाद होने वाले पांचवे मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन में ही पारित किया जा सकेगा। यदि कोई स्पष्ट सहमति है तो वह है वीटो। जब भारत और अल्पविकसित देशों के हाथ में हो तो हम 'सुपर पावर' देशों के सामने पराजित कैसे होंगे ? हम पराजित नहीं हुए हैं।

'एन्टी डंपिंग' के बारे में मेरा कहना है कि अमेरिका उन कानूनों का पुनरीक्षण करने को सहमत होता है जिनका प्रयोग विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने में किया जा सकता है। इस बार की बहस निश्चय ही, भारत और अल्पविकसित देशों के पक्ष में गई है।

वस्त्र और पोशाक के मामले में अग्रिम कोटा की मांग नकार दी गई है। मैं मानता हूं कि इसे मना कर दिया गया है। इस मामले को विश्व व्यापार संगठन पैनेल के पास भेजा गया था लेकिन मैं इससे भी सहमत हूं कि इससे भारत को अधिक नुकसान नहीं होगा क्योंकि कोटा 2005 में समाप्त होने वाला है। कोटा केवल चार वर्षों के लिए है। अत: इससे हमारे देश को बहुत अधिक हानि नहीं होने जा रही है।

अपराह्न 3.52 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

अन्तत:, हमने दूसरी उपलब्धि भी प्राप्त की है। वह यह है कि इससे दस कारीगरों को विकासशील देशों से धनी देशों की ओर जाने में मदद मिलेगी। मंत्री महोदय की यह दूसरी उपलब्धि है। भारत को भारी सफलता मिली है और वास्तव में हमने दोहा में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है।

मुझे इस संबंध में कुछ सुझाव देने हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हम अलग कैसे पड़ गए। मेरे विचार में हमें अपनी शैली बदलनी होगी। ब्राजील को बातचीत में मनाना अत्यन्त कठिन है लेकिन उसे हमारी तरह नापसन्द नहीं किया जाता है। कोई नहीं कहता कि वे हठी और सौदेबाज हैं। वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि अन्य विकासशील और अल्पविकसित देश हमारा साथ दें तो सौदा करने के हमारे तरीके में बदलाव आना चाहिए।

वास्तव में क्षेत्रीय विशेषज्ञ (सेक्टोरल एक्सपर्ट्स) अर्थशास्त्रियों, व्यापार प्रशासकों और वकीलों जो भारतीय वार्ता की नीति और उसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली विशिष्ट वार्ता के लिए सतत् बौद्धिक सहायता देंगे, की एक बहुविषयक टीम गठित की जानी चाहिए। दोनों नीतियों के लिए सतत् सहायता देगा विशेषज्ञ होने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल नौकरशाही ही इस काम को अच्छी तरह नहीं कर पायेगी। कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए, वे सरकार के क्षेत्र से भी हो सकते हैं। नौकरशाही से बाहर भी अनेक विशेषज्ञ है विश्व व्यापार संगठन के विशेषज्ञ, और अर्थशास्त्री हैं। उन्हें भी शामिल किया जा सकता हैं और उनसे सुझाव भी लिए जा सकते हैं। अन्य देशों के साथ बातचीत के दौरान भी उन्हें साथ ले जाना चाहिए।

वे वहां हमारे साथ होने चाहिए ताकि वे अपनी जानकारी हमें दे सकें।

हमें विशेषकर अमेरिका के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के विकल्प को खुला रखना चाहिए। अमेरिका कुछ लोगों के लिए परियाह हो सकता है। लेकिन यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा खरीददार है और भारत के लिए यह सबसे बड़ा खरीददार हो सकता है। अत: हमें उसके साथ द्विपक्षीय समझौता करना चाहिए।

हम विश्व व्यापार संगठन से जोरशोर से संघर्ष कर रहे थे। उस समय, प्रारम्भ में सभी छोटे देश हमारे साथ थे। उन्होंने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की। हमने ऐसा नहीं किया। हम कहते हैं कि हम इसके विरूद्ध संघर्ष करेंगे। हम संघर्ष करते रहे और उन्होंने सौदा कर लिया। इसलिए अन्तत: वे सफल रहे। सचमुच यदि हम असफल रहे और इससे सभी विकासशील देशों का नुकसान है तो अन्य विकासशील देश शांत क्यों रहे ? क्योंकि उन्हें लाभ हुआ। उन्हें अमेरिका या यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौते से लाभ हुआ। हमें अपने विकल्प खुले रखने चाहिए। हमें बातचीत करनी चाहिए। बातचीत सरकारी और गैर सरकारी होनी चाहिए। यह दोनों स्तरों पर की जा सकती है।

एक दूसरा कटु सत्य है। हम टैरिफ की बात करते हैं। हम सदैव कहते हैं। कि टैरिफ की दरें बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अन्य देशों से कोई कृषि उत्पाद या अन्य उत्पाद न आने पाये। लेकिन यह भी सत्य है कि इस समय भारत में टैरिफ की दरें संसार में सबसे अधिक है। अत:, क्या इससे सौदा करने के अधिकार में कमी नहीं होगी क्योंकि भारत आने वाली किसी भी वस्तु पर हमने इतना अधिक टैरिफ लगा दिया है ? इसी से हमारी सौदा करने की शक्ति भी कम हो गई है। मैं मंत्री महोदय और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन टैरिफ की दरें बढ़ाने से ही भारत को भविष्य में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी।

हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमारी प्रतिस्पर्धा, सरकार द्वारा खरीद, जैव विविधता सुरक्षा, पेटेन्ट अधिनियम जैसे घरेलू कानून शीघ्र पारित हों। अनेक माननीय सदस्यों का कहना है कि इसमें जल्दी क्या है ? हमें ऐसे विधेयकों को क्यों पारित करना चाहिए। मेरा सोचना है कि इस प्रकार के विधेयकों को न पारित करके 'विश्व फोरम', विश्व व्यापार संगठन में हम नुकसान में है। अन्य देश हमारे अपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं : "यदि आप इन विधेयकों को पारित नहीं करते तो आप पूर्णत: हठी हैं।" हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। अत: हम चाहते हैं कि ये विधेयक जितनी शीघ्रता से पारित किया जाए देश के लिए उतना ही बेहतर होगा।

पर्यावरण, विनिवेश प्रतिस्पर्धा और श्रम मानक जैसे विवादास्पद मुद्दों पर हमें सकारात्मक रूप से सोचना होगा। हमें पर्यावरण के बारे में सोचना है। हमें श्रम मानकों के बारे में सोचना है। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि भारत से बाल श्रम की समस्या को दूर करें ? क्या यह हमारा लक्ष्य नहीं है ? क्या हमें यह नहीं करना चाहिए। यदि कोई श्रम मानकों के बारे में कोई बात करता है और उसका आशय बाल श्रम से हो तो हमारा यह प्रयत्न और राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए कि बाल श्रम को समाप्त करें। इसलिए मेरा मानना है कि इससे हमें एक अवसर मिला है। विश्व व्यापार संगठन ने हमें अवसर दिया है कि राष्ट्र पर लगे इसे धब्बे को समाप्त किया जाए अंतत: भारत चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है उसके साथ सह-अस्तित्व की भावना पर चल सकता है। चीन एक शक्ति है। 16 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया है। यदि हम चीन के साथ मिलकर चलें तो मेरे विचार में बहुत सी ऐसी बातें है जो दोनों देशों के हित में हैं हम चीन के साथ हो सकते हैं और उसके साथ द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं। मेरे विचार से बहुत सी बातें दोनों ही देश के लिए हितकर हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

हम भारत के लिए भी ये सारे लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मन्त्री श्री मारन और श्री रूडी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अन्त में मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि विश्व व्यापार संगठन एक अवसर है और इसने भारत को 'सुपर पावर' बनने का मौका दिया है। यही वह समय है जब हमें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए और हमें बातचीत में दक्षता बरतनी चाहिए। इस प्रकार इस सहस्राब्दी में, श्री अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत एक 'सुपर पावर' बन जाएगा।

श्री मणिशंकर अय्यर : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि 10 नवम्बर, 2001 को दोहा में श्री रूपचंद पाल ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने उस सम्मेलन से पहले उसी प्रारूप घोषणा को "न निष्पक्ष, न न्यायपूर्ण" बताया था। उन्होंने इसे 'अर्थहीन' कहा जबकि प्रारूप के विशेषज्ञों ने दावा किया था कि कार्ययोजना में विकासशील देशों की आवश्यकताओं और हितों का सर्वाधिक ध्यान रखा गया है।

इससे पहले माननीय मंत्री ने 'द हिन्दू' के सी० रामामनोहर रेड्डी को दिए साक्षात्कार में इस प्रारूप को एक 'बम के गोले' की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था, "यह एकता ऐसी होश उड़ा देने वाली घटना है जिसमें विकासशील देशों के हितों के बारे में विचार नहीं किया गया है।" 22 नवम्बर को लोक सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें सदस्यों को यह सूचित करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि "हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "मंत्रिय घोषणा में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।"

इसे देखते हुए मंत्री महोदय में असाधारण परिवर्तन आया लगता है। उन्होंने 14 नवम्बर को दोहा में विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन की समापन सभा में कहा था कि, "यह घोषणा भारत की चिंताओं और मांगों को विधिवत् रूप से प्रस्तुत करने में असफल रही है।" भारत लौटने पर उन्होंने 'फ्रंटलाईन' के सुकुमार मुरलीधरन को कहा कि, "कार्यसूची तय करने में विकासशील देशों की कोई भूमिका नहीं है एक शासक निकाय का उदय हो रहा है – यह एक सकमर्क क्रिया है – एक शक्ति-आधारित निकाय।" श्री रूपचंद पाल ने इसे भी उद्धृत किया था।

माननीय मंत्री हमें क्या समझाना चाहते हैं ? क्या हमें कहें कि 'प्रोटो मारन' में और 'देवतेनो मारत' में बहुत अंतर है ? क्या हम यह कहें कि एक 'मारन मार्क-I' हैं और एक 'मारन मार्क-II' हैं ? क्या आप हमें यह कहना चाहते हैं कि एक मारन 'प्री-दीपावली' हैं और एक 'पोस्ट दीपावली' मारन हैं इसमें स्पूर्णत: विरोधाभास है। ये वही हैं जिनके कहे शब्द हर भारतीय के दिल में गूंज रहे हैं कि प्रारूप मंत्रीय घोषणा 'न निष्पक्ष है और नहीं न्यायपूर्ण।' उनके कहे शब्द प्रत्येक भारतीय के दिल में गूंज रहे हैं कि शक्ति का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि, "यह सभी भारतीयों के दिलों में गूंज रहा है कि हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जैसा कि किया जाना चाहिए।"

अचानक, यह आतंकवाद के इस व्यापार ने थोड़े ही समय में बहुत प्रगति कर ली है और बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। अत: श्री मारन ने अपने विचार क्यों बदल लिए इसका पता लगाने का एक ही रास्ता है कि प्रारूप मंत्रीय घोषणा जिसकी उन्होंने निन्दा की थी, की तुलना अंतिम घोषणा जिसका उन्होंने स्वागत किया है से की जाए।

प्रारूप और उसके अंतिम घोषणा की तुलना करने पर यह पता चलता है कि प्रारूप घोषणा के 45 पैराओं में से 37 पैरा अंतिम घोषणा में ज्यों के त्यों रखे गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

अंतिम घोषणा में प्रारूप घोषणा के 45 पैराओं में से 37 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 45 पैराओं में से मात्र 8 पैराओं

[श्री मणिशंकर अय्यर]

में ही संशोधन किया गया है और 7 नए पैरए जोड़े गए हैं। इन आठ संशोधित पैराओं को देखने से पता चलता है कि इनमें से प्रारूप घोषणा के तीन पैरा 9वां, 10वां और 16वां पैरा हमसे संबंधित नहीं है यह अल्प विकसित देशों और नए सदस्यों से संबंधित है। इस प्रकार, इन आठ में से तीन पैरा तो वास्तव में हमसे संबंधित ही नहीं हैं। इनमें से प्रारूप घोषणा के 31वें पैरा में मामूली संशोधन किया गया है। अंतिम घोषणा में यह कहा गया है कि, व्यापार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े मुद्दों पर विचार सामान्य परिषद् का कार्य समूह करेगा न कि सामान्य परिषद्। यह एक मामूली प्रक्रियात्मक परिवर्तन है।

आठ पैराओं में से शेष चार में भी संशोधन किया गया है। मैं प्रारूप घोषणा के पैराग्राफ संख्या 6, 8, 20 और 27, का उल्लेख करूंगा, जिनमें संशोधन किया गया है किन्तु वे पूरी तरह से हमारे हितों के विरुद्ध हैं। यह संशोधन हमारे काम का नहीं है। इससे हमें हानि पहुंचती है। मैं स्पष्ट करता हूं क्योंकि इसे समझना बहुत ही जरूरी है। संशोधन केवल आठ पैराओं में किए गए हैं, इनमें से आधे परिवर्तन हमारे विरुद्ध हैं और इसीलिए मैं इसका कारण स्पष्ट करूंगा। मूल पैरा 6 के मुख्य वाक्य को लें। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कृपया मुझे स्पष्ट करें कि वे इस वाक्य को हटाने के लिए सहमत क्यों हो गए। इसमें कहा गया है : ''हम यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हैं कि – स्वास्थ्य, सुरक्षा, 9 पर्यावरण सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जाने वाले उपायों का उपयोग संरक्षणात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।'' प्रारूप घोषणा के कुछ बहुत ही बढ़िया वाक्यों में से यह एक है और श्री मारन इस वाक्य को हटाने के लिए सहमत हो गए।

मैं उनका ध्यान प्रारूप घोषणा के पैरा संख्या 8 की ओर दिलाता हूं जिसमें हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा वाक्य है जिसे अबोधगम्य कारणों के चलते, श्री मारन उसे अंतिम घोषणा से हटाने के लिए सहमत हो गए। इसमें कहा गया है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए – इसमें कहा गया है कि : ''अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 'मुख्य श्रम मानक', इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर ठोस वार्तालाप के लिए समुचित मंच प्रदान करता है।'' इसी वाक्य में हमारी सभी सामाजिक समस्याओं का हल निहित है और श्री मारन ने इसे ऐसे हटा दिया जैसे मूसलाधार बारिश में कोई अपनी ऊपर से छतरी को हटा दे। वे इस वाक्य को हटाने के लिए सहमत क्यों हुए ? इस वाक्य में गलत क्या है ? इस वाक्य में अपमानजनक क्या है ? श्री मारन इस बात के लिए सहमत क्यों हुए कि प्रारूप घोषणा के उत्तम वाक्यों में से एक इस वाक्य को हटा दिया जाए ? और श्री खारवेल स्वांई चाहते हैं कि मैं यह विश्वास कर लूं कि अमरिकी श्री मारन के दबाब में काम कर रहे थे जबकि श्री मारान अमरिकी दबाब का सामना कर रहे थे।

तीसरा वाक्य 20वें पैरा में है। प्रारूप घोषणा में ''संभव'' बहुपक्षीय संरचना की बात कही गई है। दूसरे शब्दों में, इसमें बहुपक्षीय संरचना पर कोई सहमति नहीं थी। संभवत: पैराग्राफ संख्या 20 में ''संभव'' बहुपक्षीय संरचना का वाक्यांश था और अब यह बदल चुका है। यह व्यापार सुविधा के क्षेत्र में है ताकि ऐसी संरचना के लिए मामले की पहचान की जा सके। यदि आप यह कहे कि 'बहुपक्षीय संरचना के लिए मामले की पहचान', तो आप यह तर्क क्या देते हैं कि इसका व्यापार से कुछ लेना-देना नहीं है ? कम से कम प्रारूप में जब 'संभव' शब्द का प्रयोग किया गया तो आप एक अलंभव स्थिति से तो उबर सकते थे; किन्तु भाषा में इन परिवर्तनों से सहमत होकर श्री मारन ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। हम इससे किसी भी तरह बच नहीं सकते।

पैरा 27 में भी इन्होंने चौथे वाक्य में संशोधन की सहमति दी है, अंतिम घोषणा में विभिन्न वाक्यांश और वाक्य शामिल किए गए हैं, जो व्यापार संबंधी पर्यावरणीय उपायों के पक्ष में विकसित देशों के तर्क को पुन: बहाल करने का प्रभाव रखते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री खारबेल स्वांई इसे ध्यानपूर्वक सुनें। वे इनका प्रयोग संरक्षणात्मक उपायों के रूप में कर सकते हैं और करेंगे। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस बात पर आपत्ति है कि कोई अमरिकी या अन्य कोई व्यक्ति हमें यह बताये कि हमारे पर्यावरण का स्तर क्या होना चाहिए। फिर वे ये बताते हैं कि इन पर्यावरणीय स्तरों का हम पालन कैसे करें, जिनका अनुपालन हम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं कर रहे हैं तथा घोषणा कर रहे हैं कि ऐसी नहीं है; और इस प्रकार के उस देश में जाने वाले हमारी वस्तुओं को रोकते हैं। समझिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा पर्यावरण सुरक्षा की लेकर नहीं है। विकासशील देशों के निर्यात के विरुद्ध विकसित देशों के निर्यात गैर मुल्क बाधा के रूप यह पर्यावरणीय मानकों का प्रयोग है। श्री मुरासोली मारन ने वहां हमें नीचा दिखाया है।

सात अतिरिक्त पैरा जो या तो पूरी तरह से पुन: लिखे गये हैं या जोड़े गये हैं, जब हम इस पर आंएगे तो मैं विषयानुसार इस पर प्रकाश डालूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं इस गुप्त दस्तावेज की तुलना अंतिम घोषणा से करना चाहूंगा। सिंगापुर में हुई आधिकारिक बैठक के बाद और विभिन्न लोक मंचों से श्री मुरासोली मारन द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों के बाद, जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधि ने सामान्य परिषद् में अपने सहयोगियों के समक्ष भारतीय समस्याओं को रखा और तत्पश्चात् उन्होंने विशेष प्रारूपिय सुझावों के साथ इसे जारी रखा। श्री मुरासोली मारन के दोहा पहुंचने से तीन दिन पहले यह दस्तावेज जिसकी संख्या है, डब्ल्यू०टी०/जी०सी०/डब्ल्यू०/460 दिनांक 6 नवम्बर, 2001 को जारी किया गया। यह दस्तावेज जिनेवा में भारत के स्थाई मिशन के द्वारा जारी किया गया जिसमें जहां तक मेरी जानकारी है, प्रारूप मंत्रीय घोषणा में 38 सुझाव दिए गए थे। जब मैं 38 कह रहा हूं तो ये 38 प्रविष्टियां नहीं हैं। कई प्रविष्टियों में एक से अधिक संशोधन है। इसलिए मैंने सभी को गिनने का प्रयत्न किया है। भारत ने 38 प्रारूपीय सुझाव दिए किन्तु उनमें से 36 तुरंत अस्वीकृत कर दिए गए। हमारी यह स्थिति है। यही महाशक्ति की ममझौता वार्ता करने की योग्यता है। सबसे बड़ा धक्का इस बात से लगता

है कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा विकासशील देश है और जिसका मुझे, गैट सहित कई व्यापार मंचों पर प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अब उसका अंतरराष्ट्रीय सम्मान इतना कम हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसके 38 प्रारूप संशोधनों में से 36 को तुरंत अस्वीकृत कर दिया। अब हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच में, इस सभा में इस पीड़ा के साथ पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम विशेष और बड़ी उपलब्धियों के साथ लौटे हैं। महोदय, बाकी के दो पैरा भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए गए वे भी अंशत: स्वीकृत किए गए हैं। ये क्या था ? कृपया भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को पहचानिए। हमने क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव भेजे थे जिनमें सचिवालय ने कहा था कि ये क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत ने कहा, '' 'अहितिय' से 'महत्वपूर्ण' तक कोई परिवर्तन नहीं।'' माननीय मंत्री, श्री मुरासोली मारन को मैं हृदय से मुबारकबाद देता हूं। 'अहितिय' शब्द को बदलकर 'महत्वपूर्ण' कर दिया गया। उन्होंने दोहा में यही सफलता प्राप्ती का है। दूसरी बात यह है कि हमने व्यापार तथा पर्यावरण के संबंध में एक वाक्य को हटाने के लिए कहा था तथा वाले इस वाक्य को हटाने के लिए सहमत भी हो गए थे जो हमारे हितों के विरुद्ध था किन्तु इसके बदलें में उन्होंने यह आग्रह किया कि एक और वाक्य जो हमारे हित में है, उसे भी हटा दिया जाए। ये किस प्रकार की राजनयिक उपलब्धि है ?

मैं, माननीय मंत्री के वक्तव्य और अंतिम मंत्रीय घोषणा की तुलना भी करना चाहता हूं। मैं उस वक्तव्य की बात कर रहा हूं जो माननीय मंत्री ने दिनांक 22 नवम्बर को इस सभा में दिया था। मैं प्रारूप मंत्रीय घोषणा में जो कुछ कहा गया इसकी तुलना अंतिम मंत्रीय घोषणा से करना चाहता हूं, जिसे उन्होंने दोहा में बड़े ही सही तरीके से वर्णित किया था। भले ही यह पक्षपातपूर्ण व अन्यायपूर्ण था। उनका वक्तव्य मेरे पास है। 22 नवम्बर को पैरा संख्या 3 में, श्री मुरासोली मारन ने सभा को बताया था :

> ''पहली बार असमानताओं को स्वीकार करने में बड़ी प्राप्ति की गई।''

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जबसे 'गैट' अस्तित्व में आया तभी से विकासशील देशों के प्रति विशेष और अलग तरह का व्यवहार अपनाना इसका अभिन्न विचार रहा है जिससे इन देशों की असमानताएं दूर हो सके। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में, हम 'गैट' के अन्य मित्र सदस्यों को इस बात पर राजी करने में सफल रहे कि 'गैट' का एक अलग भाग, भाग-4 होना चाहिए जो सिर्फ विशेष और विभेदक व्यवहार से संबंधित हो। 'गैट' में विकासशील देशों की असमानताओं एवं समस्याओं की आवाज़ तो पिछले 34 वर्षों से न सिर्फ शब्दों में बल्कि कानूनी रूप में भी उठती रही है जबकि भारत के वाणिज्य मंत्री संसद की सभा में आकर यह कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ अर्थात् उक्त असमानता भी है जब हमें इस प्रकार की कोई आवाज पहली बार उठाई गई है।

हम इससे भी आगे चलकर देखें कि वह क्या बात थी जिसे दोहा में श्री मारन के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने मानने से इंकार कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में अब मैं अंतिम घोषणापत्र से उनके भाषण की तुलना कर रहा हूं। श्री मारन ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत के विशद् राष्ट्रीय हित में 5-6 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने विकास घाटे की अवधारणा प्रस्तुत की। विकास घाटे का जिक्र उनके भाषण में है। 6 नवम्बर का दस्तावेज जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, उसमें हमने अनुरोध किया था कि विकास घाटे का जिक्र किया जाना चाहिए। अंतिम घोषणापत्र में विकास घाटे का जिक्र कहां है ? मंत्री महोदय, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा प्रशांत महासागर से लेकर अतलांतिक महासागर तक फैले विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले आपके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने विकास घाटे के आपके विचार का समर्थन करने से इंकार कर दिया।

उन्होंने आपके निम्नलिखित सुझाव का समर्थन करने से भी मना कर दिया :

> ''व्यापार उदारीकरण से विशेषकर विकासशील राष्ट्रों में अभी भी अधिकांश गरीब जनता को लाभ नहीं पहुंच पाया है।''

यह स्वयंसिद्ध सच है। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सच है। यह बात बहुत ही प्रशंसनीय है और श्री मारन को इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाना चाहिए था। यह अति निन्दा का विषय भी है कि वे इस वाक्य को अंतिम समझौते में शामिल कराने हेतु अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों से थे, राजी करने में असफल रहे।

यह असाधारण ही है कि दोहा में उनके मंत्रीमंडलीय सहयोगियों ने यह स्वीकार करने से मना कर दिया कि :

> ''इस संबंध में और अधिक किए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी इस व्यवस्था से पूरी तरह तथा समान रूप से लाभान्वित हो सके।''

उनके सहयोगियों ने यह स्वीकार करने से मना कर दिया कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में ''और अधिक व्यापक और निष्पक्ष रूप से'' भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने श्री मारन की यह बात भी स्वीकार करने से मना कर दिया : ''कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास आयाम के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए।'' यह वाक्यांश अंतिम घोषणा पत्र में नहीं है। यह वास्तव में निराशाजनक है कि तथ्यत: ये सभी वाक्यांश बिना कोष्ठक वर्ग के सिएटल के मसौदा पाठ में मौजूद हैं। इसका अर्थ यह है कि बिना किसी विरोध के सिएटल में इन सभी वाक्यांशों पर सहमति हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इन्हें सिएटल के मसौदा पाठ से लिया। उन्होंने इसे मंत्रीमंडलीय सम्मेलन में रखा तथा मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में श्री मारन के इस बात को अस्वीकार कर दिया गया कि इन सभी वाक्यांशों को अंतिम घोषणापत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता है और हम इसे महान उपलब्धि बता रहे हैं।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

श्री मारन द्वारा 22 नवम्बर को दिया गया वक्तव्य जो मेरे पास है, उसमें से मैं एक दूसरा वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा।

उन्होंने कहा है : ''भारत ने व्यापार के साथ मुख्य (कोर) श्रम-मानदण्डों को जोड़े जाने पूरजोर विरोध किया है। घोषणापत्र में यह बात पुन: दोहरायी गयी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्य (कोर) श्रम-मानदण्डों की बात उठाने के लिए यथोचित मंच है।'' मैं नहीं जानता श्री मारन किस घोषणा-पत्र की बात कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास कोई गुप्त घोषणापत्र हो। परन्तु उन्होंने अपने वक्तव्य की प्रति के साथ एक, मंत्रिमंडली घोषणापत्र परिचालित किया है। मैंने इसे पढ़ा है। मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि श्री मारन ने इसे पढ़ा है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यह वक्तव्य उनके हाथ कहां से लगा। ठीक इसके विपरीत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है दोहा में प्रारूप घोषणापत्र के 8वें अनुच्छेद से यह वाक्य निकाल दिया गया है कि ''इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श हेतु विश्व श्रम संगठन एक उचित मंच प्रदान करता है।'' मुझे संदेह है कि उन्होंने दोहा जाने से पहले इस वक्तव्य को लिखा होगा, तथा यह भूल गए होंगे कि जिस वाक्य को उन्होंने वक्तव्य में शामिल किया था उसका जिक्र दोहा में नहीं हो सका। अन्यथा, यह बात समझ में नहीं आती कि एक वाक्य जिसका उल्लेख अंतिम घोषणापत्र में नहीं है उसके बारे में इस संसद में बताया जा रहा है और इसका उसमें उल्लेख होने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ वे ऐसा कैसे कर सकते हैं ? दोहा के मंत्रिमंडलीय घोषणापत्र में क्या किया गया है, इसपर गौर करें। दोहा में, मंत्रियों ने ''वैश्वीकरण के सामाजिक पक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन चल रहे कार्य पर विचार किया।'' इसका जिक्र अंतिम घोषणापत्र के अनुच्छेद 8 में किया गया है। इस कमजोर, अनुपयुक्त व महत्वहीन वाक्य को इस सभा के सामने बढ़ा-चढ़ाकर दावा करते हैं कि भारत ने व्यापार के साथ मुख्य श्रम मानदण्डों को जोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया तथा यह कि घोषणापत्र में इसकी पुन: पुष्टि की गयी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्य श्रम-मानदण्डों को उठाये जाने का उचित मंच है।

सभापति महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, आप समाप्त करने के लिए कह रहे हैं जबकि अभी मैंने शुरू ही किया है।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : महोदय, हमने कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तथा इनके लिए समय सीमा नहीं होनी चाहिए, खासकर उन सदस्यों के लिए जिन्होंने संबंधित विषय का अध्ययन किया है और इस प्रकार सभा को अपनी जानकारी से अवगत कराकर अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं जनता हूं, परन्तु इसके लिए सिर्फ 3 घंटे का समय आबंटित है तथा कांग्रेस की ओर से बोलने वाले और भी सदस्य हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : हम समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : मैंने सिर्फ यही कहा कि ''कृपया समाप्त करें''।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मेरा अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो हम समय को बढ़ा सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, इस स्थिति में मुझे भी कुछ और समय दिया जाना चाहिए था।

श्री मणिशंकर अय्यर : आपको हमारे पक्ष में होना चाहिए था। तब श्री शिवराज पाटील आपके बचाव में होते। वहां आपके बचाव में कोई नहीं है। अत:, आप घाटे में हैं। आप इधर आ जाइए।

सभापति महोदय, श्री मारन के सम्पूर्ण वक्तव्य में सबसे अधिक चकित करने वाला वाक्य यह है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। ठीक इसी विषय पर श्री सुनील खां के गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर हुई चर्चा के दौरान मैंने उसे पढ़कर उन्हें सुनाया था। किन्तु चूंकि यहां उपस्थित सभी लोग उस वक्त उपस्थित नहीं थे इसलिए मैं उस वाक्य को पुन: पढ़ता हूं। ''घोषणा में कृषि के क्षेत्र में भारत की प्रमुख चिन्ताओं की पर्याप्त सुरक्षा की गई है।'' ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं जो सम्पूर्ण सत्तापक्ष की ओर से बोल रहे हैं तथा जोरदार दावा कर रहे हैं कि इस घोषणापत्र में कृषि के क्षेत्र में भारत के सभी हितों की पर्याप्त सुरक्षा की गई है। महोदय, मंत्री महोदय ने दोहा में अपने उद्घाटन वक्तव्य में जो कहा है वह इसके ठीक विपरीत है। उन्होंने विकसित राष्ट्रों के समक्ष तीन मुख्य मांगे रखी : (1) 'विकास की प्रक्रिया में कृषि को बड़े पैमाने पर घरेलू सहायता दिया जाना समाप्त करना'; (2) 'व्यापार को विकृत करने वाली अन्य राज सहायताओं को समाप्त करना'; (3) 'विकासशील देशों के कृषि संबंधी निर्यात के समक्ष आने वाली उपस्थित सभी अनुचित बाधाओं को दूर करना'। ये तीन प्रमुख मांगें भारतीय किसानों और भारतीय खेतिहर मजदूरों के हितों के पूर्णतया अनुकूल है। एक भारतीय होने के नाते मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है – इस तथ्य के बावजूद कि श्री मारन उस दल से संबंध रखते हैं जो गर्व से कह सकता है कि सत्ता पक्ष में कम से कम हमारा एक ऐसा मंत्री है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने बाहर जा सकता है तथा यह सच कह सकता है कि यह हमारी यह न्यूनतम मांग है।

परन्तु, महोदय, यथार्थ में क्या घटित हुआ है ? प्रारूप घोषणापत्र में कृषि पर एक परिच्छेद था। अंतिम घोषणापत्र में वह परिच्छेद अर्द्धविराम और पूर्णविराम सहित शब्दश: ठीक वैसा ही है जैसा वह मसौदे में था। जब वे उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए इसे उपयुक्त बनाने के लिए इन सब बातों की जरूरत है। जब वे मंत्री जी द्वारा कहीं गयी एक भी बात को स्वीकार करने से इंकार

कर देते हैं तो वे वापस यहां आकर कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हमें पहले दे दिया है वह पर्याप्त है। यह क्या दुमुंही विदेशी व्यापार नीति है ?

दोहा में उन्होंने कहा कि हम अनुचित मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात उन्होंने कृषि में संबंध में कही थी। इसके बावजूद, घोषणापत्र में इस अनुच्छेद (पैरा) और उन्हीं शब्दों को बनाए रखी गया। हम अभी भी उन्हीं मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किन्तु माननीय मंत्री इस बात को भूल गए।

वास्तव में, मैं जानना चाहता हूं कि श्री मारन ने अचानक यह सब कैसे मान लिया। इस तरह आत्मसन्तोष करने व खुशफहमी में रहने अर्थात् कृषि के मामले में हमारे हितों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है के बजाय इस सभा में हमें खासकर सत्ता पक्ष को यह वास्तविकता स्वीकार करने की जरूरत है कि दोहा सम्मेलन से पूर्व और पश्चात् का कृषि संबंधी परिदृश्य एक समान ही है। वे सभी वाक्यांश जैसे व्यापक वार्त्ताएं, बाजार में पहुंच में पर्याप्त सुधार, निर्यात राज सहायताओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, घरेलू राज सहायता में पर्याप्त कटौती, विकासशील देशों के प्रति विशेष एवं विभेदक व्यवहार, जिनसे आज वे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे है, उन सभी पर प्रारूप घोषणापत्र में उनके दोहा जाने से पहले ही सहमति हो चुकी थी। यदि श्री मारन 14 नवम्बर के पहले कृषि पर तैयार प्रारूप से इतने क्रुद्ध थे कि वे दोहा सम्मेलन को विफल करने पर उतारू थे तो आखिरकार उन्हें 14 नवम्बर को क्या हुआ कि वे पूरी तरह शांत हो गए ? कुछ भी नहीं। माननीय मंत्री ने दोनों जगह, इस सभा में श्री सुनील खां के संकल्प पर चर्चा के दौरान तथा दूसरे सदन में उनके वक्तव्य पर हो रही चर्चा के दौरान यह दावा किया कि वे चरणबद्ध तरीके से कृषि राज सहायता समाप्त करने की बात पर दोहा में विकसित राष्ट्रों पर हावी रहे। उन्होंने दोनों जगह यह बात कही। अभी-अभी उनके शागिर्द श्री खारबेल स्वाइं यह बताया कि कृषि राजसहायता का चरणबद्ध तरीक से समाप्त किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इन शक्तिशाली और विकसित राष्ट्रों को शोहराब अर्थात एक विकासशील देश के प्रतिनिधि के सामने झुकना पड़ा तथा अब वे अस्तभ अर्थात विकसित देश हार गए हैं।

श्री मारन ने अपने इस दावे के समर्थन में समाचार-पत्र 'एशियन बाल स्ट्रीट' का हवाला दिया है। वास्तविकता यह है कि विकसित राष्ट्रों ने इस वाक्यांश ''वार्ताओं के परिणाम क़ा पूर्व जांच परख के वगैर'' द्वारा अपने तथाकथित वचन को ढंक दिया है। इस प्रकार, 'वार्ताओं के परिणाम का पूर्व जांच परख किए वगैर' जैसे वाक्यांश को जोड़कर उन्होंने अपने सारे पत्ते अपने पास सुरक्षित रखे हैं तथा आपको मूर्ख बनाकर आपके सारे पत्ते अपने सामने खुलवा रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री पर हमें गुमराह करने का अरोप नहीं लगाना चाहता, बल्कि मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सभी तरह की राज सहायता को चरणबद्ध तरीक से समाप्त करना अंतिम घोषणा पत्र में शामिल नहीं है।

सभापति महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर आप पहले ही 30 मिनट का समय ले चुके हैं। अभी भी आप कितना और समय लेना चाहते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मुझे आधे घंटे का समय और चाहिए।

सभापति महोदय : आप आधे घंटे का समय पहले ही ले चुके हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : जी हां, महोदय। मुझे आधे घंटे का और समय चाहिए और मेरे विचार से हमारी पार्टी भी चाहती है कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए।

महोदय, विशेषरूप वे केवल बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से निर्यात राजसहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। हम घरेलू राजसहायता को निर्यात राजसहायता के साथ नहीं मिला सकते हैं क्योंकि कृषि हेतु कुल आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सहायता जो 326 बिलियन डालर है, में से बहुत कम निर्यात राजसहायता दी जाती है।

महोदय, इसलिए यदि वे सभी प्रकार की निर्यात राजसहायता को समाप्त करते हैं – मैं एक पल के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि वे ऐसा करेंगे – दोहा में अंतिम घोषणा के अंतर्गत हमें दी जा रही वैध सहायता के रूप में अभी भी सैकड़ों बिलियन डालर की सहायता मिलेगी। महोदय, जहां कृषि से केवल 2 से 3 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद होता है तथा जहां कृषि से केवल 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहां आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा घरेलू राजसहायता कृषि हेतु विश्वव्यापी घरेलू राजसहायता का 80 प्रतिशत से अधिक बनती है। मुझे ये आंकड़े श्री मारन से प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने राज्य सभा में दिए थे। मुझे उनसे ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं। केवल अमरीकी घरेलू सहायता जो कि 128 बिलियन डॉलर है भारतीय कृषि उत्पादन के कुल मूल्य जो 90 बिलियन डॉलर से कम है, की तुलना में कहीं अधिक है। महोदय, जैसाकि श्री खारबेल स्वाइं ने बताया है कि जिस सीमा तथा विश्व व्यापार संगठन ने सहायता देनी की अनुमति दी है। उस सीमा तक किसानों की सहायता करने हेतु हमारे देश में उत्पाद विशिष्ट राजसहायता नहीं दी जाती है, हमारी उत्पाद विशिष्ट राजसहायता नकारात्मक है, हमारी कुल राजसहायता अनुमत्य स्तर से कहीं कम है तथा हमारे पास संसाधन भी नहीं हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में हमें विदेशी घरेलू उत्पादन तथा उनमें कृषि निर्यात से प्रतिस्पर्धा करने हेतु हमारे कृषि निर्यात के लिए समान अवसर ढूंढने होंगे।

दीपावली से पूर्व श्री मारन को यह सब पता था तभी वे जब दोहा गए तो गुस्से में थे। दीपावली के बाद लगता है इन्हीं श्री मारन को कुछ याद नहीं है। वे बात भूल चुके हैं। यदि सरकार दोहा की विफलता की सच्चाई को नहीं मानेगी तो हम उनसे किस तरह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे हमारे किसानों तथा हमारे खेत मजदूरों की रक्षा हेतु सुधारात्मक कदम उठाएंगें अथवा हम विश्व व्यापार संगठन के मंचों में किस प्रकार विश्वास करेंगे ? महोदय, चाहे माननीय मंत्री

[श्री मणिशंकर अय्यर]

ने किसी समय मीडिया के कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया होगा लेकिन वे इस संसद को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं।

कृषि संबंधी समिति के तीन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन में, पर्यावरण का समर्थन करने वाले सदस्यों से धैर्य रखने का अनुरोध करने तथा खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के बारे में वही पुराने मुद्दों का जहां तक संबंध है, दोहा में कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है जिसका संबंध भारतीय किसान तथा भारतीय खेत मजदूर से है। जब श्री मारन खाद्य सुरक्षा में अपनी उपलब्धियों की डींग मार रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भूल गए कि मराकश में ही श्री प्रणव मुखर्जी जो तब हमारे वाणिज्य मंत्री थे, ने सुनिश्चित किया कि उपभोक्ता राजसहायता की गणना सहायता उपाय में नहीं की जाती है। इसलिए, विश्व व्यापार संगठन से हमारी खाद्य सुरक्षा को कभी कोई खतरा नहीं रहा है। चाहे श्री मारन के सहयोगी जो उस समय विपक्ष में थे और हम सत्ता पक्ष में, उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैंने उनके साथ बहस की थी कि हमारी खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सच तो यह है कि भारत में हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरा मंत्री महोदय, श्री शांता कुमार से है। वे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के संबंध में श्री मारन को विश्व व्यापार संगठन से किस खतरे का पता चला और उन्होंने उससे निपटने हेतु क्या उपाय किए हैं। क्या दोहा में उन्हें ग्रामीण विकास के लिए एक 'खोटा पैसा' भी मिला है ? वे किस तरह यह आशा करते हैं कि गांव में रहने वाले गरीब लोग उनके शब्दों से अपनी भूख मिटा सकते हैं ? ये सब दावे पूर्णत: गलत हैं और हम श्री मारन जैसे प्रतिभा संपन्न मंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जिनका मैं दोहा के आरंभ में जोरदार ढंग से आवाज उठाने के लिए अत्यधिक सम्मान करता हूं, से ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वे हमारे पास आकर हमें गुमराह करें लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि वे स्वयं को और अपनी सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं।

यह बात असाधारण नहीं हैं कि मंत्री महोदय के 22 नवम्बर के वक्तव्य में कपड़ा और परिधान का कोई उल्लेख नहीं है ? मंत्री महोदय क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ? दोहा में मंत्री महोदय ने कहा कि लघु उद्योगों सहित संवदेनशील उद्योग जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मंत्री महोदय ने यह कहा।

लेकिन दोहा में इस बर्बादी को रोकने हेतु कुछ नहीं किया गया। इसलिए मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में न तो कपड़ा, न ही परिधानों और न ही लघु उद्योगों का कोई उल्लेख किया। उन्हें लगता है कि जो वे भूल चुके हैं उसे हम भी भूल जाएंगे। लेकिन हम भूलते नहीं हैं। हम भूल नहीं सकते कि दोहा घोषणापत्र के उन सभी 52 पैराओं में कपड़ा, परिधानों अथवा भारत के निर्यात हित से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट औद्योगिक उत्पाद के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। यहां मैं इस्पात के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं, समाचार पत्रों के अनुसार जिस पर अमरीका भारत से आयात करने पर प्रतिबंध लगाने वाला है। हमारे पास केवल क्रियान्वयन संबंधी शानदान निर्णय है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि कपड़ा और परिधान संबंधी निर्णय में धारा के कौन से उपबंध संतोषजनक है ? जब भारत में विभिन्न मंचों पर मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे पता चला कि वे विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत ही नहीं अपितु समग्र विकासशील देशों की क्षमता का जिस तरह से आकलन हो रहा है उससे वे अत्यधिक असंतुष्ट हैं। मैं चाहता हूं कि वे ईमानदारी से यह बात स्वीकार करें कि हमें कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। हम उनसे शिकायत नहीं कर सकते हैं। इससे कपड़े के तथाकथित 'लघु आपूर्तिकर्त्ताओं' को लाभ हुआ था। यह वह श्रेणी है जिसमें भारत नहीं आता है। उसके सामने कुछ टुकड़े डाल दिए गए हैं। क्यों ?

महोदय, मैं चाहता हूं कि श्री स्वाइं इस बात को ध्यानपूर्वक सुनें। उन्होंने समूह 77 के देशों में फूट डालने के लिए ऐसा किया है। हमने विकासशील देशों के समूह के रूप में शुरूआत की थी। तब उन्होंने इसमें यह कहते हुए बदलाव करवाया कि उस समूह में कुछ देश हमसे अधिक विकसित हैं; इसके बाद उन्होंने कहा कि उस समूह में कुछ देश हमसे कम विकसित है; फिर उन्होंने कहा कि कुछ छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं; इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्था समुद्र आधारित है; फिर उन्होंने कहा कि कुछ देश की अर्थव्यवस्था हिम आधारित है और अब उन्होंने लघु अर्थव्यवस्था की अवधारणा शुरू की है। उन्होंने हमसे 'बूटी कबाब' जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है। श्री स्वाइं यहां उपस्थित हैं जो यहां आए और उन्होंने बताया कि श्री मारन ने अमरीका का डटकर मुकाबला किया और अमरीका ने श्री मारन की बात मान ली। यह किस तरह की विदेशी नीति की अवधारणा है ?

महोदय, अपने वक्तव्य में उन्होंने कृषि संबंधी टिप्पणी से मेल खाते हुए असाधारण टिप्पणी की है कि सेवाओं में 'नेचुरल परसनस्' के आवागमन पर मुख्यत: ध्यान दिया गया है। श्री मारन की यह टिप्पणी है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके दल का पूरा समय समाप्त हो गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

महोदय, श्री मारन कहते हैं कि सेवाओं में 'नेचुरल परसनस्' के आवगमन पर मुख्यत: ध्यान दिया गया है। मुझे आशा है कि आप मुझे इस वक्तव्य को बकवास कहने के लिए माफ कर देंगे। ऐसा उल्लेख नहीं है। मुझे डर है कि जब तक माननीय मंत्री इस बात को संतोषपूर्ण ढंग से स्पष्ट नहीं करते, हमे इस मामले में सभा को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में दोहा घोषणापत्र से एक वाक्य अथवा एक शब्द अथवा अपने संलग्न दस्तावेज उद्धृत कर सकते हैं जो उनके द्वारा किए गए दावे को सिद्ध कर सके ?

महोदय, मैं उस दस्तावेज से उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है :

"हम," अर्थात् दोहा में मंत्रीगण,

"शुरू किए जा चुके कार्य तथा 'नेचुरल परसनस्' के आवागमन के बारे में बड़ी संख्या में प्रस्तुत प्रस्तावों को मान्यता देना।"

दोहा घोषणापत्र में यही कहा गया है। अब तुलना कीजिए कि वे क्या कहते हैं और वे क्या कहने का दावा करते हैं। इसमें कहां कहा गया है। कि 'नेचुरल परसनस्' के आवागमन पर मुख्यत: ध्यान दिया गया है ?

महोदय, नि:संदेह माननीय मंत्री भी, दोहा में जिनका भाषण अन्यथा उत्कृष्ट था, दोहा के अपने आरंभिक भाषण में 'नेचुरल परसनस्' के आवागमन का व्यापक रूप से उल्लेख नहीं कर पाए। उन्होंने केवल पेशेवर लोगों के आवागमन के बारे में ही कहा ? क्यों ? उन्होंने केवल पेशेवर लोगों के आवागमन तक ही सीमित क्यों रहे हैं ? क्या भारत सरकार की केवल आई०आई०टी० तथा आई०आई०एम० स्नातकों में ही दिलचस्पी है ? क्या माननीय मंत्री को पता नहीं है कि देश में लाखों साधारण मजदूर, मेहनत कश मजदूर हैं जो रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं ? सच तो यह है कि चाहे वह पेशेवर हों अथवा मजदूर, माननीय मंत्री प्रारूप में पहले ही उल्लिखित घोषणाओं जिसकी उन्होंने स्वयं निंदा की है, के अलावा दोहा से कुछ भी सार्थक नहीं ला पाए हैं।

हम माननीय मंत्री को इस तरह से सभा को गुमराह नहीं करने देंगे। इसके बाद वे मामले पर टिप्पणी करते हैं जिसके बारे में श्री खारबेल स्वाइं को उतना ही पता है जितना मुझे और श्री रूपचन्द पाल को तथा जितना श्री मुरासोली मारन को पता होना चाहिए क्योंकि हम सभी पेटेंट संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य हैं और हम पिछले डेढ़ साल से उस मामले से जूझाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। श्री मारन के अनुसार,

" 'ट्रिप्स' तथा जन स्वास्थ्य के संबंध में एक पृथक महत्वपूर्ण घोषणापत्र एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें भारत की मुख्य भूमिका है। इसमें दवाओं की खरीद क्षमता तथा उसकी उपलब्धता एक सार्वभौमिक अधिकार है।"

पहली बात कि क्या माननीय मंत्री सभा को यह बताएंगे कि घोषणा पत्र के मुख्य भाग में ट्रिप्स तथा जन स्वास्थ्य के संबंध में पैरा शामिल करने की बजाय एक अलग घोषणापत्र क्यों बनाया गया ? दूसरा, क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या मूल 'ट्रिप्स समझौते का एक अर्द्ध विराम भी बदला गया है अथवा बदला जा सकता है ? आज भी ट्रिप्स में हमारे दायित्व वही हैं जो उनके दोहा जाने से पूर्व थे। इन दस्तावेजों से हमें केवल यही फायदा हुआ है कि हम इन उपबंधों की उदारतापूर्वक व्याख्या करने हेतु अपने सुविधाओं के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक शब्द को यहां तक कि एक अर्द्ध विराम को भी नहीं बदला जा सकता है। इससे केवल सुविधा स्तर में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी, जैसाकि श्री रूपचन्द पाल ने बताया है कि इसका लचीलापन केवल महामारी पर लागू होता है।

यह जनस्वास्थ्य प्रणाली के दैनिक रखरखाव पर लागू नहीं होता जिसे हमने भारत में इंदिराजी के कार्यकाल में 1970 के पेटेंट अधिनियम के सुरक्षित घेरे के भीतर बनाया था।

मैं उस समय पूर्ववर्ती मंत्री का निजी सचिव था और मैं संसद की सरकारी दीर्घा में बैठा था जब 1970 में संसद में पेटेन्ट अधिनिमय पारित किया जा रहा था। उस पेटेन्ट अधिनियम ने भारत को किसी भी विकासशील देश में उपलब्ध जन-स्वास्थ्य प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण और संतोषजनक जन स्वास्थ्य प्रणाली दी। अब यह समाप्त हो गयी है। यही बात आपके सहयोगी, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने बार-बार कही हैं। मेरे विचार से यह दावा कि सस्ती वहनीय कीमतों में उपलब्धता की अवधारणा को उद्घोषणा में शामिल किया गया है, गुमराह करने वाला विचार है। ऐसा नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बात बहुत पहले मान लिया था कि औषधियों की कीमतें वहनीय होनी चाहिए जबकि विश्व व्यापार संगठन 'उचित' मूल्य शब्द के अलावा किसी बात के लिए तैयार नहीं है। ट्रिप्स की घोषणा और जनस्वास्थ्य में 'वहनीय' शब्द का कही भी उल्लेख नहीं है। फिर किस आधार पर मंत्री यह बेतुका अतिश्योक्तिपूर्ण दावा कर रहे हैं कि 'वहनीयता' को 'सार्वभौमिक अधिकार' के रूप में मान्यता दी गई है ? वास्तव में घोषणा के मुख्य पाठ या अनुलग्नक में 'सार्वभौमिक अधिकार' का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

इस सभा को सरकार से सही और वास्तविक बात जानने का अधिकार है। इसमें विशेषाधिकार भी शामिल है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री के एकदम गलत और गुमराह करने वाले दावे के बारे में हम पूरा और सही स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने बचाव में 'द इकोनोमिस्ट' को उद्धृत न करें जैसा कि उन्होंने राज्य सभा में किया था क्योंकि उद्घोषणा में औषधियों की कीमतों के संबंध में एक मात्र उल्लेख इस वाक्य में आया है, 'हम कीमतों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में भी चिंतित है।' कीमतों की वहनीयता का उल्लेख कहीं भी नहीं हैं। उचित मूल्य का भी उल्लेख कहीं नहीं है। सभी मंत्रियों ने जो बात मानी है वह यह है कि पेटेन्ट के कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव पर कुछ चिंता व्यक्त की गई है।

सभापति महोदय : श्री अय्यर, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं आपकी बात मानते हुए अपना भाषण पूरा नहीं करता हूं। परंतु, कृपया मुझे जनस्वास्थ्य से संबंधित भाग को पूरा करने दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : कृपया कुछ उदारता बरतते हुए मुझे जनस्वास्थ्य पर अपनी बात समाप्त करने दीजिए 'ट्रिप्स' समझौते पर हमारी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 'थिरू' मारन द्वारा कहे गये वाक्य इस उद्घोषणा में दो बार प्रयुक्त हुए हैं।

उनके समेत सभी मंत्रियों ने अपनी सभी वचनबद्धताओं को दोहराया है। हमें बताया गया कि यह ऐतिहासिक, उपलब्धि है, यह एक चमत्कार है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, एक बात तय हो जानी चाहिए कि आप हमें भी इतना ही समय देंगे जितना माननीय सदस्य ले रहे हैं। एक घंटे से ऊपर समय इन्हें बोलते हो गया हैं। हम बोलते हैं तो आप हमें धमका कर बैठा देते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं मंत्री जी की 'द इकोनोमिस्ट' को गुमराह करने के लिए बधाई देता हूं। परंतु मैं इस सभा को गुमराह करने के उनके प्रयास का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सभापति महोदय : सदस्य आपत्ति जता रहे हैं। आपने पहले ही काफी समय लिया है।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मुझे अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है।

सभापति महोदय : मैं आपसे केवल अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील : माननीय सभापति महोदय, हम सभा की राय को जान कर आवश्यक समझा जाने पर समय बढ़ा देना चाहिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील : यदि हम 'डब्ल्यू०टी०ओ०' पर चर्चा नहीं करेंगे; यदि हम 'गेट' पर चर्चा नहीं करेंगे; और यदि हम दोहा उद्घोषणा पर चर्चा नहीं करेंगे, तो किस पर चर्चा करेंगे ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे पहले ही 45 मिनट बोल चुके हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : यह बात सच है। यह मुद्दा, इस विशाल दुनिया की तरह बड़ा है।

सभापति महोदय : परन्तु अन्य सदस्य भी बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : इस पर हम सभी निर्णय करते हैं और आवश्यक हो तो समय सीमा बढ़ा देते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, उन्हें बोलने के लिए समय दे दीजिए। यह मामला बहुत बड़ा है।

सभापति महोदय : मैंने केवल उनसे बात समाप्त करने का निवेदन किया है।

श्री शिवराज वि० पाटील : वह तो ठीक है। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं।

सभापति महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया अपनी बात जितनी जल्दी हो समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : सभापति जी, आज बहुत सारी शादियां हैं जिनमें हमें भाग लेना है और हमें भी बोलना है। एक घंटे से ऊपर इन्हें बोलते हो गया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं चार सिंगापुर-मामलों के प्रति माननीय मंत्री के "किसी भी वार्ता के संबंध में लिया गया निर्णय स्पष्ट सहमति पर आधारित होगा।" जैसे खोखले दावे के संबंध में अपने कथन के आखरी पैरा पर अपनी बात केंद्रित करूंगा।

सर्वप्रथम महोदय, "स्पष्ट सहमति" की अवधारणा की शुरूआत कोई दोहा में ही नहीं हुई। यह विचार सिंगापुर में हुई दूसरे मंत्री-स्तरीय सम्मेलन से ही चला आ रहा है।

दूसरे, माननीय मंत्री चाहे जो भी दावा करें, सच्चाई यह है कि तथाकथित सिंगापुर मामलों को डब्ल्यू०टी०ओ० एजेन्डा में निश्चित रूप से और अपरिहार्य रूप से शामिल किया गया क्योंकि दोहा में गया हमारा प्रतिनिधि-मण्डल इतना अयोग्य था जिसने चार में से तीन सिंगापुर मामलों व्यापार-संबंधित निवेश; व्यापार-संबंधित प्रतिस्पर्धा नीति; और व्यापार संबंधी सरकारी खरीद के बारे में मसौदा घोषणा में 'संभावित

समझौता' शब्द के स्थान पर ''बहुपक्षीय रूपरेखा के लिए मामले को मान्यता देना'' शब्दों को लाने दिया।

महोदय, इसी प्रकार की बात मैं पहले भी कह चुका हूं। उस संदर्भ में थिरू मारन ने पहले ही व्यापार सुगमता की बात को मान लिया है। महोदय, इस बात पर बहस कि क्या डब्ल्यू०टी०ओ० छूट गैर-व्यापार क्षेत्रों को भी दी जा सकती है या दी जानी चाहिए समाप्त हो गई है।

यह सभा माननीय मंत्री को केवल इस दावे पर कि वर एक मामले को में सफल रहे हैं, छेड़ नहीं सकती। सच्चाई तो यह है कि विकसित राष्ट्रों ने थिरू मारन को झुकने के लिए मजबूर किया।

हमारी असफलता का थिरू मारन के दोहा में दिए गये स्वयं के वक्तव्य से लगाया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री के उद्घाटन भाषण के पैरा नौ का हवाला दूंगा जहां उन्होंने सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछें, परंतु उन्हें किसी का भी उत्तर नहीं मिला।

मैं उनके दोहा भाषण के पैरा 13 का उल्लेख करूंगा जहां उन्होंने कहा है कि, 'डब्ल्यू०टी०ओ०' केवल बहुपक्षीय व्यापार के लिए ही है।'' क्या आज की परिस्थिति ऐसी ही है ? उन्होंने कहा, ''उरुग्वे दौर ने जो दिशा निर्धारित की हैं वही भविष्य के कार्य का कार्यक्रम होना चाहिए।'' वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परंतु क्या इससे बाकी सारी दुनिया सहमत हुई है ? नहीं।

दोहा में इस बहस में असफल रहने के बाद माननीय मंत्री अब यह दिखावा कर रहे हैं कि (1) इस पर कोई आगे बात नहीं हुई, और (2) इस पर स्पष्ट सहमति होनी चाहिए।

राज्य सभा में माननीय मंत्री ने कहा कि उरुग्वे दौर आखरी दौर था क्योंकि डब्ल्यू०टी०ओ० वार्ता का एक स्थायी मंच है। हम उनसे सहमत हैं। वे एकदम सही कह रहे हैं।

नए दौर के लिए कोई संभावना नहीं है क्योंकि हमारे पास एक स्थायी मंच है। परंतु उस स्थिति में, क्या माननीय मंत्री जी खुलासा करेंगे कि उन्होंने 10 नवम्बर को दोहा में संवाददाता सी० राम मोहन रेड्डी को यह क्यों कहा – यह अगले दिन 'द हिन्दू' में भी छपा था' कि ''डब्ल्यू०टी०ओ० में एक व्यापार वार्ता के नये दौरे की आवश्यकता नहीं है, यह गलत है।''

ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा था कि, ''यह आवश्यक नहीं है; यह गलत है।'' अब वे कह रहे हैं कि कोई नया दौर नहीं हो रहा है। वे नए दौर की शुरूआत नहीं कर सकते, चूंकि इसके लिए एक स्थायी मंच है।

सबको बेवकूफ बनाना राजनीति है, परंतु स्वयं को बेवकूफ बनाना, एक बुराई है। ···*(व्यवधान)* क्या आप अब हमारी बात मानते हैं ? ···*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं। ···*(व्यवधान)*

'स्पष्ट सहमति' के संबंध में पहली बात यह है कि उस कार्य-विधि पर कोई वार्ता नहीं हो सकती जिसका वास्तविक मामलों पर होने वाली वार्ता से कोई संबंध न हो। यह इस बात के लिए केवल मिथ्या तर्क है कि समझौता वार्ता का स्वरूप है/होगा। दूसरा, यदि थिरू मारन सभा से बाहर जाकर दोहा वार्ता को विफल नहीं कर सकते तो भारत अगली बैठक में नये दौर में अपना विरोध किस विश्वास से कायम रख सकेगा। दोहा में अपनी झूठी धमकियों को पूरा नहीं कर पाने के कारण, भारतीय कूटनीति डब्ल्यू०टी०ओ० में पूर्णत: अक्षम हो गयी है। तीसरे, या तो धमकी दी ही नहीं जानी चाहिए थी और जब दी गई तो उसे पूरा किया जाना चाहिए था। अपनी बात से पीछे हटने के कारण थिरू मारन ने भारतीय व्यापार कूटनीति को अक्षम, खोखली वयान बाजी और निरर्थक साबित कर दिया। ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, सब कुछ नहीं खतम न ही हो गया। ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बस बहुत हो गया।

श्री मणिशंकर अय्यर : विश्व व्यापार संगठन अभी भी एक लोकतांत्रिक निकाय है जहां हम बहुमत के द्वारा, जो चाहे वह लेने में सफल हो सकते हैं किन्तु उन्हें अपने लाभ के लिए हमें विदेशी आर्थिक नीति के साथ विदेश नीति को जोड़ना होगा।

महोदय, मेरे पास दोहा में थिरू मारन के भाषण से पहले वाले दिन की छुटा-वाजपेयी की संयुक्त घोषणा की प्रति है। इसमें, न तो विश्व व्यापार संगठन पर ही एक शब्द भी बोला गया और न ही इसमें दोहा का उल्लेख किया गया है। जब श्री वाजपेयी अमरीका द्वारा ओसामा बिना लादेन के विरुद्ध अभियान में शामिल होने का निश्चय कर रहे तभी दोहा में उनके व्यापार प्रतिनिधि, थिरू मारन को अलग-थलग करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। क्या इस प्रकार विदेश नीति हैंड-मेड बन गई है ? फिर, मेरे पास श्री वाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण। *(व्यवधान)* थिरू मारन गरीब किसानों, गरीब कामगारों, बंद हो रहे लघु उद्योगों, कपड़ा उद्योगों, और उनके कामगारों के लिए अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। यह व्यक्ति गरीब भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, श्री वाजपेयी क्या करते हैं ? उनके पूरे भाषण में सौ शब्द भी विश्व व्यापार संगठन पर नहीं बोले गए। वे मात्र व्याख्या और लाक्षिणकता का प्रदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा चैक नहीं दिया है जिसका भुगतान न हो सके। वे यह भी कहते हैं कि हम उन्हें खाली चैक क्यों दें ? उन्हें ही हमें खाली चैक देना चाहिए। इस तरह की लाक्षिणकताओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का सहारा लेना राजनीतिज्ञता नहीं है। हमें विदेश नीति और विदेशी आर्थिक नीति दोनों को एक साथ मिलाकर चलना होगा और हमें के साथ पुनर्स्फूर्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाना चाहिए जो 77 देशों के समूह या आर्थिक मुद्दों से संबंधित किसी और निकाय को समर्थन

[श्री मणिशंकर अय्यर]

दे। केवल इसी प्रकार हम विश्व व्यापार संगठन के लोकतांत्रिक प्रतिमानों को अपने लिए उस समानता और न्याय के लिए संरक्षित कर पाएंगें, जिसके बारे में जब थिरू मारन वहां गए थे तब उन्होंने बात की थी। महोदय, किंतु मुझे डर है कि इसके बिना कोई फायदा नहीं होगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

श्री मणिशंकर अय्यर : ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा साहस और सहयोग तभी आ पाएगा जब एन०डी०ए० सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी।

सभापति महोदय : मैंने एक अन्य माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : हम थिरू मारन को दिल से धन्यवाद देते हैं।

सभापति महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग कीजिए और अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : उन्होंने इस दिन को बहुत ही नजदीक ला दिया है। धन्यवाद, महोदय, *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : मैं मात्र यही कहना चाहता हूं कि मैं इनके साजिश और यतित्मद के सिद्धांत से सहमत नहीं हूं।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोहा सम्मेलन और उसमें भारतीय दल की भागीदारी को लेकर दोनों पक्षों के वक्ताओं ने काफी वैध मुद्दे उठाये। मेरे ख्याल से माननीय वाणिज्य मंत्री, श्री मुरासोली मारन के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल ने दोहा की परिस्थितियों से उत्तम परिणाम हासिल किए हैं। जहां तक इसके परिणामों का संबंध है इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से विशेष तौर पर खुश हूं कि पहली बार, श्री मारन के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल ने वार्ता-दल के रूप में, 9 से 13 के पांच दिनों की अवधि के दौरान विकसित देशों का दबाब झेला जिसे आगे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक दिन और बढ़ाकर 14 तारीख तक कर दिया गया था। वहां काफी तनाव था। पूरा विश्व यह सोचकर दोहा सम्मेलन पर नज़रें गड़ाए हुए था कि क्या दोहा की चर्चाओं से कोई सार्थक घोषणा होगी, या केवल घोषणा ही की जाएगी या फिर इसका अंत सिएटल सम्मेलन की ही तरह होगा। इस प्रकार, ऐसे विशेष समय में हमें भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा अपनाई गई युक्तिसंगत योजना के लिए उन्हें अवश्य बधाई देनी चाहिए जिससे वे विकसित देशों का दबाब झेल सके।

अपराह्न 4.56 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

जब बाकी विकासशील देश मुद्दा लगभग छोड़ ही चुके थे ऐसे समय में यह भारतीय शिष्टमण्डल ही था जिसने उन्हें नेतृत्व प्रदान किया था। मैं एक बार फिर कहूंगा, इसके लिए भारतीय शिष्टमण्डल बधाई का हकदार है। भारतीय टीम के इस कृत्य से हम सभी गर्व महसूस करते हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि भारत के प्रमुख हितों का ध्यान रखा गया है और इससे कुछ लाभ प्राप्त हुए हैं। मैंनें जानबूझकर 'कुछ लाभ' शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि मैं यह नहीं कहूंगा न यह कहने का साहस करूंगा, कि वे, हर चीज के लिए सभी लाभ प्राप्त कर सकते थे। इसलिए मैं विशेषतौर पर खुश हूं कि दोहा मंत्रिमंडलीय घोषणा में निर्यात राजसहायता को समाप्त करने और व्यापार के स्वरूप को खराब करने वाली राजसहायता में कमी लाने के प्रति दृढ़ संकल्प किया गया है जबकि विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। हमने विकासशील देशों के प्रति विकसित देशों द्वारा सभी वार्ताओं के दौरान दी गई रियायतों के प्रति आपसी सहयोग का रवैया न अपनाने के बावजूद विशेष सहयोग का दृष्टिकोण अपनाया है। यह भी संतोष की बात है कि कार्यान्वयन के कुछ मुद्दे हल कर लिए गये हैं और शेष मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन के कार्य कार्यक्रम के प्रमुख भाग तथा वचनबद्धता के रूप हल किये जाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर की गई है।

महोदय, श्री मुरासोली मारन ने विश्व व्यापार संगठन को एक आवश्यक अनिवार्य बुराई बताया है इस संबंध में इस से बेहतर और कुछ नहीं कहा सकता है। गैट के संस्थापक सदस्य और बॉद में विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य के नाते हमें दबाव का सामना करना होगा और हमें सभी चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इस वार्ता में काफी सफलता मिली है।

अपराह्न 5.00 बजे

गैट एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता है तो विश्व व्यापार संगठन गैट के आदेशों को लागू करने हेतु संस्थागत तंत्र की भूमिका का निर्वाह करता है। संस्थागत तंत्र के रूप में विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता है। इससे अपेक्षा की जाती है कि यह अपने सभी 142 सदस्यों को अधिकतम लाभ देने के सिद्धान्त पर कार्य करेगा। इससे अपेक्षा की जाती है कि यह अपने सदस्यों के लिए हानि की स्थिति पैदा नहीं करेगा बल्कि उन्हें सदैव लाभ की स्थिति में रखेगा।

तथापि, दोहा में शक्तिशाली विकसित देशों यथा यूरोपीय संघ, अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैण्ड आदि द्वारा विकासशील देशों के लाभ को निरर्थक बनाने के प्रयास किए गये। अतः यह तब तक आवश्यक बुराई रहेगा जब तक कि विश्व व्यापार में हमारे देश की स्थिति मजबूत नहीं हो जाएगी ? अभी विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 0.6 प्रतिशत है जिससे विश्व व्यापार संगठन में हम कोई बात बलपूर्वक नहीं कह सकते हैं और हमारी कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी श्री मुरासोली मारन, वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विकासशील और अल्प विकसित देशों के दीर्घकालिक

हित की रक्षा के लिए जो जोरदार प्रयास किया वह प्रशंसनीय है और यह प्रतिनिधि मंडल बधाई का पात्र है।

दोहा सम्मेलन को अलग से नहीं देखा जा सकता, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुडा हुआ विश्व व्यापार संगठन का तंत्र विकसित करने की दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जाए। जब भारत ने 1994 मराकेश घोषणा पर हस्ताक्षर किए तो उसी समय हम कुछ प्रमुख समझौतों के पक्षकार बन गए थे। इस संदर्भ में किए गए अनेक समझौतों में व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक दोनों ही दृष्टियों से समूची व्यवस्था में असमानता अन्तर्निहित है। इसका एक उदाहरण है, ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित रूप से विचार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ट्रिप्स समझौता को लागू करने में हमें गंभीर असंगतियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए विकासशील देश इसे अपने लिए हानिकारक संस्था के रूप में देख रहे हैं लेकिन ट्रिप्स समझौता के एक पक्षकार बनाने की सहमति के बाद, अब हम मात्र इससे होने वाले नुकसानों की भरपाई करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी हम बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय आदि के मामले में अपने परम्परागत ज्ञान और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अपनी रक्षा करने और अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन प्रणाली की सफलता और विश्वसनीयता काफी हद तक व्यवस्था में लचीलापन लाने और विकासशील देशों के दावों को स्वीकार करने पर निर्भर करती हैं और यह सम्भव भी है।

महोदय, यदि हम दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को बहुस्तरीय व्यापार व्यवस्था के विकास की दिशा में एक और कदम के रूप में देखें तो इस दृष्टि से दोहा बैठक का विश्लेषण करना लाभप्रद और उपयोगी होगा।

दोहा सम्मेलन का विश्लेषण अपनी चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हम कार्यान्वयन मुद्दों पर ध्यान दिये जाने तक व्यापार वार्ताओं के नये दौर का विरोध करते रहे हैं। विकसित देशों में बहुत अधिक राजसहायता, डम्पिंगरोधी ड्यूटी, 'प्रतिरोधी उपाय, ट्रिप्स समझौता में अपर्याप्तताएं, विकासशील और अल्प विकसित देशों के उत्पादों तक बहुत कम पहुंच आदि समेत कार्यान्वयन के लिए अनेक व्यापक मुद्दे हैं।

महोदय, यह अलग बात है कि दोहा में व्यापार को 'विकास' के नजरिया से देखा गया जिस पर विकसित देशों ने 'दोहा डेवलपमेंट डिक्लेरेशन' के रूप में नये दौर की वार्ता शुरू करने का प्रयास किया।

यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि व्यापार के लाभ से सम्पूर्ण आर्थिक विकास में लाभ मिल सकता है और इससे समाज की अनेक वर्गों को लाभ हो सकता है परन्तु व्यापार विकास का उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता।

दोहा घोषणा के तीन घटक हैं, अर्थात् विश्व व्यापार संगठन के नये दौर की वार्ता के लिए एजेन्डा, विकासशील देशों की 40 कर्यान्वयन संबंधी चिन्तायें और पेटेन्ट और जन स्वास्थ्य से संबंधित राजनीतिक विवरण।

दोहा सम्मेलन में सारी वार्ता विकसित देशों के इस प्रयास से प्रभावित थी कि वे किस प्रकार अपने एजेन्डे को आगे बढ़ायें और भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने इस बात पर दृढ़ता दिखाई कि उनकी चिन्ताओं पर किस प्रकार ध्यान दिया जाए। मेरे विचार से दोहा घोषणा में अन्ततः इन दोनों स्थितियों में समझौता का मार्ग अपनाया गया। भारत के दृष्टिकोण से, श्री मुरासोली मारन के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल सीधे वार्ताओं के नये दौर को शुरू करने से रोक सकता था। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आश्वासन लिया कि सिंगापुर मुद्दों अर्थात् निवेश, प्रतियोगिता नीतियां, सरकारी खरीददारी में पारदर्शिता और व्यापार सुविधा पर वार्ता अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की वार्ता की कार्यप्रणाली पर स्पष्ट सहमति के बाद ही की जायेगी। मुझे मालूम है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऐसा करना आसान नहीं था। दोहा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यथासंभव प्रतिरोधवादी कहलाने का खतरा लेकर भी अपनी बात जोरदार तरीके से रखी, इसमें अलग-थलग पड़ जाने का खतरा भी था। इस दृष्टि से मैं अपने प्रतिनिधिमंडल विशेषकर श्री मुरासोली मारन को इतना बड़ा कार्य करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार में इस परिस्थिति में उनका कार्य सर्वाधिक अच्छा था।

दोहा घोषणा में क्रियान्वयन संबंधी 40 चिन्ताओं पर ध्यान देने की मांग की गई। इनमें से अधिकांश का संबंध सर्वोत्तम प्रथा संबंधी के खंड से है फिर भी यह मामूली उपलब्धि नहीं है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में कार्यान्वयन की चिन्ताओं को प्रमुखता प्रदान की गई जो कि हमारी मुख्य चिन्ता और लक्ष्य था। अन्य प्रमुख कार्यान्वयन चिन्ताओं पर अगले वार्ता के दौर में ध्यान दिया जाएगा।

'ट्रिप्स' और जन स्वास्थ्य संबंधी राजनीतिक वक्तव्य, जिसमें विकासशील देशों को यह अधिकार दिया गया है कि स्वास्थ्य की आपात स्थिति में वे पेटेन्ट औषधियों का लाइसेंस लेकर उत्पादन कर सकते हैं इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कि इससे जन स्वास्थ्य की मांगों को पूरा करने के लिए पेटेन्ट अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मेरे विचार से यह विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में, जिसे कि केवल कठोर और अपारदर्शी ही समझा जाता है। यथासंभव लचीलापन को दर्शाता है।

डम्पिंग रोधी ड्यूटी के संबंध में यह सहमति हुई कि आयातकर्ता देश ऐसा शुल्क निर्यातकर्ता देश पर नहीं लगायेगा। विवाद समाधान समझौता के तहत ऐसे मामले के समाधान के 365 दिनों तक एक ही वस्तु के मामले में ऐसा होगा।

लेकिन दोहा सम्मेलन में टैक्सटाईल कोटे के महत्वपूर्ण मामले में हम विकसित देशों और विशेषकर अमेरिका से कोई रियायत प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन मेरे विचार से, हम इस समय जारी कोटा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं इस संबंध में कुछ सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम बढ़े हुए कोटा को प्राप्त करने की स्थिति में आ सकें। फिर भी, इन मुद्दों को अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के विचारार्थ 'कार्य कार्यक्रम' में सम्मिलित किया गया है।

[प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

महोदय, दोहा सम्मेलन में हमारी उपलब्धियों या असफलताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अगले दो वर्षों में और 2005 तक जब तक कि व्यापार समझौते के अगले दौर की वार्ता समाप्त होगी तब तक हम इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे ? अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि नये दौर की व्यापार वार्ताएं हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत नहीं होंगी। सिंगापुर में उठाये गए मुद्दे मूलत: व्यापार को निवेश, सरकार द्वारा खरीद के ढंग और व्यापार सुविध ा से जोड़ने से संबंधित हैं।

निवेश के संबंध में यह बताना है कि निवेश पर समझौता से संबंधित बहुपक्षीय वार्ताएं पहले से ही चल रही हैं। केन्द्र सरकार ने पहले ही लोक सभा में प्रतिस्पर्धात्मक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया है। आयात शुल्क में कमी करना पहले से ही हमारे एजेन्डा में है।

सरकार को चाहिए कि वह अब से इन सभी प्रस्तावों से उत्पन्न प्रभावों पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करे तथा किसानों और लघु उद्यमियों सहित उद्योगपतियों के हितों की सुरक्षा की दृष्ट से अपनी स्थिति की पहचान करे विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में कृषकों समेत अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अनेक समस्याएं हैं क्योंकि हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने उरूग्वे दौर की वार्ता के दौरान और मराकेश घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रभावों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। हम पुन: गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। दोहा सम्मेलन में जो भी बातें कहीं गई हों, अब तो नये दौर की व्यापार वार्ता होने वाली है; वार्ता का समय बहुत नजदीक है। हमें विश्व व्यापार संगठन प्रणाली से प्राप्त अपने अनुभवों के आधार पर इन सभी बातों की समीक्षा करनी है तथा उसके अनुसार आगामी व्यापार सम्मेलन में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। हमारी मुख्य चिन्ता और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसानों और उद्योगपतियों को समान अवसर उपलब्ध हों।

हमें अनुमान है कि विकसित देश अपनी शर्तों पर हमें नए एजेन्डा को स्वीकार करने हेतु बाध्य करने का जोरदार प्रयास करेंगे। लेकिन महोदय, लेकिन हमारे देश की स्थिति अत्यन्त विशिष्ट है। विकासशील देशों का नेतृत्व करने के नाते हमसे आशा की जाती है कि हम उनका नेतृत्व करें, उनमें विश्वास पैदा करें और मुद्दों को इस प्रकार से उठायें कि विश्व व्यापार संगठन प्रणाली में प्रत्येक देश लाभ की स्थिति में रहे।

लेकिन जैसा कि दोहा सम्मेलन के दौरान देखने में आया और अब तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि विकसित देश इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि विकासशील और अल्प विकसित देश किसी प्रकार का गठबंधन न बना पाएं। आगामी मंत्रि स्तरीय सम्मेलन को देखते हुए हमें दोहा सम्मेलन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर विकासशील तथा अल्प विकसित देशों का मजबूत गठबंधन तैयार करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मारन ने अन्तर्निहित समस्याओं के बावजूद इस प्रकार के गठबंधन के बारे में बात-चीत शुरू कर दी है।

निष्कर्षत:, जहां तक किसानों, उद्योगपतियों, तकनीकीज्ञों, भौगोलिक विशेषताओं के हितों की सुरक्षा का सवाल है, अगले चार-पांच वर्ष देश के लिए बहुत ही निर्णायक होंगे।

महोदय, एक अन्य बढ़ती चिंता का विषय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में राष्ट्रीय संसद के हाशिये पर पहुंचने से संबंधित है। हालांकि हमारी कार्यकारिणी को संसद द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर समझौता वार्ता करनी चाहिए परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। जिस तरीके से विकसित देशों के प्रतिनिधि विश्व व्यापार संगठन की विभिन्न समितियों की आड़ में समझौता वार्ता के समय विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को चालाकी से धोखा देने का प्रयास करते हैं, उससे संसद की संप्रभुता का महत्व कम होने की संभावना बनती जा रही है। मेरे विचार से ऐसी समझौता-वार्ताओं पर संसद की सक्रिय निगरानी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर संसद विज्ञों की निरंतर और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थायी आधार पर सभी पक्षों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हालांकि संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि विश्व व्यापार संगठन में हुए विभिन्न समझौतों में हिस्सा लेते हैं परंतु वहां की संसद, अमरीकी कांग्रेस को यदि यह लगता है कि ये समझौते उनके अनुरूप नहीं हैं तो उनका विरोध करने और उन्हें नकारने का उन्हें अंतिम अधिकार उसी के पास है। मुझे नहीं लगता कि हमारे मामले में स्थिति यही है। अत: मैं समझता हूं कि एक ऐसी संयुक्त समिति का गठन किया जाए जो हमारे देश की ओर से समझौता-वार्ताओं की संपूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रखे और इस संबंध में आवश्यक मार्गनिर्देश दें।

अब दोहा की बात करें, श्री मुरासोली मारन ने दोहा सम्मेलन के अध्यक्ष के वार्ता का अगला दौर शुरू होने से पूर्व 'स्पष्ट-सर्वसम्मति' के आश्वासन का उल्लेख 'परमाणु-बम' के रूप में किया है।

'परमाणु-बम' कुछ दूसरा पहलू है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इसके संभाव्य प्रयोग का मात्र प्रदर्शन कर सकते हैं। दोहा में एक घोषणा पर रोक लगाकर हमने लगभग उस सम्मेलन को विफल ही कर दिया था। परंतु हमने ऐसा करने से अपने आपको रोक लिया क्योंकि हम वास्तव में ऐसा कर नहीं सकते थे। अत:, मेरे विचार से दोहा सम्मेलन ने, चुनौतियों के नए दौर का सूत्रवाभ किया है और यदि हम अपने किसानों, उद्योगपतियों, तकनीकी श्रम शक्ति, अपने परंपरागत ज्ञान के आधार और संबंधित मामलों की सुरक्षा चाहते हैं, तो हमारे देश को इन चुनौतियों का कारगार ढंग से सामना करना पड़ेगा। समय का तकाजा यह है कि व्यापक और पारदर्शक तैयारी की शुरूआत की जाये। विश्व व्यापार-संगठन के दौर में अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए गठजोड़ बनाने मे पूर्व हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर एक घरेलू-गठनबन्धन बनाने की आवश्यकता है। आइये, आज इस नई प्रक्रिया की शुरूआत करें।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, विश्व व्यापार संगठन की ओर से 1999 में अमेरिका के सिएटल शहर में मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। यह सम्मेलन विफल रहा था। उसके बाद अरब देश कत्तर की राजधानी दोहा में नौ नवम्बर, 2001 से 14 नवम्बर, 2001 विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ।

भारत को इस सम्मेलन में क्या मिला, भारत की भूमिका इस सम्मेलन में क्या रही, यह एक अलग सवाल है। लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष ने इसका प्रचार बहुत बढ़ा-चढ़ाकर किया। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि भारत की स्थिति दोहा में एक विजेता के रूप में उभरी है। हमारे पास मंत्री जी का वक्तव्य है। उसमें भी यह लिखा हुआ है कि हमने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु काफी सफलता हासिल की है।

सभापति जी, विश्व व्यापार संगठन के मूल रूप से तीन स्तम्भ हैं। एक तो व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार 'ट्रिप', दूसरा सामानों के कारोबार के बारे में बहुउद्देशीय समझौता 'गैट' और तीसरा सेवा क्षेत्र के बारे में व्यापार समझोता 'गैट'। सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका एक नेतृत्वकर्ता की होनी चाहिए। हम कुछ भी कहें, लेकिन विश्व व्यापार संगठन में भारत की जो हैसियत है, वह पिछलग्गू होने के अलावा और कुछ नहीं है। जिस दोहा सम्मेलन में सफलताओं की बात कही जा रही है, उसमें भरोसे और कथनियों के बंडल के अलावा और कुछ नहीं है। करनी और निश्चितता कहीं दिखाई नहीं देती। सम्मेलन में भारत अपनी सफलता यह मान रहा है कि हमने विकसित देशों को अपने मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगले दो वर्षों के बाद विकसित देशों के मंसूबे पूरे होने का रास्ता जरूर साफ हुआ हैं दो वर्षों के बाद विश्व व्यापार संगठन पर मंत्री स्तर का जो सम्मेलन होगा, उसमें जो निर्णय होंगे, भारत उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होगा।

आप इस खुशफहमी में न रहें, दो वर्षों के बाद मंत्रीस्तरीय जो सम्मेलन होगा, उसमें भारत उन निर्णयों को मानने को तैयार होगा।

सभापति जी, दोहा में जो विचारार्थ मुद्दे थे, उसमें यह भी था कि पिछले निर्णयों को क्रियान्वयन होना चाहिए। इस संबंध में न कोई चर्चा हुई और न निर्णय लिए गए। विशेष रूप से जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो निर्णय थे, उनको नहीं माना। बड़े मंत्री यहां नहीं हैं। (व्यवधान) रूडी जी हैं, वे तो पुराने परिचित हैं। (व्यवधान) आप से ज्यादा मैं उनकी क्षमता को जानता हूं। इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दोहा सम्मेलन में चर्चा के जो मुद्दे थे, वे सीमित थे। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा, भारत दोहा में जाने के बाद जब तक लाभ-हानि का विश्लेषण नहीं करेगा, तब तक कोई अच्छे परिणाम आने वाले नहीं हैं। हमने डब्ल्यू०टी०ओ० में जाने के बाद क्या पाया, इस पर जब तक सार्थक विचार नहीं करेंगे। *(व्यवधान)*

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : पाया ज्यादा है।

श्री रामजीलाल सुमन : जो पाया है, वह सामने आ जाएगा।

मंत्री जी के वक्तव्य में यह भी था – कृषि के मामले में भारत की मुख्य चिन्ता घोषणा पत्र में सुरक्षा प्रदान करने की थी, लेकिन किसानों का बहुत बुरा हाल है। अगर किसानों की दशा सुधारने के लिए जो सार्थक और प्रभावी प्रयास हमारे देश में होने चाहिए थे, वे नहीं हुए हैं। आज हिन्दुस्तान के किसानों के द्वारा उत्पादन बढ़ाने से संकट खड़ा हो गया है। देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन लागत बराबर बढ़ रही हैं। हालत यह है कि 1971 से लेकर आज तक गेहूं का समर्थन मूल्य 15 गुना बढ़ा है और उत्पादन लागत 60 गुना बढ़ी है। यह व्यावहारिक सत्य है। इसके इन्कार करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक खाद के दाम सस्ते हैं और हिन्दुस्तान में मंहगे हैं। दुनिया के तमाम देश अपने किसानों के कृषि उत्पादन लागत का बहुत बड़ा हिस्सा सब्सिटी के रूप में दे रहे हैं। यूरोपीय देशों में सब्सिडी 56 प्रतिशत, जापान में 40 प्रतिशत, अमरीका में 29 प्रतिशत और हमारे यहां जो सब्सिडी दी जाती है, वह सब्सिडी किसानों को सीधे नहीं मिलती है, बल्कि बिचौलिए खा जाते हैं। सिर्फ यह कह देना कि हम किसानों के हितों का संरक्षण करेंगे, यह पर्याप्त नहीं है। हिन्दुस्तान के किसानों को दिखाई देना चाहिए कि सरकार उनकी दशा को सुधारने का क्या व्यवस्थित प्रयास कर रही है।

महोदय, जब हम दोहा सम्मेलन का विचार कर रहे हैं, तो हमको यह जरूर सोचना चाहिए कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संगठन से भारत का जो व्यापार का करार हुआ था, उसकी स्थिति क्या है, 1990 में भारत का व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 0.5 प्रतिशत था और आज दस वर्षों के बाद 0.67 प्रतिशत है।

पिछले दस वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी उपलब्धि सिर्फ 0.17 प्रतिशत बढ़ी है। इसे एक प्रतिशत करने के लिए, आगे आने वाले 20 वर्षों तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज हम उदारीकरण की चकाचौंध में फंस गए हैं। विदेशी पूंजी निवेश का बड़ा हल्ला हो रहा है। हमारे देश में भी पूंजी निवेश बढ़ा है, लेकिन वह किन क्षेत्रों में बढ़ा है – टेली-कम्युनिकेशन, कम्प्यूटर, ट्रांसपोर्ट, ईंधन, केमिकल, कपड़ा आदि में ज्यादा बढ़ा है। भारत जब तक अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक उसे कुछ नहीं मिलने वाला है।

महोदय, सदन में विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में जब पूछा गया कि सिंचाई व्यवस्था पर कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ है तो इनका जवाब था कि हमारे पास विवरण उपलब्ध नहीं है। *(व्यवधान)* सिंचाई खेती का प्राण है और हिन्दुस्तान जैसे देश में लगभग 80 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। जब तक यहां सिंचाई

[श्री रामजीलाल सुमन]

की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हिन्दुस्तान कैसे आत्मनिर्भर रह सकता है। उसकी हालत को कैसे सुधारा जा सकता है ?

महोदय, कृषि के बाद रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन कपड़ा क्षेत्र है। पिछले तीन वर्षों में इसमें लगभग साढ़े तीन करोड़ लोग काम करते हैं। इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है लेकिन पिछले तीन वर्षों में कपड़ा व्यवसाय की स्थिति खराब हुई है। 1998 में कपड़ा उद्योग का निर्यात, देश के कुल निर्यात का 38 फीसदी था, जो अब घट कर 35 प्रतिशत रह गया है। कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं, मजदूरों को हटाया जा रहा है और देश के सबसे बड़े क्षेत्र, जहां लोगों को रोजगार मिलता था, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मार्च, 2001 तक भारत में सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। ऐसा डब्ल्यू०टी०ओ० के करार के मुताबिक किया था, लेकिन मारन साहब, अमेरिका और यूरोपियन देशों में आज भी कपड़ा कोटा प्रणाली से आयात किया जा रहा है। ये देश कोटा प्रणाली लगा कर प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं, फिर भारत को ऐसी कौन सी मजबूरी थी ? मैं समझता हूं कि दोहा सम्मेलन में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी।

महोदय, भारत की आबादी पिछले दिनों बहुत बढ़ी है। यहां काम करने वाले हाथ ज्यादा हैं और पूंजी कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर चर्चा हो – जब तक इन तकनीकों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें निरूत्साहित करने के निर्णय नहीं होंगे और तकनीकी श्रम प्रधान नहीं होगा तब तक देश का कोई भला नहीं हो सकता। डब्ल्यू०टी०ओ० में फंसने के बाद हमें क्या हासिल हुआ है और क्या हासिल होने की संभावना है, कहीं यह हमारे लिए घाटे का सौदा तो नहीं।

हमारे देश की जलवायु, वातावरण, परिस्थितियां, बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, कृषि आदि सब सवालों पर अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गलतफहमी दूसरी कोई नहीं हो सकती, मुझे यही निवेदन करना था।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यहां निष्पक्ष, वहां विपक्ष।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : यह जो आसन के प्रति कमेंट्स दिए गए हैं, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

सभापति महोदय : यह प्रोसिडिंग में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

डा० बिक्रम सरकार (पंसकुरा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री, श्री मुरासोली मारन को दोहा मंत्री-स्तरीय सम्मेलन शुरू होने से काफी समय पूर्व यह चर्चा शुरू करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे दल को भी चर्चा में भाग लेने का आमंत्रण मिला है। हम अन्य मजबूरियों की बजह से नहीं आ सके। परंतु हमने उन्हें अपने विचारों से अवगत करा दिया था। जहां तक दोहा मंत्रीस्तरीय-सम्मेलन का सम्बन्ध है, अत्यधिक खराब स्थिति होने पर भी बहुत अच्छा कार्य करने के लिए मैं श्री मारन, उनके मंत्री-दल और अधिकारियों को बधाई देता हूं।

विश्व व्यापार संगठन दोहा सम्मेलन से पूर्व वहां किस प्रकार का वातावरण था, इसका संदिप्त वर्णन 1 नवम्बर, 2001 के 'इकॉनामिक -टाइम्स' में श्री चन्द्रकान्त पटेल ने अपने लेख में किया है, 11 सितम्बर, 2001 के तत्काल बाद स्थिति और भी खराब हो गई। वास्तव में यह एकदम स्पष्ट था कि विकसित देश आतंकवाद की आड़ में इस अवसर का प्रयोग एक नये व्यापार दौर के लिए करने का प्रयास कर रहे थे। उस लेख में कहा गया था।

> ''बढ़ती हुई जागरूकता के परिणामस्वरूप उरूग्वे वार्ता का दौर उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एकमात्र घातक पहलू बनकर रह गया है। अनेक विकासशील देशों को आशंका थी कि सरकारी खरीद, प्रतिस्पर्धात्मक नीति, निवेश, व्यापार और पर्यावरण व्यापार-सरलीकरण और औद्योगिक शुल्क जैसे नये मुद्दों को शमिल किए जाने से आर्थिक और सामाजिक नीतियां तैयार करने संबंधी उनके विकल्पों में और कमी आयेगी। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमित क्षेत्र को अपने आर्थिक-आधार का विस्तार करने के लिए डब्ल्यू०टी०ओ० के संस्वीकृत सुरक्षा-कवच का प्रावधान ऐसी व्यवस्था है जिसका परिणाम शून्य निकलेगा''

इस परिप्रेक्ष्य में दोहा सम्मेलन में भारत के कार्यनिष्पादन का देखना होगा।

मैं आपका ध्यान मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में उच्च-प्राथमिकता प्राप्त 'कार्यान्वयन संबंधित मुद्दों और विषयों' इम्प्लीमेंटेशन-रिलेटिड इश्यूस एण्ड कंमर्न्स पर संकल्प के पैरा 12 की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि विश्व का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि संपूर्ण विश्व को विकासशील राष्ट्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

8/9 नवम्बर को विश्व व्यापार संगठन की बैठक के लिए दोहा में एकत्रित हुए मंत्रियों के समक्ष राष्ट्रमंडल के महासचिव डॉन मैककिनॉन ने व्यापार-वार्ताओं में विकासशील देशों की आवश्यकताओं और जरूरतों की ओर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया।

अब, मैं पैरा 12 का एक भाग संक्षिप्त रूप से उद्धृत करूंगा। यह 'कार्य-योजना' के बारे में हैं :

> ''कार्यान्वयन-संबंधित मुद्दों और विषयों पर निर्णय लेना ताकि सदस्यों के समक्ष आ रही विभिन्न कार्यान्वयन समस्याओं का समाधान किया जा सके।
>
> हम इस बात पर सहमत हैं कि कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख विषयों पर वार्ता हमारे द्वारा तैयार की जा रही कार्य-योजना का अभिन्न भाग होगी और इन वार्ताओं में प्रारंभिक स्तर किए गए, समझौते पैराग्राफ 47 के प्रावधानों के अनुरूप माने जाएगें।''

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे अनुसार यह एक मुख्य उपलब्धि है।

दूसरा प्रश्न मुख्य श्रम मानकों को व्यापार के साथ जोड़ने का है। इसको पूरा क्षमता से विरोध किया गया है।

यह भी कहा गया है कि घोषणा पत्र इस बात पर पुन: जोर देती है कि 'मुख्य श्रम-मानकों पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक उचित मंच है। यह मंत्रीस्तरीय घोषणा के पैरा 8 का उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है :

''हम सिंगापुर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुख्य श्रम मानकों के संबंध में की गई घोषणा की पुन: पुष्टि करते हैं। हम वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में चल रहे काम से महत्व देते हैं।''

महोदय, इस विषय पर बोलने के उपरांत, हम कृषि संबंधी वार्ताओं पर बोलेंगे – जो खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के मामले से जुड़ी हुई हैं। ये पैरा 13 और पैरा 2.1 हैं – मैं मात्र इनका उल्लेख कर रहा हूं, इनको उद्धृत नहीं कर रहा हूं – और ये यह दर्शाते हैं कि यह एक चिन्ता का विषय है जिसे डब्ल्यू०टी०ओ० ने स्वीकार किया है उसने इस बात का माना है। सेवाओं में 'नेचुरल परसन्स' की स्वाभाविक आवाजाही को भी मान्यता दी गई है।

इनमें से एक महत्वपूर्ण मामला जन स्वास्थ्य के बारे में था और मैं पैरा 4 और 7 का उल्लेख करता हूं जिसमें यह कहा गया है :

''4. ट्रिप्स – समझौता सदस्यों को जनस्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय करने से नहीं रोकता न उसे ऐसा करना चाहिए। तदनुसार ट्रिप्स समझौते के प्रति अपनी वचनबद्धताओं को दोहराते हुए हम निश्चय करते हैं कि इस समझौते की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए और इसे इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए जो डब्ल्यू०टी०ओ० के सदस्यों के जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और विशेष रूप से सभी की दवाइयों तक की पहुंच का समुन्नत किए जाने के अधिकार का समर्थन करे।

7. हम यह भी मानते हैं कि अविकसित देशों के सदस्यों को भेषज्ञ उत्पादों के सम्बन्ध में भाग-दो के खंड 5 और 7 को लागू अथवा कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।''

ये दोहा सम्मेलन में हमारे मंत्री-दल के बेहतरी कार्यों के स्पष्ट उदाहरण हैं। मैं यह कहने के लिए एक या दो मिनट का समय लूंगा कि माननीय मंत्री के वक्तव्य में पृष्ठ दो पर पैरा 2 में उरुग्वे दौर का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है :

''नियमित जानकारी की प्रक्रिया में डब्ल्यू०टी०ओ० नियम और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते भेजे जाते हैं । जैसाकि मालूम है, भारत ने इनमें से अधिकांश बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन वार्ताओं से व्यापर में पर्यावरणीय जानकारियों में कोई वृद्धि नहीं होगी।''

हम इस विषय पर और विस्तार में जाना चाहते हैं।

महोदय, मुझे दो सुझाव प्राप्त हुए हैं। जैसाकि मैंने शुरू में कहा है, एक यह है कि हम यह महसूस करते हैं कि माननीय मंत्री ने कार्यदल के नेता के रूप में बेहतरीन कार्य किया है। यह वस्तुस्थिति जारी रखने का प्रश्न है और उस समय उपलब्ध वैश्विक परिदृश्य के अंतर्गत उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। अत:, इन मामलों पर विचार करने के लिए हमें सदस्यों की संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। दूसरा यह है कि ऐसे सुझावों पर विचार करने के लिए समय-समय पर ऐसी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेलि) : सभापति महोदय, दोहा सम्मेलन में माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रथमत:, मैं कहना चाहता हूं कि दोहा में विचारों में तो स्पष्टता थी लेकिन अभिव्यक्तियों तथा जवाब के रूप में व्यक्त प्रतिक्रिया में स्पष्टता नहीं थी। दोहा सम्मेलन में भाग लेने के दौरान स्वयं माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन ने गरीबों की अनदेखी की है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा है कि यह संगठन किसान विरोधी है।

महोदय, जब विश्व व्यापार संगठन की गरीबों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की जा रही है, तब इस विश्व व्यापार संगठन करार से गरीब किसानों, मजदूरों और आम आदमी को कदाचित ही कोई फायदा होगा। मैं एक और बात पर बल देना चाहूंगा कि मंत्री महोदय के अनुसार, सम्पन्न राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों पर दबाव डाल रहे हैं।

महोदय, अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे सम्पन्न देश विश्व व्यापार संगठन का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। जब ये बड़े देश भारत जैसे विकासशील देशों पर अपनी शर्तें और अपना एजेण्डा थोप रहे हैं तो क्या एक आम किसान या आम आदमी विश्व व्यापार संगठन से लाभान्वित हो सकता है। चूंकि मंत्री महोदय तमिलनाडु के हैं, इसलिए उन्हें पता होगा कि इसी विश्व व्यापार संगठन के करार के कारण नीलगिरि के छोटे चाय उत्पादकों के समक्ष उत्पन्न स्थिति से निपटने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हम किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। आज हम सब्सिडी तक को खत्म करने का विचार करने के लिए मजबूर हैं। हमें किसानों के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। यद्यपि कि विश्व व्यापार संगठन की 1994 में ही स्थापना हुई है, लेकिन यह आम आदमी और आम किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाया है। विशेषकर हमारे देश जैसे विकासशील राष्ट्र विकसित और सम्पन्न राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में विश्व

[श्री पी०एच० पांडियन]

व्यापार संगठन में कोई आश्वासन पाकर भारत लाभान्वित हो पाएगा। सिएटल में हमें निराशा हाथ लगी है। उसके बाद, दोहा में, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सफल रहा है। वे संसद के समक्ष यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उन्हें किस हद तक सफलता मिली है और यदि हम विश्व व्यापार संगठन का पालन करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां कैसे लाभान्वित होंगी।

महोदय, हमारे दल का दृष्टिकोण रहा है कि किसानों के मामले में हमें विश्व व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए क्योंकि जब कभी भी इस मामले पर चर्चा हुई है हमने अपने इस दृष्टिकोण को दुहराया है कि विश्व व्यापार संगठन किसानों व लघु किसानों के लिए मददगार साबित नहीं होगा।

महोदय, अब मैं कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों – 'ट्रिप्स' पर चर्चा करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये हमारे देश की मांगों के अनुरूप हैं। सबकुछ सिर्फ कागजों पर है। जब हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि भारत विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। यदि मैं ऐसा ही सोचूं तो इस पत्र से कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। मैंने ठीक उसी दिन मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ा और इसमें कहा गया है कि घोषणापत्र से इस बात की पुष्टि होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक सही मंच है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मान्यता देनी चाहिए, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक मंच है। हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ को मान्यता प्रदान की है। हमने वर्ष 1994 से विश्व व्यापार संगठन को मान्यता प्रदान की है। प्रश्न यह है कि हम इससे आर्थिक क्षेत्र में किस हद तक फायदा उठाने में कामयाब रहे हैं।

महोदय, मंत्री जी के बारे में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर अपने तरीके से उनका जिक्र कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने आर्थिक क्षेत्र में सही दिशा में कार्यवाही की है। सम्मेलन में हिस्सा लेते वक्त क्या वे देश के हित, हमारे बौद्धिक हितों और राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। इसमें संदेह है।

तत्पश्चात यह कहा गया है कि घोषणापत्र में कृषि के संबंध में भारत के हितों को समुचित सुरक्षा प्रदान की गयी है। यदि सुरक्षा प्रदान की गई होती तो मैं यहां इस विषय पर नहीं बोलता क्योंकि हमारे दल और किसानों की शिकायतें हैं कि किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गयी है। 'ट्रिप्स' पर एक अलग से उल्लेखनीय घोषणापत्र है।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री थावरचंद गेहलोत : कृपया अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करें क्योंकि आप सभापति के पैनल के सदस्य हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : ठीक है, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आज्ञा माननी है। मैं एक वाक्य में अपनी बात समाप्त कर दूंगा यह वक्तव्य देश के हित में नहीं है। यह आम आदमी और भावी पीढ़ियों के हित में भी नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सियाटल की असफलता को सफलता में बदलने वाले शिष्टमंडल और उसका नेतृत्व करने वाले वाणिज्य मंत्री, माननीय मुरासोली मारन साहब को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने लगभग 142 विकासशील देशों का नेतृत्व कर, उन्हें एक आधार देकर, यूरोपीय संघ के विकसित देशों के षड्यंत्र को विफल करके, अद्वितीय सफलता प्राप्त की और भारत को एक सम्मानजनक स्थिति में उन्होंने डब्ल्यू०टी०ओ० में प्रतिष्ठित किया।

मान्यवर, नये दौर की वार्ता को विफल करने में उन्होंने जो सफलता पाई है और इसके कारण उन विकासशील देशों के लिए विकास के नए आयाम खुलेंगे जिसमें गरीबों को सस्ती देवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ट्रिप्स को उन्होंने अपने एजेन्डा में सम्मिलित किया है। इसी तरह उन्होंने अपने एजेन्डा में जो हमारे देश की कृषि है, किसानों की हालत है, उसके सुधार के लिए काफी संभावनाएं रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इन समस्याओं से जूझते हुए लोगों को, इस समझौते के बाद, आने वाले समय में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मान्यवर, इस वार्ता में विकास के पहलुओं पर पर्याप्त बल दिया गया है। घरेलू संवर्द्धन, खाद्यान्न सुरक्षा के आधार पर भी आयात से बचाव और ग्रामीण विकास को जो इसमें सम्मिलित किया गया है, जो निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा अध्याय जोड़ेगा। इसी के साथ जो हमारे देश के भीतर सस्ती औषधियां निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको भी विकास का अवसर मिलेगा और हमारे गरीब लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे देश में इसका शुरूआती दौर चला था और डंकल ड्राफ्ट के रूप में वह सामने आया था, उस समय भी पूरे सदन के भीतर डंकल ड्राफ्ट का काफी विरोध हुआ था। उस समय डंकट ड्राफ्ट को बिना डिसकशन के स्वीकार कर लिया गया था, जिसके कारण लोगों को काफी अड़चनें आईं।

सभापति महोदय, तत्कालीन कृषि मंत्री श्री बल राम जाखड़ ने कहा था कि केन्द्र सरकार डंकल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि यह देश के हित के खिलाफ है। जाखड़ साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम किसी विदेश दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन उस समय वह सरकार विदेशियों के दबाव के आगे झुकी

और लगातार तीन वार्ताएं हुईं जो विफल हुईं, परन्तु इस चौथी वार्ता में जिस दबंगता के साथ हमारे मंत्री श्री मुरासोली मारन साहब ने भारत और विकासशील देशों का पक्ष रखा उसके कारण पूरे विश्व में एक नई फिजा बनकर तैयार हुई।

मैं मारन साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है और देश का सम्मान बढ़ाया है। मैं उन्हें पुन: बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं समय का बहुत पाबंद हूं, तथापि मैं आपसे पर्याप्त समय देने का अनुरोध करता हूं ताकि मैं अपने विचारों को रख सकूं।

ठीक दोहा सम्मेलन की संध्या पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और गैर सरकारी संगठनों के बहुत से प्रतिनिधिमण्डलों की दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री के साथ बैठक हुई। माननीय प्रधान मंत्री ने उस बैठक में कहा था कि हम दबाव में नहीं आएंगे। किन्तु जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है और दोहा सम्मेलन की कार्यवाही से तो अलग ही कहानी उजागर होती है।

माननीय मंत्री, श्री मुरासोली मारन ने इस सम्माननीय सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में दावा किया है कि हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है तथा मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उन्होंने कुछ क्षेत्रों जैसे कृषि पृथक पहचान, सिंगापुर मुद्दा, 'ट्रिप्स' जन स्वास्थ्य तथा अन्य कई क्षेत्रों में भी उपलब्धियों का दावा किया है। मैं यहां उन सभी मुद्दों का जिक्र नहीं करना चाहता।

यहां बहुत-सी बातें कही गई है उनमें से अधिकांश बातें इस चर्चा को प्रारंभ करने वाले श्री रूपचन्द पाल और इस सदन के अन्य माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा कही गई है। मैं सभी मुद्दों पर चर्चा न करके सिर्फ कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा।

इस सम्माननीय सभा में, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने बताया कि हमारा देश भारत किसी के दबाव में नहीं आया है किन्तु इसके ठीक विपरीत हुआ है। यह विश्वास करने योग्य नहीं है। इस पर कौन विश्वास करेगा ? उनका दावा है कि अमरीका और दूसरे विकसित देश भारत के दबाव में आए हैं। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं ?

जहां तक तक कृषि का संबंध है, भारत ने निर्धारित समय से पहले ही मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए हैं इससे हमारी कृषि तबाह हो गयी। यह बात सभी को मालूम है। माननीय मंत्री जी कृषि के संबंध में बातचीत के दौरान मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में आग्रह करने के हमारे अधिकार को प्रस्तुत करने में कामयाब नहीं रहे। मेरे विचार से कृषि सब्सिडी के मामले में विकासशील देशों के लिए यह सबसे बड़ा आघात है।

यह सभी को मालूम है कि विकसित राष्ट्र इस पर 300 बिलियन डालर खर्च करते हैं जो विकासशील राष्ट्रों में कृषि को प्राप्त होने वाली सरकारी सहायता राशि का पांच गुना है। भारत विभेदपूर्ण व्यवहार वाले खंडों को नहीं हटवा सका तथा अपने किसानों के हितों के रक्षार्थ कुछ नहीं कर सका। इसके विपरीत, बातचीत का उद्देश्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों के लिए बाजार उपलब्ध कराने संबंधी प्रगति तक ही सीमित रहा। क्या यह विकसित राष्ट्रों के दबाव के सामने घुटना टेकना नहीं हुआ।

दोहा घोषणापत्र में निर्यात पर राजसहायता समाप्त करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। यही नहीं, वार्ता के दौरान हम विकसित देशों के कार्यक्रम लागू न करने पर भी दबाव नहीं दे सके। हमने मात्रात्मक प्रतिबन्धों को उनसे पहले कार्यान्वित किया है। परन्तु हमने विकसित देशों द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर भी दबाव नहीं डाला। क्या यह विकसित देशों के दबाव के आगे घुटना टेकना नहीं है। सिर्फ यही नहीं, वार्ताओं के दौरान हम भारतीय लोगों, विशेष रूप से भारतीय किसानों की आकांक्षाओं और सुरक्षा के मुद्दे पर भी कामयाब नहीं हुए।

महोदय, चूंकि समय की पाबंदी है इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के अंत में कहा है कि मात्र यह शुरूआत है। किन्तु यह इतना बड़ा दावा है कि यह शुरूआत प्रतीत नहीं होती। मैं कहता हूं कि जी हां, यह शुरूआत है पर जीरो से शुरूआत है। हमने जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की वह मात्र जीरो हैं। अच्छी दौड़ की शुरूआत के लिए जीरो बुरा नहीं है। इसलिए, मैं समझता हूं कि उन्हें अपने देश के किसानों की उम्मीदों को महसूस करना चाहिए तथा उन्हें सोचना चाहिए कि भारत के पास एक बहुत ही बड़ा बाजार है। यह कहा जाता है कि भारत निर्धनों का देश है। किन्तु भारत एक गरीब देश नहीं है। वस्तुत: हमारे यहां व्यापक संभावनाएं है और यदि हम अपने देश के हितों के रक्षार्थ संघर्ष करते है तो बहुत से विकासशील देश हमारे साथ आ सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में एक संयुक्त मोर्चा बनायाजाना चाहिए था। हमारा देश ऐसा करने में नाकाम रहा है।

मैं इसके साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि दोहा घोषणापत्र में, हमारे माननीय मंत्री श्री मुरासोली मारन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल विकसित देशों के दबाव में झुक गया और वह राष्ट्र के हितों और सामान्यत: किसानों के हितों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, डब्ल्यू० टी०ओ० का दोहा में जो सम्मेलन हुआ, उस पर आज यहां चर्चा हो रही है। यह न केवल राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपने भारत की भूमिका। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : छ: बज गए हैं, यदि सदस्यों की सहमति हो तो इस विषय के पूरा होने तक समय बढ़ाया जाए।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : इसके लिए समय बढ़ा दिया जाएगा लेकिन चर्चा कल हो।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस अत्यन्त जटिल और तकनीकी विषय पर चर्चा हेतु अपेक्षित समय दें। किसी के तर्क की व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। महोदय, क्या मैं आपसे इस सभा का समय बढ़ाने तथा इस चर्चा को आज ही समाप्त करने के लिए अपेक्षित समय देने का अनुरोध कर सकता हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा के समाप्त होने तक इस सभा का समय बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बी०ए०सी० ने इस विषय के लिए तीन घंटे तय किए थे, वे समाप्त हो चुके हैं।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : समय बढ़ाया जाए, लेकिन कल के लिए रखा जाए, जिससे पूरी चचा हो सके।

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं मानता हूं कि इस चर्चा को हम आज ही समाप्त कर सकते हैं।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, आप सभा का समय बढाएं पर हमें चर्चा आज ही समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सात-आठ सदस्यों को अभी बोलना है। सदन की अनुमति हो तो सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं कह रहा था कि दोहा में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को माननीय मंत्री मुरासोली मारन जी ने निष्ठा से और ईमानदारी से अपने देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखने का प्रयास किया, जो सराहनीय है। मैं मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सभापति जी, आप मैं और यह 1996 में एक साथ रहे हैं दोहा में शुरू में ऐसा लग रहा था कि भारत अड़ा हुआ है। अपने देश के किसानों के हित में और अपने आर्थिक हित में पूरी तरह अड़ा हुआ है। मंत्री जी ने विकासशील देशों की वकालत पूरी दृढ़ता से काबलियत से और बुद्धि से करने का काम किया। उनकी निष्ठा पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। मणि शंकर अय्यर जी बड़े जोरशोर से पूरी लाठी मार रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब सांप बिल में चला गया, 1991 से 1994 के बीच में ही चला गया था, अब आप लाठी क्यों भांज रहे हैं। गैट समझौता उस समय हुआ था इसलिए सांप तो उसी समय बिल में चला गया था, अब लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं है।

मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। लेकिन जब बरसा नहीं, कृषि सुखान, यानी बिना बारिश के कृषि सूख जाती है, 1991 से अब तक नौ साल से ऊपर हो गए हैं, जब गैट का एग्रीमेंट हुआ था और विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। उस समय डब्ल्यू०टी०ओ० के अंतर्गत प्रथम चरण में ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन की शुरूआत हुई थी, उस वक्त भारत के किसानों की, विकासशील देशों के गरीब लोगों के हितों की समीक्षा होनी चाहिए थी। विश्व व्यापार संगठन के डिक्लेरेशन में जो आया है। वह सदन के सामने है। मणि शंकर जी, मुझे माफ करना, यह एक ऐतिहासिक भूल थी और यह आपकी सरकार के समय 1991 से लेकर 1994 तक जो कुछ हुआ, उसका परिणाम है। भारत को उस समय अपने हित के लिए अड़ना चाहिए था, लेकिन वेसा नहीं और ऐतिहासिक भूल हमसे हुई। आज गलत दिशा में एक गलत रास्ता अख्तियार हो गया है। अब यह कहें कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच को डिगा देंगे, तीसरी दुनिया के देश एक हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज विश्व व्यापार संगठन में तीसरी दुनिया के देशों का क्या वजूद है, यह डिक्लेरेशन में साफ है कि उनकी क्या हैसियत है। मंत्री जी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। 14 नवम्बर को मंत्री स्तर की ड्राफ्टिंग कमेटी में भारत के भी सदस्य होने के नाते उन्होंने कहा :–

[अनुवाद]

> "दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसके विपरीत, हमें इससे पर्याप्त लाभ हुआ है।"

[हिन्दी]

सदन में अपने स्टेटमेंट में आगे कहा गया :–

[अनुवाद]

> "तथा मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।"

[हिन्दी]

आगे चलकर बहुत जबर्दस्त ढंग से यह भी कहा गया है :–

[अनुवाद]

> "कृषि के प्रति भारत की मुख्य चिंता का इस घोषणा में समुचित ध्यान रखा गया है।"

[हिन्दी]

दोहा में 14 तारीख को जो डिक्लरेशन हुआ है, उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर को पूरा सेफगार्ड किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, कैसे सेफगार्ड हुआ है ? डिक्लरेशन के पैरा-13 में एग्रीकल्चर के बारे में कहा गया है। इस संबंध में विद्वान सदस्यों ने अपनी बात कही है। जैसा मैंने पढ़कर सुनाया है :

[अनुवाद]

"कृषि के प्रति भारत की मुख्य चिंता का इस घोषणा में समुचित ध्यान रखा गया है।"

डिक्लरेशन के मसौदे में आगे लिखा है :–

"हम व्यापक बातचीत के लिए वचनबद्ध हैं जिसका उद्देश्य, बाजार उपलब्ध कराना, निर्यात संबंधी सभी प्रकार की राजसहायता को चरण बद्ध तरीके से कम करना तथा व्यापार – विकृति घरेलू सहायता ट्रेड डिस्टार्टिंग डौमैस्टिक सपोर्ट में कमी लाना है।"

[हिन्दी]

जैसा इसमें लिखा है – ट्रेड डिस्टार्टिंग डौमैरिटक सपोर्ट – इसका अर्थ हमारे जैसा कम बुद्धि वाला व्यक्ति, जो किसान वर्ग से आता है, समझ नहीं पा रहा है। माननीय मंत्री जी को इसको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम०एस०पी०) है। कहा गया है, दोहा में किसानों का बड़ा भारी सेफगार्ड हुआ है, इसलिए मंत्री जी को इसको क्लीयर करना चाहिए। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भारत को मार्केट मिलेगा या भारत दुनिया भर के देशों का मार्केट बनेना – क्या होगा ? इसका नतीजा क्या होने वाला है ? क्या यूरोपीय देश तथा युनाइटेड स्टेट्स फार्म सब्सिडी या एक्सपोर्ट सब्सिडी को हटाने को तैयार हैं – यह मैं जानना चाहता हूं ? अगर यह बात सही है, तो यूरोपीय यूनियन तथा यू०एस०ए० में क्या मतभेद हैं ? भारत को कहा जा रहा है कि ट्रेड डिस्टार्टिंग डोमैस्टिक सपोर्ट घटाइए। जो विकसित देश हैं, वे तीसरी दुनिया के देशों को, जो गरीब हैं या विकासशील देश हैं, कह रहे हैं कि आप ट्रेड डिस्टार्टिंग डोमैस्टिक सपोर्ट को घटायें, रिडक्शन करें, खत्म करें। मान लीजिए – पिछली खरीफ फसल में गेहूं की कीमत 610 रुपए प्रति क्विंटल एम०एस०पी० तय हुई। अब क्या आप इसको घटा कर 300 रुपए प्रति क्विंटल लायेंगे ? मतलब यह कि मार्केट में 610 रुपए प्रति क्विंटल और एम०एस०पी० के तहत 300 रुपए प्रति क्विंटल – मैं ऐसा समझता हूं। इसी प्रकार पैडी का प्रोक्योरमेंट पिछले सीजन में 530 रुपए प्रति क्विंटल और स्पेशल ग्रेड का 560 रुपए प्रति क्विंटल – क्या आप इसको घटा कर 400 रुपए प्रति क्विंटल लायेंगे ? इस बारे में क्या करना है, क्या परिणाम होगा, मंत्री जी बतायें। यह कहा गया है कि पाचवें मिनिस्टीरियल सम्मेलन सन् 2005 में इसको ठीक कर लेंगे। जनवरी सन् 2002 के लिए एजेंडा फिक्स हो जाएगा और मार्च, 2000 तक सारा काम कर लेंगे। फिर पटरी इस लाइन पर चलेगी। हम चाहते हैं, कामना करते हैं कि माननीय मंत्री जी को अधिक से अधिक ताकत मिले, संसद से मिले, देश से मिले, देश से मिले और वे मजबूती से हितों को ध्यान में रखते हुए, कदम उठायें। डिक्लरेशन में पूरी तैयारी की गई है। इधर लिखा है – ट्रेड डिस्टार्टिंग डोमैस्टिक सपोर्ट और उधर लिखा है – एस्पोर्ट सब्सिडी। क्या 250 से 300 प्रतिशत सब्सिडी आन-स्कीम पर घटायेंगे ? बहुत ही बुद्दिमत्ता से यह डिक्लरेशन तैयार किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जी को ताकत मिले। यह पार्टी लैवल पर बहस का मुद्दा नहीं है, देश के हितों का सवाल है। विकासशील देशों को इंडिया ने लीड करना है और अपनी भूमिका तय करनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत ट्रेड डिस्टार्टिंग डोमैस्टिक सपोर्ट को कितना डिस्टार्ट कर रहा है। इस बारे में भी भारत को बताना चाहिए।

किसानों को जो हम सबसिडी दे रहे हैं, उसमें उनको क्या नुकसान हो रहा है ? भारत ट्रेड को डोमैस्टिक सपोर्ट देकर कितना डिस्टौर्ड कर रहा है। यह सब करने के बाद भारत को क्या लाभ होगा, क्योंकि मल्टी नेशनल ग्रेन कम्पनी बड़ी ताक लगाए है, जो स्टोरेज प्रक्योरमैंट आदि सारा इंतजाम कर लेगा। इस देश में जो नया हिसाब बैठ रहा है उसका नाम मॉनसांटों और कारगिल है, इसमें क्या इंटरस्ट है, ये बड़ा भारी इंटरस्ट लेने चले हैं। अब मल्टीनेशनल कम्पनी ग्रेन का मालिक बनने जा रहा है। इन सब का कहीं दबाव न हो। भारत के हित में कहां फैसला लिया जा सकता है, यह देना होगा। कितना स्पैशल और डिफरैंशियल ट्रीटमैंट मिल पाएगा, यह देखना पड़ेगा। इंडिया में सबसे जरूरी हमारी फूड सिक्योरिटी है। दोहा के डैक्लरेशन से खाद सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। आज फूड सिक्योरिटी खतरे में है। इसे इफैक्टिवली नेगोशिएट करने के लिए क्या भारत अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर चुका है ? इसके मैंडेट के लिए भारत क्या कर रहा है ? क्या आप दूसरे देशों से सम्पर्क कर रहे हैं, जिससे हमारी इकॉनमी की क्षति न हो। क्या इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है ? दोहा में जो अभी हुआ, इसका क्या परिणाम निकल रहा है ? मुझे मंत्री जी की नीयत पर कोई आशंका नहीं है। इस बार भी उन्होंने वहां बहुत ईमानदारी से काम किया है लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकला ? जब काफी दबाव आया तो मंत्री जी को भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि सारा पाप ये लोग कर चुके हैं। मंत्री जी को चाहिए कि वह इसे ठीक कर दें क्योंकि सारा खेल उधर से 1991 से 1994 तक खराब किया गया। आप इस समय जितना चाहेंगे, परिस्थिति जहां है उसमें आप जितना कर रहे हैं उसमें और थोड़ा सौफ्ट हों, आपको इसे मान लेना चाहिए। पहले से एक लाइन चल चुकी थी। मारन साहब, आपने कहा था, दूसरा प्रारूप पहले से भी खराब है। सैंकिड राउंड जो हुआ तो आपने कहा था, एजेंडा तय करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

इसका विरोध करने के बावजूद क्या-क्या हो गया। सिंगापुर इश्यू, ट्रेड ऐंड इनवैस्टमैंट, ट्रेड ऐंड कम्पीटिशन, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और अच्छी व्यापार सुविधा को ड्राफ्ट डैक्लरेशन में स्थान मिल ही गया, जिस पर अभी रूपचन्द पाल जी चर्चा कर चुके हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं टैक्निकल निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। 2005 तक काफी

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

समय है, इस दौरान काफी नैगेसिएशन कर लेंगे। इस कमेटी में 2003 तक काफी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। एजेंडा काफी क्लीयर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हम 6 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब हमें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है।

सभापति महोदय, अगले जो भी राउंड हों, उसके लिए जनवरी से सावधान हो जाइए। जो सीड्स का मामला है, इस पर जो मनोपली होगी, जो महंगी सीड विदेशी होगी। उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। दोहा मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के बाद जो भी आगे डिसकशन हो, उसे प्रयारटी दी जाए, क्योंकि जो ट्रेड नेगेसिएशन कमेटी बैठेगी वह जनवरी, 2002 में कार्य प्रारंभ कर देगी और 2003 में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर 2005 के बाद अगर कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे।

इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे देश में फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। विकसित देशों की सब्सिडी हमारे देश के किसानों के रोजगार को खत्म करेगी, खेती को चौपट करेगी। डब्ल्यू०टी०ओ० के चलते जब मात्रात्मक प्रतिबंध उठा तो उसका परिणाम क्या हुआ ? हमारे देश में 610 रुपये क्विंटल एम०एस०पी० सरकार निर्धारित करती है तो अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में 400 रुपये से 450 रुपये प्रति मीट्रिक टन दाम हो जाता है। हमारा किसान उनसे कहां मुकाबला कर पायेगा ? इसलिए यह सवाल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक प्रतिबंध जल्दबाजी में 1 अप्रैल 2001 को उठाया गया। इस मात्रात्मक प्रतिबंध में बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन्स हैं। हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो इसको फिर से लागू करने पर हम तैयार हैं। इसलिए इस सवाल पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

दवाइयां, पब्लिक हैल्थ के बारे में जो जीत की बात कही गयी है तो मलेरिया या एड्स गरीब किसानों में कहां होता है ? एड्स हो रहा है उन लोगों को जो काम नहीं करते हैं, निठल्ले हैं, कमेरे वर्ग से नहीं हैं, जो मॉड्रेन संस्कृति में डूबे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत गरीब किसान और गरीब लोग हैं जिनको एड्स जैसी बीमारी की दवा की जरूरत पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर मेहनतकश लोगों को इसमें कोई खास विश्वास नहीं है और मैं आशा करता हूं कि हिंदुस्तान में यह बीमारी दवा के नाम पर न आये।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आने वाले डिस्कशन में वे आगे बढ़कर भाग लें।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

पिछले दस वर्षों से सांसद होते हुए भी मुझे यह अनुभव हो रहा है कि पहली बार 'गैट' या उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मैं इस सभा में, इस बात का गवाह रहा हूं कि जब भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। इस मुद्दे के अध्ययन के लिए हमेशा एक उपसमिति गठित कर दी गई और यह मामला संसद को वापस भेज दिया गया। आज, हम इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि इसके क्या प्रभाव होंगें किन्तु पहले हम यह मानें कि जब 1991 में चर्चा आरंभ की गई तो इसके सामांनातर देश में अयोध्या से संबंधित मुद्दा चल रहा था। जब भी गैट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा तो इस सभा में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसमें अयोध्या मुद्दे के कारण यह सभा कार्य ही नहीं कर पाई। मुझे उन संगठनों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने यह मुद्दा उठाया और मैं अंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडल के उन सदस्यों के नाम भी नहीं लूंगा जो उस अवधि के दौरान इस मुद्दे को निपटा रहे थे।

अब हम इसके परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं वाद-विवाद सुन रहा हूं और मुझे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के कुछ पहलूओं का भी पता है। कुछ का विश्लेषण तो किया गया है। मंत्री महोदय ने अपने प्रारंभिक भाषणों के दौरान जब नेक घोषणा करी थी कि जिसे वे अंत तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए हैं।

डरबन सम्मेलन में मैं 20 दिनों से भी अधिक रहा हूं। यह सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय घटना से संबंधित था जिसमें जाति से संबंधित मुद्दे के उस पहलू पर चर्चा की गई थी कि इसे घोषणा में सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं। मुझे 163 देशों के 79 प्रतिनिधियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 69 में से शुरू में 59 देश जाति के समावेश के पक्ष में थे। ब्राजील के कुछ देश और यूरोपीय देश जाति के दूसरे पहलू को लेकर चिंतित थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। उन विचार-विमर्शों में मैंनें पाया कि इस मुद्दे पर जो देश जो हमारे पक्ष में थे वे अगले दिन बदल गए।

जब हमने यह पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, ''देखिए, यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है, हमें भारत सरकार से कुछ रियायतें प्राप्त हुई हैं और भारत सरकार ने हमें कुछ वचन भी दिए हैं।''

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि डरबन सम्मेलन से जाति का मुद्दा हटाने के लिए क्या हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और क्या हम इस सीमा तक वचन दे रहे हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है।

दूसरा मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं। मेरे सहयोगी इस पर पहले ही विस्तार पूर्वक रोशनी डाल चुके हैं। यदि मंत्री स्तरीय सम्मेलन पांचवी बार होता है और वहां यदि निवेश, पर्यावरण और राज्यों द्वारा खरीद जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं और यदि इन मुद्दों पर कोई समझौता होता है तो क्या यह संसद देश में अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता खो देगी।

महोदय, राज्यों द्वारा खरीद भी मुख्य मुद्दों में से एक है जिससे हम इस देश में कृषि मूल्यों को नियंत्रित करते हैं। यदि यह व्यवस्था हटा दी जाती है तो इसका अर्थ होगा कि हम अपने किसानों को

ऐसे खरीददारों के हवालें कर रहे हैं जिनकी कोई नैतिकता नहीं है और जो किसी नैतिकता का पालन नहीं करते। इन मुद्दों पर मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है, कि हम यह कह रहे हैं कि हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि हम एक हारी हुई लड़ाई ही लड़ रहे हैं क्योंकि 1991 और 1995 के बीच के शुरूआती दौर में हम जो प्राप्त कर सकते थे उसे प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि उस दौरान कई देशों ने जनमत संग्रह किया। इनके द्वारा उन देशों ने वह रियायत प्राप्त की जो उन्हें चाहिए थी।

सायं 6.22 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

किंतु मैं यह जानता हूं कि हमारे हाथ में एक पहलू तो है ही। यह है देश में "विकसित हो रहा बाजार"। जैसा कि हमने देखा है कि पूरा विश्व मंदी का शिकार है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में तेजी का दौर भी है जब नई पीढ़ी ने पश्चिमी देशों में काम करना शुरू कर दिया है। आज, मंदी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बढ़ी नहीं है। नई पीढ़ी ने अपना जीवन अभी प्रारंभ नहीं किया है, जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यह, सात जीरण वर्षों के बाद प्रारंभ होगा। तो, हमारे पास सात वर्षों की अवधि है और एक राष्ट्र के रूप में हम यह मान सकते हैं कि एक नया खरीददार वर्ग आने वाला है।

आज, हमारे यहां करीब 22 मिलियन मध्यम वर्गों लोग हैं जो अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सम्पन्न वर्ग हैं। हमारे यहां कुल जनसंख्या का करीब 37 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। यदि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 37 प्रतिशत आबादी के मात्र, पांच प्रतिशत को मध्यम वर्ग में लाने का उचित निर्णय लें तो इससे हमारे यहां करीब 10 करोड़ नए उपभोक्ताओं की वृद्धि होगी। यह वर्ग व्यापारी वर्ग हो सकता है। यह वर्ग इनके अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए यह एक मुद्दा भी हो सकता है।

तो, यह कोई पृथक मुद्दा नहीं होगा। यह हमारे देश की विदेश नीति और आर्थिक विकास का सांझा मुद्दा होगा। इसलिए जबतक हम यह नहीं बतायेंगे तो कि हम इस देश में एक नया उपभोक्ता वर्ग तैयार कर रहे हैं, तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि वे कृषि और वस्त्र के क्षेत्र में वे जो भी रियायतें चाहते हैं दे दी जाएंगी क्योंकि पश्चिमी विश्व, संघ यूरोपीय देशों और अमरीकी महाद्वीप को बने रहने और अपने उत्पादन के लिए उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकता है।

अंत में, मैं यह जानना चाहता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि, मैं इस कूटनीति में लम्बे समय से हूं। विश्व और कूटनीतिज्ञों को इससे यह संदेश जाता है। कि हम अपने ही समाज को नष्ट करने वाली व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। हमने उदारीकरण और वैश्वीकरण के रास्ते चुने। जब हमने उदारीकरण का रास्ता चुना तो हमने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहे हैं। जब हमने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहे हैं। जब हमने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था खोलेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने यहां के सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर देंगें। अब हम सार्वजनिक क्षेत्रों को समाप्त कर रहे हैं, इससे विश्व के दूसरे भागों को यही संदेश मिला है कि हम अपने समाज के एक वर्ग के विरुद्ध हैं। निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के हो रहे निजीकरण का अर्थ यह है कि आप देश में मौजूद आरक्षण व्यवस्था को नष्ट करने की कगार पर हैं।

ये सभी मुद्दे परस्पर जुड़े हैं। यदि आप इस स्थिति से नहीं उबरे तो मेरा यह दृढ़ मत है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगें। क्योंकि स्विटरलैंड सरकार जाति संबंधी संकल्प को प्रायोजित करने के लिए तैयार थी किन्तु अमरीका के कहने पर उन्होंने इसे वापिस ले लिया। जब हमने इसका कारण पूछा तो हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए उनका जिक्र मैं सभा में नहीं करूंगा क्योंकि ये गोपनीय मुद्दे हैं। मैं यह आशा करूंगा कि सरकार हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता की रक्षा करेगी और हमें यह नहीं लगने देगी कि हम अपने समाज को नष्ट कर रहे हैं और हम जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इन मुद्दों का ध्यान रखेंगे।

डॉ० जसवन्त सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, दोहा की चर्चा काफी देर से चल रही है। मैं मंत्री जी को और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब तक जितने भी वक्ता बोले हैं, उन्होंने अपने भाषण में इतना तो कहा कि हमने क्या प्राप्त किया या इस सम्मेलन से भारत को क्या मिला। यह बहुत अच्छी बात है कि उनका रुख सकारात्मक रहा, परंतु किसी ने भी यह नहीं कहा कि मंत्री जी के वहां जाने से भारत ने कुछ खोया हो। किसी ने कम प्राप्त करने की बात कही और किसी ने ज्यादा प्राप्त करने की बात कही, परंतु सभी ने मंत्री जी के लिए यही कहा कि भारत सरकार का रुख अच्छा रहा। यह हकीकत है कि दोहा के सम्मेलन के पहले सिएटल में जो सम्मेलन हुआ था, वह कैंसिल हो गया था। उसमें एक राय नहीं बनी। उससे पहले उरुग्वे में कांग्रेस शासन के मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी गये थे। मैंने डब्यलू०टी०ओ०, में स्वयं जाकर नहीं देखा और न ही मैं वाणिज्य का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, लेकिन मैंने टेलीविजन पर चर्चा सुनी थी और विशेषज्ञों की राय देखी कि भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल और मंत्री जी दोहा जाने की तैयारी में थे तभी टेलीविजन पर विशेषज्ञों की राय अपनी शुरू हो गई थी और सभी यह कहने लगे थे कि श्री प्रणव मुखर्जी के समय, जिस तरह से भारत ने उरुग्वे में घुटने टेके थे, शायद इस बार भी भारत को अपने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। विकसित देश उस समय अपनी मनमानी चला चुके थे, अपने मन के फैसले ले चुके थे। शायद उनके मन में था कि इस बार भी ऐसा ही होगा, भारत का मंत्री आयेगा और चुपचाप बैठकर जो हम कहेंगे वह साइन करके चला जायेगा। चाहे हम पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, जहां भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती तो वहां हम पार्टियों के मैम्बर बाद में हैं सबसे पहले हम

[डॉ० जसवन्त सिंह यादव]

भारत के नागरिक हैं। हो सकता था कि मारन साहब भारत के किसी एक पत्रकार को पटा सकते थे, परंतु कोई भी मंत्री पूरी दूनिया के पत्रकारों को नहीं पटा सकता। पूरी दुनिया की प्रैस ने इस बार पहली दफा लिखा कि भारत के मंत्री ने अपना दृढ़ रवैया रखा और दृढ़तापूर्वक अपनी बात कही।

दुनिया के जो विकासशील देश थे जिनको विकसित देश दबाना चाहते थे, जिनके घुटने टिकवाना चाहते थे, उन विकासशील देशों को उच्चस्तरीय बात रखकर, जिस तरह से उनका बचाव किया और जो विकसित देश चाहते थे कि यह सम्मेलन भी रद्द हो जाए, हर अखबार और टीवी चैनल में था कि मारन साहब ने अपनी चतुराई, अक्ल और दृढ़ता तथा बौद्धिक ज्ञान से उस सम्मेलन को सफल कराया। इस बार उल्टा हुआ कि विकासशील देशों ने विकसित देशों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये जो चाहते थे, उसमें से कुछ खोया नहीं। पहले जो समझौते हुए थे, इन्होंने जो भी प्राप्त किया, वह कम से कम एक सफलता है।

अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि ओलंपिक गेम्स में क्या होता है विभिन्न देशों के खिलाड़ी खेलते हैं और जो प्रथम आता है वह स्वर्ण पदक ले जाता है। सब लोग उस पर खुशी जाहिर करते हैं। आज विकासशील देशों का नेतृत्व करने को हमें मिला और हर विकासशील देश ने भारत को अपना नेता माना। विकासशील देश भी इसे मानने पर मजबूर हुए कि भारत का मंत्री पहले वाला मंत्री नहीं है, पहली सरकार का मंत्री नहीं है। अब सरकार भी बदली हुई है और मंत्री भी बदला हुआ है। जो उनकी गलतफहमी थी, वह दूर कर दी कि यह मंत्री मंत्री औरों के घुटने टिका सकता है, पर खुद के घुटने नहीं टेक सकता।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भारत को क्या मिला। मैंने भी पढ़ा और चर्चाएं सुनी हैं। जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा पढ़कर सुना दूं। 'दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलता को विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।' यह मंत्री जी ने नहीं कहा, प्रेस लिख रही है, प्रेस के संवाददाता लिख रहे हैं, एजेन्सियां लिख रही हैं। 'दो साल पहले सियाटल और विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन वार्ता का नया दौर शुरू करने में असफल रहा था। अंतिम दिन तक अपने और विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत करते हुए भारत ने इस बैठक में काफी कुछ पाया है। भारत और विकासशील देश कड़े पेटेन्ट कानूनों के तहत भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, आपात जरूरत से निपटने के लिए सस्ती दवाइयां हासिल करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में भारतीय दवा निर्माता कंपनियां ऐसी सूरत में कानूनी तौर पर दवाओं की नकल बना सकेंगी, हालांकि इसके लिए उन्हें निर्माण की कोई प्रक्रिया अपनानी होगी। पश्चिमी दवा कंपनियां अंत तक इसका विरोध करती रहीं।' भारत कुछ पा ही रहा था, तभी वे कंपनियां विरोध कर रही थीं।

इसी तरह जो हमारी सबसिडी घटाने की बात कर रहे थे, वे विकसित देश अपने बारे में सोचने पर मजबूर हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। जिस तरह वहां अमेरिका के टीवी चैनल्स ने हमारे देश के मंत्री मारन जी के लिए शब्द इस्तेमाल किये, वह हमारे लिए गौरव की बात है। हर चैनल ने इस बात को कहा कि निर्यात कानून के बारे में भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा गया, जहां पर मंत्री जी को दबना पड़ा हो। फिर भी हमारे दोस्त एक ही बात कहते रहे।

सभापति महोदय, अभी आप बोल रहे थे कि कुछ काम इन्होंने गलत किये, देश इनकी सज़ा भुगत रहा है और मारन जी ने उसको पटरी पर लाने की कोशिश की है, सरकार ने पटरी पर लाने की कोशिश की है। दूसरों की गलतियों को सुधारने में बहुत समय लगता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज जिस तरह से इस देश का मान और सम्मान मंत्री जी ने बढ़ाया है, हमें इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह हकीकत है कि हमें इस तरफ और ध्यान देना पड़ेगा, माननीय मंत्री जी को और कड़ा रूख अपनाना पड़ेगा कि यहां के किसानों की खेती हकीकत में व्यापार नहीं है, यह आजीविका है।

सभापति महोदय, अमरीका और दूसरे विकसित देशों के किसानों की खेती व्यापार है क्योंकि उनके पास एक हजार, दो हजार और चार हजार बीघे जमीन है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का आधा घंटा है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : सभापति जी, मंत्री जी से हम उम्मीद भी कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पक्ष को वहां बहुत दृढ़ता से रखा है। हमारे देश के किसानों को संरक्षण की जरूरत है। वहां के किसान की खेती व्यापार है, लेकिन हमारे किसान की खेती व्यापार नहीं बल्कि आजीविका है। जो कुछ किसान खेती में पैदा करता है उसे बेचकर वह अपने बच्चों की शादी करता है, उन्हें पढ़ाता-लिखाता है। ऐसे किसानों को बचाने के लिए जहां-कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़े, वह निश्चित रूप से लड़नी चाहिए।

सभापति महोदय, मणिशंकर जी यहां नहीं बैठे हैं। मैं उन्हें कई बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए कैसे मंत्री जी को 36 घंटे तक चर्चा करनी पड़ी। विकसित देशों से दिन-रात वार्ता कर के जिस तरह इन्होंने अपनी बात को रखा और मनवाया, वह वाकई काबिले तारीफ है। यह अखबार में लिखा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अपने भाषण के बीच में टोका-टोकी को क्यों इनवाइट कर रहे हैं ?

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : सभापति जी, मैं और मेरी आत्मा बार-बार प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रही है जिस प्रकार से आपके

कारनामे थे, उनसे इस देश को बचाने के लिए मुरासोली मारन साहब और प्रधान मंत्री जी को मैं बार-बार धन्यवाद देता हूं। आपके समय में डब्ल्यू०टी०ओ० एक हौव्वे के रूप में किसानों व्याप्त था। इसके डर के मारे कुछ किसानों ने आत्महत्याएं की क्योंकि आप लोगों ने किसानों को मारने के लिए व्यूह रचना की थी। मंत्री जी ने उससे उन्हें मुक्त कर दिया और एन०डी०ए० की सरकार तथा मंत्री जी ने कहा कि इस सरकार के होते हुए किसानों का कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता है। भारत का किसान सुरक्षित है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, दोहा सम्मेलन की बड़ी चर्चा है और बड़ा बोलबाला है। हम लोगों ने भी मारन साहब को पीठ ठोक कर भेजा था कि जाइए, दोहा में लोहा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां बहुत हंगामा हुआ और सरकार के लोग अपनी तरफ से खूब पीठ ठोक रहे हैं कि बाजी मार ली।

महोदय, मंत्री स्तरीय अंतिम घोषणा के क्लॉज़ 52 को देखिए, जिसे हमने देखा है। प्रथम क्लॉज में ही सबसे गलत बात लिखी हुई है। उसमें कहा गया है कि डब्ल्यू०टी०ओ० होने से सबकी इकोनौमिक ग्रोथ हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है और इम्प्लाइयमैंट हो रही है। इतने भारी असत्य से शुरूआत हुई। उसी में हो रहा है कि बड़ा भारी कांड हो गया। कपड़े के मामले में मंत्री जी का स्टैंड जरूर हुआ कि काले बादल गरजे लेकिन बरसात नहीं हुई, ऐसा हमको लगता है। लाभ कुछ नहीं हुआ, कहने के लिए कुछ हुआ। उसमें क्या गड़बड़ हुई ? कपड़े के मामले में टोटल फेल हो गए। यह हुआ कि मात्रात्मक कोटा खत्म हो। अमरीका अड़ गया और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और पता नहीं कौन-कौन से देश बोलते रहे, सब लोग कुछ नहीं कर सके और अमरीका अड़ गया। अमरीका, यूरोपियन कंट्रीज और विकसित देशों की दादागिरी है, यह साबित हो गया। यहां सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। ब्रिटेन, अमरीका और विकसित देशों में भी यह हो रहा है कि हम जीत गए, जो चाहा सो करवा लिया। दोनों में से किसकी बात में सच्चाई है। वे लोग भी अपनी पीठ ठोक रहे हैं। अमरीका का प्रतिनिधि यहां आया था। उन्होंने कहा, खबरदार, अगर उसमें हेराफेरी की तो भुगतान पड़ेगा। अमरीका वाला ऐसी धमकी देकर गया है। इस तरह अमरीका की दादागिरी चल रही है।

यह बात हुई कि सबसिडी कम कीजिए। वे सबसिडी कम नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। वे 35,000 करोड़ डालक की सबसिडी दे रहे हैं। विकासशील मुल्क केवल 17,000 करोड़ डालर का ही व्यापार करते हैं। यदि वे अपनी सबसिडी घटा दें, जो ऐग्रीमैंट में है, इन्हें कहा कि हम इस पर फेजवाइज विचार करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, अपनी सबसिडी नहीं रोकी। हमारे ऊपर सब प्रतिबंध लगते हैं। कपड़े वाले मामले में फेल हुए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, अमरीका अड़ गया कि 1995 से पहले कोटे को खत्म करने वाले नहीं हैं।

ट्रिप्स के मामले में इन्होंने दावा किया है कि महामारी की दवाई के दामों के पेटेंट में जो मोनोपोली चलती है, वह नहीं होगी। हमारे देश में हैपाटाइटिस बहुत हो गया। एक सुई का दाम 1200 रुपये है क्योंकि हमारे देश के पेटैंट कानून में प्रोडक्ट पर पेटैंट होता है, वहां वाले कानून में प्रोसीजर पर पेटैंट होता है। हमारे यहां दवाई का पेटैंट पांच से सात साल में खत्म हो जाता है लेकिन वहां का कानून कहता है कि बीस साल तक पेटैंट रहेगा, मतलब हैपाटाईटिस बी की सुई, जो क्यूबा वाला मुल्क बनाए, 1200 रुपये प्रति सुई गरीब आदमी कहां से लाएगा। ये कहते हैं कि हमें महामारी की दवाई में छूट मिली है लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, बंगलादेश, अमरीका और ब्रिटेन में दवाइयों का दाम हमारे यहां से पचास गुना ज्यादा है। जो गोली हमारे यहां एक रुपये में मिलती है वह वहां बीस रुपये की है। इसके चलते हिन्दुस्तान में गरीब आदमी के लिए बहुत संकट होगा।

किसानों के मामले में सुनते हैं कि बासमती का पेटैंट वहां करवा लिया और लोग केस चला रहे हैं। हमारे यहां की जड़ी-बूटियां जैसे हल्दी, तुलसी, नीम, चिरौता, हरड़-बहेड़ा, इन सबको पेटैंट के लिए करवा रहे हैं। यह भी सुनते हैं कि कड़ी, जो हम गांव में खाते हैं, जापान ने उसे पेटैंट करवा लिया है।

इस तरह से पेटेंट के नाम पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत हमारे देश के गरीबों पर खतरा मंडरा रहा है। बीज के बारे में भी कहा गया है कि बाहर से बीज आएगा, तो यह टर्मिनेटर वाली बात हो रही है। पुराने जमाने में किसान अगल-बगल से बीज ले लेते थे और बो देते थे। लेकिन अब हर साल नया बीज खरीदना पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इससे किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकेगी।

पिछली बैठक में कहा गया था कि पर्यावरण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर 2003 में चर्चा होगी। मैं कहना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन से पर्यावरण को भी भय है। कहते हैं कि यह आवश्यक, एवील है। पुराने जमाने की कहावत है कि एवील मेक्स मैन डेवील। इसमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। हम दुनिया का छठा हिस्सा हैं, हमें वहां दृढ़ता से अपनी बात कहनी चाहिए थी। यह कहना चाहिए था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम इस संगठन में नहीं रहेंगे। सब जानते हैं कि हमारे बिना दुनिया का कोई संगठन नहीं चल सकता। जो विकसित देश हैं, हमारे यहां जितना अनाज में भूसा होता है, उतना वहां एक साल का उनका भोजन होता है, फिर कैसे वे हमारी बात टाल सकते हैं। ये लोग मानसिकता से विश्व व्यापार संगठन के साथ हैं इसीलिए कहते हैं कि अगर हट जाएंगे तो हमारा भला नहीं होगा। आपको पता होगा कि पहले चीन इसमें नहीं था, अब शामिल हुआ है, जबकि उसका व्यापार बहुत विस्तृत है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आप देखें, चाइनीज सामान की भरमार है। चीन में बनी हुई गणेश जी की मूर्ति 50 रुपए में यहां मिलती है, जबकि महाराष्ट्र में वही मूर्ति 500 रुपए में मिलती है, क्योंकि वह वहां बनी है। इसी तरह से हमारे यहां बने हुए फानूस

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

की कीमत 1000 रुपए है, जबकि चीन से वही फानूस यहां आकर 200 रुपए में बिक रहा है। इसलिए हिन्दुस्तान को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, खुद को शक्तिशाली बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम दुनिया का छठा हिस्सा हैं इसलिए हमारी बात माननी चाहिए। हमारे बिना कोई संस्था नहीं चल सकती इस मनोबल से हमें अपनी बात कहनी चाहिए।

मणि शंकर जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री जी ने जिक्र ही नहीं किया। लेकिन हमें सूचना आई है कि प्रधान मंत्री जी ने मारन जी को कहा कि थोड़ी नरमी से चलें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको पता नहीं है कि खूंटे के बल पर ही बछड़ा कूदता है, अगर खूंटा कमजोर होगा तो हमारा भेजा गया प्रतिनिधि वहां क्या कर सकता है। हमने यह भी सुना कि आपने वहां भाषण दिया और उन लोगों को लगा कि हिन्दुस्तान इस वक्त कठोर है। जब प्रधान मंत्री जी के बारे में पता लगा कि उन्होंने आपको नरमी से चलने की कही है, तो कैबिनेट का एक मंत्री अकेला वहां क्या कर सकता है। यह देश के हित का प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहिए।

एंटी डम्पिंक के बारे में कहा गया कि कानून बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा भारी फायदा हुआ है। लेकिन कृषि में, कपड़ा में जो प्रतिसपर्धा है, उसको एंटी डम्पिंक से कैसे पाटोगे। ट्रेड रिलेटिड की बात कही गई, जिसे ट्रिप कहते हैं, उसमें भी यह है कि प्रतिस्पर्धा होगी। हिन्दुस्तान का किसान कैसे प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा। उससे निपटने के लिए आप कौन सा कानून बना रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं। इंवैस्टमेंट मैजर्ज की बात कही गई। पूंजी की हमारे यहां कमी है, तो यह कैसे होगा, यह भी साफ करें। कहते हैं कि गैट में आधुनिक सेवाओं का आदान-प्रदान होगा। लेकिन अपने यहां तो परम्परागत सेवा वाले लोग हैं, जैसे डाक्टर हैं, वकील हैं, मेहनतकश मजदूर हैं, उनका क्या होगा, इसका भी स्पष्टीकरण दें। थोड़ा सा रिलीफ अगर मिला है तो वह दवाओं के मामले में और सब्सिडी के मामले में है। इनको कहा गया कि सब्सिडी फेजवाइज घटा रहे हैं। जब डब्ल्यू०टी०ओ० के एग्रीमेंट में सब्सिडी कम करने की बात है तो यूरोपियन देश क्यों नहीं अपने यहां सब्सिडी कम कर रहे हैं। इसलिए सभी विकासशील मुल्कों को एकजुट होना चाहिए, ये मुल्क कुल संगठन का एक तिहाई हैं।

सबको संगठित करने के मामले में, मंत्री जी बतायें कि क्या प्रगति हुई। व्यापार के मामले में जो विदेश विभाग के दूतावास बने हुए हैं, उनसे क्या मदद मिली है ? हम वहां जाकर देखते हैं, तो वे लोग सब आराम से रहते हैं, उनको भारत के हितों की कोई चिन्ता नहीं है, जबकि उनका काम बात करके एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए। हिन्दुस्तान का सपना था कि वह तीसरे खेमे का नेतृत्व करे। एक खेमा तो खत्म हो गया है और दूसरा खेमा बचा हुआ है और अमरीका तथा यूरोपीय देश सब दादागिरी चला रहे हैं और विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इन देशों को डराने, फंसाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन चार-पांच मामलों में विश्लेषण करके देखना चाहिए। अब सन् 2003 में होने वाले सम्मेलन के लिए तैयारी करें। अब कम से कम विकासशील देश एकजुट हो जायें। सन् 2003 के सम्मेलन के लिए मामले तैयार करने हैं। अगर काम कमजोरी, ढिलाई से किए गए, तो उसके परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे।

(व्यवधान) इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मल्टीनेशनल्स की पौबारा है, ब्लैक मार्केटियर्स की पाव-बारह है और प्रोफिटियर्स की पौबारा है और गरीब किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जिस तरह से हम आतंकवाद के खिलाफ जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से हमें इसके खिलाफ भी एकजुट हो जाना चाहिए। मेरे विचार से डब्ल्यू०टी०ओ० को खत्म कर देना चाहिए। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। जो देश दादागिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। कहा गया कि प्रैस में काफी प्रशंसा हो रही है। इंडिया टूडे में लिखा है – "पाया कम, खोया ज्यादा।" इसी पत्रिका में आगे लिखा है – "हिन्दुस्ता का संघर्ष सपाट समर्पण" यानि सरन्डर। इन समाचारों को पढ़कर कौन कह सकता है कि भारत की प्रैस द्वारा प्रशंसा हुई है। यह क्या इनकी उपलब्धता है, इसको भी मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महोदय, सदन में जो चर्चा चल रही है, वह दोरा में हुए डब्ल्यू०टी०ओ० के सम्मेलन से संबंधित है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि श्री प्रणव मुखर्जी पहले नायक हैं, जिन्होंने डब्ल्यू०टी०ओ० के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। उनसे अधिक कोई इस बात को नहीं जानता कि हस्ताक्षर के समय उनको क्या-क्या सहना पड़ा था। आजाद भारत में संप्रभु सरकार के वे प्रतिनिधि थे, लेकिन उनको बहुत जिल्लत सहनी पड़ी थी। उन्होंने इस बात को अपने भाषणों में भी उद्धृत किया है। लेकिन मैं आज वाणिज्य मंत्री, श्री मुरासोली मारन जी का अभिनन्दन करती हूं, उन्होंने विकासशील देशों का प्रखर नेतृत्व किया। उन्होंने विकाशील देशों के ट्रेड मंत्रियों को एक पत्र लिखा। वह पत्र का ऐतिहासिक पत्र है और एक मील का पत्थर है। उन्होंने दोहा में डब्ल्यू०टी०ओ० की चौधराहट के खिलाफ प्रखरता दिखाई और संघर्ष किया। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग उनकी शिकायत कर रहे हैं।

महोदय, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने डब्ल्यू०टी०ओ० का समर्थन किया और उस पर हस्ताक्षर किए, उसी समय से भारत की हालत खराब हो रही है। पेटेंट कानून की बात आई, यह सच्चाई है कि पेटेंट कम्पनियों ने हमारे देश में नीम, हल्दी तथा और कई चीजों का पेटेंट करा लिया है। इससे सिर्फ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ मिला है। उनकी यह नीति है कि जो चीजें उनके अनुकूल नहीं होती है, उसे वे नहीं मानते। इससे हमारे भारत को बहुत लॉस हुआ है और यह पेटेंट कानून एक मीठे जहर की तरह है, जो भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमें काफी घाटा हुआ है। अमेरिका किसानों को सबसिडी दे रहा है, जिसे इन्होंने प्रोटेक्टिव सबसिडी का

नाम दिया है। कृषि पर उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए सबसिडी दी। भारत में किसान को खाद, बीज, बिजली आदि किसी चीज पर भी सबसिड़ी नहीं मिल रही है। इस कारण भारत अगले 10-20 वर्षों में भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि भारत भी ऐसा कोई नियम बना दे, जैसे अमेरिका ने बनाया हुआ है। वह प्रोटेक्टिव सबसिडी के नाम से चैक के द्वारा सबसिडी देता है, उसी तरह भारत में भी बनाया जाए ताकि किसानों को भी, हमारे कृषि प्रधान देश को भी सबसिडी मिल सके। हमने विश्व व्यापार संगठन को इसलिए बढ़ावा दिया कि हमारे देश में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, लेकिन यह सच्चाई है कि भारत में बेरोजगारी दूर नहीं हुई। डब्ल्यू०टी०ओ० की जो नीयत है, विश्व व्यापार संगठन की जो शर्तें हैं उन पर चलते हुए हम अपने देश के व्यापार, उद्योग और कृषि को नुकसान ही पहुंचाते जा रहे हैं। आज हमारे देश के सारे उद्योग-धंधे बंद होने के कगार पर है, मंदी की चपेट में है। ऐसे में हमारा और हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि डब्ल्यू०टी० ओ० की शर्तों को निभाते हुए उद्योग को कैसे संरक्षण और बढ़ावा दें, उसे कैसे नई टैक्नोलॉजी प्रदान करें, जिससे हमारे उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिल सके।

महोदय, बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौते में सुधार करने की बात पर क्या फैसला हुआ, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संकट और जरूरत के समय दवाओं के पेटेंट को किनारे करने का मुद्दा अहम् है। इसमें क्या हुआ ? पेटेंट कानून के संबंध में क्या वार्ता हुई, यह भी मैं जानना चाहता हूं ?

महोदय, अंत में मैं माननीय मॉरन साहब को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने दोहा में भारत की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय करारों के साथ-साथ हमारे देश का हित देखना भी उनका दायित्व है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, डब्ल्यू०टी०ओ० में अपनी भूमिका को जिस तरह उन्होंने प्रभावी ढंग से निभाया है उसी तरह आगे भी अपने देश के हित को देखते हुए प्रभावी ढंग से निभाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन : महोदय, ये क्या है ? मैं समझ नहीं पाया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

जितना समय इसके लिए तय हुआ था, उतना समय समाप्त हो गया है। छः बजे एक घंटे का समय बढ़ाया गया था, वह समाप्त हो गया है, अब सात बज गए हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : समय एक घण्टा बढ़ा दिया गया है। *(व्यवधान)* हमारी ओर से केवल एक या दो माननीय सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं केवल यही पता करना चाहती हूं कि मुझे बोलने के लिए कितने मिनट मिले हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपसे एक अपील करता हूं। यह ऐसा मुद्दा है जो सभी राजनैतिक विवादों से परे हैं। यह राष्ट्र से संबंधित विषय है। कार्य मंत्रणा समिति में हम इस बात पर सहमत हुए थे कि जब तक हम अपने भाषण समाप्त नहीं करते तब तक यह चर्चा जारी रहनी चाहिए और माननीय मंत्री को आज रात ही इसका उत्तर देना चाहिए। *(व्यवधान)* ठीक है, इसे उसी दिन समाप्त करना चाहिए। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिए। हम कई नई बातें सीख रहे हैं, इसमें गलत क्या है ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय दासमुंशी जी, आप विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं और बी०ए०सी० के भी मेम्बर हैं। आपको मालूम है कि बिज़नेस एडवायरज़री कमेटी में इसके लिए तीन घंटे का समय तय हुआ था। तीन घंटे के बार सदन की सहमति लेकर एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया और अब चार घंटे हो गए हैं। आपकी तरफ से मणिशंकर अय्यर जी ने काफी विस्तार से अपनी बातों को रखा है।

सायं 7.00 बजे

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं सम्मानपूर्वक आपकी बात में थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि यह 3 बजे प्रारंभ होकर 6 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात् यदि हमें और समय की आवश्यकता होगी तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। *(व्यवधान)* कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की गई है।

श्रीमती श्यामा सिंह : हम बोलने के लिए बहुत अधिक इच्छुक नहीं हैं। इन विषयों के लिए बहुत ध्यान और बहुत समय की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : काफी पाइंट्स आ गये हैं उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप उनको रिपीट करेंगी तो चेयर से मैं अपको बोलने से रोक दूंगा। अगर आपको नये पाइंट्स बोलने हैं तो आप बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई नया मुद्दा है तो आप उसे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : जी हां, महोदय। दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन को बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इसमें भाग लेने वाले लगभग सभी मुख्य प्रतिनिधिमंडलों को वांछनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। जब इतने अधिक देशों में इतना मतभेद हो, तो ऐसा किस प्रकार संभव है ? उदाहरण के लिए लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र 'द फाइनेंशियल टाइम्स' में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे दोहा सम्मेलन से कुछ नहीं मिला। भविष्य में कोई भी बुद्धिमानी से काम ले सकता है और वह वास्तविकता है कि सारा विश्व वैश्वीकरण की इस ऐतिहासिक लहर की चपेट में है। राष्ट्र के रूप में हमें अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विचार करना होगा। अत:, हमें मिलजुलकर इस ऐतिहासिक लहर का सर्वोत्तम उपयोग करना पड़ेगा। स्वयं विश्व-व्यापार-संगठन-समझौता भी काफी सीमा तक इकतरफा था। चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं सीधे-सीधे अपने विषयों पर आती हूं, जिसके चार भाग हैं।

मैं पर्यावरण से अपनी बात शुरू करती हूं। मंत्री महोदय ने बताया था कि कृषि के क्षेत्र में थोड़ा फायदा करने के लिए पर्यावरण क्षेत्र में थोडा बहुत समझौता किया। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण के क्षेत्र में हमने क्या काम किया है। दोहा सम्मेलन के उपरांत यूरोपीय संघ ने अपने मूल्यांकन में यह दावा किया था कि यह घोषणा सदस्यों को ऐसे उपाय करने का अधिकार प्रदान करती है जो वे राष्ट्रीय संदर्भ में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरणीय हितों के अनुकूल मानते हैं। अन्य शब्दों में, सदस्य राष्ट्र पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विश्व नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। क्या इसी वजह से हमारी निगाहें दोहा सम्मेलन पर टिकी हुई थी ? मंत्री महोदय ने जो दावा किया है, यदि उस पर ध्यान न दिया जाये, तो वह एकमात्र इसी बात से बचने का प्रयास कर रहे थे। यूरोपीय संघ के लिए यह उपलब्धि हो सकती है परन्तु हमारे लिए तो यह बहुत बड़ा घाटे का सौदा रहा है। हमने पर्यावरण को मुख्य विषयों से अलग-रखने की उम्मीद की थी परंतु हुआ इसके विपरीत ही। मुझे आशंका है कि इससे बाजार-पहुंच में अड़चन उत्पन्न होगी और हम इससे अधिक संतुष्ट नहीं हो सकते।

दूसरे, मैं कृषि की बात करना चाहती हूं। यह ऐसा विषय है जिस पर इस सभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री मणि शंकर अय्यर के अलावा कोई नहीं बोला है और वह भी इस पर अपनी पूरी बात नहीं कह सके। हमें बताया गया था कि हमारी पर्यावरण पर हार इसलिए हुई है क्योंकि कृषि ने हमारी जीत हुई है। चलिए, कृषि पर विचार करते हैं। दोहा सम्मेलन से पूर्व कृषि पर वार्ता करना पूर्व मराकेश समझौते का एक भाग था। वास्तव में, यह विचार उस समझौते का अंश था कि भारत जैसे गरीब विकासशील देश को खाद्य-सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाना चाहिए और हमने एक प्रोत्साहक ढांचे की अनुमति दी थी। यह भी अपने आप में स्पष्ट था कि जिन विकासशील देशों की राजसहायता के स्तरों से अन्य राष्ट्रों के लिए गंभीर व्यापार अड़चनें होती हैं, उनके लिए राज-सहायता ढांचे को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना कोई नई उपलब्धि नहीं है।

सभापति महोदय : आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, कृपया मुझे यह बोलने की अनुमति दी जाये। यदि आप समय को लेकर ही किसी के बीच में व्यवधान डालते रहेंगे, तो जो आप बोलना चाहते हैं वह नहीं बोल पायेंगे और यदि आप दृढ़ विश्वास के बिना बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमें बताया गया है कि हमें पर्यावरण के क्षेत्र में नुकसान हुआ है और कृषि में उपलब्धि हुई है। यह उपलब्धि मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत मसौदे को नकारने से प्राप्त हुई क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसे परिवर्तन आये, जो हमारे फायदे मंद हैं। मंत्री महोदय कृपया करके हमें जो फायदे हुए हैं, उनसे अवगत करायें क्योंकि मेरे विचार से हमें फायदा नहीं घाटा हुआ है। प्रस्तावित मसौदे में हमारे लिए नुकसानदेह कृषि निर्यात राजसहायता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान था क्योंकि हम – अपने कृषि उत्पाद यूरोप और अमरीका को निर्यात करने में असमर्थ थे। हमारा मुख्य मुद्दा कृषि उत्पादों से अपने बाजारों को भरना और अपने निर्यातों पर श्रम, निवेश और पर्यावरण संबंधी औद्योगिक राष्ट्रों के मानकों को लागू करना था।

मुझे नहीं मालूम कि इस घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संबंध में इन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है अथवा नहीं। क्या माननीय मंत्री स्पष्टीकरण देंगे ?

हमारी कुछ चिंताएं हैं इसमें पहली चिंता आगामी दो वर्षों में होने वाली बैठक में होने वाली चर्चा से संबंधित है। इस घोषणा में वार्ताओं का उल्लेख है परन्तु यूरोपीय संघ द्वारा कृषि राजसहायता कम करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके बारे में क्या आश्वासन है कि इन वार्ताओं पर दो वर्ष के भीतर विचार किया जायेगा और हमारी राजसहायता बने रहने पर भी इससे राजसहायता में कमी आयेगी ?

सभापति महोदय : महोदया आप केवल उद्धृत कर सकती है, परंतु आप तो पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : अभी मैं केवल वस्त्र के बारे में बोल रही हूं। वस्त्रों के मामले में हमें भारी धक्का लगा है। भारत जैसे देशों में उसके आयात (फार-फ्रोम फ्रंट लोडिंग) और कोटा में वृद्धि के बावजूद उच्च शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : *महोदय, मैं अंतिम वक्ता हूं।

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह : माननीय मंत्री की बात सुननी चाहिए।

सभापति महोदय : आप नहीं समझती कि आप कह रही हैं।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप नहीं समझती कि आपने क्या कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत गलत है। आप अध्यक्षपीठ की बात पर आपत्ति नहीं कर सकती।

श्रीमती श्यामा सिंह : मुझे खेद है।

सभापति महोदय : क्या आप सभा में कोई नई परंपरा स्थापित करना चाहती है ?

श्रीमती श्यामा सिंह : जी नहीं, महोदय। आप हमें समय दीजिए। प्रश्न यह है। *(व्यवधान)*

वस्त्र के मामले में भारी धक्का पहुंचा है। भारत जैसे देशों में इसके आयात (फार-फ्रोम फ्रंट लोडिंग) तथा और उसके कोटा में वृद्धि के बावजूद उच्च शुल्क दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। डम्पिंग-रोधी मामलों पर वही घिसी पिटी बातें की गई है। हम यह किस प्रकार कह सकते हैं कि हमने कार्यान्वयन के मामले में प्रगति की है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमने अपने पहले के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है और वस्त्र, डम्पिंग-रोधी और राजसहायता से संबंधित मुद्दों पर पूर्व संकल्प के बिना ही वार्ताओं को चलने दिया गया।

मैं शीघ्र ही अंतिम विषय, साफ्टवेयर पर बोलूंगी। मेरी चिंता का अगला विषय सबसे बड़ी निर्यात की जाने वाली मद अर्थात साफ्टवेयर है, जिसका 30000 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय फर्में जो थोड़े समय के लिए सॉफ्टवेयर कर्मियों की सेवाएं लेती हैं, उन्हें उतना ही वेतन दिया जाना चाहिए जितना कि उनके लोगों को प्राप्त होता है। उन्होंने संभवत: 11 सितंबर के पश्चात् अपनी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण उनकी संख्या भी कम करने का भी प्रस्ताव किया है मंत्री महोदय यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि इस पर विचार किया जाये ?

अंतत: मैं चार मुद्दों पर उनसे जवाब चाहती हूं। सबसे पहला यह कि इस घोषणा के बाद भी कि दोहा सम्मेलन के उपरांत इस सच्चाई में बदलने के लिए हम बातचीत करेंगे, हम इसमें विफल रहे हैं। शब्दों से सच्चाई नहीं बदलती।

दूसरे, हमने पहले यह निर्णय किया था कि कोई नई वार्ता शुरू करने से पूर्व कार्यान्वयन मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। इसमें उर्वे शर्तों से उत्पन्न सभी मुद्दे भी शामिल हैं। हम इस प्रयास में असफल रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों को सुलझाना तो दूर रहा लेकिन अब तो, ये नई वार्ता प्रक्रिया के मुख्य मुद्दे बन गए हैं।

तीसरे, हमारे लिए तत्काल महत्व के कुछ मुख्य मुद्दों जैसे वस्त्र, राजसहायता और एंटी डम्पिंग पर हमें कोई सफलता नहीं मिली है।

चौथे दो वर्षों के पश्चात् भी हम वार्ता प्रक्रिया में श्रम और पर्यावरण को मुख्य मुद्दों में शामिल किए जाने से नहीं रोक पाये।

संपूर्ण परिदृश्य से यही लगता है कि हमारी वाणिज्यिक कूटनीति कमजोर है। हमारी विदेश नीति और आर्थिक नीति में तालमेल नहीं है।

सभापति महोदय : मैं आपके भाषण पढ़ने पर आपत्ति कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं इसे जल्दी-जल्दी पढ़ रही हूं।

सभापति महोदय : इसे परंपरा नहीं माना जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : ठीक है, महोदय। मैं बैठ जाती हूं।

सभापति महोदय : अब श्री रमेश चेन्नित्तला बोलें।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : वह अपनी अन्तिम बात समाप्त कर रही थी। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह आखिरी बात कर रही थीं।

सभापति महोदय : काफी बात आपकी तरफ से आ चुकी हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्रीमती श्यामा सिंह : इन प्रश्नों से उन्हें फायदा हो सकता था। *(व्यवधान)*

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि डब्ल्यू०टी०ओ० पर एक नई संसदीय समिति शासित की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नित्तला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, व्यापार विकास की मुख्य धुरी है। संपूर्ण विश्व के देशों की सरकारों ने बार-बार नये विश्व व्यापार नियमों की आवश्यकता पर बल दिया है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

हाल ही में चीन डब्ल्यू०टी०ओ० का नया सदस्य बना है। नि:संदेह चीन विश्व आर्थिक परिदृश्य में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

महोदय, उभरती हुई विश्व व्यापार व्यवस्था में, भारत को कुछ विशेष समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा बहुत ही कम अर्थात् 0.7 प्रतिशत है। इस भाग से हम चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। नि:संदेह, हमें अपने आपको मजबूत करना पड़ेगा। बदलते हुए विशेष परिदृश्य में, भारत को न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

नि:संदेह, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री मुरासोली मारन ने अर्थक प्रयास किए हैं। हमें इस पर कोई शंका नहीं है परंतु साथ ही, हमें इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा है कि यह आवश्यक बुराई है। महोदय, डब्ल्यू०टी०ओ० के 142 सदस्य हैं। विश्व व्यापार नियामक निकाय हमेशा से विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा करती रही हैं।

यूरोपीय संघ, अमरीका और जापान जैसी मुख्य आर्थिक ताकतें डब्ल्यू०टी०ओ० का एजेंडा तैयार करा रहे हैं।

हम हमेशा ये मुद्दे मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों में उठाते रहे हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्रों द्वारा जोड़-तोड़ और दबाव का तरीका अपनाया जाना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। डब्ल्यू०टी०ओ० को सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। नि:संदेह हम हमेशा उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। यदि आप दोहा में उत्पन्न परिदृश्य पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि विकासशील राष्ट्र एकमत नहीं थे। उन्होंने इस भेदभाव के विरुद्ध सामूहिक रूप से अपनी आवाज नहीं उठाई। प्रत्येक विकासशील राष्ट्र अपनी कार्य-सूची प्रस्तुत करने में रूचि ले रहा था। महोदय, भारत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विकासशील देशों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहा। एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन, लैटिन अमरीकी देशों ने मुख्य मुद्दों पर समर्थन देने का वायदा किया था परंतु अंत में भारत अलग-थलग पड़ गया और उनका समर्थन उसे नहीं मिला और वे अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। जब उन्हें कुछ हासिल होता है, वे पीछ हट जाते हैं। इनका कोई सांझा एजेंडा नहीं है। इनमें एक-जैसे विचारों का और एक दूसरे को समर्थन देने की कोई बात नहीं है।

महोदय, यहां एक मुद्दा है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा विकासशील देशों के हितों का समर्थन किया है। हमने विकासशील देशों को एकजुट करने का प्रयत्न किया है। परंतु यहां हम इस प्रयास में असफल रहे हैं। इस असफलता का कारण क्या है ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए समुचित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं और साथ ही पूरी तैयारी की गई थी या नहीं। यहां ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई ? समान विचार वाले देश (एल०एम०जी०) सम्मेलन के अंत में असमान विचार वाले देशों के ग्रुप जैसे बन गए। इसका कारण क्या है ? ऐसा क्यों हुआ ? भारत वस्त्र निर्यात की कोटा प्रणाली को निर्धारित समय से पहले समाप्त करने के लिए अमरीका के साथ सौदेबाजी के लिए समान विचार वाले देशों के समर्थन पर ज्यादा निर्भर था। अंत में, पाकिस्तान ने भी बर्हिगमन कर दिया। भारत अलग-थलग पड़ गया। हमारी स्थिति दयनीय बन गई। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारी रणनीति विफल रही। क्या कारण थे कि अन्य सभी समान विचार वाले देशों ने इस अति महत्वपूर्ण मामलों पर हमारे पक्ष पर असहमति दर्शायी ?

अपनी असफलता पर अब हम ज्यादा हो-हल्ला न करें। हमें यह देखना है कि हमारी भावी योजनाएं क्या हैं ? यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। डब्ल्यू०टी०ओ० के तीन चौथाई सदस्य विकासशील देश हैं। हम डब्ल्यू०टी०ओ० को त्याग नहीं सकते। हम डब्ल्यू०टी०ओ० की भूमिका को भी अनदेखा नहीं कर सकते। यहां, तक अमेरिका में कुछ लोग डब्ल्यू०टी०ओ० के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि डब्ल्यू०टी०ओ० की नई भूमिका अमेरिका के विरुद्ध है। कुछ विकासशील देश भी डब्ल्यू०टी०ओ० पर आरोप लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ वे विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए महोदय, हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले दौर में हम एक सांझे एजेंडे पर सहमत हो सकते हैं, जिस पर सभी विकासशील देशों की सहमति हो। चाहे हम सहमत हो या न हों, एक और चर्चा का दौर होने वाला है, और उस चर्चा के दौर के लिए क्या भारत सभी विकास-शील देशों की पूर्ण सहमति से एक सांझा एजेंडा बना पाएगा।

महोदय, विकासशील देशों को बाजार पहुंच संबंधी समझौता वार्ता पर सहमत होना पड़ेगा, जिससे विशेषकर कृषि और कपड़ा क्षेत्र में शुल्क में कटौती और व्यापार के स्वरूप को खराब करने वाली राजसहायता को कम किया जा सके।

दूसरा हैं, सेवाओं के मामले में समझौता वार्ता विकासशील देशों को अपनी सेवाओं और कौशल के निर्यात को बढ़ाने में कामयाब बना सकते हैं। विशेषकर भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो कुछ सेवा क्षेत्रों में बृहतर प्रतिस्पर्धा आमंत्रित की जा सकती है।

तीसरा है, व्यापार दौर की वार्ता से विकासशील देशों के विनिर्माण संबंधी पहलुओं की शेष रूकावटें दूर हो सकती हैं। हम उन प्रस्तावों पर सहमत नहीं हो सकते जिससे केवल अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और बढ़ेगी। मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री मुरासोली मारन से सहमत हूं। उन्होंने अपने सर्वोत्तम प्रयत्न किए। परंतु कुछ गलत रणनीति के कारण, हम कतिपय पहलुओं पर कामयाब नहीं हुए परंतु हमने कुछ बातों पर उपलब्धि हासिल की है। मेरा दृष्टिकोण वास्तविकता से परे नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम पूरी तरह नाकाम रहे *(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

हमने कुछ उपलब्धि हासिल की है परंतु अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे प्रयत्न अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने के होने चाहिए। परंपरागत रूप में हम विकासशील देशों के हितों की वकालत करते हैं। हम हमेशा गरीबों के हितों का समर्थन करते हैं। इसलिए, हम यह कार्य जारी रखेंगे। हमें ये मामले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर उठाने है। भारत को न्यायपूर्ण और समान व्यापार नियमों के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए जिससे आर्थिक शक्तियों की मनमानी, सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा शोषण और विकसित देशों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति को रोका जा सके। मेरे विचार से, गरीब और विकासशील देशों को गहन-विचार विमर्श द्वारा और सांझा एजेंडा बनाकर एकजुट करके, जिससे गरीब देशों को अपना विकास करने में सहायता मिलेगी, भारत आगामी वार्ता के दौर में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभा सकता है ताकि डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकें।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : हम डब्ल्यू०टी०ओ० से बाहर नहीं आ सकते।

श्री रमेश चेन्नितला : क्या आप डब्ल्यू०टी०ओ० से बाहर आ सकते हैं ?

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रमेश चेन्नितला : क्या विश्व का कोई ऐसा देश है जो डब्ल्यू०टी०ओ० से बाहर आ गया ?

श्री खारबेल स्वाइं : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह इस पर बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'आप डब्ल्यू०टी०ओ० से बाहर आ जाइए' *(व्यवधान)* यही वजह है कि मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, मेरी अनुमति के बिना यह आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सदन में विश्व व्यापार संगठन के बारे में बहस चल रही है। हमारे श्रेष्ठ वक्ता माननीय रघुवंश जी ने जो विचार रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। महोदय, विश्व व्यापार संगठन के बारे में माननीय मंत्री जी ने अच्छा काम किया है और उनके मन में अच्छे विचार हैं। मन में अच्छे विचार आना ही काफी नहीं है लेकिन रास्ते में क्या दीवारें आने वाली हैं, वह देखना चाहिए। पहली दीवार तो मन में आना चाहिए। मंत्री महोदय के मन में आया। दूसरी दीवार होती है कि अभ्यास होना चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सिंह जानवरों का राजा होता है फिर भी इधर-उधर देखता रहता है, इसी तरह मंत्री जी को भी इधर-उधर देखते रहना चाहिए। **(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : इन्होंने अनपार्लियामेंटरी शब्द का इस्तेमाल किया है।

सभापति महोदय : जो भी असंसदीय शब्द होगा, वह रेकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उन्होंने सोचा कि भारत में 35 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जो 25 प्रतिशत लोग हैं, उनकी जेब से पैसा निकालना है। ऐसा अमेरिका ने सोचा है। इसलिए पहली दीवार उन्होंने पार की है। लेकिन अभ्यास करना चाहिए। किसान की स्थिति क्या है ? बिजली की हालत क्या है, अनाज की स्थिति क्या है, खेती को पानी मिलता है या नहीं, व्यापार ठीक है या नहीं, किसानों को उचित दर मिलती है या नहीं, सहकारी संगठन ठीक हैं या नहीं यह भी सोचना चाहिए। तीसरी दीवार यश की दीवार है। भारत के जो भी आदमी हैं, उन्होंने अच्छी तरह सोचा है। ऋषि हों या मुनि, महात्मा गांधी हों या नेहरू, उन्होंने अच्छी तरह से सोचा और संसार में पहला नंबर लिया। संसार भारत के बारे में पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन भारत की शक्ति कम नहीं है। इस शक्ति को अच्छी तरह से संगठित करने की जरूरत है। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं। हमने सभी प्रकार की आलोचना, रचनात्मक और अन्य भी सुनी।

मैं अपने भाई माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर को उनकी टिप्पणियों के लिए वधाई देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि वे दूसरे दल के सदस्य हैं, वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी है और राजनयिक रह चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि केवल राजनयिकों को ही झूठ बोलने का और शब्दों और तथ्यों को तोड़ने- मरोड़ने का अधिकार और विशेष सुविधा मिली है। मैं तो कहूंगा कि आज उन्होंने अपना स्वभाव दिखा ही दिया। केवल इतना ही नहीं इससे भी आगे मैं उनके भाषण देने की कला की 10 में से 10 अंक देता हूं। और इसके साथ-साथ उनकी तथ्यों को तोडने मरोड़ने की क्षमता और प्रत्येक बात की गलत व्याख्या करने की कला पर उन्हें 10 में से 10 अंक देता हूं।

मुझे दु:ख हुआ जब उन्होंने कहा कि हमारी यानि भारत की उपस्थिति वहां था। प्रभावहीन थी। कम से कम उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि कुछ भारत की वहां कुछ उपस्थिति तो थी। मुझे इस पर खेद है, परंतु मुझे सच में इस बात पर दु:ख हुआ। उन्होंने संपूर्ण देश को पीडा पहुचाई है क्योंकि मैं वहां व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन् हमारी

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री मुरासोली मारन]

एक बिलियन जनता और सरकार का प्रतिनिधि बन कर गया था। यदि हमारी यह प्रभावहीन उपस्थिति है तो वे उरुग्वे वार्ता समझौता में अपनाए गये हमारे रूख को क्या कहेंगे ? *(व्यवधान)* क्या वे इसे केवल विशुद्ध और सरल 'अक्षमता' कहेंगे ? मुझे अत्यंत खेद है; मैं इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता।

यहां कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। मैं श्री रमेश चेन्नितला के इस बात पर सहमत हूं कि इस प्रकार के मामलों में कुछ सांझी बात कुछ सरहना की जानी चाहिए। इसलिए, मैं एक के बाद एक मुझे पर शीघ्रता से बात करूंगा।

पहला मुद्दा कार्यान्वयन संबंधी मामले और चिंताए है। हम गत तीन वर्षों से इस बात पर बल दे रहे हैं कि पहले इन चिंताओं का समाधान किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करते हुए यह बात स्पष्ट तौर पर कही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ डब्ल्यू०टी०ओ० के बारे में बात करने का स्थान नहीं है। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रपति बुश से उन्होंने क्या कहा; शायद श्री अय्यर जानते हो। माननीय प्रधान मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि : 'उरुग्वें दौर में हमें जो आश्वासन दिए गये थे वे खोखले साबित हुए। अब हम खोखले आश्वासन नहीं मानेंगे। इसी आधार पर हमने अपना रूख कायम रखा।

सर्वप्रथम, विकसित राष्ट्रों ने कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं और मामलों को मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने इस ओर से अपनी आँखें मूंद ली। उन्होंने प्रसन्नता से उरुग्वे दौर के सभी प्रावधानों का दुरुपयोग किया और उनकी गलत व्याख्या की। मुझे इसमें पिछली सरकार की कोई गलती नहीं दिखती, उन्होंने अच्छी मंशा से इस पर हस्ताक्षर किए थे परंतु पश्चिमी देशों ने अपने लाभ के लिए इसकी गलत व्याख्या की। इसलिए तथाकथित समान विचार वाले देशों के ग्रुप के साथ, भारत ने उनको एकजुट करने और श्रेणीबद्ध करने में अहम भूमिका अदा की। जो कुछ हुआ वह ऐसा हुआ। यदि आप घोषणा को देखें तो आपको 'कार्य योजना (वर्क प्रोग्राम) का उल्लेख मिलेगा। इस घोषणा में 'दौर' नामक कोई शब्द ही नहीं है। इसका प्रतिपादित अर्थ एक ही है चाहे आप इसे 'दौर' कहे या 'विकास का दौर' कहे। 'कार्य योजना' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 12 में पहला मामला कार्यान्वयन संबंधी मामलों और चिंताओं का है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोहा में कुछ मामलों पर विचार हुआ है, कुछ मामलों पर समझौता वार्ताएं होंगी और कुछ मामलों पर संबंधित समितियों में विचार किया जाएगा। इसलिए, व्यापार वार्ता समिति इस पर निर्णय लेगी और आगे की कार्यवाही 2002 के अंत तक की जाएगी यह एक स्वीकृति है और कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं और मामलों के संकल्प के लिए भविष्य का खाका है। यह एक बड़ी विजय या उपलब्धि है। मैं इन सब के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

माननीय महिला सदस्या और अन्यों ने कहा कि हमें वस्त्र के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है।

आप इस घोषणा में देख सकते हैं कि वस्त्र से संबंधित पांच मुद्दे थे। तीन मुद्दों को स्वीकार किया गया; केवल दो मुद्दे वही अस्वीकार किए गये। अस्वीकार का अर्थ, उन्हें नकारा नहीं गया है। इन मुद्दों का संबंध ए०टी०सी० के अंतर्गत वृद्धि पर वृद्धि से है। वे कुछ वृद्धि पर सहमत हुए और हमारे कोटे में वृद्धि करने के लिए उन्होंने हमें कुछ बातें बताई। इसलिए, इसे नकारा नहीं गया है। अब यह मुद्दा वस्तुओं संबंधी व्यापार परिषद् में जाएगा और इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने हेतु वह आम परिषद् को 31 जुलाई, 2002 तक अपनी सिफारिश करेगा। इसलिए यह मामला कपड़ा और वस्त्र समझौता (ए०टी०सी०) के दायरे के अतिरिक्त है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमने कुछ भी नहीं खोया है। हम इस में कुछ जोड़ना चाहते थे, इसे स्थगित किया गया है। मैं तथ्यों की गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे हमें दु:ख होगा। जैसा कि गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली के एक प्रोफेसर कहते हैं।

''भारत ने वस्त्र मामले में ऐसा कुछ नहीं खोया है क्योंकि भारतीय कंपनियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें बाजार पहुंच को हमारे फायदे में इस्तेमाल किया जा सके। इस बात का खतरा है कि मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने का लाभ अधिकतर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों द्वारा उठाया जाएगा।'' इसलिए यह मामला कार्यान्वयन मामले से संबंधित है और इसका ए०टी०सी० से कोई संबंध नहीं है।''

अब अन्य देशों की राय क्या है ? कार्यान्वयन संबंधी मामलों को आप सभी ने अस्वीकार कर दिया है। माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर के अनुसार यह कोई उपलब्धि नहीं है। यहां, पासकल लैमी, जो यूरोपीय व्यापार के कमिशनर हैं, कहते हैं : ''एक बहुमूल्य कार्यान्वयन पैकेज को आगे बढ़ाने में यूरोपीय संघ ने पूर्ण रूप मे सहयोगात्मक भूमिका निभायी है''। यह बात पासकल लैमी के लिए महत्वपूर्ण है, श्री अय्यर के लिए नहीं – ''जिसे विकासशील देशों ने उचित रूप से ऐसी प्राथमिकता दी है। उन्होंने इस मामले को एजेंडे में शामिल करने के लिए बाध्य किया और हालांकि आप उनसे अवश्य पूछें मेरा विश्वास है कि वे करेंगे उन्हें अपनी उम्मीदों से कहीं बढ़कर मिला।'' ये शब्द पासकल लैमी के हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ ने इस परिणाम का मूल्यांकन किया और 14 नवम्बर, 2007 को एक ज्ञापन प्रकाशित किया। यहां में 'कार्यान्वयन' शीर्षक के अंतर्गत कुछ उद्धृत करना चाहता हूं।

''यूरोपीय संघ ने शुरू से ही यह माना कि एक नया व्यापार दौर शुरू ही किया जा सकता था'' – यह पूर्व निर्धारित शर्त है – ''यदि विकासशील देशों के ग्रुप ने यानि भारत जैसे समान विचार वाले ग्रुप द्वारा उठाए गये कार्यान्वयन संबंधी मामलों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई – ''यह प्रगति अब दोहा में सहमत हुए निर्णयों के आधार पर की गई है और दोहा से पहले निश्चित ही उन्होंने कई समस्याओं को सुलझा लिया है।''

इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

'ट्रिप्स' और जनस्वास्थ्य के संबंध में भारत और विकासशील देशों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम जानते हैं कि एक अद्वितीय घोषणा है एक एतिहासिक घोषणा है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पश्चिमी देश किस प्रकार विकासशील देशों को लूट रहे हैं।

मैं नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो० स्टिगलिट्ज द्वारा कही बात को उद्धृत करना चाहता हूं, वे पहले विश्व बैंक में थे। वे कहते हैं, ''स्टिगलिज विश्व व्यापार संगठन की मुक्त व्यापार विधि तरीके की तुलना 'अफीम युद्ध' से करते हैं, क्योंकि इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को गरीब देश के लोगों को ब्राड वाली दवाओं और अन्य सेवाओं के लिए बहुत अधिक मूल्य वसूलकर लूटने का मौका मिल जाता है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार एड्स के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2000 के अंत में यह केवल अफ्रीका की ही बीमारी नहीं रह गई बल्कि भारत में भी आ गई। 2000 के अंत में 3.86 मिलियन भारतीय एड्स और एच०आई०वी० से ग्रसित थे। संसार में प्रतिघंटा 600 व्यक्ति एच०आई०वी० के भयानक वायरस से ग्रसित होते हैं और इस बीमारी से 60 से अधिक बच्चे मर रहे हैं। अफ्रीकी जनता और अन्य लोगों को दवा नहीं मिल सकी। अत: हमने एक अलग घोषणा तैयार कराई है। लोग पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है। ऐसा जनता के दबाव के कारण है। भारत ने ब्राजील और अन्य 55 अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर इस बात पर बल दिया है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि अब यह उपयुक्त समय आ गया है जबकि विश्व व्यापार संगठन यह दिखा सकता है कि उसका दृष्टिकोण भी मानवतावादी है। अत: उन्हें इस पर सहमत होने को बाध्य किया गया ट्रिप्स समझौता क्या है ? अब वे कहना चाहते हैं कि केवल स्वास्थ्य संबंधी संकट आने पर ही आप इस प्रकार की समस्याओं से लाभ उठा सकेंगे।

नहीं, अब संकट शब्द को 'स्वास्थ्य समस्याओं' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वे केवल एच०आई०वी०/एड्स को ही सम्मिलित करना चाहते थे। केवल एच०आई०वी०/एड्स अकेले पर्याप्त नहीं होता। हम इसको उसमें सम्मिलित करवाने में इसलिए सफल हो सके क्योंकि भारत भी प्रारूप समिति का एक सदस्य था। एच०आई०बी०/एड्स के अतिरिक्त क्षय रोग, मलेरिया और अन्य महामारियों का भी उल्लेख है। वे 'एपिडेमिक्स' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। वे 'पैन्डेमिक' शब्द का प्रयोग करना चाहते थे जिसका अर्थ है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। हमने तर्क दिया कि भारत एक उपमहाद्वीप है। यहां क्या होता है ? दक्षिण भारत – तमिलनाडु या केरल में महामारी हो सकती है लेकिन ऐसा हो सकता है कि यह पूर्वोत्तर भारत में न हो। इसलिए हमारे दबाव डाले जाने पर इन शब्दों को सम्मिलित किया गया।

केवल यही नहीं माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर जानना चाहते हैं कि दवाओं के मूल्य से संबंधित बात का उल्लेख कहां किया गया है। पैरा 4 में कहा गया है : ''सभी के लिए दवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना।'' इसका उल्लेख वहां किया गया है। यह क्या है ? ऐसा हमारे वार्ता के कारण संभव हुआ। हम 'ट्रिप्स' को पुन: लिखने नहीं जा रहे। बड़े प्रयासों के बाद हमें कुछ छूटें, कुछ व्याख्यायें और कुछ स्पष्टीकरण मिले। यहां, मैं पढ़ता हूं : ''ट्रिप्स समझौते को अपने सदस्यों को जन स्वास्थ्य की रक्षा करने से नहीं रोकना चाहिए।'' इसका अर्थ है कि संप्रभुता सम्पन्न सरकार को अधिकार दिया गया है। केवल इतना ही नहीं – ट्रिप्स समझौता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुहराते हुए हमने पुष्टि की कि समझौते की व्याख्या और उसका कार्यान्वयन इस प्रकार होना चाहिए जिसके विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को जन स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायता मिल सके।

यहां मैं दो अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। समझौते की व्याख्या नागरिकों के जीवन के हित में की जा सकती है। इसका अर्थ है कि यह किसी राष्ट्रीय सरकार, संप्रभुता संपन्न सरकार के लिए अत्यन्त विशिष्ट बात है कि आप इसका इस रूप में उपयोग कर सकते हैं। और 'व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए' का अर्थ है यह जेनेवा के विवाद समझौता निकाय के लिए अत्यन्त विशिष्ट बात है। अत: यहां यह अत्यन्त बड़ी बात है। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : कृपया, मुझे एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए। 'शुड' (चाहिए) के स्थान पर 'शैल' (होगा/किया जायेगा) का प्रयोग करने हेतु सामान्य संशोधन लाया गया था।

श्री मुरासोली मारन : मैं आपको बताता हूं। एक सुझाव आया था। हमने सुझाव दिया था कि 'शैल' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : सुझाव दिया गया था।

श्री मुरासोली मारन : हां, सुझाव दिया गया था। अमरीका जैसे देशों ने इस पर आपत्ति की थी। मैं विश्व व्यापार संगठन में 'कमेटी ऑफ होल' में बोला था। मैंने कहा कि आप 'शैल' शब्द पर आपत्ति क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका में यह एक कानूनी शब्द है। मैंने कहा कि 'टेन कमान्डमेन्ट्स' में कहा गया है कि ''तुम चोरी नहीं करोगे; तुम यह नहीं करोगे'' आदि। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मौसेज एक महान वकील थे ?

श्री रूपचन्द पाल : ठीक है, आपने प्रयत्न किया और आपने ऐसा किया।

श्री मुरासौली मारन : हां, हमने ऐसा किया। लेकिन हम सफल नहीं हो सके। हमने अनेक लोगों से परामर्श किया। उन्होंने कहा कि यह कार्य इस प्रकार हो जायेगा – 'नहीं रोकता है और नहीं रोकना चाहिए'। इसलिए इनमें ये लचीलापन हैं। प्रत्येक देश इसे समझ सकता है। आपात स्थिति या अत्यधिक आवश्यकता का निर्धारण कैसे किया जाना है ? इसका निर्धारण कौन करेगा ? इस घोषणा के अनुसार प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्रीय सरकारें तय कर सकती हैं कि क्या आपात स्थिति है अथवा सस्ती जेनेरिक दवाइयों की अत्यधिक आवश्यकता है। नि:संदेह इसमें एक कमी है। कमी इस अर्थ में कि वह जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाएं हैं।

[श्री मुरासोली मारन]

उदाहरण के लिए मान लें एक ऐसा देश है जिसके पास विशेष दक्षता नहीं है, भारत नहीं क्योंकि हम जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में अग्रेणी हैं। यदि कोई गरीब देश, अफ्रीकी देश उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, उसके पास दक्षता नहीं है तो क्या होगा ? यह मामला आम परिषद् के पास भेज दिया गया है और शीघ्र ही 2002 की समाप्ति से पहले इसका समाधान हो जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आप पूछ सकते हैं यह कैसे संभव हुआ, ऐसा किसने कहा और ऐसी ही अन्य बातें पूछी जा सकती हैं।

यहां, ब्राजील के एक समाचार पत्र की बात करूंगा। उसमें मुख्य समाचार छपा है : 'ब्राजील ने औषधियों के पेटेन्ट पर विजय प्राप्त की।' आप समझ सकते हैं कि वे कितने देशभक्त हैं। इस समाचार में आगे और कहा गया है ब्राजील और भारत जैसे विकासशील देश।' वे कहते हैं यह भारत के भी प्रयासों से सम्भव हुआ है। वे स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं खेद पूर्वक कहता हूं कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

यह ब्राजील का एक दूसरा समाचार पत्र है। इसमें कहा गया है – ''ब्राजील औषधियों के पेटेन्ट पर विजय का स्वागत करता है।'' लेकिन इसमें आगे और कहा गया है कि अब, ब्राजील और भारत को यह सब प्राप्त हो जायेगा। ब्राजील हमारा योगदान स्वीकार करता है लेकिन हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं।

दूसरी बात भी है। यहां मैं 'एशियन वाल स्ट्रीट जर्नल' में छपी बात कर रहा हूं। मैं इससे उद्धृत करता हूं : ''भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकसित देशों ने भी औषधियों की अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों के अपने पेटेन्ट की रक्षा की तुलना में गरीब देशों की सस्ती औषधियों की मांग के अधिकार को प्राथमिकता दी।'' एशियन वाल स्ट्रीट जर्नल इसे मानता है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्वान सदस्य माननीय श्री मणि शंकर अय्यर इसे नहीं मानते।

'द इकोनामिस्ट' एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। श्री मणि शंकर अय्यर यह अच्छी तरह जानते हैं। मैं इससे उद्धृत करना चाहता हूं – ''पहले उन्होंने (अर्थात विकसित देशों ने) अपेक्षित सफल चाल चली (स्कोरर्ड ए कू)। उन्होंने 'कू' शब्द का प्रयोग किया है। इस अपेक्षित सफलता में यह घोषणा भी है कि बौद्धिक सम्पदा नियमों द्वारा गरीब देशों को सस्ती दवायें प्राप्त करने से रोका नहीं जाना चाहिए।'' मैं 'द इकोनामिस्ट' से एक वाक्य पढ़ता हूं। आगे वे, कहते हैं :

> ''उनके तीव्र विरोध के बावजूद, गरीब देशों ने औषध निर्माताओं, के ऊपर स्पष्ट विजय प्राप्त की है।''

हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और औषध निर्माताओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। जैसा कि एक सक्रिय कार्यकर्त्ता में स्वीकार किया है :

> ''दो वर्ष पहले, आप विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से ऐसी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते थे।''

यह तभी संभव हुआ जब सारे विकासशील देश एक साथ थे। यह भारत, ब्राजील और 55 से अधिक अन्य अफ्रीकी देशों द्वारा तैयार प्रस्ताव पर आधारित था।

हाल ही में फ्रांस के राज्य मंत्री श्री हुबार्ट 'बर्ड इकोनामिक फोरम' को सम्बोधित करने आये थे। वे कहते हैं :

> ''पूरा विश्व इस घोषणा को दोहा सम्मेलन की एक बहुत बड़ी सफलता मान रहा है।''

ये मेरे शब्द नहीं हैं बल्कि फ्रांस के मंत्री के शब्द हैं। मैं यह बात माननीय संसद सदस्य श्री रूपचन्द पाल को बताना चाहता हूं। 'इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली में भी इससे संबंधित समाचार छपा है। हमें ज्ञात है कि यह भारत एक अत्यन्त प्रगतिशील साप्ताहिक पत्रिका है। इसमें छपा है :

> ''सबसे स्पष्ट उपलब्धि ट्रिप्स के संबंध में रही है। जन स्वास्थ्य को और अधिक प्राथमिकता प्रदान करने के लिए इसके वर्तमान प्रावधनों को पुनः लिखा नहीं गया है बल्कि स्पष्ट कर दिया गया है।''

अब एक राष्ट्रीय सरकार विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटारा तंत्र की चुनौती का सामना किए बिना ही तय कर सकती है कि उस देश में जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति कब उत्पन्न हुई है और पेटेन्ट अधिकारों को निलम्बित किए जाने की आवश्यकता है। महामारी ही पेटेन्ट अधिकारों के निलम्बन के लिए पर्याप्त हैं; इसके लिए पेनडेमिक्स की आवश्यकता नहीं हैं। यही स्पष्टीकरण दिया गया है। मैंने जो कुछ कहा उन्होंने उसे अत्यन्त उपयुक्त तरीके से सहजता के साथ उसमें सम्मिलित कर दिया। क्षय रोग और मलेरिया को महामारियों के रूप में स्पष्ट पहचान मिल गई है। केवल एच०आई०वी०/एड्स को ही नहीं, इनसे भी पेटेन्ट अधिकारों को निलम्बित किया जा सकेगा। उन्होंने ये बातें कही हैं।

भौगोलिक उपदर्शन, सीबीडी, जैव-विविधता पर सम्मेलन, परम्परागत ज्ञान और लोक साहित्य की रक्षा तथा अन्य नये विकास के विषय भी इससे संबंधित हैं। इन्हें पैरा 18 और 19 में रखा गया है। अतः इसके लिए एक लघु समय सारणी निर्धारित की गई है क्योंकि शराब और स्पिरिट को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान की गयी है लेकिन हमारे बासमती चावल, दार्जिलिंग की चाय और एलफॉजो आम को नहीं। अब इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक संक्षिप्त समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। ट्रिप्स परिषद् को कहा गया है कि इस मेले पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए 2002 के अन्त तक व्यापार समझौता समिति को एक प्रतिवेदन सैंपे। अतः ट्रिप्स की मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ट्रिप्स संबंधी समिति के समक्ष ये सभी समस्यायें हैं। समय तो लगभग बीत गया है। हम समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। इन सभी मुद्दों पर विचार किया जायेगा।

भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित बात को मैं पूर्णत: स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यूरोपीय संघ के कृषि आयुक्त की फिशलर का एक वक्तव्य है। उन्होंने 14 नवम्बर 2001 को यह वक्तव्य जारी किया था क्योंकि यूरोप के देशों ने भी भौगोलिक संकेत संबंधी हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें कहा गया है :

"सौदे का दूसरा सकारात्मक पक्ष यह है कि अब, हम भारत के बासमती चावल से लेकर इटली के पारमिजियानों – मुझे नहीं पता कि इसका उच्चारण क्या है – पनीर के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर विश्व व्यापार संगठन के अन्य देशों द्वारा अधिकार किये जाने के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बातचीत करेंगे।"

क्या यह महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है ? मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कुछ लोगों ने कहा कि हमने 'श्रम' मामले में समर्पण कर दिया है। मुझे बहुत दु:ख है। हम पूरे पैरा को निकाल देना चाहते थे क्योंकि वह इस मामले पर सिंगापुर में फैसला हो चुका है तथा श्रम संबंधी मानकों का संबंध अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन से है। यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है। विश्व व्यापार संगठन का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन हमने उपलब्धि प्राप्त की। वह वाक्य क्या है जिसे हटाया गया है ? इसमें कहा गया है :

"अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर ठोस बातचीत के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है।"

हमने उस पर आपत्ति क्यों की ? क्योंकि यदि आप स्थायी स्वरूप की वार्ता की बात करेंगे तो वे कहेंगे कि विश्व व्यापार संगठन में तो अस्थायी स्वरूप की वार्ता होगी। वे काफी चालाक हैं। इसलिए, यदि आपको कोई संदेह है तो मैं 'दि इकोनमिस्ट' को पुन: उद्धृत कर दूंगा। उन्होंने क्या कहा था ? यह भारतीय अथवा भारत सरकार की राय नहीं है। इसमें कहा गया है :

"विकासशील देशों के लिए व्यापार और श्रम क्षेत्र में किसी प्रकार की वचनबद्धताओं का न होना एक और जीत है।"

इसलिए, श्री रूपचन्द पाल को खुश होना चाहिए।

महोदय, इसके बाद मैं कृषि संबंधी मुद्दे पर बात करूंगा। हाल ही में मैंने इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया है। लेकिन पुन: मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में हमें क्या जानकारी मिली है। हम कृषि पर विचार-विमर्श शुरू कर चुके हैं। ए०ओ०ए० अर्थात् कृषि समझौता दिनांक 1.1.1995 से लागू हुआ। यह छठा वर्ष है। विचार-विमर्श 2000 से आरंभ हुआ। विचार-विमर्श चल रहा है। इस संबंध में यूरोपीय संघ का क्या विचार है ? उनका कहना है कि यह कभी न खत्म होने वाली वार्ता है। इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए, हम विचार-विमर्श समाप्त नहीं करेंगे। वे निर्यात राजसहायता बढ़ा रहे हैं। भारतीय किसान उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है क्योंकि यूरोपीय संघ तथा अन्य देश राजसहायता देकर अपने उत्पादों की कीमतें कम रखते हैं। लेकिन हमें आदेश मिला है जो कृषि समझौते के अनुच्छेद 20 से कहीं अधिक अनुकूल है। यहां मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि सभी तरह की निर्यात राजसहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने की दृष्टि से ऐसा किया जाएगा। जो देश राजसहायता देते हैं उनके लिए यह जनादेश है। हमें क्या फायदा मिला है।

श्री रूपचन्द पाल : हमें केवल आश्वासन मिला है।

श्री मुरासोली मारन : चाहे वह जो कुछ भी हो लेकिन हमें विचार-विमर्श करना होगा। यह केवल एक पैरा है जैसाकि बजट भाषण में होता है। बजट भाषण पढ़ा जाता है और उसके बाद मांगों पर विचार किया जाता है। यह बजट भाषण की तरह है। हमें विचार-विमर्श करना होगा। हमें क्या मिला ? मैं पुन: उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास सहित सभी विकास आवश्यकताओं पर प्रभावी रूप से ध्यान देने से संभवत: विकास होगा। विकासशील देशों के प्रति विशेष और विभेदक व्यवहार करना सभी घटकों का अभिन्न अंग होगा। विकासशील देशों के साथ विशेष और विभेदक व्यवहार किया जाएगा। विशेष और विभेदक व्यवहार से आशय है, अंतरण अथवा परिवर्तन के लिए अपेक्षाकृत कम नियम तथा अधिक समय सीमा। आप पूछ सकते हैं कि इसके लिए समय कहां है ? इसमें पुन: कहा गया है कि विशेष और विभेदक व्यवहार के लिए उपबंध और अतिरिक्त वचनबद्धता के लिए निर्यात कार्यविधि 31 मार्च, 2003 के बाद नहीं होगी। नि:संदेह, वर्ष 2005 के अंत तक सारी कार्यवाही पूरी की जानी है। इसलिए यहां समय सीमा निर्धारित की गई है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, इसके बाद सिंगापुर का मुद्दा आता है। यह विवाद का विषय था। हमने निरंतर 36 घंटे इस पर चर्चा की। उन्होंने क्या कहा ? वास्तव में सम्पूर्ण मुद्दे पर चर्चा अपने चरम पर थी। 35 घंटे तथा 45 मिनट के विचार-विमर्श के पश्चात् उन्होंने प्रारूप प्रस्तुत किया और बैठक समाप्त हुई। हम भौंचक्के रह गए। हमें धक्का लगा। इसलिए हमें कहना पड़ा कि भारत सर्वसम्मति में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन अगली स्थिति क्या थी ? चर्चा रुक गई। इसके बाद अध्यक्ष ने चर्चा की अवधि 18 घंटे और बढ़ा दी। लोग हमें समझौता करने के लिए कहने लगे। लेकिन हम सहमत नहीं हुए। हमने कहा कि सभी चार सिंगापुर मुद्दों पर एक साथ विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता है। एक कार्यदल इसका अध्ययन कर रहा है। कार्यदल को अपना अध्ययन पूरा करने दीजिए और रिपोर्ट देने दीजिए और इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो हम स्पष्ट सर्वसम्मति के आधार पर इस मुद्दे पर अगले मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन में विचार कर सकते हैं। इसके बाद अध्यक्ष ने समझौते के लिए कहा। मैं अध्यक्ष के वक्तव्य को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि कुछ शिष्टमण्डलों ने प्रारूप घोषणापत्र के पैरा 20, 23, 26 और 27 के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है। मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन के पांचवें सत्र में लिए जाने वाले निर्णय के लिए इन पैराओं में आवश्यक स्पष्ट सर्वसम्मति' के संदर्भ में मैं कहना चाहता है कि

[श्री मुरासोली मारन]

मेरे हिसाब से अगले मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन के उस सत्र में व्यापार और निवेश, व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति तथा सरकारी खरीद और व्यापार सुविधा में पारदर्शिता पर विचार-विमर्श होने से पूर्व स्पष्ट सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। पहले हमें केवल दो मुद्दों पर स्पष्ट सर्वसम्मति मिली थी लेकिन अब दो और मुद्दों पर स्पष्ट सर्वसम्मति मिली है। अध्यक्ष ने यह भी नोट किया और में उसे उद्धृत कर रहा हूं कि मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन के पांचवें सत्र के बाद जब तक कि सदस्य स्पष्ट सर्वसम्मति में शामिल होने हेतु तैयार नहीं होता, तब तक प्रत्येक सदस्य को कार्य-पद्धति पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार भी मिलेगा जिससे वार्ता आगे नहीं चलेगी।

महोदय, यह एक बड़ी जीत है। मैं पुन: 'दि पॉलिटिक्ल एण्ड इकनॉमिक वीकली' में श्री पाल द्वारा लिखित बात को उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है कि सभी सदस्यों के बीच स्पष्ट सहमति के आधार पर बनी कार्य पद्धतियों के अनुसार ही ऐसे विचार-विमर्श हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : इसका यह मतलब नहीं है कि संसद सदस्य 'दि पॉलिटिकल एण्ड इकनॉमिक वीकली' अथवा 'दि इकोनॉमिस्ट' में लिखी हर बात से सहमत हो जाए।

श्री मुरासोली मारन : इसलिए, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। हम अपने इस रूख पर संदेह क्यों करें ? यह मेरा अपना पक्ष नहीं है। यह भारत का पक्ष है; यह आपका पक्ष है; यह प्रत्येक व्यक्ति का पक्ष है।

दूसरे शब्दों में, इन मुद्दों पर विचार-विमर्श वार्ता की पद्धतियों पर शीघ्र असहमति व्यक्त करने से रोका जा सकता है। इसलिए, केवल वार्ता के लिए ही नहीं वरन् कार्य पद्धतियों के लिए भी सर्वसम्मति आवश्यक है।

अब मैं 'दि गार्डिअन' से उद्धृत करूंगा। 'दि गार्डिअन' ब्रिटेन का काफी लोकप्रिय समाचार पत्र है। वास्तव में समाचार पत्र की यह कतरन माननीय संसद सदस्य श्री अहमद ने मुझे भेजी थी जो उस समय लंदन में थे। मैं केवल कुछ बातें उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है, "लेकिन विकासशील देशों की नई सत्ता का अत्यधिक नाटकीय प्रदर्शन अंतिम दिन हुआ जब भारत यूरोपीय संघ के दोहा दौर को बढ़ाने के अनुरोध का विरोध करने में सफल हुआ।"

श्री शिवराज वि० पाटील : क्या आप थोड़ी देर के लिए बात मानेंगे ?

हम आपकी काठिनाइयां समझते हैं। हमें उपलब्धि के बारे में भी मालूम है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाए हैं कि दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को सभा में उद्धृत क्यों किया जा रहा है। हम तथ्यों के आधार पर जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या उपलब्धि रही। आप हमें अन्यों के द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर नहीं अपितु आपके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर विश्वास दिलाएं।

श्री मुरासोली मारन : कई बार लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मुझे प्रमाणपत्र देना पड़ा। यदि आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं तो कम से कम किसी ऐसे पर तो विश्वास कीजिए जो इस देश में नहीं है।

श्री शिवराज वि० पाटील : हम औरों की बजाय आप पर विश्वास करेंगे।

श्री मुरासोली मारन : धन्यवाद। तो उस आलोचना की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं थी।

श्री शिवराज वि० पाटील : जो आप बताना चाहते हैं कृपया वही बताइए। उन बातों को पढ़ कर न सुनाएं।

श्री मुरासोली मारन : माननीय सभापति महोदय, मैं अब बहस नहीं करता।

अब दोहा के मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। हमें विकास संबंधी गठ बंधन की आवश्यकता है जैसाकि श्री चेन्नितला ने कहा था।

संभवत: श्री चेन्नितला की रबड़ में दिलचस्पी है। इसलिए, जबकि अग्रिम लाइसेंस के लिए प्राकृतिक रबड़ के आयात कर प्रतिबंध जारी हैं उन्हें एस०टी०सी० के माध्यम से घरेलू स्रोतों से प्राकृतिक रबड़ मिलेगी और एस०टी०सी० को निर्यात से 3.50 रुपये प्रति कि०ग्रा० निर्धारित फायदा मिल रहा है। आयात को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता और विशाखापत्तनम ही ऐसे दो पत्तन है जिनके माध्यम से भारत रबड़ का आयात कर सकता है। इसके बाद प्राकृतिक रबड़ आयतकों के लिए रबड़ बोर्ड में अपना नाम पंजीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना किसी मानक के रबड़ का आयात किया जा रहा है। घरेलू रबड़ की गुणवत्ता पर विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के मानक आयातित रबड़ पर भी लागू किए जाएंगे। विषय बदलने के लिए खेद है।

महोदय, दोहा की बातें पीछे छूट गई हैं। आज हम यहां है और कल कोई और यहां होगा। लेकिन हमारे बीच एक तरह की सहमति होनी चाहिए। अन्य देशों के साथ विकास संबंधी गठबंधन बनाने का क्या फायदा है ? पहले इस सभा के अंदर विकासीय गठबंधन बनाया जाना चाहिए। सभी दलों को सहयोग करना चाहिए।

जब विश्व व्यापार संगठन संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति ने हमें दिए जाने वाले जनादेश के बारे में निर्णय लिया तो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि हम डटकर मुकाबला करें। जब दोहा में संकट था तो मैंने उन्हें टेलीफोन किया। उन्होंने मुझे दृढ़ रहने को कहा। हम दृढ़ रहे और हमने डटकर मुकाबला किया। इसलिए, मैं कहूंगा कि हमें दलगत बातों से ऊपर उठकर आपस में सहयोग करना चाहिए।

शीघ्र वार्ता शुरू हो जाएगी और 2005 तक वार्ता समाप्त हो जाएगी। मुझे आपका सहयोग चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : क्या वार्ता की शैली, कार्य पद्धति तथा तैयारियों के बारे में कोई आत्मालोचक पुनरीक्षा की गई है ?

श्री मुरासोली मारन : जी हां, मैंने सभी दलों से परामर्श किया है।

वास्तव में मैंने किसका प्रतिनिधित्व किया है ? मैंने भारत के हित धारकों का प्रतिनिधित्व किया है। वे हैं संसद सदस्य, हमारी राजनीति, हमारा व्यवसाय तथा हमारी कृषि। हमने अपना कर्त्तव्य निभाया। हम सबको भारत की सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए।

इसलिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। हम सभी को सहयोग करना चाहिए और आगामी वर्षों में भारत को सफलता दिलानी चाहिए। संभवत: हमारे पास अभी भी पांच वर्ष हैं। उरुग्वे दौर में आठ वर्ष का समय लगा; टोक्यो दौर में छह वर्ष का समय लगा और इस दौर में 10 वर्ष लग सकते हैं। इसलिए, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : मंत्री महोदय, क्या आप श्रीमती श्यामा सिंह जी का यह सुझाव स्वीकार करेंगे कि हमें विश्व व्यापार संगठन संबंधी संसदीय समिति गठित करनी चाहिए।

श्री मुरासोली मारन : वस्तुत: विश्व व्यापार संगठन संबंधी संयुक्त संसदीय समिति तो पहले से ही है।

श्री रूपचन्द पाल : ऐसी कोई समिति नहीं है। एक संयुक्त संसदीय परामर्शदात्री समिति है जो इससे संबंधित कार्य देखती है।

श्री मुरासोली मारन : जी नहीं। विश्व व्यापार संगठन संबंधी एक अलग समिति है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मंत्री महोदय, मेरे विचार से आप वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री मुरासोली मारन : जी नहीं, वह एक अलग समिति है। हमने सिर्फ विश्व व्यापार संगठन के संबंध में ही एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की है जिसके, शुद्धि के अध्यधीन, श्री सिकन्दर बख्त सभापति हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 दिसंबर, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 दिसंबर, 2001/20 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।